खण्ड–507, अंक–10
सोमवार, 29 माघ, शक संवत् 1940
(18 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	. .	1-6
प्रश्नोत्तर	. .	7-70
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राज बृजराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार	. .	70-71
श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उनके साथ हुई रुपये 10 लाख की धोखाधड़ी का व्यक्तिगत प्रकरण	. .	71-76
श्री नितिन अग्रवाल द्वारा व्यवधान के मध्य श्री राज्यपाल कि अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में एक सदस्य को लगी चोट का कारण जानने हेतु कमेटी गठित करने की मांग	. .	76-77
औचित्य के प्रश्न की सूचना	. .	77
विधान सभा मण्डप में संविधान निर्माता श्रद्धेय डा0 बी0आर0 आम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	. .	77
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	. .	77-80
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अनाज निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही घटतौली रोकने एवं जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	80-81
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत ग्राम सभा बण्डा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	81
जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लावां की नहर पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.	.	81
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट अन्तर्गत बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क के नीचे बने नाले का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	81-82
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	82
जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	82-83
जनपद आगरा के कमलानगर बृज बिहार फेज-3 में सड़क का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	83
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह अन्तर्गत ग्राम सभा शाखा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	. .	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद संतकबीर नगर में मत्स्य पालन शिविर के नीलामी से प्राप्त हुये पट्टेदारों के तालाबों का अनुबन्ध आदेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	83-84
जनपद कानपुर देहात में घाटमपुर से लेकर सिकन्दरा तक मुगल रोड को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	84-85
जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर अन्तर्गत बहलवा से नयाखेड़ा हुये बन्दी माता मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	85
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद रेउसा बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	85
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अन्तर्गत बिलरियागंज रौनापार मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने तथा जर्जर मार्ग का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	85-86
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम हुसैनपुर के रामजी तिवारी का विद्युत कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	86
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा में एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड, दवा एवं चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	86-87
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत रसड़ा नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित जर्जर एवं निष्प्रयोज्य हो चुके रोडवेज बस स्टेशन का सौन्दर्यीकरण एवं पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	87
जनपद जौनपुर स्थित गोमती नदी में कलीचाबाद घाट पर स्वीकृत पुल का पुनर्निमाण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	88
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में उत्तम शुगर मिल, बरकातपुर द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	88
जनपद लखनऊ के ग्राम मोहनलाल खेड़ा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	88-89
कानपुर नगर में जल निगम द्वारा बिना कार्य पूर्ण रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आठ करोड़ की जमानत राशि रिलीज करने व अमृत कार्यक्रम में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	89

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत दया छपरा नौरंगा चक्की नौरंग प्रधानमंत्री सड़क कार्यपूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	89-90
जनपद बलिया सदर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नसीराबाद में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	90
जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	90
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर स्थित पवारा नहर से ग्राम सजईकला तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	90-91
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित हैदराबाद से बखरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	91
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत देवाना कुर्चा रोड से हुसैनपुर सकरवारी चौहान बस्ती तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	91-92
जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पल्हना में बेसो नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	92
जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत अम्बरपुर बाजार के पास से ब्रह्मबाबा होते हुए मुण्डेरा पिच तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	92-93
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के कतिपय ग्रामों में ताराबों की खुराई व चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	93
जनपद उन्नाव के विकास खण्ड विछिया अन्तर्गत उन्नाव-जमुका पड़री मंगत खेड़ा मुख्यमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	93
जनपद हापुड़ के एन0एच0-24 रिलाइन्स रोड से ग्राम भोवापुर होते हुये ग्राम मदापुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	93-94
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत कामाख्या मन्दिर को जोड़ने वाला अमानीगंज सैदपुर से सुनबा मार्ग की मरम्मत एवं उक्त मार्ग पर वेतवा नाले पर निर्मित रपटा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	94
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत ग्राम अहिनिवार में स्थित पक्ष सरोवर को संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	95

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बदायूं के ब्लाक कादर चौक अन्तर्गत ककोड़ा ग्राम पंचायत में डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	95
जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कौंधियारा के ग्राम पंचायत चोकनई में गोवंश आश्रय स्थल बनाये जाने पर अराजक तत्वों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	95-96
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय स्थानों पर पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना.	96
लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड की अल्प विकसित मलिन बस्ती के अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना. .	96
जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ विल्सनबाग कालोनी में डाक्टर सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	97
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम घूघुलपुर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	97
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय स्थानों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	97-98
जनपद फतेहपुर में बी0एस0ए0 द्वारा सी0सी0एल0 स्वीकार करने के नाम पर अध्यापिकाओं का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	98
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र महिलाहाबाद अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना . .	98-99
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) . .	99
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	99
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-18) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	99
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 145वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	100
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 146वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-2018) का 147वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) . .	100
श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी से सम्बन्धित नौ हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	100-102
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा की एक, जनपद कानपुर की दो एवं जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	102-103
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो हस्ताक्षरित याचिकाएं (व्यपगत) . .	103
श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर से सम्बन्धित नौ हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	103-104
श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई) . .	104-105
श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गई) . .	105
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी सुल्तानपुर मार्ग पर ग्राम सभा थौरा से गड़ेरियन का पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) . .	105
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर की तीन हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	106
श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	106
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के कतिपय ग्रामों से सड़क निर्माण से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गई) . .	107
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं (उपस्थित की गईं) . .	107-108
श्री कैलाथ नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद वाराणसी से सम्बन्धित दो हस्ताक्षरित याचिकाएं (व्यपगत) . .	108-109
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (जारी) . .	109
विपक्ष द्वारा कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार सदन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथि तक चलाये जाने की मांग . .	109-114
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	114
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं . .	114-132
वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा . .	132

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक की साधारण चर्चा नेता विरोधी दल द्वारा आरम्भ करके अपने स्थान पर श्री संजय गर्ग को अधिकृत किया जाना . .	132-208
वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65, लगायत 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 . .	209
अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग . .	209
अनुदान संख्या-02-आवास विभाग . .	209
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) . .	209
अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) . .	209
अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग) . .	209
अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) . .	210
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) . .	210
अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) . .	210
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग . .	210
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) . .	210
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) . .	210
अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन).	210
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) . .	211
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) . .	211
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) . .	211
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) . .	211
अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) . .	211
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) . .	211
अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) . .	211
अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) . .	212
अनुदान संख्या-21-खाद्य एवं रसद विभाग . .	212
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग . .	212
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) . .	212
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) . .	212

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)	. .	212
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)	. .	212
अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	. .	212
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	. .	213
अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	. .	213
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	. .	213
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	. .	213
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक चिकित्सा)	. .	213
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	. .	213
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	. .	213
अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	. .	214
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग	. .	214
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग	. .	215
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	. .	215
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	. .	215
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	. .	216
अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	. .	216
अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	. .	216

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	. .	216
अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	. .	216
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-हेतु)	. .	216
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	. .	216
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	. .	216
अनुदान संख्या-60-वन विभाग	. .	217
अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	. .	217
अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	. .	217
अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	. .	217
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	. .	217
अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामुहिक बीमा)	. .	217
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय	. .	217
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय	. .	218
अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग	. .	218
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	. .	218
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	. .	218
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	. .	218
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	. .	218
अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)	. .	218
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	. .	218
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	. .	219
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)	. .	219
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग	. .	219
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	. .	219
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	. .	219
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	. .	219
अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग	. .	219

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) . .	220
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग . .	220
अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग . .	220
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग . .	220
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग . .	220
अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) . .	220
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) . .	220
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) . .	221
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग . .	221
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) . .	221
अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) . .	221
वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर समेकित कटौती का प्रस्ताव . .	221-228
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2019 (पुरःस्थापित एवं पारित) . .	228-236
बजट पर लगभग 200 शब्दों में अपने विचार लिख कर अध्यक्ष कार्यालय में देने की सूचना . .	236-238
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी) . .	238-243
सी0आर0पी0एफ0 के शहीद जवानों के परिवारों की मदद हेतु मा0 सदस्यों द्वारा एक महीने का वेतन दिये जाने का सुझाव . .	244-245
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं . .	245
प्रदेश में गर्वित ग्लोबल कम्पनी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच तथा जनता से वसूले पैसों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	245-246
जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) . .	246
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य . .	247

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) . .	247
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-कलान के ग्राम परौर में रामगंगा से आई बाढ़ से बेघर हुए व्यक्तियों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में 'प्रिन्स' वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य . .	248
जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित) . .	249
जनपद प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं एवं राजस्व कर्मियों द्वारा जनता का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संगमलाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य . .	249-250
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	250
राष्ट्रगान . .	250
नत्थियां . .	251-262

उत्तर प्रदेश विधान सभा
के सदस्यों की सूची

सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-284

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'', कुंवर — गोण्डा
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
12. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
13. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
14. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
17. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
18. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
19. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
20. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
21. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
22. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
23. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
24. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
25. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
26. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
27. असलम अली, श्री — हापुड़
28. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
29. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
30. आर0 के0 वर्मा, डा0 — प्रतापगढ़
31. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
32. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
33. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
34. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
35. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
36. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
37. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
38. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
39. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
40. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
41. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
42. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
43. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
44. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
45. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
46. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
47. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
48. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
49. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
50. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
51. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
52. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं

53. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
54. केसर सिंह, श्री — बरेली
55. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
56. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
57. गंगा, श्री — कुशीनगर
58. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
59. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
60. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
61. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
62. चेतन चौहान, श्री — अमरोहा
63. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
64. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
65. जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
66. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
67. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — इलाहाबाद
68. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
69. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
70. जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
71. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
72. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
73. जी0 एस0 धर्मेश, श्री — आगरा
74. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
75. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
76. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
77. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
78. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
79. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
80. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
81. दल बहादुर, श्री — रायबरेली
82. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
83. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
84. दिनेश चौधरी, श्री — जौनपुर
85. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
86. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
87. देवमणि द्विवेदी, श्री — सुल्तानपुर
88. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — कासगंज
89. धनन्जय कन्नौजिया, श्री — बलिया
90. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
91. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री — बाराबंकी
92. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
93. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री — बदायूं
94. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
95. धीरेन्द्र सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
96. नईम उल हसन, श्री — बिजनौर
97. नफीस अहमद, श्री — आजमगढ़
98. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
99. नरेश सैनी, श्री — सहारनपुर
100. नवाब जान, श्री — मुरादाबाद
101. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री — फर्रुखाबाद
102. नाहिद हसन, श्री — शामली
103. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
104. नीरज बोरा, डॉ0 — लखनऊ
105. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री — कुशीनगर
106. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
107. पारसनाथ यादव, श्री — जौनपुर
108. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
109. प्रतीक भूषण सिंह, श्री — गोण्डा
110. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
111. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
112. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री — चन्दौली
113. प्रमोद उटवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
114. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
115. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
116. फागू चौहान, श्री — मऊ
117. बन्दना सिंह, श्रीमती — आजमगढ़
118. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव

119. बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
120. बाबा गोरखनाथ, श्री — फैजाबाद
121. बाबू राम पासवान, श्री — पीलीभीत
122. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
123. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
124. बिहारीलाल आर्य, श्री — झांसी
125. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
126. बृजभूषण राजपूत उर्फ गूड्डू भइया, श्री — महोबा
127. बृजेश कटेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
128. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
129. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री — बांदा
130. बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
131. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
132. भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर नगर
133. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
134. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
135. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
136. मनीषा अनुरागी, श्रीमती — हमीरपुर
137. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
138. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
139. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
140. मन्जू शिवाज, डा0 — गाजियाबाद
141. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
142. मसूद अखतर, श्री — सहारनपुर
143. महबूब अली, श्री — अमरोहा
144. महेन्द्र पाल सिंह, श्री — गोरखपुर
145. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — सीतापुर
146. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री — अमरोहा
147. महेश कुमार गोयल, श्री — आगरा
148. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
149. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर — हरदोई
150. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
151. मानवेन्द्र सिंह, श्री — शाहजहांपुर
152. मुकुट बिहारी, श्री — बहराइच
153. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
154. मूलचन्द्र सिंह, श्री — जालौन
155. मो0 आजम खां, श्री — रामपुर
156. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
157. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री — श्रावस्ती
158. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
159. मौ0 फईम इरफान, श्री — मुरादाबाद
160. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
161. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
162. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
163. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
164. रत्नाकर मिश्र, श्री — मिर्जापुर
165. रफीक अन्सारी, श्री — मेरठ
166. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
167. रमाशंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
168. रवि कुमार सोनकर, श्री — बस्ती
169. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — भदोही
170. रवि शर्मा, श्री — झांसी
171. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री — अलीगढ़
172. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
173. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेठी
174. राकेश राठौर, श्री — सीतापुर
175. राकेश सिंह, श्री — रायबरेली
176. राजकुमार अग्रवाल, श्री — हरदोई
177. राजबाला, श्रीमती — रामपुर
178. राजमणि कोल, श्री — इलाहाबाद
179. राजवीर दिलेर, श्री — अलीगढ़
180. राजीव तरारा, श्री — अमरोहा
181. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री — बदायूं
182. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री — झांसी
183. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
184. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री — बरेली

185. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
186. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
187. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
188. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
189. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
190. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
191. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
192. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
193. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
194. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
195. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
196. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
197. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
198. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
199. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
200. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
201. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
202. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
203. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
204. लाखन सिंह, श्री औरैया
205. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
206. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
207. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
208. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
209. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
210. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
211. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
212. विजय मिश्र, श्री भदोही
213. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
214. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
215. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
216. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
217. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
218. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
219. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
220. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
221. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
222. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
223. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
224. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
225. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
226. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
227. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
228. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
229. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
230. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
231. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
232. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
233. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
234. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
235. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
236. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
237. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
238. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
239. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
240. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
241. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
242. संजय यादव, श्री बलिया
243. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
244. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
245. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
246. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
247. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
248. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
249. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
250. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर

251. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
252. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
253. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
254. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
255. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
256. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
257. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
258. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
259. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
260. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
261. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
262. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
263. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
264. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
265. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
266. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
267. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
268. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
269. सुरेश राही, श्री सीतापुर
270. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
271. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
272. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
273. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
274. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
275. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
276. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
277. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
278. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
279. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
280. हरीराम, श्री सोनभद्र
281. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
282. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
283. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
284. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल भेजने के सम्बन्ध में

1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को अत्यधिक बिल भेजे जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर बिलों को समयबद्ध ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

कतिपय मामलों में मीटर रीडिंग त्रुटिपूर्ण अंकित होने पर निर्गत बीजक संशोधित कर दिया जाता है।

जी हां।

उपभोक्ता के आवेदन पर त्रुटिपूर्ण बिल को ठीक किया जाना विभाग की नियमित प्रक्रिया है। त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन विभाग द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है। त्रुटिपूर्ण बिलों को ठीक कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की फील्ड इकाइयों द्वारा विशेष शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। 1912 हेल्पलाइन नं0 पर भी त्रुटिपूर्ण बिलों की शिकायत दर्ज होती है। त्रुटिपूर्ण बिलों का संशोधन 07 दिनों के अन्दर करने का मानक निर्धारित है, जिसका सतत् अनुश्रवण किया जाता है। जनसेवा केन्द्रों पर भी त्रुटिपूर्ण बिलों की समस्या की शिकायत पंजीकृत कराने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश का बिजली उपभोक्ता कहीं न कहीं गलत बिजली के बिलों के आने से बहुत परेशान है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है यह सच है कि बहुत बड़ी संख्या में नये कनेक्शन भी दिये गये हैं लेकिन स्थिति यह है कि दिसम्बर में कनेक्शन व्यक्ति ने लिया और जनवरी में उस गरीब उपभोक्ता और किसान का जिसने केवल एक बल्ब जलाया है बिल 6200 रुपये आ रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक राम चरन नाम के व्यक्ति को ग्राम उमरी एक महीने के कनेक्शन पर उसका बिल आया 58,640 रुपये। एक व्यक्ति शिव प्रसाद, एक महीने के कनेक्शन का बिल आया 1,12,936 रुपये। एक हमारे उपभोक्ता हैं कन्नौज के इसी उत्तर प्रदेश के उनके दो महीने के कनेक्शन का जो बिल आया वह है एक करोड़ रुपये। आज स्थिति यह है कि माननीय मंत्री जी

ने अपने जवाब में भी कहा कि इसके लिये समय-समय पर कैम्प लगा करके बिजली के बिलों को ठीक करने की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन आलम यह है कि जो कैम्प लग रहे हैं उनकी कोई सूचना गांव में नहीं हो रही है, उपभोक्ता को नहीं हो रही है और कैम्प में भी जो दस-बीस लोगों का प्रतिवेदन आता है उसमें विभाग के लोग निष्क्रियता दिखाते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर शुरू होता है उपभोक्ता का शोषण। वह कभी इस आफिस कभी उस आफिस और अन्त में उससे पैसे की मांग की जाती है। सच्चाई यह है कि कहीं न कहीं बिजली विभाग के अधिकारी आज बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यह सच है हम खुले सदन में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने कुछ शिकायतों पर कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। गरीब उपभोक्ता गांव में, कोई सदन के सदस्य हों, किसी दल के सदस्य हों, आज गांव में चले जाएं, 80 प्रतिशत गांव के गरीब लोग, औरतें, आदमी, बच्चे बिजली का बिल लेकर आते हैं कि विधायक जी हमारा बिजली का बिल इतना आ गया, हम एक बल्व जलाते हैं। इसलिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना भी चाहता हूं प्रश्न के माध्यम से भी कि इसे गम्भीरता से लेने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं आपकी अनुज्ञा से कि उत्तर प्रदेश में विगत छः माह में बिजली के कितने नये कनेक्श सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न योजनाओं में ? दूसरा हमारा प्रश्न है कि गलत बिल आने की कितनी कम्पलेन दर्ज हुई है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सात दिनों के अन्दर जो बिल हैं उनको ठीक कराये जाने के निर्देश हैं। उन सात दिनों के अन्दर आई हुई शिकायतों में कितनों का निस्तारण हुआ और कितनों का निस्तारण सात दिन के अन्दर नहीं हो पाया। एक हमारा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जो बिजली के बिल माह दिसम्बर तक गलत आए हैं उन पर सरकार और माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वस्त करेंगे कि उसे फरवरी के लास्ट डे तक उत्तर प्रदेश के आए हुए जितने त्रूटिपूर्ण बिल हैं जिनको विभाग ने मान लिया कि गलत हैं उनको क्या ठीक करा देगी ? दूसरा प्रश्न क्या गरीब, कमजोर और किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार यह विचार करेगी कि गलत बिलों की शिकायत होने के बाद 24 घण्टे के अन्दर संशोधित करके उपभोक्ता को बिल दे दिये जायेंगे।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूर्व का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो शिकायतें आई हैं इनमें जो हमारे उपकेन्द्र हैं वहां पर हमारे शिविर लगते हैं और जनवरी माह में कुल 14 लाख 9 हजार बिल मान्यवर, संशोधित किये गये। मान्यवर, 1912 जो हेल्प लाइन नम्बर है, दिनांक 12-4-2017 से 11 फरवरी, 2019 के मध्य श्रीमन् 1 लाख 93 हजार बिल सम्बन्धी प्रकरण दर्ज हुए। उनमें से श्रीमन् 1 लाख 47 हजार 564 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार उत्तर बी में 97.17 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। श्रीमन् पूर्व में पूरे प्रदेश भर में सौ से ज्यादा बिलिंग एजेन्सियां थीं।

हमने सबके सहयोग से उसको सुधारने के लिए आठ क्लस्टर बनाये हैं। सभी डिस्कॉम में, यानि कि एक डिस्कॉम में दो क्लस्टर, छः एजेन्सी हमारे यहां काम कर रही हैं। जनवरी के महीने से उन एजेन्सियों ने काम शुरू किया है जो शिकायतें हैं। उपभोक्ताओं की उनका निस्तारण हम समय से कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता उपभोक्ताओं की देवो भवः है। जहां-जहां पर शिकायतें आती हैं। अविलम्ब कार्यवाही हम लोग करते हैं। श्रीमन् बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं जो माह दिसम्बर की बात कर रहे थे, जो बिल गड़बड़ हुए थे श्रीमन् अभी हमारी सरचार्ज माफी की योजना चल रही है और इस योजना की अवधि को हमने जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वह अब 25 मार्च कर दी है। तो केवल फरवरी ही नहीं हमने 25 मार्च तक का समय और ले लिया है। इस पूरे समय में जहां कभी भी कमियां हैं, अनियमिततायें हैं, बिल कहीं किसी के ज्यादा आ गये हैं तो उसको भी संशोधन करने का कार्य किया जायेगा। इसके अलावा जिनके दो किलोवाट के कनेक्शन हैं उनके भी सरचार्ज की माफी की योजना है और जो ट्यूबवेल हैं हमारे किसानों के उन पर भी सरचार्ज माफी की योजना का लाभ 25 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कराकर ले सकते हैं। उसकी अन्तिम तिथि 31 मार्च है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मा0 सदस्य ने कनेक्शनों की बात की है। पिछले छः महीने में लगभग 60 लाख के आस-पास नये कनेक्शन देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो प्रश्न किया है, उसका पूरा उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। मा0 सदस्य श्री लाल जी वर्मा खड़े हो गये हैं। आपने तो बहुत लम्बा पूछ लिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बहुत सी जगहों पर विभाग द्वारा भौतिक रूप से कनेक्शन जोड़े नहीं जाते हैं और बिना कनेक्शन जोड़े हुए भी बिल आ जाता है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन-जिन गांवों में भौतिक रूप से कनेक्शन जोड़े बिना ही बिल आ जाता है जहां से इस तरह की शिकायतें हैं, उसका कितने दिनों में समाधान करा देंगे ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर कहीं किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो किसी एस0डी0ओ0, जे0ई0 को फोन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी चुने प्रतिनिधि को फोन करने की आवश्यकता नहीं है। 1912 पर आप फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा दें और अविलम्ब उसका निवारण भी होता है, जिसके आंकड़े भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं। हमें सप्ताह में हर उपकेन्द्र के पास में दो गांवों में शिविर

लगाने का प्राविधान है और जहां-जहां मा0 सदस्य ने हमें बताया है अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत है जैसाकि मा0 पाण्डेय जी ने दो-तीन नाम बताये हैं तो आप बता दें, अविलम्ब उसका भी निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी आप बता दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद अम्बेडकरनगर में जमलापुर, प्रतापपुर, चमोरखा, हेलमेट गांव है। उस पूरे गांव में भौतिक रूप से कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है और बिल उसके पहले ही आ गया। हम लोगों ने और पूरे ग्रामवासियों ने ठीक कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन आज तक ठीक नहीं हुआ। इस तरह से पूरे गांव की शिकायतें हैं, उसका निस्तारण करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करेंगे, जिससे उतनी समय-सीमा में उसका निस्तारण हो जाए ?

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए आप नम्बर भी दे दें। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

(सदस्य श्री पूरन प्रकाश तथा सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें। मा0 सदस्य श्री असलम अली खड़े हो गये हैं।

श्री असलम अली-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी मेरा एक ही प्रश्न है। मसूरी और डासना मेरी विधान सभा में पड़ता है, उनसे बिल शहरी क्षेत्र का लिया जाता है और बिजली का कनेक्शन देहाती क्षेत्र से जोड़ा हुआ है। मीटर लगाने वालों ने पिलखुवा गांव में एक उपभोक्ता के यहां मीटर लगाया, उसने पूरा बिल जमा कर दिया। एक महीने के बाद बिल 1 लाख, 47000 रु0 का बिल आया। वह उपभोक्ता कल ही मेरे पास आया था। मेरी एक्स0ई0एन0 पिलखुवा से भी कई बार कहा-सुनी हो गयी, वह उपभोक्ता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी के पास यह विषय नहीं होगा। आप इसको लिख कर दे दें, वह करा देंगे, मैं कह देता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो गलत बिलिंग की घटनायें हो रही हैं, क्या उन एजेन्सियों या कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, जो लगातार गलत बिलिंग कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी तो यह पहले ही कह चुके हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि बिजली बिलों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उस पीरियड में जो हमारे उपभोक्ता हैं, क्या उनके बिजली कनेक्शन विच्छेदन किये जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई, रोकने की कार्रवाई करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब तो कई प्रश्न आ चुके।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी अभी माननीय मंत्री जी ने सदन में बताया कि सरचार्ज के कम किए जाने का एक टाइम पीरियड किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहात हूँ और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ सरचार्ज एक अलग चीज है सरचार्ज तो है कि हमने समय से बिल नहीं जमा किया और सरचार्ज हमारा बढ़ गया हमने जो प्रश्न किया था कि जो गलत बिल आ गये हैं जिसका 1200 का आना चाहिए उसका 62 हजार का आया है तो उससे सरचार्ज से मतलब नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था और यह मांग भी की थी प्रश्न भी था कि क्या इस तरह के बिल जो गलत आएं भौतिक रूप से ही देखने में उसकी यूनिट से लग रहा है कि गलत है उसको क्या सरकार निर्देश करेगी कि कम्पलेन देने के 24 घण्टे के अन्दर ठीक कर देंगे। यह छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले से ही कह चुके हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसलिए कहा कि जो 7 दिन के अन्दर शिकायत आएगी बिल गलत आने की तो 7 दिन में बिल का रिवीजन हो जाएगा और उस उपभोक्ता को जो सरचार्ज माफी की योजना चल रही है उसका लाभ भी मिल जाएगा यह ऐसे कनेक्ट होता है कि 25 तारीख को उसकी अवधि बढ़ा दी गई है तो जिनके भी बिलों में अनियमितता है उन सभी उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी का लाभ मिल जाएगा वह जो सरचार्ज माफी का लाभ है वह 25 तक मिल जाएगा अगर बिल में त्रुटि है तो वह सात दिन में ठीक होनी है।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती एवं आवश्यक उपकरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में

***1-श्री संजय गर्ग-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 तथा जिले के महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालों में मानक के अुनसार चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती तथा एक्स-रे मशीन, खून की जाँच, डायलिसिस मशीन सहित अन्य अवश्यक उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कोई कार्य योजना लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यो ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह) -

कार्य योजना के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :-

चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती-

1-पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप चिकित्सालयों में समुचित चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था जन-सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम आधरभूत इकाई की व्यवस्था के अनुसार तैनाती की जा रही है।

2-लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त 2206 नये चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गयी।

3-पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गयी।

4-1000 चिकित्सकों के पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया।

5-ऐसे जनपद जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में आधारभूत विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से चिकित्सकों की तैनाती करायी गयी, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक भी सम्मिलित हैं।

6-सामान्य/विशेषज्ञ सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पुनर्नियोजन के माध्यम से पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी।

7-यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के माध्यम से चिकित्सकों की तैनाती अस्पतालों में की गयी।

8-ग्रामीण क्षेत्रों की पी0एच0सी0 में आयुष चिकित्सक तैनात किये गये हैं।

पैथालॉजी जांच एवं अन्य सुविधाएं-

1-प्रधानमंत्री डायलिसिस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत 12 मण्डल स्तरीय जिला चिकित्सालयों एवं 10 चिकित्सालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से डायलिसिस सेवाएं प्रारम्भ की जा चुकी है, शेष जनपदों में सेवाएं प्रारम्भ करने का कार्य प्रगति पर है।

2-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ही पी0पी0पी0 मोड पर सेवा प्रदाता के माध्यम से 49 जिला चिकित्सालयों में गम्भीर रोगियों को निःशुल्क सी0टी0 स्कैन की सेवाएं उलब्ध करायी जा रही हैं, शेष जनपदों में सेवाएं प्रारम्भ करने हेतु कार्य चल रहा है, यही नहीं समस्त मण्डलीय जिला चिकित्सालयों में पी0पी0पी0 मोड पर सेवा प्रदाता के माध्यम से एम0आर0आई सेवाएं भी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

3-प्रदेश के चिकित्सालयों में समस्त मरीजों को एक्स-रे, अल्ट्रासाउन्ड एवं पैथालॉजी जॉच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(श्री सिद्धार्थ नाम सिंह माननीय मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि हमारे जनपद गाजीपुर में 300 बेड का हास्पिटल बना हुआ है लेकिन आज तक वहां पर डाक्टरों का अभाव है और दवा का भी अभाव है। यह हमारे जनपद का बहुत महत्वूपर्ण हास्पिटल है लेकिन हमारे जनपद का बहुत दुर्भाग्य है कि वहां पर जो चिकित्सकीय व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्य-मंत्रित्व काल में यह 300 बेड का हास्पिटल बनवाया था लेकिन वहां पर कोई सुविधा नही है, डाक्टरों का भी अभाव है और दवा का भी अभाव है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कब तक इन सारी चीजों की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संजय गर्ग जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित एक व्यापक प्रश्न पूछा है और आप अलग से एक जनपद की जानकारी पूछ रहे हैं, इसलिये मा0 मंत्री जी के पास अभी इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। माननीय संजय गर्ग जी, कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है और शासन की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में सभी लोगों को किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने का

काम किया जाये। माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उस उत्तर से तीन अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि प्रदेश के सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 और जिला चिकित्सालयों में चिकित्सको एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के कितने सृजित पद रिक्त हैं ? दूसरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह बता दें कि वाक-इन इण्टरव्यू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यू0पी0एस0एच0एस0पी0 के अन्तर्गत अभी तक कितने चिकित्सकों और कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती यह कर पाये हैं ? तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अभी हमारे जनपद में जहरीली शराब में जिन लोगों की जान गई है उसमें केवल 36 लोगों को कम्पनसेशन मिला है। बिसरा की जांच पूरी न होने के कारण बाकी लोगों को हम अभी तक अपनी संवेदनायें नहीं पहुंचा पाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी केवल आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद में एफ0एस0एल0 की लैब है। मेरा प्रश्न है कि सरकार क्या सभी मण्डल मुख्यालय पर एफ0एस0एल0 की लैब स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे बिसरा और जो अन्य गम्भीर जांचें हैं जिनकी रिपोर्ट काफी समय तक लम्बित पड़ी रहती है और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है वह जल्दी आ सके ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मानक की बात की जा रही है तो यह सबको पता है कि डाक्टर्स की कमी है। मानक तो बने हैं लेकिन यदि कहा जाये कि क्या हर जगह मानक के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं, तो उत्तर है कि नहीं हो पाई हैं। दो साल पहले जब हमारी सरकार आई तो मैंने स्वयं लोक सेवा आयोग का ट्रैक रिकार्ड देखा था। उस ट्रैक रिकार्ड के आधार पर वर्ष 2011 से लोक सेवा आयोग से कभी 07 डाक्टर्स आये हैं, कभी 17 डाक्टर्स आये हैं, कभी 60 डाक्टर्स आये हैं। इसलिये इस प्रक्रिया से तत्काल काम चलाना सम्भव नहीं था, इसलिये हमारी सरकार ने डाक्टर्स की उपलब्धता के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जिसमें वाक इन इण्टरव्यू, यू0पी0एस0एच0एस0पी0 और एन0एच0एम0 के माध्यम से डाक्टर्स लिये गये। हम लोग रिटायरमेण्ट की एज को बढ़ा रहे हैं तो उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने आंकड़े इकट्ठा किये हैं उस आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि पहले लोक सेवा आयोग से परस्यू नहीं हो पा रहा था लेकिन पहले दो साल के अन्दर हमारी सरकार और आपकी सरकार 2865 डाक्टर्स लेकर आई है और उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई है। अधिवर्षता आयु को 62 वर्ष किया तो उसमें 114 आये और पुनर्नियोजन के माध्यम से हमने 1000 पद रखे थे लेकिन उसमें 263 आये हैं। वाक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से 375 डाक्टर्स आये हैं। हमने आपको पढ़कर बताया था कि जहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर्स नहीं जाना चाहते हैं तो हमने उस पद को, उस डिस्ट्रिक्ट को और उस जगह को विज्ञापित किया और डाक्टर्स से कहा कि आप वहां पर जो सैलरी लेना चाहें वह ले लीजिये। इसके माध्यम से हमने पहले तीन को रखा था और इसे और बढ़ाने वाले हैं। पहले हमने पीडियाट्रिक रखा, फिर हमने गाइनी रखा और एनेस्थेटिक रखा। उसके अन्दर हम 254 डाक्टर्स लाये हैं और इस प्रकार सब मिलाकर पिछले दो साल के

अन्दर 4811 डाक्टर्स और उपलब्ध कराये है। इन सबके बावजूद भी डाक्टर्स की कमी थी। हमारे पास आयुष के लगभग 2800 डाक्टर्स थे लेकिन उन्हें कहां-कहां तैनात रखा जाये इसका ठीक से निर्णय नहीं किया गया था वह इधर-उधर काफी जगह बैठे हुये थे। मगर जो अनुभव है और आप सबका भी अनुभव है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर जो डॉक्टर हैं वहां एम0बी0बी0एस0 की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर आवश्यकता सिर्फ यह पड़ती है कि कोई डॉक्टर देख ले और आयुष के डॉक्टरों को एम0सी0आई0 के माध्यम से 15-20 दवाइयां लिखने का अधिकार है जो एलोपैथिक दवाइयां लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने यह कुछ नया नहीं किया है, लेकिन यह काफी राज्यों में चल रहा है इसलिए उसको मैंने लागू किया है और 2800 ऐसे डॉक्टरों की हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्तियां की हैं। इस प्रकार कुल योग हमने जो बनाया है उसमें 7655 डॉक्टर जहां पर नहीं दिखते थे वह डॉक्टर मा0 योगी जी की सरकार में दो साल में उपलब्ध कराया गया है। आपने रिक्त पदों के बारे में जो कहा है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो रिक्त पद होते हैं वह हम लोगों को पी0एम0एस0 से भरना होता है और जो रिक्त पद हैं वह एक तरह से कांट्रेक्चुअल हैं, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए इस दिशा में हमने सोचा जो रिक्त पद हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने 2300 पदों का अधियाचन भी दिया है, लेकिन संवर्ग के आधार पर जो रिक्त पद हैं वह 5972 हैं। डाक्टरों की यह जो जगह है उसमें रखा गया है इसलिए मैं इस सन्दर्भ में कह रहा हूं और मैंने आपको अलग से जो आंकड़ा दिया है वहां पर भी डॉक्टर पहुंचायें हैं। एक वास्तविकता यह भी है कि डॉक्टरों का जो संवर्ग है इसमें अलग-अलग करके स्पेशलिस्ट की पोजीशन ही नहीं बनाई और यह देखकर बड़ी कठिनाई आई क्योंकि हम लोग जब लोक सेवा आयोग ये अधियाचन देते हैं तो वहां पर एम0बी0बी0एस0 ही हमारा क्राईटेरिया रहा है इसलिए इस सरकार ने अपनी एक नई योजना तैयार करना शुरू कर दी है जिसको हम लोग बाद में लागू करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह जल्द से जल्द लागू हो जायेगी और अब से हम लोगों का जो कैडर है उसमें हम लोग एम0बी0बी0एस0 और स्पेशलिस्ट का अलग बनाना शुरू करेंगे क्योंकि जो पद का सृजन हो रहा है वह स्पेशिलिस्ट के आधार पर भी हो रहा है। मगर हम लोग जो लोक सेवा आयोग को भेजते हैं उसमें स्पेशलिस्ट करके नहीं भेजते हैं। यह जो त्रुटि है इसके कारण बहुत कन्फ्यूजन रहा है, जिसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं।

श्री संजय गर्ग-

मै स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, आप देखिये स्पेशलिस्ट तो हम हर जगह नहीं भेज सकते हैं। अगर कहीं डॉक्टर्स उपलब्ध दिखते हैं तो सम्बन्धित मण्डल पर हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने पिछले दो सालों के अन्दर जो भी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्स हैं, उनको बेसिक फॉरेंसिक टेस्ट

करने का प्रशिक्षण दे चुके हैं इसलिए जो भी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्स रोस्टर्स पर हैं उनको हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पर उपलब्ध करवाएंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)

मान्यवर, डॉक्टर्स की बहुत कमी है यह मंत्री जी भी स्वीकार कर रहें हैं और पूरा प्रदेश स्वीकार करता है। ग्रामीण इलाकों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन वहां पर फार्मासिस्ट तक नहीं है और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की और दवा की जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है। मा0 मंत्री जी ने अभी कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। हम लोगों के समय से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण इलाकों में हैं उसी में सबसे बढ़िया डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वहां पर ग्रामीण लोग बसते हैं जो किसान हैं, मजदूर हैं। उनके पास साधन नहीं है कि वह तत्काल जिला हेडक्वार्टर पहुंच जायें। इसलिए क्या मा0 मंत्री जी हर पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 डाक्टर की नियुक्ति करेंगे और जैसा कि आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि छात्र की एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई पर लगभग 5-6 साल लगता है। पास करने के बाद इंटर्नशिप करता है और अधिकांश डाक्टर ज्वाइन करने से इसलिए भागते हैं कि हम एम0डी0 और एम0एस0 कैसे करेंगे। तो क्या जो लड़का इतना पढ़ा उसके गार्जियन ने पैसा भी काफी खर्च किया। जो लड़का मेरिट में नहीं आया उसके गार्जियन कितना पैसा देकर उसका एडमीशन कराते हैं यह सब जानते हैं और उसके बाद भी लोक सेवा आयोग में भेजिये। उसने एम0बी0बी0एस0 किया है इन्टर्नशिप किया है। तो आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो लड़का या लड़की एम0बी0बी0एस0 और इन्टर्नशिप कर लिया है, लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त छोड़कर क्या सरकार अपना एक नियम बनायेगी कि डायरेक्टर सरकार उसकी नियुक्ति करेगी और साथ ही उसको यह एश्योर करेगी कि हम आपको इतने दिन में सरकार के खर्चे पर एम0एस0 और एम0डी0 करायेंगे। आप हमारा काम करिये। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में कहा है। मान्यवर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के अन्दर एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर की आवश्यकता होती है इस पर अनेक स्टडी हो चुकी है और रिपोर्ट भी बन चुकी है। यह कहना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर की आवश्यकता होती है ऐसा किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिखता है और इस पर इस सरकार ने भी यू0पी0 हेल्थ गाइडलाइन बनायी है। जिसमें पब्लिक हेल्थ क्षेत्र से जो लोग आते है उन्होंने बहुत अध्ययन किया है और उसमें यही दिखता है और हम लोग भी यह जानते है कि जब कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाता है तो वह कोई सेकेन्ड्री पेशेन्ट नहीं होता है। उसको बुखार होता है या डायरिया होता है, कुत्ते ने काट

लिया, सांप ने काट लिया इस प्रकार के व्यक्ति ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाते हैं। और आज यह भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और सेकेन्ड्री स्वास्थ्य केन्द्र है वह हेल्थ वर्कर के माध्यम से एड्रेस किया जा सकता है अगर उनकी ट्रेनिंग ठीक तरह से की जाये। उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है और 2800 जो हमने आयुष डाक्टर को भेजा है वह यही कारण है और यह कोई पहला राज्य नहीं है। हिमान्चल प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में यह कदम उठाये गये हैं और उससे डाक्टर्स की उपलब्धता आयी है। साथ ही साथ आपने जो फार्मासिस्ट का कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में फार्मार्सिस्ट हैं उसके कुल स्वीकृत पद 6180 हैं और जो कार्यरत हैं वह 6156 हैं, तो 24 पद ही रिक्त हैं। हमने फार्मासिस्ट हर जगह पहुंचा रखा है। हाँ, फार्मासिस्ट का एक इम्बैलेन्स बहुत सालों से चला आ रहा था। पिछली सरकार में पूर्वांचल में बहुत भर दिये गये थे मगर पश्चिमी में नहीं रखा गया था तो उस इम्बैलन्स को सही करने के लिए यह सरकार पालिसी लेकर आयी है जिसके माध्यम से अब हम लोगों ने इसको ठीक करना शुरू कर दिया हे। जो दूसरा सवाल डाक्टर्स की नियुक्ति का है। वह सिर्फ सरकार के माध्यम से नहीं होता है उसके लिए केन्द्र में भी जाना पड़ता है। मगर मैं आपके सुझाव से असहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो हम लोग कैडर बना रहे हैं। मान्यवर, हम लोग पी0एम0एस में नये कैडर का जो स्पेशलिस्ट सिस्टम कर करे हैं और इन चीजों पर विचार भी कर रहे हैं। इसमें कुछ सुझाव भी हैं लेकिन वह सुझाव के रूप में ही हैं। अभी वह तैयारी नहीं हुई है लेकिन इस सदन के अन्दर कहना मेंरे लिए उचित नहीं होगा। हम बहुत चीजें ऐसी कर रहे हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उनको सिनीयरिटी नहीं मिलती थी अगर वह किसी एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर के पास पढ़ने जाते थे। उन चीजों पर भी विचार कर रहे हैं जिससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आ सकें। पिछले 70 सालों में सिर्फ 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और सिर्फ 2 साल के अन्दर इस सरकार ने 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू कर दिया है। इस माध्यम से स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलने शुरू हो जायेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसकी शुरुआत डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कर चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले 2 साल के अन्दर उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टरों की संख्या है उसमें तीन गुना बढ़ोत्तरी कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने नये मेडिकल कॉलेज बनाये गये और वर्ष 2017 के बाद कितने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, कितने मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ, कितने मेडिकल कॉलेजो का निर्माण कार्य शुरू हुआ ? मा0 मंत्री जी आपकी जानकारी के लिए बताना

चाहूंगा कि मेरे जनपद जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य मा0 अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने बनाना शुरू किया था, चुनाव होने तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 70-75 प्रतिशत पूर्ण हो चुका था लेकिन जबसे यह सरकार आई है तबसे 1 प्रतिशत भी कार्य उस मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ है। क्या मा0 मंत्री जी उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अविलम्ब 1 साल के अन्दर शुरू करा देंगे ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और वह ग्रामीण इलाके से परिचित हैं। अब तक पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 प्रश्नों के सन्दर्भ में जो भी उत्तर आये हैं एक तरह से उनका कितना महत्व है यह भी नहीं बताया है। पी0एच0सी0 के बारे में बताया है कि वह सर्दी एवं जुखाम के लिए हैं और सभी उपचार के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज आयेंगे या फिर पी0जी0आई0 जायेंगे। मैं मा0 मंत्री जी जानना चाहता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा शहर के जो पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 हैं वहां पर हर बार से इस बार डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है या बराबर है यह शहर के पास वाले पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में है लेकिन ग्रामीण इलाके में सिर्फ वार्डब्वाय या तो कोई एक और आदमी चलाता है और वहां पर सिर्फ सर्दी एवं जुखाब की दवा मिलती है। लेकिन गांव का जो गरीब एवं सिरीयस व्यक्ति है उसे बी0एच0यू0 एवं अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर नहीं जा पा रहे हैं और शहरों में ज्यादा से ज्यादा सोर्स-पैरवी लगाकर नियुक्तियां करा लेते हैं। क्या आप शहर एवं ग्रामीण इलाके में डॉक्टरों का अलग संवर्ग बनायेंगे ? वैकेंसी निकालते ही समय एक सवंर्ग ग्रामीण इलाकों के डॉक्टरों का बनायेंगे उस संवर्ग में उनकी भर्ती की जायेगी इसलिए वह ग्रामीण इलाकों में रहेंगे और ऐसे ग्रामीण इलाकों के संवर्ग डॉक्टरों को एम0डी0 में प्रोत्साहित करने के लिए वरीयता देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

संवर्ग बनाने की बात है।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि संवर्ग था ही नही। उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द ही उसको लेकर आयेंगे। आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए कहा है कि वह सर्दी एवं जुखाम के लिए है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राइमरी इलाज के लिए ही होता है। वह बड़ा सेण्टर नहीं होता है कि वहां पर ऑपरेशन हो जाये या टर्शियरी केयर हो जाये। मगर सी0एच0सी0 की जहां पर बात की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात की है तो आप लोग विद्वान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बात की है वह जिस हालत में हमें दिया गया था और जहां तक उसे हम लेकर के जा रहे हैं क्योंकि यही सरकार है जो इन सब चीजों की चिन्ता करते हुए मैंने पहले उत्तर में भी कहा है कि हमने बेसिक मिनिमम मॉड्यूल बनाया है। बेसिक

मिनिमम मॉड्यूल का मतलब यह हुआ कि जो स्पेशलिस्ट हैं डिस्ट्रिक अस्पताल के अन्दर पहले उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट बचते हैं उनको सी0एच0सी0 के अन्दर 5 स्पेशलिस्ट की जगह है मतलब वहां पर एक फिजिशियन और 4 स्पेशलिस्ट की जगह है वहां पर उनको पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। और उसी के लिए, मैंने फिर कहा था कि एन0एच0एम0 की जो रिवर्स बिडिंग है उसमें तीन पद हमने निकाले हैं जो कि सी0एच0सी0 में आते हैं। प्रसव में इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है वे हैं, गायनी, एनेस्थेटिक और पीडियाट्रिशियन। ये तीनों को हम लोग सी0एच0सी0 के लिए ही एडवर्टाइज ज्यादा कर रहे हैं न कि जिला अस्पताल के लिए। जो सी0एच0सी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें हम लोगों ने बहुत गम्भीरता से किया है और यही कारण है कि लल्लू जी बैठे हैं, अगर सी0एच0सी0 में हम लोगों ने इतना इम्प्रूवमेन्ट न किया होता, अप-ग्रेडेशन न किया होता, वैन्टीलेटर नहीं पहुंचाये होते तो एक साल के अन्दर 58 परसेण्ट का जो जे0ई0 और ए0ई0 का आंकड़ा है, कम नहीं हुआ होता, ये हम लोगों की उपलब्धि है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुःख है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बराबर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल सर्दी, जुकाम, बुखार और सांप-बिच्छू काटने वाले मरीज आते हैं। शहर में हर रोग के जांच करने के लिए मशीन उपलब्ध रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी को हार्ट-अटैक हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, लीवर की बीमारी हो जाए तो आदमी सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही जाता है। तब भले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफर करके यह कहे कि तुम जिला अस्पताल जाओ, जिला वाले कहें तुम बनारस जाओ। लेकिन इस तरह से डॉक्टर के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा करना, यह ठीक बात नहीं है। मैं फिर माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण इलाकों में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर, एक विशेषज्ञ और एक डॉक्टर नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

अब वरिष्ठ लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा-सा अभी पहला-पहला सदन के अन्दर आया हूं आप कहते हैं कि दो एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्स का प्रावधान करेंगे, संवर्ग आपने बनाया है, मानक आपने बनाया है और उसके अन्दर एक एम0बी0बी0एस0 और एक फार्मासिस्ट है, वही नहीं पता, दो की बात करने लगे और दूसरा जब लगभग तीन हजार छः सौ पी0एच0सी0 हैं इसके अन्दर पिछले कितने सालों से हजार डॉक्टर एम0बी0बी0एस0 के नहीं खड़े कर पाए वहां पर फार्मासिस्ट खड़ा होकर मरीजों को देख रहा था। वहां पर उपचार के लिए पेसेन्ट आते थे, उनको दवा नहीं उपलब्ध करा पाते थे, पर्ची नहीं लिख पाते थे, आज जब वे एक सरकारी तन्त्र के तहत एम0सी0आई0 के मानक के तहत 15 से 20 दवाइयां लिखने का

लक्ष्य एक डॉक्टर को दिया जाता है और वो उतना ही कर सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्यवस्था मानक के हिसाब से बनी हुई है कि वहां उपचार का क्या कार्य किया जा सकता है। जो इन्होंने बताया है कि वहां पर इस चीज का उपचार नहीं होता है उसकी जांच हो सकती है। हां पैथालॉजी के कुछ टेस्ट हैं, वे जरूर करा सकते हैं, उसको आगे आप सी0एच0सी0 पर रेफर कर सकते हैं या फिर जिला अस्पताल पर। जिला अस्पताल पर भी यदि कहीं उसका इलाज नहीं होता है तो फिर आप मेडिकल कॉलेज में ले जा सकते हैं, यह पूरी प्रक्रिया है इसको एस0ओ0पी0 कहते हैं। यह आप लोगों की सरकार में भी था, कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा हूं। इन चीजों का अध्ययन आवश्यक है और हम लोगों के बीच में इसका ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए गये हैं और जहां कोई गम्भरी बीमारी है तो वहां पर एम्बुलेन्स 108 में ले जाने की फैसेल्टी है। उसके माध्यम से उन्हें पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेकर जाया जा सकता है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसमें आधा घन्टा लग गया, प्रश्न भी महत्वपूर्ण था और प्रश्नोत्तर भी महत्वूपर्ण हो गया है।

प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने की कार्य योजना

***2-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी)-

जी हाँ।

लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। इसके अतिरिक्त भ्रूण हत्या/लिंग चयन/अवैध गर्भपात में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थानों के विरुद्ध मिथ्या ग्राहक के माध्यम से डिक्वॉय ऑपरेशन संचालित करने हेतु ''मुखबिर योजना'' दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने अनुपूरक करने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से छोटे-छोटे 03 सवाल

करना चाहता हूँ। मानीय अध्यक्ष जी, इस सवाल की गम्भीरता से पूरा सदन वाकिफ है। हम लाख भी कोई योजना संचालित करें, लेकिन अभी भी भ्रूण हत्या रुक नहीं रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने पूर्व में जिक्र किया कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। यह पहले से लागू था। इसके लागू होने के बाद इसका प्रभाव आपके इस भ्रूण हत्या को रोकने में कितना काम आया, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, कितनी इसमें कमी आयी ? दूसरा इसमें आपने जो अपग्रेड किया है और 01 जुलाई, 2017 से ''मुखबिर योजना'' लागू की है, इस मुखबिर योजना से कितने लोगों ने आपको इन्टीमेशन दिया। इन्फार्म किया और उन लोगों पर आपने किस तरह की कार्रवाई की है ? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा सवाल है, चूंकि हमें लोगों को मानसिक रूप से भी तैयार करना पड़ेगा और जैसा मामनीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कन्या भ्रूण हत्या न हो। यह सही भी बात है, अध्यक्ष जी, इसमें कहीं न कहीं विवशता भी है, गरीबी भी है, मजबूरी भी है, लाचारी भी है। कोई भी माँ यह नहीं चाहती है, चाहे उसके गर्भ में कन्या हो, चाहे पुरुष हो, जो भी हो कि हम उसकी हत्या करें। कही न कहीं इसमें उसकी गरीबी और लाचारी है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई इस तरह का विचार लायेंगे यहां इस तरह की कोई योजना बनायेंगे, जिस तरह से पिछली सरकार में एक योजना थी 'महामाया बालिका आशीर्वाद योजना', जिसके तहत् जब कन्या पैदा होती थी तो उस समय उसका 18 हजार से सरकार रजिस्ट्रेशन करती थी और जब वह कन्या शादी की उम्र में जाती थी तो उसको 01 लाख रुपये का अनुदान मिलता था। इससे लोगों में यह होता था कि अगर हमारे गर्भ में कन्या भी है और वह बढ़कर बड़ी होगी तो उसकी शादी के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं या जो मिलेगा, उससे हम कर लेंगे तो क्या इस तरह की कोई और योजना लागू करने पर विचार करेंगे ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा क्योंकि महिलाओं और बच्चों के ऊपर कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यह प्रश्न आया है, इससे मुझे प्रसन्नता ही है और आपको बताते हुए मुझे सन्तोष है कि विगत कई वर्षों से जो प्रक्रियाएं इस सन्दर्भ में चल रही हैं, उसके अगर बहुत अच्छे परिणाम नहीं हैं तो काफी सैटिस्फैक्ट्री परिणाम सामने आ रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पीसीपीएनडीटीआर कितना कारगर है ? यह स्पष्ट है और आपको मालूम है कि डी0एम0 के अन्तर्गत एक कमेटी होती है और डी0एम0 को ही जानकारी मिलने पर सुपरविजन करना होता है, हर अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर का। साल में 04 सुपरविजन करने चाहिए, लेकिन अधिकतर डी0एम0 ऐसा नहीं करते आए हैं। हम लोग अब उन पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके 04 निरीक्षण/सुपरविजन अवश्य होने चाहिए। दूसरा, कोई भी अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर बिना सरकार के लाइसेंस के शुरू नहीं कर सकता तो जो लोग इसका

उल्लंघन करते हैं, तत्काल उनके खिलाफ मजिस्टीरियल कोर्ट में डायरेक्ट उनके ऊपर केस दर्ज करने की व्यवस्था है, जो की जा रही है, ऑकड़े मैं अभी आपको दूंगी। तीसरा जो आपने पूछा है, पीसीपीएनडीटीआर एक्ट का जो प्रयोग है, कितनी संख्या इसकी हुई है तो अब तक 240 केसेज रजिस्टर्ड हैं। बीस का कुल अभी तक निर्णय हुआ है और यह मैं शुरू से अब तक का आपको टोटल बता रही हूं। 240 केसेज हैं जिसमें कुल 20 का निस्तारण हुआ है, बाकी सब कोर्ट में पेण्डिंग है। अगर प्रक्रिया थोड़ी तीव्र हो तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा आ सकता है। इसके अलावा जो निरीक्षण होते हैं उन निरीक्षणों को अब हम लोगों ने बहुत तेज कर दिए हैं। अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक साथ में हम लोगों ने करीब-करीब चार हजार सात सौ उन्हत्तर इंस्पेक्शन किए हैं। यह एक कमी जो आ रही थी पिछले दिनों में जो मैंने देखी वह यह कि स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड होता है। स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड यह निश्चित करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सुपरवाईजरी बोर्ड है डी0एम0 की वह अपना काम करे, लेकिन पिछले तीन साल से सुपरवाईजरी बोर्ड का न गठन किया गया था और हमारे आने से पहले ना ही इसकी एक भी बैठक हुई। पहले आते ही मैंने 2017 के अन्त में इस बोर्ड का गठन किया। इसकी साल में तीन बैठकें होनी चाहिए। मैंने दो बैठकें की हैं और अगली बैठक अगले सप्ताह हमारी तीसरी बैठक होने वाली है और हम इस पर निश्चित कर रहे हैं कि सुपरविजन तेज हो। जितना तेज सुपरविजन होगा उतना अल्ट्रासाउण्ड मशीन को हम सीज करेंगे बन्द करेंगे और आपकी जानकारी के लिए भी 71 जिलों में 228 मशीनों को हम लोगों ने सील किया हुआ है। 228 मशीनें सील हैं अब इन पर क्या करें इस पर भी विचार हो रहा है। बेच सकते नहीं बाजार में तो इसको कैसे नष्ट किया जाए यह अभी भी विचाराधीन है। जहां आपने मुखबिर योजना का पूछा तो मुखबिर योजना बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन इसमें जल्दी लोग आगे आ नहीं रहे हैं। इसका हम प्रसारण और प्रचार कर रहे हैं, परंतु लोग अभी आगे आ नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने 2018 में हमने मुखबिर योजना के अन्तर्गत आठ डिक्वॉय आपरेशन्स किए हैं। इन आठ में से एक मेरठ में एक आगरा में एक मथुरा में यह तीन तो हमने डायरेक्टली किए हैं अपनी ओर से, और जो पांच हैं वह कुछ हरियाणा के लोग आकर कर गए थे। यहां पर अल्ट्रासाउण्ड उन्होंने अपना डिटरमिनेशन कराया था। उनके सहयोग से हमने पांच और किए थे। आठ डिक्वॉय आपरेशन हमारे हुए हैं। कई लोग जेल भेजे गए, लेकिन जैसे होता है कि धीरे-धीरे लोग बेल पर निकलते जाते हैं और इस समय बेल पर लोग हैं। एक वेब साईट है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट प्यारी बेटी डॉट इन इसमें हर तरह की सुविधा है, कोई यह भी डाल सकता है कि फलां जगह ऐसा हो रहा है। शिकायत भी दर्ज कर सकता है। उससे जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। प्यारी बेटी डॉट इन को हम लोग और सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इसमें सरकार बहुत एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर स्पेशलिस्ट ही चलाएंगे विशेषज्ञ जो कि पी0जी0 होंगे, डॉक्टर्स होंगे एम0बी0बी0एस0, लेकिन बहुत पहले से लाईसेंस

मिला हुआ था अन्य लोगों को भी तो उनका रिव्यू हम लोग अब कर रहे हैं। और उसका एक्जामिनेशन कराने का निर्णय हुआ है कि इम्तहान कराएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और जो नॉन डॉक्टर्स, एम0बी0बी0एस0 पीजी0, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो हमको मिलेंगे इन सेण्टरस को रन करते हुए उनका एक टेस्ट होगा जिसका सिलेबस तय हो गया है, क्योंकि यह सारा परीक्षा का काम के0जी0एम0यू0 को एक मुश्त दे दिया गया था और के0जी0एम0यू0 ने हाथ गिरा दिया था कि हम इतनी बड़ी संख्या में हम एग्जाम नहीं करा सकेंगे। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है के0जी0एम0यू0 के माध्यम से अन्य मेडिकल कालेजेज को भी यह परीक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। शीघ्र इसकी परीक्षा होगी। अब प्रचार प्रसार के लिए आपने कहा तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम बहुत तेजी से जनजागरण का चल रहा है। मैं बधाई दूंगी अपने मुख्य मंत्री जी को कि अभी-अभी उन्होंने इस बजट में उन्होंने कन्या सुमंगला योजना में 12 सौ करोड़ रूपया का प्रावधान किया है। हम अब उसकी पूरी डिटेल बना रहे हैं कि कैसे कन्या के एकाउण्ट में कब-कब और कैसे-कैसे डालेंगे। तो आप की चिन्ता और हम सबकी चिन्ता है और पूरे समाज की चिन्ता है और यह सदन निश्चित रूप से कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह तत्पर रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब तो उत्तर बहुत लम्बा हो गया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर लम्बा आया। मा0 मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है लेकिन कम से कम मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम दो साल बाद इस तरह की कोई योजना, कन्या सुमंगला योजना लेकर आए हैं। उसमें भी आप विचार करेंगे कि हम कैसे-कैसे उनके खातों में पैसा दें ? खैर चलिए हो सकता है कि अब विचार करने में भी दो साल का वक्त लगे। मेरा आपके माध्यम से दूसरा सवाल यह है कि जैसे मा0 मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि वही होता है कि हम लोगों को पकड़ते हैं, बन्द करते हैं और लोग बेल करा लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मा0 मंत्री जी आपकी इस चिन्ता से हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इस क्राइम को रोकने के लिए समय-समय पर ऐक्ट में तमाम परिवर्तन होते रहे हैं। अगर हम ऐक्ट में इस तरह का कोई कठोर प्राविधान करें, जिससे यह हो जाए कि ऐसे लोगों की बेल 6 महीने या साल भर न हो सके। क्या आप इस तरह का कोई कठोर अमेण्डमेण्ट करके ऐक्ट में कोई ऐसी धारा जोड़ेंगी ताकि जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, उनको कठोर से कठोर सजा मिले और उनकी बेल जल्दी न होने पाए।

श्री अध्यक्ष-

उसका को अधिनियम है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, हम लोगों के प्रयास के परिणाम को अगर मैं आपकों अंकों में दूँ तो वर्ष 2016-17 में शिशु जन्म पर लिंग अनुपात में 1000 बालकों पर 906 बालिकाएँ थीं और आज वर्ष 2018-19 में शिशुओं पर, बालकों पर 918 बालिकाएँ हो गई हैं। इसका मतलब जो कार्यवाही चल रही है, वह और तीव्र की जा सकती है लेकिन जैसा आपने कहा कि इसमें दो साल और लग जाएँगे तो मैं बताना चाहूँगी कि इस सरकार ने 20 साल का काम 2 साल में कर दिया और आप निश्चिन्त रहिए, हम इसको शीघ्रातिशीघ्र अवश्य लागू करेंगे।

प्रदेश के विधवा पुनर्विवाह योजना में पत्र महिलाओं को रुपये 11000 की धनराशि को 51000 रुपये करने के सम्बन्ध में

***3-श्री मनीष असीजा-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना में पात्र महिलाओं को रुपये 11,000/- की अनुदान धनराशि मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना में दी जाने वाली धनराशि रुपये 51,000/- के समान प्रदेश में भी विधवा पुनर्विवाह हेतु अनुदान धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पति पुरस्कार योजनान्तर्गत रुपये 11000/-की धनराशि अनुदान स्वरूप दिये जाने की योजना वर्तमान में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

किसी भी योजना की अनुदान धनराशि वृद्धि में वित्तीय उपाशय निहित होता है, जिस पर यथावश्यक निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिए जाते हैं।

तदैव।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि किसी भी समाज में किसी भी क्षेत्र में कम आयु की महिला जब विधवा होती है तो उसके आस-पास के सामाजिक ताने-बाने में चाहे उसका मायका पक्ष हो, चाहे ससुराल पक्ष हो, वहाँ बहुत सी विसंगतियाँ सामान्यतया उत्पन्न होती हैं। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए उस भाव से मेरा यह प्रश्न था। मैं मा0 मंत्री जी के उत्तर में बस एक सुझाव देना चाहता हूँ। जहाँ मा0 मंत्री जी के सहृदयतापूर्ण निर्णय से बेटियों की शादी अनुदान में रु0 20,000 की धनराशि बढ़ाकर रु0 51,000 कर दी गई है। हमारे मा0 योगी जी के नेतृत्व की सरकार में विधवा पेंशन की धनराशि को रु0 300 से बढ़ाकर रु0 500 कर दिया

गया है, तो इसी प्रकार से विधवा पुनर्विवाह योजना में धनराशि रु0 11,000 को बढ़ाकर रु0 51,000 कर दिया जाए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है और इसमें एक छोटा सा तर्क भी है क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में अधिकारियों ने लिखा है कि वित्तीय उपाशय निहित होता है तो हम लोग विधवा बहनों को पेन्शन तो देते ही हैं लेकिन अगर एक बार उनका घर बस जाएगा तो इससे पेन्शन की भी बचत होगी और वित्तीय उपादेयता की भी पूर्ति होगी और हमारे सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति भी होगी। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूँगा कि आप इस विषय पर सहृदयतापूर्वक विचार करना चाहें।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि जबसे योगी सरकार आई है उसने निराश्रित परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए बहुत चिन्ता की है और इसीलिए सामूहिक विवाह की जो व्यवस्था की गयी उसमें लगभग 17 हजार बच्चियों का विवाह एक साल में हो चुका है, मुझे अगर आंकड़ा ठीक से याद है लेकिन 51 हजार सामूहिक विवाह के लिए, 20 हजार रुपये व्यक्तिगत जो निर्धन परिवार के हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी बच्चियों के विवाह के लिए और 11 हजार अभी तक विधवा का है परन्तु इस पर हमने अन्य प्रदेशों का भी ब्योरा मंगाया है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है इसके अन्तर्गत हम विचाराधीन हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें हम लोग कुछ समय में निर्णय ले पाएंगे।

(श्री लाल जी वर्मा के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब तो बहुत स्पष्ट आश्वासन है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह 51 हजार रुपये भी कम है, इस धनराशि को कम से कम 05 लाख होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ।

प्रदेश में चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की कमी के सम्बन्ध में

***4-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की भारी कमी के कारण महिलाओं को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिलाओं को समुचित चिकित्सा सुविधा दिलाये जाने हेतु महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों पर मानकानुसार भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। राजकीय चिकित्सालयों में महिलाओं को समुचित इलाज मिल रहा है।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में पुरुष एवं महिला का पृथक संवर्ग नहीं है। चिकित्सों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :-

1-चिकित्सकों के 2354 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया है।

2-लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त 2206 नये चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गयी।

3-पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गयी, जिसके फलस्वरूप 457 चिकित्सक कार्य कर रहे हैं।

4-1000 चिकित्सकों के पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया और 375 चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

5-254 सामान्य/विशेषज्ञ सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पुनर्नियोजन के माध्यम से पुनर्नियुक्ति प्रदान की गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर और महत्वपूर्ण सवाल है। अभी माननीय मंत्री जी एक प्रश्न के जवाब में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 के अस्पतालों के बारे में चर्चा कर रहे थे। महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं यह जानकारी भी दूँ कि पी0एच0सी0 में भी महिला चिकित्सकों का पद होता है और सी0एच0सी0 में भी महिला चिकित्सकों का पद होता है। वर्तमान समय में लगभग 80 प्रतिशत पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में महिला चिकित्सक नगण्य हैं। जिला अस्पतालों में भी यदाकदा एक चिकित्सक मिल जाये तो बहुत बड़ी बात होगी परन्तु मुझे लगता है कि अभी तमाम जनपदों में बिना महिला चिकित्सकों के अस्पताल चल रहा है। मान्वयर, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि चिकित्सकों के 2354 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया है, पिछली बार भी यह सवाल आया था उसमें भी यही जवाब था। लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त 2206 नये चिकित्साधिकारियों की तैनाती की गयी, यह भी पिछली बार सवाल पूछा गया था और यही जवाब आया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती हुई है ? दूसरा, जितने पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 या महिला चिकित्सालय बने हैं उनमें

कितने डॉक्टरों की नियुक्ति की गयी है और यदि नियुक्ति नहीं की गयी है तो वहां कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता कांग्रेस ने अभी जो बोला है वह हमारे सम्मानित सदस्य हैं, इसमें अवगत कराना है कि पी0एच0सी0 में एक डॉक्टर की स्वीकृति है उसमें जब संवर्ग इन्ही सब लोगों ने वर्ष 2011 में महिला और पुरुष का खत्म कर दिया तो यह कैसे कह सकते हैं कि महिला होनी चाहिए या पुरुष होना चाहिए। एक एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट की पोजीशन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होती है, जो सी0एच0सी0 होती है, उसके अन्दर वहां पर एक महिला चिकित्सक होना चाहिए। वहीं मैंने अभी-अभी बताया कि कमी के कारण हमने एन0एच0एम0 के माध्यम से उन लोगों को जहां पर एफ0आर0यू0 सेन्टर हैं, जहां पर सी0 सेक्शन हो सकता है उसको एडवर्टाइज करते हुए वहां पर नियुक्तियां करना शुरू कर दिया है और वह जो भी मानदेय मांगते हैं हम उसको हां करते हैं जहां तक प्रश्न है कि अभी कितने स्त्री योग्य स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे स्वीकृत पद 1105 हैं। उसके तहत जो कार्यरत हैं, जो हम लोगों को पी0एम0एस0 सर्विसेज से मिले हैं वो 393 हैं और 712 रिक्त हैं। इसलिए हम लोगों ने बेसिक मिनिमम मॉड्यूल के तहत जोकि महिला चिकित्सालय हैं वहां पर 55 ऐसे हैं, उसके अन्दर पहले हम लोगों ने इनकी नियुक्तियां कर दी हैं। फिर जितने एफ0आर0यू0 होते हैं उसके अन्दर हम लोगों ने भेजना शुरू किया है। मगर हर जिला अस्पतालों के अन्दर वो महिला चिकित्सालय हो उसके अतिरिक्त भी हर जगह, हर जिले पर एक महिला चिकित्सक हम लोगों ने पहुंचा रखा है। इस प्रकार से बेसिक मिनिमम मॉड्यूल के तहत एक प्लान्ड तरीके से योजनाबद्ध किस्म से हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इसमें इन्होंने स्पष्ट माना है कि 1105 के सापेक्ष मात्र 393 इनके पास महिला चिकित्सक हैं, 712 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो 712 रिक्त पद हैं इसको कब तक भर लिया जायेगा ? किसी भी स्त्री रोग से पीड़ित महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ की ही जरूरत होती है। संवर्ग का मामला दूसरा है और मैंने इस मामले को दूसरी तरह आपसे जानना चाहा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मंत्री जी शायद क्लाज निकाल कर देख लेंगे कि पी0एच0सी0 में भी। पी0एच0सी0, ब्लाक मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल होता है और वहीं से सारे कार्यक्रम संचालित होते हैं। चाहे आशा का हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो। अरे भइया पी0एच0सी0 से भी होता है हमारे यहां करैया में पी0एच0सी0 ही है। पी0एच0सी0 इन्होंने अभी नहीं अपग्रेड किया है।

श्री अध्यक्ष-

एक ब्लाक में कई पी0एच0सी0 हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

और एक बात बताँऊ कि पी0एच0सी0 जो तरयासुजान है उसी से संचालित होता है सी0एच0सी0 से उरई। ये भी मेरे यहां के एक अनोखा जनपद-कुशीनगर का मामला है कि पी0एच0सी0 संचालित करती है सी0एच0सी0 को। ऐसा है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आप जाँच करा लें मा0 मंत्री जी। सबकी तनख्वाह, स्टाफ, आशा, सब कुछ पी0एच0सी0 तरया से संचालित होता है और सी0एच0सी0 के डाक्टरों की तनख्वाह भी वही पी0एच0सी0 देता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि 712 पद जो रिक्त हैं, इसको कब तक भर लेंगे और जितने सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में जो महिला चिकित्सकों के जो रिक्त पद हैं उसको भरने का सरकार क्या उपाय करेगी ये सरकार बता दे।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

लल्लू जी को कुछ जानकारी ज्यादा है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर इस प्रकार की कोई जो पी0एच0सी0 है उसमें व्यवस्था नहीं है। ये पुरानी व्यवस्था चल रही है, तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ये 712 रिक्त पद वाला पूछे हैं।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वो जो पद रिक्त हैं। इसलिए मैंने कहा- जब लोक सेवा आयोग से नहीं आ रहा था तो वॉक-इन-इन्टरव्यू हमने अनेक माध्यम से एन0एच0एम के माध्यम से बीडिंग करके उस डिस्ट्रिक का नाम देते हुए उस सी0एच0सी0 का नाम देते हुए हमने डॉक्टर उपलब्ध कराये हैं। ये सब चीजें हमने स्पेशलिस्ट की करी हैं। मगर जहां पर पी0एम0एस0 से नहीं हो पा रहा है। दूसरा रास्त ढूंढा है। ये सरकार उस दिशा में गयी है, जिससे कि लोगों को उपचार ठीक से मिल सके और इसीलिए जिला चिकित्सालय जो 55 बने हुए हैं वहां पर महिला चिकित्सक को पहुंचाया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ को पहुंचाया है। मगर मैं इनका एक धन्यवाद भी करता हूं इसके अन्दर जो बेसिक मिनिमम मॉड्यूल की बात कर रहा था उसमें 2, 3 जगह मुझे त्रुटियां मिलीं कि वहां पर महिला करके था, मगर स्त्री रोग 55 में नहीं था। वहां पर आपके माध्यम से क्योंकि आपका प्रश्न था, इसलिए अध्ययन करके मैं आया था। प्रश्नकाल का मतलब ही यही है, जो मैं समझा हूं कि इससे जानकारी भी मिलती है और आपके प्रश्न का उत्तर देते समय तैयारी करते समय मुझे यह दिखा, वहां पर मैंने तुरन्त जहां पर ज्यादा थीं वहां से इन जगहों पर भेज दिया, इसलिए आपका धन्यवाद, तो जैसे-जैसे मिलता जायेगा हम उसको भरते जायेंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है कहीं लोक सेवा आयोग से जो आपने कहा कि पहले 2206 कहा था व दो हजार करते हुये ऐसे नम्बर्स हैं, मगर 2011 से चला आ रहा है उसको हम लोगों ने पूरा किया। दूसरा अधियाचन दिया है वह 2354 का, तो और भी डाक्टर्स आने की

उम्मीद मैं रख रहा हूँ, इस समय जो बातचीत चल रही है उसमें जो भी और हो सकेगा वह हम करेंगे। मगर वास्तविकता यह है और जो व्यवहारिक भी है, वह हम कर रहे हैं। अगर यह दे देंगे तो मैं उनको भी भर्ती कर लूंगा। जहां जहां आप देंगे मैं उनको भी भर्ती कर लूंगा।

चौधरी उदयभान सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, विगत 18 वर्षों से मैं देहाती क्षेत्र में प्रत्येक महीने की 18 तारीख को मेडिकल कैम्प का आयोजन करता हूँ। मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि देहाती क्षेत्र में महिला रोगियों की संख्या बहुत है और खासतौर से वह महिलायें जो अपनी उम्र से थोड़ी ज्यादा हो गयी है। आज 18 तारीख है और आज भी गाँव खल्लुउवा में मेडिकल कैम्प लग रहा है। इसकी ओ0पी0डी0 500 से लेकर हजार तक होती है और जो मरीज चिन्हित किये जाने हैं उनको मेडिकल कॉलेज में लाकर उनकी चिन्ता करते हैं और उनका इलाज कराते हैं। देहाती क्षेत्र में महिला रोगियों का एक अलग तरह का आस्पेक्ट है, सोच है कि महिला रोगी महिला डाक्टर को ही अपनी बात कहना चाहती है। देहाती क्षेत्र में यह बिल्कुल कटु सत्य है और सौ प्रतिशत सत्य है कि महिला चिकित्सों की संख्या बहुत कम है। मेरा सुझाव है इसको पूरा करने के लिये जो महिला चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 हैं और जो पी0जी0 के लिये तैयारी कर रही हैं ऐसे चिकित्सकों की संख्या बहुत ज्यादा है यदि उनको देहाती क्षेत्र में जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय और उनको यह आश्वस्त कर दिया जाय कि आपको हम पी0जी0 कराने में मदद करेंगे और आपको प्राथमिकता देंगे तो ऐसी महिला चिकित्सक देहाती क्षेत्र में जाने के लिये अपने आपको ऑफर करेंगी, यह मैं आपको सुझाव दोना चाहता हूँ।

प्रदेश में लावारिस एवं आश्रयहीन नवजात बच्चियों को पालने व उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रोत्साहन दिए जाने विषयक

***5-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लावारिस जिन्दा नवजात बच्चियों का पालन करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन स्वरूप और बच्ची के सुरक्षित भविष्य हेतु उनको प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

अनाथ एवं आश्रयहीन नवजात बच्चों के संरक्षण के दृष्टिगत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के अन्तर्गत प्रदेश में 05 राजकीय व 13 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दत्तक ग्रहण इकाइयां हैं, जिनके माध्यम से जरूरतमन्द/सन्तानहीन दम्पतियों को नवजात शिशु गोद दिये जाने का प्राविधान है। इसके लिए कोई प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य नहीं है।

तदैव।

श्री मो0 फईम इरफान-

मैं आपके आध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार बीते दो वर्ष में नवजात बच्चे और बच्चियों को लावारिस रूप से पाये जाने की अलग-अलग कितनी घटनायें स्वीकार करती है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा का एक त्रासद अंसारी, जिसका खेत के पास में तालाब है उस तालाब के किनारे एक बच्चा मिला, बच्चे को कुत्ते बुरी तरह नोचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जैसे ही उस बच्चे की आवाज आई, दोनों मियां-बीबी ने उस बच्चे को कुत्तों से मुक्त कराकर, जो उसको चोटें लगी थीं, उसको अस्पताल में ले जाकर उस बच्चे को बचाने का काम किया और उसके दो-तीन दिन बाद अचानक वहां कोई एक टीम आई और वह टीम उस बच्चे को तथा उन मां-बाप को साथ लेकर चले गये और उनसे कहा कि यह बच्चा हम आपको दे देंगे। लेकिन टीम ने उनको वह बच्चा नहीं दिया और वह दोनों मियां-बीबी निहायत गरीब और बहुत ही गमगीन परिवार है, कुदरत ने पहले से उनको तीन बच्चियां दी है और कुदरत ने उनको वह बच्चा दिया था, जिन्होंने उस बच्चे की जान बचाई। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाय और मैं माननीय मंत्री जी से विधान सभा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार अपने उत्तर में बताये गये तथ्यों के आधार पर प्रदेश भर में इसमें कार्यरत 5 राजकीय व 13 गैर राजकीय दत्तक ग्रहण केन्द्रों को अपर्याप्त मानते हुए, क्या संख्या बढ़ायेगी ? माननीय मंत्री जी, एक और खास बात- एक स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चों के पालन करने हेतु एक योजना उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित करने की बात है। इसके लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितना बजट दिया है और इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या कितनी है ? क्योंकि इसमें लगभग 2 हजार रुपये का प्रावधान है। मैंने डी0एम0 साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया था कि स्पॉन्सरशिप योजना के अन्तर्गत इस तरह की एक योजना है, जिसकी शायद मीटिंग भी होने वाली है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके की योजना जो 2 हजार रुपये प्रत्येक बच्चे को मिलने की बात कही गई है, क्या इस योजना को हमारी सरकार लागू करने का काम करेगी ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनके लगभग सभी सवाल इस दायरे से बाहर हैं, आँकड़े मैं गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करूँगी। इनका प्रश्न है 'प्रदेश में लावारिस जिन्दा नवजात बच्चों के पालन करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है या नहीं ? यह आपका मूल प्रश्न है, अगर इस प्रश्न में आपने वह सभी बातें लिखी होतीं तो मैं निश्चित रूप से उसका व्यापक, विस्तारित जवाब आपको देती, पर मैं अलग से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दूँगी। वर्तमान में मैं आपसे यह बताना चाहती हूँ कि एडाप्शन के लिए एक बहुत ही अच्छी विधि केन्द्र सरकार ने बनाई है।

आपको मालूम है कि 'कारा' है, 'सेण्टर एडाप्शन सेंटर' है और एक हम लोगों का स्टेट वाला 'सारा' होता है, तो जब भी कोई बच्चा कहीं मिलता है, अब आपने कहा कि वह मार दिया गया, वह तो हत्या की श्रेणी में आ जाता है, उसका अलग प्रावधान है।

श्री मो0 फईम इरफान-

मारा नहीं है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

नहीं-नहीं, आपने बताया कि किसी ने नवजात शिशु को फेंक दिया, अब वह बच्चा मारने की दृष्टि से फेंका गया जो कि बहुत ही अमानवीय है, अपराध है, वह अलग श्रेणी में है। यहाँ तो जो बच्चे पुलिस को या किसी समाज के व्यक्ति को मिले, उन्होंने अगर उसको उपलब्ध कराया तो उस बच्चे का तत्काल आवश्यकतानुसार इलाज कराया जाता है।

(श्री मो0 फईम इरफान के पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

जनाब, मेरी बात पूरी हो जाने दें, उसे 24 घण्टे के अन्दर, वहाँ पर हम लोगों की जो सी0डब्ल्यू0सी0 होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। हर जनपद में यह कमेटी है और अगर दो साल से नीचे का बच्चा है तो वह कमेटी तत्काल दो दिन के अन्दर, नहीं तो चार दिन के अन्दर वह उसे दत्तक-घर पहुँचा देती है और इसके बाद उसको 'कारा' पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर हम लोग एडवर्टाइज करते है कि अब कोई भी चाहे तो इस बच्चे को एडाप्ट कर सकता है। एडाप्शन के लिए जब लोग आते हैं तो बच्चा चुन लेते हैं। अगर बच्चा उन्होंने चुना और बच्चा छोटा है और आपको मालूम है कि बिना कोर्ट की परमीशन के एक भी एडाप्शन नहीं किया जा सकता है, गोद नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा छोटा है और चिन्हित हो चुका है तो अगर उसकी आवश्यकता है तो हम लोग जो माता-पिता चिन्हित करते हैं, उनको बच्चा देखभाल के लिए दे देते हैं तो एक तो फर्स्ट एड केयर यह होती है। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए वह विशेषाकृत बच्चे हैं या कुछ ऐसे बच्चे है, जिनको एडाप्शन के लिए लोग नहीं माँगते हैं तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग फर्स्ट एड केयर में इच्छुक माता-पिता को हम लोग देते हैं। तो इस प्रश्न से सम्बन्धित जो उत्तर है, वह मैं आपके समक्ष रख रही हूँ और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बच्चे जो किन्ही वजहों से गोद नहीं लिये जाते हैं अथवा ऐसे बच्चे जो लम्बे समय से विभिन्न श्रेणी के बाल-गृहों में आवासित हैं और परिवार की उन्हें आवश्यकता है, स्नेह, देखभाल, स्वास्थ्य, भावनात्मक, अपनत्व की पूर्ति की एवं उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें दे देते हैं, लेकिन वर्तमान में न किसी ने अगुवाई की है और बिना निरीक्षण के परिवार के तो हम एडाप्शन में और फर्स्ट एड केयर में देते ही नहीं हैं। अभी कोई भी ऐसा बच्चा फर्स्ट एड केयर मे नहीं है। यह आपका सवाल था, उस पर मैंने आपको उत्तर दिया है।

***6-श्री लाल जी वर्मा-**

(04वें मंगलवार के ता0प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

***7-श्री पारसनाथ यादव-**

(02सरे मंगलवार के ता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-05 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0 तथा एल0पी0जी0 पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी का विवरण

***8-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0 तथा एल0पी0जी0 पर प्रति लीटर/कि0ग्रा0 कितना-कितना एक्साइज ड्यूटी एवं वैट लिया जा रहा है ? क्या सरकार इन ईंधनों की घटती अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों तथा बढ़ती मंहगाई के सापेक्ष जनहित में वैट की दरों में कमी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में वर्तमान में पेट्रोल पर कर (वैट) की दर 23.78 प्रतिशत या रु0 14.41 प्रति लीटर जो अधिक हो, डीजल पर कर (वैट) की दर 14.05 प्रतिशत या रु0 8.43 प्रति लीटर जो अधिक हो एवं सी0एन0जी0 पर कर (वैट) की दर 12.50 प्रतिशत तथा एल0पी0जी0 पर कर (जी0एस0टी0) की दर 5 प्रतिशत है।

पेट्रोल, डीजल व सी0एन0जी0 पर एक्साइज ड्यूटी का निर्धारण व संग्रह भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

माह अक्टूबर, 2018 में जब पेट्रोल, डीजल की कीमतें काफी अधिक बढ़ गयी थीं, तब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ी हुई कीमतों से जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 05-10-2018 को प्रदेश में पेट्रोल पर देय कर में रु0 2.50 प्रति ली0 अर्थात् 3.02 प्रतिशत एवं डीजल पर देय कर में रु0 2.50 प्रति0 ली0 अर्थात् 3.45 प्रतिशत की कमी की गई है। कर की दर में इस कमी के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व में लगभग रु0 4 हजार करोड़ वार्षिक की कमी होने की सम्भावना है।

सी0एन0जी0 उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 14-11-2018 से सी0एन0जी0 पर 2.00 प्रतिशत अतिरिक्त कर को समाप्त करते हुये

सी0एन0जी0 पर कर की दर 14.50 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत की गयी है। इस प्रकार सी0एन0जी0 पर कर की दर में 2.00 प्रतिशत की कमी हुई है।

दिनांक 01-07-2017 से माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू है। एच0एस0एन0 कोड-2711 के अनुसार रसोई गैस (एल0पी0जी0) 5 प्रतिशत (2.50 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 एवं 2.50 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0) निर्धारित है। जो सबसे कम कर की दर है तथा कर की दरों में कमी करने का अधिकार राज्य सरकार को न होकर जी0एस0टी0 काउन्सिल में निहित है।

माह-अक्टूबर, 2018 से पेट्रोल एवं डीजल के दामों में लगातार कमी हो रही है। दिनांक 11-02-2019 तक पेट्रोल की कीमत में माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 04-10-2018 को उच्चतम कीमतों के सापेक्ष दिनांक 11-02-2019 को पेट्रोल की कीमत में रु0 13.31 व डीजल की कीमत में रु0 10.98 की कमी हुई है।

दिनांक 11-02-2019 को प्रदेश के नागरिकों को सीमावर्ती राज्यों यथा-दिल्ली, उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार व पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल सबसे कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा है।

प्रदेश में मैत्रेय परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में से शेष भूमि सम्बन्धित को वापस करने की जानकारी

***9-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मैत्रेय परियोजना के अन्तर्गत शेष भूमि जिसे सरकार ने अधिग्रहीत नहीं किया है, को डि-नोटिफाइड करते हुये सम्बन्धित किसानों की भूमि सरकार वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति विभाग मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समस्त आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की भाँति एन0पी0ए0 व डी0ए0सी0पी0 आदि सुविधाओं के देने विषयक

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्साधिकारियों को भी एलोपैथिक चिकित्साधिकारी की तरह एन0पी0ए0, डी0ए0सी0पी0 एवं अन्य सुविधायें सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को निजी चिकित्सा अभ्यास किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों की भांति एन0पी0ए0, डी0ए0सी0पी0 एवं अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं हैं।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की उपलब्धता के सम्बन्ध में

***11-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की उपलब्धता एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। प्रदेश में 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विसेज के द्वारा गर्भवती महिलाओं/प्रसूता व 01 वर्ष तक की आयु के नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल व वापस अस्पताल से घर छोड़ने हेतु कुल 2270 निःशुल्क एम्बुलेन्सों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 849 एम्बुलेन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संचालित हैं। कुल 2270 एम्बुलेन्स में से 1544 एम्बुलेन्स को पुनर्स्थापित करते हुये 1544 नई एम्बुलेन्सों का क्रय किया जा रहा है।

इसी प्रकार 108 इमरजेन्सी मेडिकल ट्रान्सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचल के रोगियों को जिला चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए कुल 1488 एम्बुलेन्सों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 446 एम्बुलेन्सों का संचालन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से किया जा रहा है। योजना के द्वितीय चरण में 712 नई गाड़ियों का सम्मिलित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत संचालित एम्बुलेन्सों का रख-रखाव सेवा प्रदाता के द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रदेश सरकार की सहभागिता का विवरण

***12-श्री नाहिद हसन-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छोटे शहरों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत निजी अस्पताल खुलवाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत निजी चिकित्सालय खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या की कार्य योजना

13-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या देश व प्रदेश की गम्भीर समस्याओं में से एक है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या स्थिर किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1950 के दशक से चलाया जा रहा है, जोकि लक्ष्य मुक्त व पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है।

बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की अपनी जनसंख्या नीति घोषित की गयी है, जो भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में प्राख्यापित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप है, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्ष 2020 तक वर्तमान प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.7 (एन0एफ0एच0एस0IV) से घटकर 2.1 तक लाना है।

परिवार को सीमित रखने हेतु स्थाई एवं अस्थाई विधियां सेवा केन्दों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने हेतु 03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल, 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू किया जा चुका है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेबपोर्टल के माध्यम से हौसला साझेदारी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य इकाइयों/नर्सिंग होम को परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहभागिता बढ़ाने हेतु वेबपोर्टल के माध्यम से आवदेन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। साथ ही उनका आनलाइन सत्यापन कर अभिप्रमाणित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

***14-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-**

(10वें मंगलावार के तारा0प्र0सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

***15-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

(02सरे मंगलवार के तारा0प्रं0सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0प्र0 में कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना के बहाली के सम्बन्ध में

***16-श्री राकेश प्रताप सिंह-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुये पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

जी नहीं।

प्रदेश के दीर्धकालिक राजकोषीय हितों को दृष्टिगत और केन्द्र सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2005 द्वारा प्रदेश में 01 अप्रैल, 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी है। इस प्रणाली से ऐसे सभी कार्मिक आच्छादित हैं जो राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन योजना दिनांक 01-04-2005 के पूर्व लागू थी और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त हुये हों।

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी। तदोपरान्त देश के विभिन्न राज्यों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गयी। सम्प्रति पश्चिम बंगाल को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू है।

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अन्तर्गत 3,67,150 सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के 1,55,354 कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है।

उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

***17-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

(04थे सोमवार हेतु स्थगित)

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

***18-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ? क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के

समान कार्य-समान वेतन एवं विशिष्ट सेवा नीति के अद्यतन आदेश को उक्त कर्मचारियों हेतु लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा के विभिन्न पदों पर 50748 कर्मचारी कार्यरत हैं। संविदा के पदों हेतु समान कार्य-समान वेतन के सम्बन्ध में वित्त एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा राज्य स्तर पर निर्मित सेवा (मानव संसाधन) नीति भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों द्वारा निकलने वाले कचरों के निस्तारण विषयक

***19-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कोई प्रभावी योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट का निस्तारण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2016 द्वारा निर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम, 2018 के प्राविधानानुसार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद एटा के टीम-बी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में कार्यरत महिला चिकित्सकों (संविदा) के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

1-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का पत्र संख्या-5500 वी0आई0पी0/श्रम एवं सेवा0 सम0/2018, दिनांक 19-07-2018 जो आर0बी0एस0 के0 निधौलीकला, जनपद एटा के टीम-बी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम में कार्यरत महिला चिकित्सकों (संविदा) का साजिश के तहत किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करने एवं उनके साथ अभद्र व अश्लील भाषा का प्रयोग एवं मैसेज कर उत्पीड़न करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, एटा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा द्वारा दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या के आधार पर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने (साइबर क्राइम सेल से जांच) हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को दिनांक 20-09-2018 को प्रेषित कर दिया गया है।

डा0 रितू यादव, चिकित्सक (आयुष) संविदा आर0बी0एस0के0 का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निधौलीकला से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संकीट के लिए किए गये स्थानान्तरण को उनकी पारिवारिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के पत्र दिनांक 30-07-2018 द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठता संबंधी त्रुटियों के संबंध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या का विवरण

2-श्री राजीव सिंह ''पारीछा'' -

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2017 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-176 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि शासन के पत्र दिनांक 20-11-2017 के अनुक्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित जांच अधिकारी निदेशक (सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0) द्वारा प्रकरण की जांच कर आख्या प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 16-08-2018 में संबंधित चिकित्साधिकारी के दो बार चयन के आधर पर दो वरिष्ठता क्रमांक निर्गत किये जाने का तथ्य परिलक्षित हुए। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में तैनात ऐसे 30 चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता में त्रुटिपूर्ण अंकन के निराकरण का प्रस्ताव दिनांक 14-09-2018 को शासन के विचारार्थ संदर्भित किया गया। शासनदेश संख्या-3783/ पांच-8-2019-01(वरि0)/12, दिनांक 14-01-2019 द्वारा वरिष्ठता सम्बन्धी त्रुटियों का समेकित रूप से निराकरण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित कराने की माँग

3-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में पोस्टमार्टम हाउस न होने के कारण स्थानीय जनता को 100 किमी0 दूर मुख्यालय जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील धौरहरा में पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

प्रदेश में प्रत्येक जनपद में एक पोस्टमार्टम हाउस स्थापित करने की नीति हैं, जिसके तहत जनपद मुख्यालय पर एक पोस्टमार्टम हाउस निर्मित एवं क्रियाशील है।

भारतीय सेना से सेवानिवृत सैनिकों को सरकारी सेवा में भर्ती करने की कार्य योजना

4-श्री सीताराम वर्मा-

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना से प्रदेश के सेवानिवृत्त सभी सैनिकों को सरकारी सेवा में भर्ती की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्ड्स प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

जी हां। समूह 'क' के पदों या समूह 'ख' के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण प्रदान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के कुड़ेभार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अर्द्धनिर्मित आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

5-श्री सीताराम वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के कूड़ेभार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अर्द्धनिर्मित आवासों को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुड़ेभार के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था, उ0प्र0, जल निगम के पत्र दिनांक 13-02-2017 के द्वारा रु0 422.44 लाख का पुनरीक्षित आगणन महानिदेशक, परिवार कल्याण को प्रेषित किया गया, जिस पर परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा आपत्तियां लगायी गयीं, जिसके क्रम में अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं कराया गया है। अतः पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर में निर्माणाधीन 100 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय के संचालन के सम्बन्ध में

6-श्री सीताराम वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में बिरसिंहपुर में 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ? यदि हां, तो डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति कर उक्त चिकित्सालय को सरकार कब तक संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं कार्यदायी संस्था द्वारा चिकित्सालय का भवन विभाग को हस्तगत होने के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश एवं जनपद आगरा, जौनपुर, मथुरा के सभी अस्पतालों के अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में

7-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी अस्पताल पंजीयन हेतु अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद आगरा, मथुरा एवं जौनपुर के सभी अस्पतालों की जांच कराकर बतायेगी कि उक्त अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई व्यवस्था प्रचलित है तथा उक्त सभी अस्पताल अग्निशमन विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक पूरा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

1-जनपद आगरा, मथुरा एवं जौनपुर के निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण निजी अस्पतालों से अनुबन्धित एजेन्सियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है।

2-जनपद आगरा, मथुरा एवं जौनपुर के सभी निजी अस्पतालों के पंजीकरण में अग्निशमन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आनपत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाता है। जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है तथा कमियां मिलने पर संबंधित को नोटिस देकर कमियां दूर करायी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आलाहजरत हज हाउस जनपद गाजियाबाद के संचालन की माँग

8-श्री नाहिद हसन-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के आलाहजरत हज हाउस को संचालित करने हेतु वर्तमान में किसी न्यायिक प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी की रोक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त को दूर करने और हज हाउस को हाजियों के लिये खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल नई दिल्ली द्वारा परित आदेश दिनांक 06-02-2018 के क्रम में आलाहजरत हज हाउस, गाजियाबाद पर एस0टी0पी0 प्लांट लगा न होने के कारण भवन सील कर दिया गया है।

भवन पर एस0टी0पी0 प्लांट लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर अस्पताल एवं डरफिन अस्पताल में 25 वर्षों से तैनात रेडियोलॉजिस्टों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

9-श्री मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन को सम्बोधित श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 18-01-2019 जो कि बलरामपुर अस्पताल/डफरिन अस्पतालों में लगभग 25 वर्षों से तैनात रेडियोलॉजिस्टों का एकाधिकार समाप्त कर एवं उनका स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र जिले में किये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में लगभग 25 वर्षों से तैनात उक्त रेडियोलॉजिस्टों का स्थानान्तरण अन्यत्र जिलों में किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 18-01-2019 में उल्लिखित डा0 सोमेश्वर पुरी, रेडियोलॉजिस्ट उक्त चिकित्सालय में दिनांक 18-09-1997 से अर्थात 21 वर्षों से कार्यरत हैं। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका में पारित आदेश व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक 15-06-2017 के प्रस्तर-2.3 में आश्रित बच्चों की दिव्यागंता के प्राविधान के आधार पर डा0 पुरी का अन्यत्र स्थान्तरण नहीं किया गया है। उक्त चिकित्सालय के शेष 04 कार्डियोलॉजिस्ट 10 वर्षों से कम समयावधि से तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर स्थित नैमिषारण्य धाम में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उपलब्ध करायी गई धनराशि तथा कार्य प्रगति का विवरण

10-श्री राकेश प्रताप सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2018 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अता0प्र0सं0-99 के उत्तर के क्रम में क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैमिषारण्य धाम जनपद सीतापुर स्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उल्लिखित धनराशियों की स्वीकृतियां जारी कर किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि कब-कब उपलब्ध कराई गयी है और उनसे अब तक कितना-कितना कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के स्प्रिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत नैमिषारण्य स्थित पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य हेतु स्वीकृत योजनओं में कार्यदायी संस्था नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी गयी धनराशि एवं उसके सापेक्ष कराये गये कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

(रु0 लाख में)

क्र0-सं0	योजना का नाम	वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6
1	अयोध्या धाम एवं सतरूपा का पर्यटन विकास	2016-17	56.63	45.30	कार्य पूर्ण

1	2	3	4	5	6
2	दधीचि आश्रम का पर्यटन विकास	2016-17	44.88	36.70	90 प्रतिशत अवशेष कार्य प्रगति पर है।
3	चक्रतीर्थ का पर्यटन विकास	2016-17	36.65	29.32	25 प्रतिशत अवशेष कार्य प्रगति पर है।
4	देवपुरी का पर्यटन विकास	2016-17	29.43	26.80	कार्य पूर्ण।

2-राज्य योजना के अन्तर्गत नैमिषारण्य के देव देवेश्वर एवं करौना के पर्यटन विकास कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 435.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 217.95 लाख की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 09-01-2019 को प्रदान की गयी है। कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) द्वारा टेण्डर आदि की कार्रवाई करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

प्रदेश के निजी अस्पतालों में जरूरत न होने पर भी आपरेशन कर प्रसव कराने की सूचना एवं कार्यवाही की मांग

11-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय निजी अस्पतालों में जरूरत न होते हुये भी आपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई प्रभावी योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के कतिपय निजी अस्पतालों में जरूरत न होते हुए भी ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के सभी सरकारी गैर सरकारी क्लीनिकों, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेन्टर व अन्य सभी प्रकार के निदान केन्द्रों पर प्रभावी नियन्त्रण तथा इनके द्वारा

जनता को सुलभ एवं सुगम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं जनता को शोषण से बचाये जाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा क्लीनिक स्टैब्लिसमेंट ऐक्ट को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय तथा जनपद स्तरीय समितियों एवं प्राधिकरण का गठन प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

(02सरे मंगलवार के तारां0प्र0सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम वेल्वुआ में प्रस्तावित आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

13-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम वेल्वुआ, विकास खण्ड ईसानगर में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम वेल्वुआ विकास खण्ड ईसानगर में कोई आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथ चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

वर्ष 2017-18 में उपरोक्त ग्राम हेतु जिला योजना के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्तव किया गया था, परन्तु धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी थी। वर्तमान में उक्त ग्राम हेतु प्रस्ताव नहीं किया गया है। वर्ष 2019-20 की जिला योजना में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी, खीरी द्वारा उक्त ग्राम वेल्वुआ में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया गया है।

प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत की जाती है। जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्थान चिन्हांकन एवं परिव्यय उपलब्ध करने एवं विभागीय आय-व्ययक में बजट प्राविधान उपलब्ध होने पर चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0प्र0 में वर्ष 2018 में मदरसा बोर्ड की मान्यता के सम्बन्ध में

14-श्री असलम अली-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 में मदरसा बोर्ड की मान्यता हेतु कितने मदरसों ने आवेदन किया तथा उनमें से कितने मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

वर्ष 2018 में कुल 69 मदरसों द्वारा मान्यता हेतु आवेदन किया गया। मदरसों की मान्यता हेतु प्राप्त प्रस्ताव, नवीन उ0प्र0 अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन और सेवा विनियमावली, 2016 में दिये गये मानक के अनुरूप न पाये जाने के कारण इन्हे उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् के पत्र संख्या 1391, दिनांक 12-11-2018 के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को मानक पूर्ण कराये जाने तथा नवीन निरीक्षण आख्या अपलब्ध कराये जाने का निर्देश प्रेषित किया गया है।

नोएडा एक्सटेंशन की सघन आबादी में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए अस्पताल खोले जाने विषयक

15-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन की सघन आबादी में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिये सरकार अस्पताल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा एक्सटेंशन की सघन आबादी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कासना मेडिकल कालेज संचालित है, जोकि नोएडा एक्सटेंशन से लगभग 10 किमी0 की दूरी पर है तथा उक्त मेडिकल कालेज में सामान्य बीमारियों से संबंधित उपचार उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विसरख नोएडा एक्सटेंशन से मात्र 05 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जहां पर समस्त चिकित्सकीय उपचार सुविधा उपलब्ध है।

जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड के उच्च प्रा0 वि0 अल्लीपुर, फत्तेपुर, सीतारामपुर के विद्यालयों को उच्चीकृत कर इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में

16-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत विकास खण्ड के उच्च प्राथमिक विद्यालय अल्लीपुर, फत्तेपुर, सीतारामपुर ग्रन्ट में एक एकड़ जमीन उपलब्ध है ? क्या सरकार प्रधान मंत्री जनविकास कार्यक्रम एम0एस0डी0पी0 के तहत उक्त विद्यालयों को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के मानकों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय अल्लीपुर, फत्तेपुर, सीतारामपुर ग्रन्ट को इण्टर कालेज में उच्चीकृत करने हेतु सम्बन्धित जनपद से ब्लाक स्तरीय/जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के उत्थान की कार्य योजना

17-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के उत्थान हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम्, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना।

भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम् दशमोत्तर छात्रवृति योजना एवं मेरिट-कम-मीन्स योजना।

मेडिकल/इंजीनियरिंग कोचिंग योजना।

पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना।

अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने की योजना।

मदरसा मिनी आई0टी0आई0 योजना।

बहुउद्देशीय शैक्षिक हब (मॉडल इण्टर कालेज) की योजना।

मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना।

छात्रावास/विद्यालय भवन निर्माण योजना (आई0डी0एम0एम0)।

मदरसा आधुनिकीकरण की योजना (एस0पी0ई0एम0एम0)।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसहारा बच्चों के गुजारे व शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता तथा परित्यक्ता महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सम्बन्ध में

18-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसहारा बच्चों के गुजारे व शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता तथा परित्यक्ता महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

महिला कल्याण विभाग के अधीन प्रदेश में बेसहारा/आश्रयहीन/अनाथ बच्चों की देखरेख व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम- 2015 के अन्तर्गत 17 राजकीय बाल गृह (बालक/बालिका/शिशु) संचालित हैं, जिनमें उक्त श्रेणी के बच्चों के लिए निःशुल्क आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण व भोजन प्रदान किया जाता है।

परित्यक्ता/निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग के अधीन प्रदेश के 11 जनपदों में राजकीय महिला शरणालय संचालित हैं, जिनमें निवासरत् महिलाओं को निःशुल्क भोजन व वस्त्र आदि दिये जाने की व्यवस्था है, किन्तु ऐसी महिलाओं को गुजारा भत्ता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के जिला चिकित्सालय को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित विषयक

19-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के जिला चिकित्सालय को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जिला चिकित्सालय, सहारनपुर को उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु उपकरणों/साज-सज्जा की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन

उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार उनमें अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल, फतेहपुर, रण्डौला सढ़ौली कदीम, बेहट, जडौदा पाण्डा, नानौता, सरसावां, चिलकानां, सुनेहटी खड़खड़ी, सबदलपुर, पुंवारका, हरौडा, गंगौह, सिकन्दरपुर, नकुड, अम्बेहटापीर, रणखण्डी, रामपुर मनिहारन व अम्बेहटा चांद पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन स्थापित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जी हां।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवबन्द एवं गंगौह में पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबदलपुर एवं सिकन्दरपुर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलबध किया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री वीरेन्द्र यादव-

(2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सकों/विशेषज्ञों की नियुक्ति विषयक

22-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर सहित प्रदेश में अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक एवं विशेषज्ञ की उपलब्धता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित कर उनमें मानक के अनुरूप चिकित्सकों/विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के पत्र संख्या-4डी(2)/4609/2000/161-66, दिनांक 15 जनवरी, 2015 के सम्बन्ध में

23-श्री सन्त प्रसाद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4डी(2)/4609/2000/161-66, दिनांक 15 जनवरी, 2015 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम को हथियार बनाकर कर्मचारियों को ब्लैक मेल करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने इत्यादि आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बरेली मण्डल को जांच अधिकारी नामित किया गया था ? क्या सरकार द्वारा जांचोपरान्त दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जांच आख्या पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के कानपुर दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रांचल कालोनी के समीप मौरंग मण्डी से खाली करायी जमीन पर 100 शैय्या का आधुनिक अस्पताल ट्रामा सेन्टर खोलने विषयक

24-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किदवईनगर कानपुर नगर के कानपुर दक्षिण क्षेत्र में केन्द्रांचल कालोनी के समीप मौरंग मण्डी से खाली करायी जमीन पर 100 शैय्या का आधुनिक ट्रामा सेन्टर अस्पताल स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में रामादेवी, कानपुर नगर में ट्रामा सेन्टर स्थापित है, जिसकी दूरी मौरंग मण्डी से मात्र 10 कि0मी0 है। ट्रामा सेन्टर के मानकों के अनुसार दो ट्रामा सेन्टरों की बीच की दूरी लगभग 100 से 150 कि0मी0 निर्धारित है।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में हृदय रोग विशेषज्ञों की शीघ्र नियुक्ति करने की मांग

25-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में कितने हृदय रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने हृदय रोग

विशेषज्ञ किन-किन जनपदों में तैनात हैं ? क्या जिला अस्पतालों में रिक्त पदों पर हृदय रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में हृदय रोग विशेषज्ञ के 141 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 27 फिजीशियन चिकित्सकों, जो कार्डियोलाजिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोलाजी (एम0सी0आई0 द्वारा गैर मान्यता प्राप्त) 16 चिकित्सक भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे कुल 43 चिकित्साधिकारियों का जनपदवार विवरण संलग्न[†] है।

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक से कोई कैडर नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारियों में से विशेष चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

राज्य बजट द्वारा देवीपाटन मण्डल के जिलों में दवाओं व अन्य सामानों की खरीद-फरोख्त से सम्बन्धित

26-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य बजट द्वारा देवीपाटन मण्डल के जिलों में दवाओं व अन्य सामानों की खरीद फरोख्त के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि टेण्डर एवं कोटेशन द्वारा दवाएं व अन्य सामानों की आपूर्ति किन-किन फर्मों द्वारा की गयी है तथा उनके क्रय किये गये फर्मों के नाम व पते क्या-क्या है एवं किन-किन फर्मों को कब और कितनी धनराशि किस खरीददारी में भुगतान की गयी है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य बजट द्वारा देवीपाटन मण्डल के जिलों में दवाओं व अन्य सामानों की खरीद फरोख्त के लिये अपनायी गयी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अपर निदेशक, देवीपाटन मण्डल से सूचना एकत्र की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तीन तिमाही का बजट औषधियों के क्रय हेतु तथा अन्तिम तिमाही का 20 प्रतिशत बजट जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासन द्वारा आवंटित किया गया है तथा अन्तिम तिमाही का 80 प्रतिशत बजट उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 को आवंटित किया गया है।

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-251 पर।)

वर्तमान में दवाओं की खरीद फरोख्त के लिये खुली निविदा के माध्यम से उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से की जा रही है।

उ0 प्र0 मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 द्वारा खुली निविदा में योग्य पायी गयी फर्मों से दर अनुबन्ध किये जाने के फलस्वरूप 40 फर्मों को 109 दवाओं की आपूर्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को किये जाने हेतु क्रयादेश निर्गत किये गये हैं।

दवाओं की आपूर्ति हेतु फर्मों को भुगतान क्रयादेश में अंकित मात्रा का न्यूनतम 90 प्रतिशत आपूर्ति किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में हृदय रोग से सम्बन्धित बढ़ती हुयी मरीजों की संख्या को देखते हुए हृदय रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति कराने की मांग

27-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में हृदय रोग से सम्बन्धित बढ़ती हुयी मरीजों की संख्या को देखते हुए हृदय रोग विशेषज्ञों के पदों को सृजित कर नियुक्ति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 141 हृदय रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 43 पदों के सापेक्ष 16 डिपकार्ड, 05 कार्डियोलॉजी में प्रशिक्षित तथा अन्य 22 चिकित्सक तैनात हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों का कोई संवर्ग नहीं है। प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में वर्तमान में डी0एम0 कार्डियोलॉजी डिग्रीधारक कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं हैं तथा डिपकार्ड डिप्लोमाधारक चिकित्सकों की हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में मान्यता नहीं है।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में हृदय रोग विशेषज्ञों की संख्या शून्य होने के कारण नये पद सृजित कराया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के दृष्टिगत हृदय रोगियों का समुचित सही इलाज राजकीय मेडिकल कालेजों तथा चिकित्सा संस्थानों में ही सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के छपिया के स्थापित स्वामीनारायन छपिया मन्दिर को पर्यटन के रूप में स्थापित करने के सम्बन्ध में

28-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया में स्थापित स्वामीनारायन छपिया मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

जनपद गोण्डा के छपिया में स्थित स्वामीनारायन छपिया मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 90.42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 27.13 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है, जिसके अन्तर्गत पेयजल हेतु 05 नग वाटर क्यास्क, बेचे, आवागमन हेतु मन्दिर परिसर में सी0सी0 रोड, मन्दिर के प्रवेश पर इण्टरलॉकिंग एवं वहां स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण तथा मन्दिर को जाने वाले मार्गों पर साइनेज लगाने का कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के संविदा ए0एन0एम0 को नियमित रिक्त पदों पर समायोजित करने विषयक

29-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पोषण स्वास्थ्य से सम्बन्धित टीकाकरण, सफाई जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, परिवार नियोजन कार्यक्रम, संक्रामक रोग नियंत्रण, कुष्ठ रोग नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम, टी0बी0 नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं अन्य स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, पोलियो अभियान इत्यादि कार्यक्रमों का कार्य संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार संविदा ए0एन0एम0 को नियमित रिक्त पदों पर समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

जी नहीं। अधिसूचना संख्या-1366/पांच-10-2018-एफ-116/2015, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष/महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला का चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उ0 प्र0 द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 को संविदा के आधार पर एक वर्ष हेतु 03 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष हेतु 15 अधिमानी अंक प्रदान करते हुए चयन किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ में दुग्ध संग्रह केन्द्र के भवन के निर्माण कार्य की प्रगति सम्बन्धी

30-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ में दुग्ध संग्रह केन्द्र का भवन कहां-कहां पर स्थापित है तथा उनमें से कहां-कहां पर अर्द्धनिर्मित है ? क्या सरकार अर्द्धनिर्मित केन्द्रों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जनपद जौनपुर में 16, गाजीपुर में 41, वाराणसी में 03 एवं आजमगढ़ में 01 दुग्ध संग्रह केन्द्र (बीएमसी/दुग्ध समिति) भवन स्थापित है, जिनकी सूची संलग्न† है। कोई भी दुग्ध संग्रह केन्द्र अर्द्धनिर्मित/अपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के जिला मण्डलीय चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध मैं

31-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के जिला मण्डलीय चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग के सापेक्ष कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार जिला मण्डलीय चिकित्सालय में मानक के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मण्डलीय जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत 42 पदों के सापेक्ष 30 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों में से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-252 पर।)

जनपद आजमगढ़ के वि0 स0 क्षेत्र गोपालपुर में पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 पर दवाओं कि उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

32-श्री नफीस अहमद-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 अस्पताल में दवाओं के अभाव से गरीब मरीजों को इलाज कराने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद आजमगढ़ के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सभी जनमानस को बेहतर सुविधा दी जाती है, समस्त जांच निःशुल्क की जाती है एवं समस्त आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं।

समस्त केन्द्रों पर सभी औषधियां उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय तथा के0जी0एम0सी0 में वेन्टीलेटर उपलब्ध कराने की मांग

33-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय तथा के0जी0एम0सी0 में कितने-कितने वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं, उनमें से कितने चालू हैं और कितने वेन्टीलेटर कब से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार खराब वेन्टीलेटरों को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय लखनऊ में वेन्टीलेटर स्थापित नहीं है।

के0जी0एम0सी0 लखनऊ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं मानकानुसार चिकित्सकों की नियुक्ति का विवरण

34-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कुल कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा कितने केन्द्रों में मानक के

अनुसार चिकित्सक, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी आदि पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार मानक के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बागपत में 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उक्त प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार चिकित्सकों के 30 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता के आधार पर की जाती है। मानक के अनुसार सभी केन्द्रों में फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के वि0स0 क्षेत्र सोरांव में प्रा0 स्वा0 केन्द्र व सा0 स्वा0 केन्द्रों पर सृजित पद का विवरण

35-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा वर्ममान में कितने चिकित्सकों की तैनाती की गयी है ? क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कुल संख्या-01 हैं, जिस पर 02 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 03 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की कुल संख्या-05 है, जिस पर 05 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 04 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कुल संख्या-03 है, जिस पर 18 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 18 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

राजकीय महिला चिकित्सालय, सोरांव में 01 चिकित्साधिकारी का पद सृजित है, जिसके सापेक्ष 01 चिकित्साधिकारी कार्यरत है।

विधान सभा क्षेत्र सोरांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल 27 चिकित्साधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 27 चिकित्सक कार्यरत हैं। चिकित्साधिकारियों के कोई पद रिक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में इन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम विषयक

36-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में इन्सेफ्लाइटिस के प्रकोप को रोकने का प्रयास करने के बावजूद भी बच्चों के मरने का मानक कम नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त का क्या कारण है ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

पूर्वांचल के 14 जनपदों में वर्ष 2017 में इन्सेफेलाइटिस रोग से 3817 व्यक्ति ग्रसित हुये थे, जिसमें से 553 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जबकि वर्ष 2018 में इन्सेफ्लाइटिस रोग से 2043 व्यक्ति ग्रसित हुये और 187 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2019 में इन्सेफ्लाइटिस रोग से दिनांक 11-02-2019 तक मात्र 35 व्यक्ति ग्रसित हुये और किसी की मृत्यु नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के वि0स0 क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत भगहा एवं भग्गाड़वा में सरयू नदी के निकट पौराणिक मान्यता के अन्तर्गत नदी घाटों को पक्के कराने की मांग

37-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत भगहा एवं भग्गड़वा में सरयू नदी के निकट पौराणिक मान्यता के अनुसार मेला लगने वाले स्थानों पर नदी तटों पर पक्के घाटों का निर्माण कराया गया था जो टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नदी की सफाई करवा कर पक्के घाटों का पुनः निर्माण कराकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धी

38-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सभी चिकित्साधिकारियों के लिये आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में मात्र 04 चिकित्साधिकारी आवासों का निर्माण स्वीकृत है, जिन चिकित्सा अधिकारियों को आवास उपलब्ध नहीं होता है उन्हें वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

जनपद कुशीनगर में सी0एच0सी0 रामकोला में नियुक्त एम0ओ0आई0सी0 द्वारा सरकारी धन के गबन सम्बन्धी

39-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिशन निदेशक राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 का पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ का0 ऑडिट/2018-19/341/4772, दिनांक 04-08-2018 जो कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, जनपद कुशीनगर को सम्बोधित है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सी0एच0सी0 रामकोला में नियुक्त एम0ओ0आई0सी0 द्वारा सरकारी धन को अनियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खातों में हस्तान्तरित करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ऑडिट कमेटी जनपद कुशीनगर को राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/का0ऑडिट/2018-19/341/4772 दिनांक 04-08-2018 एवं विभिन्न अनुवर्ती पत्रों के माध्यम से उनसे प्रकरण की जांच कराकर गबन की गयी धनराशि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खाते में जमा कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, दवाइयों, भवन एवं स्टाफ की मांग

40-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में

चिकित्सकों, दवाइयों, भवन एवं स्टॉफ आदि अन्य सुविधाओं की पूर्ति सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं। दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। भवन वित्तीय वर्ष 2019-20 में तैयार होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना व राष्ट्रीय स्तर पर खर्च धनराशि का विवरण

41-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में दिनांक 01-04-2015 से दिनांक 28-01-2019 तक मुख्य चिकित्साधिकारी को कितनी-कितनी धनराशि कब-कब व किन-किन तिथियों में उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई तथा उक्त धनराशि विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के किस-किस सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त आवंटित धनराशि का ब्योरावार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर को राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गयी है :-

वित्तीय वर्ष	धनराशि लाख में
2015-16	3414.34
2016-17	3497.92
2017-18	4978.38
2018-19	5188.37

इसी प्रकार जनपद कुशीनगर द्वारा अपनी अधीनस्थ सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को निम्नानुसार आवंटित की गयी है :-

वित्तीय वर्ष	धनराशि लाख में
2015-16	2741.79
2016-17	3383.62
2017-18	3468.30
2018-19	2338.92

जी हां। आवंटित धनराशि का ब्यौरेवार विवरण की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(बहुत ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त)

प्रान्तीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ, उ0प्र0 के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 26-11-2018 को प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 भेजे गये पत्र से सम्बन्धित

43-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ, उ0प्र0 के अध्यक्ष का दिनांक 26-11-2018 में शिकायती-पत्र जोकि आयुर्वेदिक निदेशालय, उ0प्र0 में कनिष्ठ चिकित्साधिकारियों को तैनात करने विषयक है, आपको व प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन को भेजा है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के पद से क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उप निदेशक (यूनानी), उप निदेशक (प्रशासन), उप निदेशक, आयुर्वेदिक (शिक्षा), उप निदेशक (नियोजन), अपर निदेशक (शिक्षा), आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के पद प्रोन्नति के पद हैं जिन पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पदोन्नति का प्राविधान है। आयुर्वेद विभाग में लगभग 30 वर्षों के पश्चात् प्रथम बार दिनांक 26-12-2018 को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान की गयी है। नियमावली के प्राविधानानुसार क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पदों पर 02 वर्ष की मौलिक सेवा होने पर उप निदेशक पद पर, 02 वर्ष की मौलिक सेवा होने पर उप निदेशक से अपर निदेशक के पदों पर तथा अपर निदेशक के पद पर 02 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर निदेशक आयुर्वेद/यूनानी के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था है। इसी प्रकार मौलिक रूप से नियुक्त औषधि निरीक्षकों में से 07 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर प्रोन्नति की व्यवस्था है। वर्तमान में औषधि निरीक्षकों के पद पर लोक सेवा आयोग से चयन न होने के कारण ये पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में औषधि निरीक्षकों को सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर प्रोन्नत किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में निदेशालय में शासकीय कार्य हित में निदेशालय में कामचलाऊ

---

† (देखियें नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या-253-258 पर)

व्यवस्था के अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करके निदेशालय का कार्य संचालित कराया जा रहा है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

44-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति एवं पर्याप्त चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 नं0-465075, दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उक्त पत्र में जनपद-झांसी के अन्तर्गत सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों (विशेष कर महिला चिकित्साधिकारियों) की तैनाती स्वीकृत पदों के अनुरूप किये जाने एवं डिजिटल एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है। पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में महिला एवं पुरुष चिकित्साधिकारियों का पृथक-पृथक संवर्ग नहीं है।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की काफी कमी है। जनपद-झांसी के अन्तर्गत 08 ब्लाक स्तरीय सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर स्वीकृत 56 चिकित्सक पदों के सापेक्ष 32 चिकित्सक कार्यरत हैं, 24 पद रिक्त हैं। सामु0स्वा0 केन्द्र, गुरसरांय एवं बामौर पर चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गयी है। सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर डिजिटल एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड मशीन सी0एच0सी0 के उपकरणों के मानकों की सूची में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा देय बजट का विवरण

45-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राज्य बजट द्वारा देवीपाटन मण्डल के जनपदों हेतु

निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य के लिये कितना धन आवंटित हुआ है ? उक्त कार्य के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि टेण्डर एवं कोटेशन द्वारा कहां-कहां और कौन-कौन से निर्माण/अनुरक्षण कार्य किन-किन फर्मों द्वारा कितनी-कितनी धनराशि के कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

सूची संलग्न है।

संलग्न सूची के अनुसार ई-टेण्डर, टेण्डर एवं कोटेशन की प्रक्रिया अपनाई गयी है।

संलग्न सूची में वर्णित† है।

विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हास्पिटल अथॉरिटी आफ उत्तर प्रदेश बनाने के सम्बन्ध में

46-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिये हॉस्पिटल अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी क्लीनिकों, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, प्रयोगशाला, डाग्नोस्टिक सेन्टर व अन्य सभी प्रकार के निदान केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण इनके द्वारा जनता को सुलभ एवं सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं जनता को शोषण से बचाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट ऐक्ट लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है, जिसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय तथा जनपद स्तरीय समितियों एवं प्राधिकरण का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम लूम्ब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कराये जाने विषयक

47-श्री सहेन्द सिंह रमाला-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली, ग्राम लूम्ब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-259-262 पर)।

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

शासनादेश सं0-596(क)(1)/पांच-6-17 दिनांक 26-05-2017 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में चिकित्सीय/पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नये चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न की जाए तथा निर्मित/निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानक/वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्यवाही करने की प्राथमिकता निर्धारित की जाए।

बाराबंकी शहरी क्षेत्र के जिला महिला चिकित्सालय में बने 100 बेड महिला मैटरनिटी विंग को संचालन के सम्बन्ध में

48-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी शहरी क्षेत्र के जिला महिला चिकित्सालय में विगत 2 वर्षों से ज्यादा समय से बने 100 बेड महिला मैटरनिटी विंग को सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बाराबंकी शहरी क्षेत्र के जिला महिला चिकित्सालय में स्थित 100 बेड महिला मैटरनिटी विंग स्थानीय व्यवस्था पर उपलब्ध संसाधनों से क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में चन्द्रवार क्षेत्र के शिव मन्दिर के निकट यमुना नदी पर घाट निर्माण सम्बन्धी

49-श्री मनीष असीजा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में चन्द्रवार क्षेत्र, शिव मन्दिर के निकट यमुना नदी पर घाट निर्माण की योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद संख्या : 08 (पर्यटन स्थलों के विकास) में रुपये 292.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या : 5769/6-1-1(995)/2018, दिनांक 6-12-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में विधवा पेंशन को लाभार्थी के खाते में पहुंचाने की अधिकतम समय-सीमा तथा प्रक्रिया की जानकारी

50-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पति की मृत्यु के बाद कितने दिनों के अन्दर विधवा पेंशन बनाये जाने का प्राविधान है और ऑनलाइन आवेदन के कितने दिनों पश्चात् विधवा पेंशन सम्बन्धित के बैंक खाते में शासन द्वारा पहुंचाये जाने के नियम हैं ? क्या निर्धारित समय के बाद भी पात्र विधवा महिला को पेंशन न जारी करने के दोषी विभागीय अधिकारियों को दण्डित करने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की अधिकतम समय-सीमा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के दिनांक से अधिकतम 04 माह है। चार चरणों की वांछित प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूर्ण होने पर समस्त पात्र महिलाओं को पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाता है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाली प्रत्येक पात्र महिला को निर्धारित समय में निश्चित रूप से पेंशन का भुगतान किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्रक्रिया पूर्णरूपेण ऑनलाइन, पारदर्शी एवं समयबद्ध है।

तदैव।

तदैव।

प्रदेश में तैनात कर्मियों को प्राइवेट अस्पताल से इलाज में खर्च धनराशि के भुगतान की जानकारी

51-श्री पारसनाथ यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात सरकारी कर्मियों द्वारा प्राइवेट अस्पताल में कराये गये इलाज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त कारणों का निराकरण कर सरकार उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (प्रथम संशोधन 2014 एवं द्वितीय संशोधन 2016) में निहित प्राविधानों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में रेप पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास दिलाये जाने विषयक

52-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेप पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना से जनपद गौतमबुद्धनगर में पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

हां, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत रेप पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में सामूहिक बलात्कार (धारा-376 डी) एवं पाक्सो अधिनियम, 2012 की धारा-04, 05 तथा 06 के अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों के दौरान कुल 38 पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के ग्राम रमाला में चल रही पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाने की मांग

53-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ग्राम रमाला में स्थापित एक पी0एच0सी0 चिकित्सीय सुविधा में कमी होने के कारण अधिकांश मरीजों को बड़ौत, मेरठ, शामली, दिल्ली आदि स्थानों हेतु रेफर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त पी0एच0सी0 को अपग्रेड करके आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त सी0एच0सी0 सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्राथ0 स्वा0 केन्द्र में मानक के अनुसार उपलब्ध संसाधनों से मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। केवल गम्भीर रोग से पीड़ित मरीजों को ही अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सालयों के लिये रेफर किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में मानक के अनुसार पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व जनपद सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति सुधारने एवं डाक्टरों की तैनाती सम्बन्धी

54-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् कांधला एवं कैराना, नगर पंचायत झिंझाना, थानाभवन व नगर पंचायत जलालाबाद, जनपद शामली व नगरपालिका परिषद् गंगोह, नकुड़, सरसावा एवं नगर पंचायत चिलकाना के क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की तैनाती, मेडिसिन की कमी आदि की व्यवस्था क्या सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की अत्यन्त कमी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवायें उपलब्ध कराने का दायित्व चिकित्साधिकारियों का है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का संचालन माह मई, 2018 से प्रारम्भ होने के उपरान्त अभी तक आवश्यक दवाओं हेतु 07 निविदायें पूर्ण करते हुये 248 दवाओं की दर अनुबन्ध किये जा चुके हैं, जिसके फलस्वरूप 233 दवाओं के अध्यादेश जारी कर दिये गये हैं। जारी क्रयादेश के क्रम में 121 दवाओं की आपूर्ति सप्लायर फर्मों द्वारा चिकित्सालयों तथा मुख्य चिकित्साधिकारी भण्डारों को की जा रही है। शेष दवाओं की आपूर्ति शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र छपरौली में बरनावा तहसील में महाभारत कालीन लाक्षागृह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने विषयक

55-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की बरनावा तहसील में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह जो जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद बागपत की बरनावा तहसील में स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। प्रश्नगत स्थल को पर्यटन स्थल के रुप में विकसित कराये जाने हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत रु0 145.04 लाख की प्रायोजना स्वीकृत है, जिसमें लैण्ड स्केप, गार्डेन्स, पार्किंग, टायलेट

ब्लाक्स, सोलर लाइट, स्ट्रीट फर्नीचर, असेस रोड, ओपेन एयर थियेटर, डस्टबिन्स, साइनेज, पेव्ड पाथवेज, फर्स्ट ऐड व हेल्थ कियास्क के पर्यटन विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में दूघ डेरियों द्वारा प्रतिबन्धित इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने एवं रसायन/कीटनाशकों के प्रयोग से हरे चारे तैयार करने के रोकथाम की कार्य योजना

56-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध डेरियों में प्रतिबन्धित इंजेक्शन लगा कर निकाले गये दूध एवं रसायन/कीटनाशकों के प्रयोग से तैयार हरे चारे के प्रयोग से संक्रमित दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

1-प्रतिबन्धित इन्जेक्शन ऑक्सीटॉसिन का प्रयोग पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश शासन, पशुपालन विभाग एवं सोसायटी फॉर प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (ए0पी0 सी0ए0) के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त औषधि निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, डेयरी विभाग, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से भी ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन का प्रयोग डेयरी उद्योग में पाले गये दुधारू पशुओं से उनका दूध निकालने के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जा चुका है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।

2-पी0सी0डी0एफ0 द्वारा प्रदेश के चयनित जनपदों के मिल्क रूट पर ग्रामीण अंचलों के दुग्ध उत्पादकों से सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दूध उपार्जित किए जाने वाले दूध की गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाती है तथा पशुपालकों को इस संदर्भ में जागरूक भी किया जाता है।

पी0सी0डी0एफ0 द्वारा वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक दूध की जांच हेतु एफ0एस0एस0ए0आई0 के निर्धारित मानक के अनुरूप परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण हेतु रुपए 185.67 करोड़ का प्रस्ताव एनिमल हसबेन्ड्री, डेरी एवं फिशरीज, भारत सरकार को आवश्यक मशीनरी हेतु नवम्बर, 2018 में प्रेषित किया गया है।

3-संक्रमित दूध के रोकथाम का कार्याधिकार क्षेत्र एफ0एस0एस0ए0आई0 के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के ब्लाक बामौर एवं गुरसराय में नवीन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सकों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए0एन0एम0 की नियुक्ति एवं प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख-6 नं0-142438 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

57-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के ब्लाक बामौर एवं गुरसराय में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए0एन0एम0 की नियुक्ति कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6 नं0-142438 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

जनपद-झांसी के ब्लाक स्तरीय सी0एच0सी0 गुरसराय के अन्तर्गत 05 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिनमें कुल 10 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 02 चिकित्सक कार्यरत हैं। रिक्त 08 नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों पर नजदीकी स्वास्थ्य इकाई क्षेत्र के चिकित्सकों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी निर्धारित कर चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

सी0एच0सी0 गुरसराय के अन्तर्गत कुल 47 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिनमें 47 ए0एन0एम0 के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 23 ए0एन0एम0 तैनात/कार्यरत हैं एवं रिक्त 24 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नजदीक क्षेत्र में तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 द्वारा संबंधित उपकेन्द्र के कार्यों का संचालन किया जा रहा है।

जनपद झांसी के ब्लाक स्तरीय सी0एच0सी0 बामौर के अन्तर्गत 05 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिनमें कुल 10 चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 04 चिकित्सक कार्यरत हैं। रिक्त 06 नवीन स्वास्थ्य केन्द्रों पर नजदीकी स्वास्थ्य इकाई क्षेत्र के चिकित्सकों की रोस्टर अनुसार ड्यूटी निर्धारित कर चिकित्सीय कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

सी0एच0सी0 बामौर के अन्तर्गत 47 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिनमें 47 ए0एन0एम0 के पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 25 ए0एन0एम0 तैनात/कार्यरत हैं एवं रिक्त 22 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नजदीक क्षेत्र में तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0सी0 द्वारा सम्बन्धित उपकेन्द्र के कार्यों का संपादन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में वि0स0 क्षेत्र हण्डिया में सामु0 स्वा0 केन्द्र उपरदहा में तैनात डाक्टरों एवं अधीक्षक द्वारा लापरवाही की सूचना

58-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपरदहा में तैनात डाक्टरों एवं अधीक्षक

की लापरवाही के कारण दो माह के अन्दर कई प्रसव पीड़ित महिलाओं की आपरेशन के उपरान्त मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों से माईक्रोन्यूटिएन्ट तत्वों पर टैक्स लेने के सम्बन्ध में

59-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सूक्ष्म पोषक तत्व यथा जिंक, आयरन, कापर, मैगनीज पर 18 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति उक्त टैक्स को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

कृषि में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत न होकर 12 प्रतिशत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वस्तुओं पर सेवाओं पर कर की दर के सम्बन्ध में संस्तुति करने का अधिकार जी0एस0टी0 काउन्सिल में निहित है।

जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों पर विचार हेतु फिटमेन्ट कमेटी का गठन किया गया है।

जिंक सल्फेट एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों पर कर की दरों में कमी किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से प्रस्तुत यह प्रस्ताव फिटमेन्ट कमेटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

जनपद शामली के ग्राम भूरा, ब्लाक कैराना निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने की मांग

श्री नाहिद हसन-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के ग्राम-भूरा, ब्लाक-कैराना में मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज का कार्य सरकार निश्चित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जनपद शामली के ग्राम भूरा ब्लाक, कैराना में मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत 03 राजकीय बालिका इण्टर कालेज स्वीकृत है, जिसकी कुल लागत रु0 348.50 लाख अनुमोदित है। कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को प्रथम किस्त की धनराशि रु0 174.25 लाख दिनांक 28-02-2014 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। द्वितीय किश्त की धनराशि (केन्द्रांश) भारत सरकार के पत्र दिनांक 26-07-2018 द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज के स्थान पर राजकीय इण्टर कालेज के लिए निर्गत की गयी है। उक्त विसंगति को ठीक करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव किरठल में निर्माणाधीन पालीटेक्निक कालेज की चहारदीवारी (बाउण्ड्रीवाल) बनवा कर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाने की मांग

61-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव किरठल में निर्माणाधीन पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पालीटेक्निक का शिक्षण कार्य सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जनपद बागपत के क्षेत्र छपरौली के गांव किरठल में एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत दो छात्रावासों सहित एक राजकीय पालीटेक्निक स्वीकृत है। निर्माण हेतु प्रथम किस्त रुपये 615.00 लाख दिनांक 19 अप्रैल, 2011 द्वारा एवं द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 615.00 लाख 11-07-2013 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। प्रशासनिक भवन, वर्कशाप, ओवर हैंड टैंक, पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो गया है। ब्वायज हास्टल का कार्य भू-तल तक पूर्ण है तथा आवासीय भवनों का कार्य प्लिंथ स्तर तक पूर्ण है। कुल 64 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।

सत्र 2016-17 से राजकीय पालीटेक्निक किरठल की कक्षायें वैकल्पिक आधार पर राजकीय पालीटेक्निक सहारनपुर में संचालित की जा रही हैं।

शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

(श्री मो0 फईम इरफान और श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी बात कह लें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसी बातचीत हुई उसको खोलेंगे नहीं, आप तो जान ही रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न थे विपक्ष के पास जो आगे उठाने की सोच रहे थे, अब तो उसका मौका मिलेगा नहीं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला था, सी0आर0पी0एफ0 की घटना के पहले छात्र पर देशद्रोह का मुकदमा लगा था वह मामला था। इसमें से जो सबसे बड़ा मामला था वह इस सदन में सबसे आर्थिक रूप से कमजोर, हम तो यह मानकर चलते हैं कि सारे मा0 सदस्य कमजोर आर्थिक स्थिति के हैं लेकिन सबसे कमजोर आर्थिक स्थिति के हमारे एक सदस्य हैं कल्पनाथ पासवान जी, यक एक बार पांच लाख और दूसरी बार पांच लाख, कुल 10 लाख रुपए निकाल करके ले जा रहे थे गांव घर बनवाने के लिए जो ईंट, सीमेंट उधार लिये उसको देने के लिए लेकिन बीच में वह चोरी हो गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनकी दो मिनट बात सुन लीजिए क्योंकि परम्परा में है कि विधायक की बात सुनी जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इनकी बात जरूर सुन लें और कार्रवाई जरूर करायें क्योंकि ये नामजद एफ0आई0आर0 दे रहे हैं लगभग एक-डेढ़ महीना हो गया है वह भी नहीं लिखी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा करते हैं कि पहले निधन के निदेश ले लें, फिर नियम-301 की घोषण कर दें उसके बाद आपको सुन लेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राज बृजराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे शोक समाचार देना है। इस आदरणीय सदन उत्तर प्रदेश विधान के भूतपूर्व सदस्य श्री राज बृजराज सिंह का 28 जनवरी, 2019 को निधन हो गया, वे लगभग 77 वर्ष के थे। वे 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र श्रीनगर, जिला लखीमपुर खीरी से इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह लखीमपुर खीरी के प्रख्यात किसान नेता थे, कृषक महासंघ के अध्यक्ष भी रहे थे और वह राजा दिग्विजय माध्यमिक विद्यालय, लखीमपुर खीरी के प्रबन्धक भी थे, लेखन में भी उनकी रुचि थी। उनके निधन से हम लोगों ने अपना एक भूतपूर्व सहयोगी और उत्तर प्रदेश ने एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है। पूरा सदन शोकाकुल है, मैं इस आदरणीय सदन का शोक उनके परिजनों तक पहुंचाऊंगा। आइये, हम सब उनकी स्मृति में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उठा दूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, पहले मा0 विधायक जी को सुन लीजिए उसके बाद इन्हें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पासवान जी आप बोलिये लेकिन आपकी सूचना नहीं है इसलिये मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होगा फिर भी संसदीय कार्य मंत्री जी आप इन्हें सुन लें।

श्री कल्पनाथ पासवान द्वारा व्यवस्था के अन्तर्गत उनके साथ हुई रुपये 10 लाख की धोखाधड़ी का व्यक्तिगत प्रकरण

श्री कल्पनाथ पासवान-

आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, उस बड़ी दुर्घटना को मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछली बार विधान सभा चल रही थी। दिनांक 19 व 20 दिसम्बर को मैंने सचिवालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पांच-पांच लाख रुपये दो बार में निकाला था। मान्यवर, इस पैसे की लेकर मैं 22 तारीख को आजमगढ़ गया। लगभग 05:00 बजे सायं के आस-पास आजमगढ़ पहुंच करके घर पर फोन किया कि वाहन लेकर आजमगढ़ आ जाओ। मान्यवर, आजमगढ़ से हमारे घर की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है। घर से वाहन लेकर आने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिये मैंने अपना समय व्यतीत करने के लिये होटल गरूड़ में पहुंचा और अटैची बगल में रखकर समाचार-पत्र पढ़ने लगा। मान्यवर, थोड़े समय पश्चात् होटल मालिक श्री विजन सिंह होटल पर पहुंचे और हमारी अटैची उठा लिये। मैंने उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन तुरन्त अपने नौकर को अटैची पकड़ा दिया और कहा कि बगल के कमरे में अटैची रख दो। मान्यवर, मैंने कहा कि नहीं-नहीं, आप अटैची नहीं ले जा सकते। तब उन्होंने कहा कि विधायक जी, आप क्यों परेशान हैं ? तब तक अपने एक नौकर से कहा कि विधायक जी के लिये चाय ले आओ। लड़के ने चाय लाकर सामने रख दिया। मान्यवर, यही मुझसे गलती हुई कि मैं चाय पीने लगा। मान्यवर, मेरी अटैची में धनराशि रु0 10 लाख था। मैंने अपने जीवन में रु0 10 लाख नहीं देखा था। मान्यवर, अगर मैं विधायक नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी धनराशि नहीं देख पाता। मैंने उस होटल मालिक से कहा कि मैं छत लगवाने के लिये धनराशि रु0 10 लाख लेकर आया था, इस पर वह कुछ नहीं बोला। 12:30 बजे रात्रि तक मैं अनुनय-विनय के साथ प्रार्थना करता रहा, लेकिन मेरी कुछ नहीं सुनी गयी। रात्रि 12:30 बजे के बाद कहा कि ऐसा करिये कि आप घर जाइये, एक दिन का समय दे दीजिये, मैं पूछ-तांछ करता हूं। मान्यवर, मैं अपने घर चला गया, लेकिन पूरी रात्रि तकलीफ से नींद नहीं आयी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं सुबह 07:00 बजे पुनः होटल पर पहुंच गया। होटल पर पहुंच कर फिर अनुनय-विनय किया, इस पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये मारने को झपटा। इसके बाद मैं तुरन्त कप्तान साहब के यहां पहुंचा। कप्तान साहब से भी बड़ा अनुनय-विनय किया, पास-बुक भी दिखाया। उन्होंने कहा कि पैसा आपका जरूर गया है। मैं पैसा निकालूंगा, आप

चिन्ता मत कीजिये। मैंने कहा कि मान्यवर, मैं गरीब आदमी हूं। मैंने कभी इतना रुपया नहीं देखा था। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हो गयी कि मैं विधायक हो गया, तब जाकर यह धनराशि रु0 10 लाख देख लिया। मान्यवर, आपको मैं युधिष्ठर समझता हूं, आप सत्यवादी हैं, मेरे साथ आप न्याय करेंगे। मान्यवर, अगर मेरा रु0 10 लाख नहीं मिला तो निश्चित रूप से मैं मर जाऊंगा। अभी सदन जिस तरह से विधायकों के न रहने पर शोक-श्रद्धांजलि अर्पित करता है, मान्यवर, वही स्थिति मेरी होगी आज सदन में मैं रो रहा हूं, कल पूरा सदन रोयेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, सभी मा0 सदस्यों की सहानुभूति आपके साथ है।

श्री कल्पनाथ पासवान-

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप न्याय करें। मान्यवर, मेरे साथ यहां तक हुआ है कि आज तक मेरी एफ0आई0आर0 तक नहीं दर्ज की गयी है। मैं कहां जाऊं, मैं पूरे सदन से प्रार्थना कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मान्यवर, मैं किनके यहां जाऊं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अगर मुझे मेरा रुपया नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जीवित नहीं रहूंगा। मान्यवर, आप कहते हैं कि गरीबों की, किसानों की हम मदद करते हैं। मान्यवर, मैं किसान हूं, गरीब हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा रुपया दिलवाइये नहीं तो मैं मर जाऊंगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, आज मा0 विधायक जी को आपने सुनने का अवसर दिया। यह विषय हमारे विपक्ष के मा0 सदस्य ने दिया था। जिस दिन दिया था, उसी दिन यह मेरे कक्ष में गये थे ओर मैंने उसी समय गृह सचिव और आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को फोन किया था। मान्यवर, पैसा तो गया होगा यह विवादित नहीं है लेकिन किसने लिया, यह निश्चित नहीं हो पाया। हम इसकी रिपोर्ट आज ही मंगवा लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत भी कर देंगे। यह दुःख की बात है कि माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से यहां पर अपना पक्ष रखा। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है। मान्यवर, मैं आज ही रिपोर्ट मंगवा कर और कोशिश करेंगे कि इनके साथ न्याय हो।

(स0पा0 के श्री हाजी इरफान सोलंकी व अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें कोई चर्चा तो है नहीं।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मेरे साथ भी इसी तरह की घटना हुई है। मैं गोमती नगर में एक होटल में बैठकर चाय पी रहा था और बगल में ही ए0डी0जी0 की भी गाड़ी खड़ी थी। मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर मेरे सामान की चोरी कर ली गयी जिसमें लैपटॉप व अन्य सामान था।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। आप क्यों खड़े हैं, अब गाड़ी के शीशे पर थोड़े ही बात होगी ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

सोलंकी जी का भी मामला है। एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी की गाड़ी के साथ ही इनकी गाड़ी खड़ी थी शीशा तोड़ करके इनका पैसा-रुपया, आईडेन्टिटी कार्ड वगैरह सब सामान निकाल लिया गया और इनकी भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी। श्री कल्पनाथ पासवान जी की भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी, हमारी पार्टी के विधायक भी पुलिस कप्तान के पास आज तक दौड़ते रह गये लेकिन एफ0आई0आर0 तक नहीं दर्ज हुई ? माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मा0 विधायक जी ने नामजद रिपोर्ट के लिये लिख करके दे दिया तो एफ0आई0आर0 हो जाये और जांच शुरू हो। मान्यवर, एक विधायक का एफ0आई0आर0 ही न लिखा जाये तो यह सबसे बड़े दुःख की बात है। इसलिय मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहूंगा कि मा0 सदस्य का एफ0आई0आर0 तो हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय विधायक जी ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि मेरी रिपोर्ट लिख दी जाये। हमने तो न्याय की बात कही कि न्याय होगा और आज ही के लिये कहा। उन्होंने, हमारा रुपया दिलवा दिया जाये यह तो मांग करी लेकिन रिपोर्ट लिखाने की बात नहीं कही।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय सदस्य दुःख में रो रहे थे, उनको शब्द नहीं याद आया तो मैंने आपको याद दिला दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

रिपोर्ट लिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है न कोई बाधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(स0पा0 के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

सब लोग एक साथ बोलोगे तो कैसे नियंत्रण होगा ?

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, हमारी भी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

आजमगढ़ के एस0एस0पी0 के यहां प्रार्थना-पत्र पड़ा हुआ है। मा0 विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी साथ में थे और एस0एस0पी0 को प्रार्थना-पत्र दिया गया था। मान्यवर, आप एफ0आई0आर0 करवा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एफ0आई0आर0 चाहेंगे तो आज ही लिख जायेगी, एफ0आई0आर0 लिखने में न कोई दिक्कत है, न कोई हीलाहवाली है। लेकिन मा0 सदस्य ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी, उनके साथ तो न्याय यही होगा कि किसी न किसी तरीके से उनके रुपये मिल जायं, तो मैंने तो उसके लिये कहा, आप तो पीछे हट रहे हो। मैंने तो आगे बढ़कर बात की। हमने कहा कि उनके साथ न्याय हो। हम आज ही रिपोर्ट मंगा लेंगे।

(हाजी इरफान सोलंकी अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहते रहे जो सुनाई नहीं दे रहा था।)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात नेता प्रतिपक्ष ने कह दी है, आप बैठिये।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, महाना जी की बहू का खोया हुआ सामान मिल गया, मैंने महाना जी को बधाई दी और मैंने उसी दिन मा0 सुरेश खन्ना जी से कहा कि मेरा भी एफ0आई0आर0 लिखवा दीजिये लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं लिखवायी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, बैठिये, आपकी बात आ गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप लगातार कह रहे हैं। 4 मिनट से बोल रहे हैं तो और किस तरह से कहा जाता है।

हाजी इरफान सोलंकी-

मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये। राम गोविन्द जी, आपकी बात कर चुके हैं।

हाजी इरफान सोलंकी-

वह तो मेरे बुजुर्ग हैं। अध्यक्ष जी, मेरी बात तो आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

बात आ गई है। कार्यवाही में लिखी जा रही है। अब आप बैठिये। आपने सुना नहीं। उनको हमने कह दिया है कि आपका मामला भी देख लें।

हाजी इरफान सोलंकी-

6 बार तो मैं लिख कर दे चुका हूं इनको।

श्री अध्यक्ष-

अब आपको चिल्लाना हो तो चिल्लाइये। मैं क्या करूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि एफ0आई0आर0 दर्ज होना एक कानूनी प्रक्रिया है और होना चाहिये। अगर एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज की गई इन दोनों माननीय सदस्यों की तो जो व्यक्ति एफ0आई0आर0 दर्ज न करने का दोषी है उसके खिलाफ भी तो कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक हमारे गाजीपुर के माननीय सदस्य को चोट कैसे लगी वेल मे यह इन लोगों से पूछिये। इनसे यह पूछा जाये कि उनको चोट कैसे लगी कि उनको अस्पताल जाना पड़ा।

श्री लाल जी वर्मा-

यह विषय नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विषय क्यों नहीं है। गाजीपुर के विधायक को चोट कैसे लगी ?

श्री अध्यक्ष-

उस विषय पर भी एक पर्ची हमारे पास आई है। एक माननीय सदस्य की।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कानपुर के विधायक जी हैं यह होटल में चाय पी रहे थे या खाना खा रहे थे। इनकी गाड़ी पुलिस के बड़े अधिकारी के पास खड़ी थी। जब लौटकर आये तो गाड़ी का शीशा फोड़कर इनका सामान गायब मिला। इन्होंने संसदीय कार्य मंत्री जी से भी कहा, महाना जी से भी कहा, लिख कर भी दिया तब भी आज तक न एफ0आई0आर0 हुई न कुछ हुआ। ऐसा ही हमारे विधायक कल्पनाथ जी का था। इतने दिन हो गये। हमारे वरिष्ठ विधायक लोग एस0एस0पी0 से मिले, आग्रह किया कि जब एफ0आई0आर0 होगी तब ही तो पैसे की वसूली होगी। लेकिन एफ0आई0आर0 नहीं हुआ। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन दोनों माननीय सदस्यों की तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज करके इन दोनों का जितना चोरी गया है उसको वापस दिलाने में सरकार पूरी ताकत दिखाये।

(सदस्य श्री नितिन अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको क्या कहना है। सब लोग कह रहे हैं तो विषय गड़बड़ाया जा रहा है।

श्री नितिन अग्रवाल द्वारा व्यवधान के मध्य श्री राज्यपाल अभिभाषण के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन में एक सदस्य को लगी चोट का कारण जानने हेतु कमेटी गठित करने की मांग

***श्री नितिन अग्रवाल-**

मान्यवर, मुझे इस विषय पर नहीं बोलना है। जो विषय मैं बोलना चाहता हूं वह सदन के एक माननीय सदस्य से जुड़ा है इसलिये मैं बोलना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक परम्परा है सदन का सत्र हर साल जब शुरुआत होती है और जब पहला अधिवेशन बुलाया जाता है तो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है। जब माननीय राज्यपाल जी अभिभाषण देने आते हैं तो सरकार की प्राथमिकताएं भी प्रदेश के दोनों सदनों के बीच रखते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर धन्यवाद प्रस्ताव हो चुका है।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिये। 5 तारीख को सदन शुरू हुआ माननीय राज्यपाल जी अपना अभिभाषण देने आये लेकिन सदन की भी एक यह परम्परा हो गई पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष उस अभिभाषण को नहीं होने देता है।

श्री अध्यक्ष-

आज आपको क्या कहना है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। 5 तारीख को अभिभाषण देने माननीय राज्यपाल आये और यह सम्मान की बात है सदन के लिये कि साल में एक बार ही माननीय राज्यपाल जी आते हैं। जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण शुरू हुआ तो विपक्ष ने वेल में आकर अभिभाषण का विरोध किया।

श्री लाल जी वर्मा-

पहले यह जान लें कि यह विपक्ष के हैं कि सत्ता पक्ष के।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा में बात रखने में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको छूट है।

श्री नितिन अग्रवाल-

उनके एक सदस्य जो हमारे भी करीबी हैं सुभाष पासी वह बेहोश हो गये और उनको गम्भीर चोटें आईं उनका इलाज मेडिकल कालेज में हुआ और आज स्थिति यह है कि आज लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि कम से कम एक कमेटी गठित कर दें और यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय कि आखिर विपक्ष के एक माननीय सदस्य को गम्भीर चोटें कैसे आईं और यह किसकी साजिश है। यह सारी बातें सदन के सामने आ जायं।

श्री मो0 इरफान फहीम-

माननीय अध्यक्ष जी, यह किस बेस पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कोई भी बोल सकता है।

श्री मो0 इरफान फहीम-

अध्यक्ष जी इन्होंने एक मिनट के अन्दर एक विधायक जो यहां पर मौजूद नहीं हैं उसके बारे में इन्होंने किस बेस पर कहा। यह सत्ताधारी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

विधान सभा मण्डप में संविधान निर्माता श्रद्धेय डा0 बी0आर0 अम्बेडकर जी का तैलीय चित्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माननीय उमाशंकर सिंह जी का एक औचित्य का प्रश्न है जो विधान सभा मण्डप के अन्दर संविधान के निर्माता बी0 आर0 अम्बेडकर जी का चित्र स्थापित करने के सम्बन्ध में है। हम इस पर विचार करेंगे आपका सुझाव अच्छा है।

श्री उमाशंकर सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[12:40] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनायें लेते हैं। आज कुल 42 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं परीक्षण किया गया और यह तय किया गया कि सभी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

पहली सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अनाज निगम अधिकारियों के द्वारा की जा रही घटतौली रोकने एवं जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत ग्राम सभा बण्डा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लवाँ की नहर पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट अन्तर्गत बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क के नीचे बने नाले का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर-दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के कमला नगर बृज विहार फेज-3 में सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाह-शाह अन्तर्गत ग्राम सभा शाखा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद संतकबीरनगर में मत्स्य पालन शिविर में नीलामी से प्राप्त हुये पट्टेदारों के तालाबों का अनुबन्ध आदेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर देहात में घाटमपुर से लेकर सिकन्दरा तक मुगल रोड को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर अन्तर्गत बहलवा से नयाखेड़ा होते हुये बन्दीमाता मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद रेउसा बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अन्तर्गत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने तथा जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम हुसैनपुर के राम जी तिवारी का विद्युत कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा में एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड, दवा एवं चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत रसड़ा नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित जर्जर एवं निष्प्रयोज्य हो चुके रोडवेज बस स्टेशन का सौन्दर्यीकरण एवं पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं

सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर स्थित गोमती नदी में कलीचाबाद घाट पर स्वीकृत पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में उत्तम शुगर मिल, बरकातपुर द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्यकी जनपद लखनऊ के ग्राम मोहनलालखेड़ा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर में जल निगम द्वारा बिना कार्य पूर्ण किये रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आठ करोड़ की जमानत राशि रिलीज करने व अमृत कार्यक्रम में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत दया छपरा नौरंगा-चक्की नौरंगा प्रधानमंत्री सड़क कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की जनपद बलिया सदर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नसीराबाद में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मोहल्ला कानूनगोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर स्थित पवारा नहर से ग्राम सजईकला तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित हैदराबाद से बखरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत देवाना कुर्चा रोड से हुसैनपुर सकरवारी चौहान बस्ती तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पल्हना में बेसो नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियाँव अन्तर्गत अम्बरपुर बाजार के पास से बृह्मबाबा होते हुए मुण्डेरा पिच तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री सहेन्द्र सिंह चौहान की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के कतिपय ग्रामों में तालाबों की खुदाई व चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत उन्नाव-जमुका-पड़री मंगतखेड़ा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री असलम अली की जनपद हापुड़ के एन0 एच0-24 रिलाइन्स रोड से ग्राम भोवापुर होते हुये ग्राम मदापुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत कामाख्या मन्दिर को जोड़ने वाला अमानीगंज-सैदपुर से सुनबा मार्ग की मरम्मत एवं उक्त मार्ग पर वेतवा नाले पर निर्मित रपटा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट' की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत ग्राम अहिनिवार में स्थित यक्ष सरोवर को संरक्षित

कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद बदायूं के ब्लाक कादर चौक अन्तर्गत ककोड़ा ग्राम पंचायत में डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कौंधियारा के ग्राम पंचायत जोकनई में गोवंश आश्रय स्थल बनाये जाने पर अराजक तत्वों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय स्थानों पर पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड की अल्प विकसित मलिन बस्ती में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ विल्सन बाग कालोनी में डाक्टर सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालिसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम घूघुलपुर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय स्थानों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद फतेहपुर में बी0एस0ए0 द्वारा सी0सी0एल0 स्वीकार करने के नाम पर अध्यापिकाओं का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, तथा बयालीसवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में अनाज निगम अधिकारियों द्वारा की जा रही घटतौली रोकने एवं जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सरकारी राशन कोटेदारों को जाने वाले राशन (गेहूं व चावल) की प्रत्येक बोरे में घटतौली की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से निकलने वाले प्रत्येक बोरे से लगभग 5 से 10 किलो अनाज निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से निकाल लिया जाता है। जिससे राशन कोटेदारों को अनाज कम प्राप्त होता है और वह आगे सामान्य जनता में राशन वितरण के समय राशन कम देते हैं। क्षेत्रीय जनता तथा मेरे द्वारा स्थानीय स्तर पर उक्त प्रकरण की शिकायत कई बार की गई है, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त घटतौली को रोकने के लिये भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों व दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां अन्तर्गत ग्राम सभा बण्डा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-134, पुवायां के जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बण्डा में ग्राम सभा बण्डा है, जिसकी आबादी काफी अधिक होने के कारण ग्राम सभा बण्डा को नगर पंचायत बण्डा बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लावां की नहर पटरी पक्की कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-247, पयागपुर, जनपद बहराइच सरयू नहर खण्ड-5 के अन्तर्गत सरयू नहर गोण्डा ब्रान्च, ब्लाक पयागपुर अन्तर्गत ग्राम अमदापुर व मल्लव के निकट लगभग 500 मीटर नहर की पटरी कच्ची है तथा जगह-जगह गड्ढे बन गये हैं जिससे आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोकमहत्व के इस महत्पूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवशेष पक्की नहर पटरी बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट अन्तर्गत बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क के नीचे बने नाले का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी के अन्तर्गत औलिया रोड चौराहा के पास कुम्हारपाड़ा की तरफ से मेन रोड बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय के सामने सड़क के नीचे बने बड़े नाला की दिशा ठीक न होने एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण गन्दा पानी का बहाव ठीक नहीं है। पानी पूरे प्रवाह से नहीं निकल पाता है। इस कारण बरसात के समय सड़क पर पानी भर जाता है। जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जनहित में उक्त नाला का पुनः निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला बरेली के विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

1-साँसिया गौटिया से फतेहगंज पूर्वी (वि0खं0 फरीदपुर)।

2-मैनी से अमरेख (वि0खं0 फरीदपुर)।

3-गौसगंज क्रासिंग से बिलहरा होते हुए कीरतपुर परेवा (वि0खं0 फरीदपुर)।

4-डड़िया नवाजिश अली से बमिया शंकरपुर (वि0खं0 भूता)।

5-बीसलपुर मार्ग से मिलक गौटिया तक (वि0खं0 भूता)।

6-ब्रह्मपुर से फरीदपुर चीनी मिल तक (वि0खं0 फरीदपुर)।

नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर-दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जिला सुल्तानपुर मुख्यालय से एक राजमार्ग मोतिगरपुर-दोस्तपुर होकर अम्बेडकरनगर को जोड़ता है। इस राजमार्ग का सुल्तानपुर से मोतिगरपुर एवं दोस्तपुर से अम्बेडकरनगर तक के भाग का चौड़ीकरण पहले हो चुका है। किन्तु बीच में मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 कि0मी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण न होने के कारण जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। जनहित में उक्त मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 कि0मी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह राजमार्ग मेरी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत आता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 कि0मी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के कमलानगर बृज विहार फेज-3 में सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, आगरा महानगर के कमलानगर बृज विहार फेस-3 की लगभग 300 मीटर की सड़क जर्जर है। जिसके कारण नालियों का गन्दा पानी सड़क पर बहता है। जिससे यहां के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यहां की जनता में भारती रोष है। जनहित में इस सड़क को बनना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर कमलानगर बृज बिहार फेस-3 की लगभग 300 मीटर की जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह अन्तर्गत ग्राम सभा शाखा में पं0 दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विकास गुप्ता-

[महोदय, जनपद फतेहपुर विधान सभा-241, अयाहशाह के विकास खण्ड बउवा ग्राम सभा शाखा में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने हेतु जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटित/उपलब्ध करा दी गयी है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं है तथा उक्त विधान सभा अत्यन्त पिछड़ती तथा आजादी के बाद से विकास कार्य अत्यन्त पिछड़ा है। जन सामान्य को साक्षर करने हेतु तथा वर्तमान सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु उक्त आश्रम पद्धति विद्यालय खोला जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र-241, अयाहशाह के विकास खण्ड बउवा, ग्राम सभा शाखा में पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद संतकबीर नगर में मत्स्य पालन शिविर के नीलामी से प्राप्त हुये पट्टेदारों के तालाबों का अनुबन्ध आदेश जारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, जनपद संतकबीरनगर में मत्स्य पालन पट्टा नीलामी शिविर का आयोजन दिनांक 15-16 व 17 दिसम्बर, 2017 हेतु तहसील धनघटा के द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को विज्ञापन प्रकाशित करवाया गया था। जिसमें राजस्व संहिता के नियम-57 के प्रस्तर-8 की धारा-189 व 190 का उल्लेख नहीं किया गया था। जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि नीलामी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के दौरान 1/4 धनराशि जमा करायी जाये। शेष 3/4 धनराशि 15 दिन के अन्दर नीलामी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जमा करना अनिवार्य होगा। यदि समय से पैसा नहीं जमा किया जाता है तो नीलामी प्राप्तकर्ता के द्वारा 1/4 जमा की गयी धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। परन्तु दिनांक 15-16 व 17 दिसम्बर, 2017 को हुए मत्स्य पालन नीलामी शिविर के विज्ञापन में तहसील प्रशासन द्वारा उक्त नियमों का उल्लेख नहीं किया गया था। नीलामी में भाग लेने वाले पट्टेदार पूर्व की व्यवस्था के भांति जिसमें यह व्यवस्था थी कि नीलामी के समय 1/4 धनराशि तथा शेष 3/4 धनराशि दस वर्षों में समान किस्तों में जमा की जायेगी। इसी व्यवस्था का अनुपालन उ0 प्र0 के समस्त जिलों में अब तक किया जाता रहा है।

दिनांक 15-16 व 17 दिसम्बर, 2017 के समय नियुक्त उप जिलाधिकारी का स्थानान्तरण मत्स्य पालन पट्टा शिविर आयोजन के दस दिन बाद नये नियुक्त उप जिलाधिकारी द्वारा मत्स्य पालन पट्टेदारों को राजस्व संहिता के नियम-57 के प्रस्तर-8 की धारा-189 व 190 का हवाला देते हुए पट्टेदारों को शेष 3/4 धनराशि 15 दिन के अन्दर जमा किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया जोकि पट्टेदारों को निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त हुई जिसके कारण पट्टेधारक 3/4 धनराशि को नियत समय से नहीं जमा कर पाये जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा मत्स्य पालन पट्टा शिविर में 29 तालाबों की नीलामी का निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया तथा पट्टेदारों के द्वारा जमा की गयी 1/4 धनराशि 17,70,750 (सत्रह लाख सत्तर हजार सात सौ पचास) रु0 जब्त कर लिया गया जिससे गरीब मछुआ समुदाय बहुत ही आहत है। प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध उप जिलाधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही नियम व न्याय संगत नहीं है। निरस्तीकरण के पश्चात् दिनांक 01-02-2019 को उप जिलाधिकारी के द्वारा पुनः विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है जिसकी नीलामी तिथि 18-02-2019 निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में गरीब मछुआ समुदाय द्वारा जमा की गयी 1/4 धनराशि को वापस कराया जाये अथवा दिनांक 01-02-2019 के प्रकाशित विज्ञापन को निरस्त कर दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप मत्स्य पालन शिविर में नीलामी से प्राप्त हुए पट्टेदारों के तालाबों का अनुबन्ध कराने का आदेश जारी किया जाना गरीब मछुआ समुदाय के हित में होगा। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर देहात में घाटमपुर से लेकर सिकन्दरा तक मुगल रोड को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कटियार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात में घाटमपुर से लेकर सिकन्दरा तक मुगल रोड जोकि 4 लेन की घोषणा हो चुकी है। रोड पर कार्य न प्रारम्भ होने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण रास्ते में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं जिसकी वजह से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। आम जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए घाटमपुर से लेकर सिकन्दरा तक मुगल रोड पर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर अन्तर्गत बहलवा से नयाखेड़ा होते हुए बन्दीमाता मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल दिवाकर-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि **ब्लाक सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बहलवा से नयाखेड़ा होते हुए बन्दीमाता मन्दिर लगभग 5.6 किलोमीटर सड़क अत्यन्त खराब है।** उस क्षेत्र की जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के निर्माण कार्य से लगभग पचासों गांव की जनता को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। यह कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर **ब्लाक सफीपुर जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बहलवा से नयाखेड़ा होते हुए बन्दीमाता मन्दिर लगभग 5.6 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]**

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा-बहराइच मार्ग स्थित शारदा सहायक नहर पर डबल पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत महमूदाबाद-रेउसा-बहराइच मार्ग पर स्थित शारदा सहायक नहर पर वर्ष 1972 में सिंगल लाइन का पुल बनाया गया था। ट्राफिक बढ़ने के कारण 24 घण्टे इस पर जाम लगी रहती है जाम की समस्या को देखते हुए डबल पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। जनहित की समस्या को देखते हुए उक्त कार्य को कराया जाना है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त पुल को चौड़ा/डबल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर अन्तर्गत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने तथा जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के बिलरियागंज-रौनापार मार्ग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का निर्माण वर्ष 2015 में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा कराया गया था, जिस पर यातायात बहुत अधिक होने के कारण पूर्णतया ध्वस्त हो गया है। क्षेत्र की जनता विशेष रूप से गन्ना किसान अपनी उपज को मिल तक ले जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मार्ग का निर्माण ग्रामीण सड़क की विशिष्टयों से कराया गया है जबकि उक्त मार्ग जिला मार्ग की श्रेणी का है। जिस पर भारी वाहनों का आवागमन है। मार्ग का अनुरक्षण लगभग असम्भव है। फिर उक्त मार्ग देवारा अंचल क्षेत्र की जीवन रेखा है। मार्ग पर 15 से 20 हजार तक गाड़ियां नियमित चलती हैं।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत बिलरियागंज-रौनापार मार्ग को लो0नि0वि0 को स्थानान्तरित करते हुए बनाये जाने की मांग सरकार से करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम हुसैनपुर के रामजी तिवारी का विद्युत कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम व पो0-हुसेनपुर, विकास खण्ड सदर गाजीपुर गांव के रामजी तिवारी द्वारा बिजली का लाइट फैन कनेक्शन पूर्व में लिया गया था। उसी समय इन्होंने आटा चक्की लगवायी थी, जिसका बिजली का बिल बराबर देते चले आ रहे थे। इनके आटा चक्की पर विजिलेन्स टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसमें विजिलेन्स टीम के द्वारा इनके ऊपर एक लाख पचास हजार रुपये का आर्थिक दण्ड/जुर्माना लगा दिया। जबकि रामजी तिवारी द्वारा बिजली के बिल को हमेशा दिये जाने की बात कही जा रही है और बिजली बिल की रसीद भी मौजूद है। ऐसे स्थिति में यह परेशान है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए रामजी तिवारी के बिजली बिल को समाप्त किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा में एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड, दवा एवं चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा का वर्ष

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2010-11 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और बनकर तैयार हो गया। यह अस्पताल 30 बेड का सकलडीहा में निर्मित हो चुका है। वर्तमान समय में न तो यहां पर एक्स-रे मशीन है और न ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन है और न तो ओ0टी0 की कोई व्यवस्था है और न समुचित मात्रा में दवाओं की ही व्यवस्था है। जोकि चन्दौली जनपद पिछड़ा घोषित है क्षेत्र भी पिछड़ा है। गांव के लोग उपचार हेतु जब उपरोक्त अस्पताल पर जाते हैं तो वहां संसाधन और दवाओं के अभाव में उपचार नहीं करा पाते हैं और उनको बाहर जाकर उपचार कराना पड़ता है।

चूंकि यह मामला किसान, गरीब और मजदूर व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त अस्पताल पर एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड और अन्य उपकरण की व्यवस्था तत्काल कराये जाने की जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त अस्पताल पर एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य उपकरण दवा और चिकित्सकों की तैनाती किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत रसड़ा नगर पालिका के शहरी क्षेत्र में पूर्व से स्थापित जर्जर एवं निष्प्रयोज्य हो चुके रोडवेज बस स्टेशन का सौन्दर्यीकरण एवं पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में काफी वर्षों पूर्व **रसड़ा नगरपालिका के शहरी भाग में एक रोडवेज स्टेशन की स्थापना की गयी थी तथा यहां से हजारों यात्री प्रतिदिन दूसरी जगहों पर यात्रा करते हैं मगर यह बस स्टैण्ड रख-रखाव के अभाव में जर्जर एवं निष्प्रयोज्य पड़ा हुआ है जबकि यहां से प्रतिदिन काफी संख्या में रोडवेज की बसें मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ के लिए गुजरती हैं मगर बस स्टैण्ड में न जाकर मुख्य मार्ग पर खड़ी होती हैं जिससे आवागमन बाधित होने के साथ ही साथ मुख्य मार्ग पर खड़े यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना बलवती रहती है।**

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत **रसड़ा नगरपालिका के शहरी क्षेत्र में स्थित जर्जर एवं निष्प्रोज्य पड़े रोडवेज स्टेशन का सौन्दर्यीकरण कराते हुए जनहित में उसे यात्रियों के लिए चालू किये जाने हेतु** शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर स्थित गोमती नदी में कलीचाबाद घाट पर स्वीकृत पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर के गोमती नदी में कलीचाबाद घाट पर पुल निर्माण को जनहित में पिछली सरकार में स्वीकृति दिया था तथा बजट का प्राविधान भी किया था, चुनाव आ जाने के बाद आचार संहिता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। सरकार बदल जाने के कारण कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। जनता के अन्दर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेष आक्रोश है। जनहित से जुड़ा हुआ विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्रवाई किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में उत्तम शुगर मिल, बरकातपुर द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत उत्तम शुगर मिल, बरकातपुर के द्वारा पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। शुगर मिल के मालिक व महाप्रबन्धक की लापरवाही के चलते लगभग 20 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। उक्त ग्रामों में शुगर मिल से उड़ने वाली काली राख मकानों के अन्दर व खाना बनाते समय खाने में मिल जाती है जिससे जनमानस के स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ रहा है तथा बीमारी फैलने की आशंकायें भी हो रही हैं। मिल प्रबन्धक से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जोकि अत्यन्त गम्भीर विषय है।

अतः उक्त उत्तम शुगर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की रोकथाम किये जाने हेतु मैं सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के ग्राम मोहनलाल खेड़ा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, नियम-301 के माध्यम से अवगत कराना है कि **ग्राम मोहनलालखेड़ा, मजरा भसन्डा ब्लाक व तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ** के मुख्य मार्ग का खड़न्जा बरसात में काफी क्षतिग्रस्त हो गया है एवं जलभराव रहता है, जिससे समस्त ग्रामवासियों खासकर स्कूल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने वाले बच्चों एवं क्षेत्र के बुजुर्गों को आने-जाने में अत्यन्त ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चे व बुजुर्गवार गिरकर गम्भीर रूप से चोटिल/घायल हो चुके हैं। रास्ता अत्यन्त जर्जर/गड्ढायुक्त होने के कारण यातायात हेतु उपयोग की जाने वाली गाड़ियां फंसकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। यही कारण हैं कि बच्चों के लिये स्कूली वैन/अन्य गाड़ियों के मालिकों द्वारा उक्त मार्ग पर आने से भी मना कर दिया है।

मामले में कठिनाइयों को लेकर क्षेत्रीय आम जनता अति आक्रोशित है। इस सम्बन्ध में पूर्व में कई बार सम्बन्धित अधिकारी के साथ पत्र व्यवहार भी किया जा चुका है। किन्तु समस्या का स्थायी निदान नहीं हो सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया जनमानस से सम्बन्धित उक्त गम्भीर समस्या का स्थायी निराकरण हेतु मा0 सदस्य से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर के जल निगम द्वारा बिना कार्य पूर्ण रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आठ करोड़ की जमानत राशि रिलीज करने व अमृत कार्यक्रम में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेयी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि कानपुर नगर में पेयजल सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2009 में रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को 350 करोड़ में अनुबन्ध किया गया था जो लगभग 10 वर्ष बाद भी पूरे नहीं किये गये व जो कार्य किये गये हैं वह भी अधोमानक है। संतृप्त नहीं हो सका है। इसके बाद भी रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को रु0 8 करोड़ की जमानत राशि अवमुक्त कर दी गयी है जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। दूसरी ओर जो कार्य उपरोक्त योजना में हो चुके हैं जिसमें पाइप लाइन/गृह पेयजल कनेक्शन व अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल है, उन्हीं की पुनरावृत्ति अमृत योजना में की जा रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त योजना में हुए गोलमाल जमानत राशि अवमुक्त किये जाने व अमृत योजना में कार्यों की पुनरावृत्ति जैसे गम्भीर विषयों पर न्यायिक जांच की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत दया छपरा नौरंगाबाद चक्की नौरंगा प्रधानमंत्री सड़क कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दया छपरा नौरंगा-चक्की नौरंगा प्रधानमंत्री सड़क का कार्य विगत छः वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो पाया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के कारण क्षेत्रीय निवासियों में भारी रोष एवं सरकार के प्रति निराशा व्याप्त है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने सम्बन्धी कई बार स्थानीय अधिकारियों से आग्रह किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया सदर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नसीराबाद में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलिया नगर के ग्राम पंचायत नसीराबाद में पूर्व में चकबन्दी नहीं हुई है। जिससे गांव के विकास में अवरोध हो रहा है, गांव में मार्गों के निर्माण में समस्या हो रही है तथा भूमिहीन ग्रामीणों को भूमि के पट्टे भी नहीं दिये जा पा रहे हैं। उक्त प्रकरण बहुत लम्बे समय से चकबन्दी आयुक्त के कार्यालय में लम्बित है। जनपद बलिया के ग्राम पंचायत नसीराबाद में चकबन्दी किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरूण कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि बरेली के अन्दर थाना-प्रेम नगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकी काफी खस्ताहाल एवं लगभग टूटी हुई है। यहां बैठना पुलिस कर्मियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। जिसकी वजह से चौकी में कम पुलिसकर्मी बैठते हैं। जनहित में उक्त दोनों चौकियों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर स्थित पंवारा नहर से ग्राम सजईकला तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुषमा पटेल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के वि0ख0 मुंगराबादशाहपुर में पंवारा नहर से ग्राम सजईकला तक ग्रामवासियों के आने-जाने हेतु पिच सम्पर्क मार्ग लगभग 3 कि0मी0 की आवश्यकता है। पिच मार्ग न होने से आमजन को आवागमन हेतु अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा, मुंगराबादशाहपुर जौनपुर में पंवारा नहर से सजई कला ग्राम तक पिच सड़क बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज स्थित हैदराबाद से बखरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में वि0ख0-मार्टिनगंज के अन्तर्गत हैदराबाद से बखरा तक जाने वाली सड़क पूर्णतया टूट गई है। इस टूटी हुई सड़क पर जन सामान्य का चलना दूभर हो गया है। अक्सर दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। लोग इस सड़क पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से लगातार लिखित एवं मौखिक अनुरोध किया जा रहा है किन्तु उक्त सड़क के मरम्मत/निर्माण में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस कारण स्थानीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर अन्तर्गत देवाना कुर्चा रोड से हुसैनपुर सकरवारी चौहान बस्ती तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत बेवाना कुर्चा रोड से ग्राम सभा हुसैरपुर, सकरवारी (पक्खनपुर) चौहान बस्ती तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पल्हना में बेसो नदी पर कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जिला-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ब्लाक पल्हना में ग्राम खुरसू में बेसो नदी पर ग्राम रामपुर बढ़ौना के बीच पुल का निर्माण एवं वि0ख0-ठेकवा में ग्राम सभा सिसरेणी में प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल के सामने बेसो नदी पर पुल का निर्माण उपरोक्त दोनों पुलों के निर्माण कार्य न होने के कारण क्षेत्रीय आम जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त पुलों के निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव अन्तर्गत अम्बरपुर बाजार के पास से ब्रह्मबाबा होते हुए मुण्डेरा पिच तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जनपद-अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-भियांव के अन्तर्गत अम्बरपुर बाजार के पास से ब्रह्मबाबा होते हुए मुन्डेरा पिच तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन हेतु बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग पर भारी यातायात का दबाव बना रहता है। उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों के उदासीनता के चलते अभी तक कोई

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/किसानों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के कतिपय ग्रामों में तालाबों की खुदाई व चहारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

[महोदय, जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव रमाला, लूम्ब, दोघट, गुलियान जिमाना, माविकला, किशनपुर बिराल व सूप में जल संरक्षण को बनाये रखने के लिए गांवों के तालाबों की कई वर्षों से न तो खुदाई की गई है और न ही तालाबों की बची हुई भूमि की चहारदीवारी आदि की कोई व्यवस्था की गई है जिस कारण तालाबों की भूमि भी आबादी भागों में तब्दील हो रही है गिरते जल स्तर को देखते हुए तालाबों को जिन्दा रखना बहुत ही आवश्यक है, इसके लिए इनकी समय पर खुदाई व इस भूमि की चहारदीवारी की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय, तात्कालिक विषय पर सदन में चर्चा करवाई जाय।]

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया अन्तर्गत उन्नाव-जमुका पड़री मंगतखेड़ा मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड-बिछिया अन्तर्गत उन्नाव-जमुका पड़री मंगत खेड़ा मुख्य मार्ग अति संकरा है। जिससे क्षेत्रीय जनता को यातायात की अधिकता के कारण आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त संकरे मार्ग का चौड़ीकरण का कई बार अनुरोध किया गया है, पर अभी तक उक्त मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद हापुड़ के एन0एच0-24 रिलाइन्स रोड से ग्राम भोवापुर होते हुए ग्राम मदापुर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम अली-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-हापुड़ के एन0एच0-24 रिलाइंस रोड से ग्राम-भोवापुर, विकास खण्ड-धौलाना, जनपद-हापुड़ को होते हुए ग्राम मदापुर तक लगभग 2 कि0मी0 तक खड़न्जा मार्ग बना है, जो पूर्ण गड्ढायुक्त हो चुका है। जिसके कारण क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण/मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग को भी अनेकों बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लोगों द्वारा अनेकों बार स्थानीय उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण उक्त मार्ग के निर्माण कार्य में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता/नगरवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र खदौली अन्तर्गत कामाख्या मन्दिर को जोड़ने वाला अमानीगंज-सैदपुर से सुनबा मार्ग की मरम्मत एवं उक्त मार्ग पर वेतवा नाले पर निर्मित रपटा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रुदौली में मां कामाख्या मन्दिर को जोड़ने वाला अमानीगंज-सैदपुर से सुनबा सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त मार्ग पर वेतवा नाले पर निर्मित रपटा पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र के श्रद्धालुओं को मां कामाख्या मन्दिर आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग है। इसी मार्ग से क्षेत्र के लोग रोडवेज, रेलवे स्टेशन पर यात्रा के लिये आते-जाते हैं। वर्तमान समय में कोई भी चार पहिया वाहन इस मार्ग से गुजर नहीं पा रहा है। जनहित में इस क्षतिग्रस्त मार्ग के विशेष मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त रपटा पुल के स्थान पर पक्के लघु सेतु का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग के विशेष मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त रपटा पुल के स्थान पर पक्के लघु सेतु का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत ग्राम अहिनिवार में स्थित यक्ष सरोवर को संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुस्कर 'एडवोकेट'-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खण्ड के ग्राम अहिनिवार में स्थित महाभारत काल के समय से स्थित यक्ष सरोवर जोकि वर्तमान में अत्यन्त खराब व गन्दगी से भरा है। जबकि उक्त स्थल अहिनिवार धाम पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाखों श्रद्धालु स्थान पर वहां स्थित मन्दिर में पूजा-अर्चना करते हैं तथा मान्यता है कि जब कोई अपने पुरखों को तारण करने के लिये गया करने जाता है, वापस आने पर इसी सरोवर में स्नान करके पुण्य प्राप्त करता है। उक्त स्थल को सरकार द्वारा संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया जाना लोकहित में आवश्यक है।

अतः इस जन भावना से जुड़े लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए क्षेत्र मोहनलालगंज के अहिनिवार धाम को संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के ब्लाक कादर चौक अन्तर्गत ककोड़ा ग्राम पंचायत में डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया''-

[महोदय, जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र शेखूपुर अन्तर्गत ब्लाक कादर चौक अन्तर्गत ककोड़ा ग्राम पंचायत में राजकीय महाविद्यालय न होने के कारण उस क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसलिये जनहित में ककोड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ग्राम ककोड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]**

जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कौंधियारा के ग्राम पंचायत चोकनई में गोवंश आश्रय स्थल बनाये जाने पर अराजक तत्वों द्वारा विवाद उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत ग्राम सभा जोकनई, विकास खण्ड कौंधियारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोकनई के ग्राम प्रधान द्वारा गोवंश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आश्रय स्थल बनाया गया है। जिसमें लगभग 1000 पशु हैं। परन्तु उसी ग्राम सभा के कुछ दबंगों द्वारा सरकारी कार्यों के विरुद्ध कार्य करके ग्राम प्रधान व गोवंश आश्रय स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को जान से मारने एवं गाली-गलौज कर उनको उस स्थल से भगा दिया गया है एवं दबंगों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है। प्रशासन उक्त की सूचना देने के पश्चात् भी प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रशासन द्वारा उक्त पशुओं की देख-रेख में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तथा क्षेत्रीय जनता/किसानों में सरकार के विरुद्ध काफी रोष व्याप्त है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार की योजना गोवंश आश्रय स्थल को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के इस लोक महत्व के विषय पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय स्थानों पर पानी की टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-बदलापुर के जनपद जौनपुर के बदलापुर ब्लाक के मेढ़ा बाजार तथा महराजगंज ब्लाक के राजा बाजार, बाबूगंज बाजार में गर्मी के मौसम में पानी के जल स्तर के काफी नीचे चले जाने से पेयजल का भारी संकट पैदा हो जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त स्थानों पर पानी की टंकियों का निर्माण करना अति आवश्यक है जिससे इन बाजारों सहित आस-पास के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड की अल्प विकसित मलिन बस्ती के अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ के फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड की अल्प विकसित मलिन बस्ती क्षेत्र में सड़क, नाली आदि का अभाव है। हरिओम नगर आदि में कच्ची सड़कें होने से जनता को कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) तथा नगर विकास विभाग को कई बार अवगत कराया गया है। जनहित में सड़क व नाली को बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के तहत लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ विल्सनबाग कालोनी में डाक्टर सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, **जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि सहारनपुर के** ग्राम-मानकमऊ विल्सन बाग कालोनी डा0 सरफराज की दुकान से लोहारों के मकान से ट्रांसफार्मर तक नाला पूर्णतया कच्चा है। पानी का निकास न हो पाने के कारण मकानों के नींव में पानी जमा हो रहा है जिससे मकान अति जर्जर हो गये हैं तथा 3-4 मकान अभी हाल में गिर चुके हैं। इसी लाइन में सैकड़ों मकान हैं, वह भी अति जर्जर हो गये हैं। किसी भी समय मकान ध्वस्त हो सकते हैं और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जनहित में पानी निकासी हेतु उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम घूघुलपुर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम-घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा निर्माण हेतु विभाग द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व जमीन क्रय कर ली गयी है। परन्तु राजस्व विभाग, लखनऊ द्वारा अभी तक अनुमति नहीं दी गयी है। ग्राम-घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम-घूघुलपुर में रोडवेज बस अड्डा निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय स्थानों में पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी वि0स0 क्षेत्र ऊंचाहार के विभिन्न वि0ख0 की ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम सभा के लोगों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवागमन बाधित हो गया है। अतः जनहित में सरपतहा, ग्रा0 निगोंहा इलाहाबाद ब्रांच की रेलिंग, नरायनपुर रेग्लूटेर (पुल) की रेलिंग, तुराबी का पुरवा ग्रा0स0 मोखरा की पुलिया, रामपुर बरारा माइनर में, कूढ़ा रसूलपुर कोल्ड स्टोरेज रोड पर स्थित पुलिया, कल्याणपुर बेंती से एकडला की सड़क पर पुलिया, नरहरपुर माइनर से विजयपुर के पास की पुलिया, ग्रा0स0 पखरौली, बेहीखोर से टीकर आगाचीपुर की पुलिया, गौरा हरदो से अम्बरा मथई मार्ग की पुलिया, नरायनपुर बन्ना से धीरनपुर नाला की पुलिया, सरायं इख्तियार प्राथमिक विद्यालय पूरे बदई की पुलिया, बसवई ग्रा0 कमालपुर की पुलिया, रोहनियां वि0ख0 के आगे स्थित पुलिया, सतहरा ग्राम जाने वाले रोड की पुलिया, प्रयागपुर नदौरा गांव के पहले की पुलिया, ग्रा0 छतौना मरियानी से पिपरी में निर्मित पुलिया, ऐहारी बुजुर्ग से पूरे झमनी जाने वाले रास्ते की पुलिया आदि क्षतिग्रस्त है जिससे आम नागरिकों को अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सम्बन्धित विभाग में प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

कृपया जनहित में उक्त पुलिया की मरम्मत कराये जाने का निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद फतेहपुर में बी0एस0ए0 द्वारा सी0सी0एल0 स्वीकार करने के नाम पर अध्यापिकाओं का मानसिक उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण एवं लोकहित का विषय लाना चाहता हूं कि जनपद फतेहपुर में तैनात अध्यापिकाओं के पुत्र/पुत्रियों की परीक्षायें हो रही हैं या होने वाली हैं, उन्हें सी0सी0एल0 की अति आवश्यकता है। अध्यापिकाओं द्वारा सी0सी0एल0 के प्रार्थना-पत्र जब बी0एस0ए0 को प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनकी स्वीकृत में अनावश्यक विलम्ब या अन्य नियमों का बहाना बताकर अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कथित अध्यापिकाओं के बच्चों की परीक्षायें प्रभावित हो रही हैं एवं अध्यापिकाओं को मानसिक रूप से कष्ट भी होता है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देबी-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में नवीन सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा मांग की जा रही है, परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा कोई शासनादेश या नियम नहीं है कि गांवों के सम्पर्क मार्गों को डबल कनेक्टविटी की सुविधा दी जाये। जबकि वर्षों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ी जा रही है और सम्पर्क मार्ग सीमित है। ऐसे में सम्पर्क मार्गों की डबल कनेक्टविटी की सुविधा सरकार द्वारा दिया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम पंचायतों में सम्पर्क मार्गों को डबल कनेक्टविटी बनाये जाने हेतु सरकार से शासनादेश व नियम बनाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करती हूं।]

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018†

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018, जो प्रक्रिया नियमावली के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 को पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 14 फरवरी, 2019 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-4 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

(इसी मध्य 12 बजकर 41 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2017-2018) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 145वां प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 145वां प्रतिवेदन जो राजस्व, सतर्कता, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, गृह, नगर विकास, पशुधन, ग्रामीण अभियंत्रण, पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभागों के वर्ष 1994 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 146वां प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 146वां प्रतिवेदन जो उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई, ऊर्जा, आवास एवं शहरी नियोजन, वन, गृह (पुलिस) तथा चीनी उद्योग विभागों के वर्ष 2001 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 147वां प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2017-18) का 147वां प्रतिवेदन जो ग्राम्य विकास, पर्यावरण, औद्योगिक, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, गोपन, परिवहन, राजस्व, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज तथा न्याय विभागों के वर्ष 1994 से 2018 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी से सम्बन्धित नौ हस्ताक्षरित याचिकाएं†

श्री लालजी वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत कटेहरी पुरानी भीटी में संतराम के घर से गोसाईगंज भीटी मार्ग तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारती व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत अकबरपुर महरुआ मार्ग से जमालपुर बन्दनडीह दुर्गपुर गांव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत फत्तेपुर बेलीबाग (भिखनपुर) मो0 सलाम एवं राम प्रताप के घर तक जलालपुर चांदपुर मार्ग (लगभग 900 मी0) तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री झिन्नू लाल भारती व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत अशरफपुर बरवां जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत खेवार जैनपुर मार्ग से डउवा पुरवा श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जनम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत बनगांव बनदनपुर मार्ग (बट्टूगढ़) से ग्राम रामपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत बहवा (पमौली) निषाद बस्ती से पानी संस्थान तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभनाथ निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 277, कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत यरकी बट्टूगढ़ मार्ग से मजगवां पुरवा के श्री शैलेन्द्र कुमार के घर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0पी0 गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के विकास खण्ड-कटेहरी के अन्तर्गत पटेलनगर दरबन मार्ग से ग्राम सुमसुद्दीनपुर तक की

जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सभाजीत गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित एक जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो एवं जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित छः हस्ताक्षरित याचिकाएं †

श्री अमिताभ बाजपेई-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा के अन्तर्गत संविदा परिचालकों की संविदा बहाली के सम्बन्ध में श्री गौरी शंकर अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में कार्यरत वन दरोगा की सेवा को पृथक किये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर के नानाराव पार्क में लगी महापुरुषों की मूर्तियों के रख-रखाव के सम्बन्ध में श्री अशोक केसरवानी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के पटकापुर में तारघर से संगमलाल तिराहा तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के नरोना चौराहे के करीब स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी व पं0 गणेश शंकर विद्यार्थी प्रतिमा स्थल के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री विनय द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर तलाक महल चौराहे से राधा कृष्ण मन्दिर तक रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद अली व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के चुन्नीगंज मेन रोड से एक्सेल हास्पिटल वाली रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री हसन रजा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर नगर के घण्टाघर चौराहे पर स्थापित पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रतिमा पर छतरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गई।

श्री हर प्रकाश अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर नगर के समस्त कांजी हाउस की बिल्डिगें गिराकर किये गये कब्जे एवं सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो हस्ताक्षरित याचिकाएं (व्यपगत)

(माननीय सदस्य श्री पंकज गुप्ता का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(1) जनपद उन्नाव में जानकी कुण्ड, बिठूर समीप स्थित मानाबंगना, मानदेवी मन्दिर फत्तेपुर पौराणिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उर्मिला सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद उन्नाव के ग्राम रामसिंह खेड़ा पो0 थाना से जुड़े थाना (नहरपुर) से पवई होते हुए मुर्तजानगर तक थाना से परमनी होते हुए परियर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री रितेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर से सम्बन्धित नौ हस्ताक्षरित याचिकाएं †

श्री रितेश पाण्डेय-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-सलाहपुर (अकबालपुर) के अन्तर्गत मझुई नदी पर शवदाह-गृह का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-पेठिया कोटवा के अन्तर्गत तमसा नदी पर शवदाह-गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-धवरुआ दलित बस्ती से ग्राम सुल्तानपुर दलित बस्ती डौणीपुर घाट सम्पर्क मार्ग तक लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-मंगुराडिला के अन्तर्गत तमसा नदी जलालपुर-बसखारी मुख्य मार्ग के पश्चिम तरफ शवदाह-गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजीत केशरी व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-रामपुर बहेलिया से ग्राम रामपुर दूबे सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-धवरुआ रूढ़ा से ग्राम मालीपुर नेमपुर सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम पंचायत-उसमापुर से ग्राम नशोपुर सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन नाथ व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-जलालपुर के ग्राम सभा रामपुर सामुदायिक केन्द्र से धवरुआ सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(9) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ब्लाक-भियांव के ग्राम पंचायत-नेवादाकला चौराहा से ग्राम जैतपुर सोसाइटी सम्पर्क मार्ग तक लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 पिच मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् विस्तार के अन्तर्गत स्थित सेक्टर-1 में 1/174 से 1/204 तक सड़क के किनारे पानी निकासी हेतु नाली का

† छापी नहीं गयी।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री धनन्जय कन्नौजिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं†

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा आवायें में स्थित 33/11 विद्युत सब-स्टेशन के अन्तर्गत मिनी स्टोर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा खन्दवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के हस्तान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मीरा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा लेखमनपुर में शहीद हरेराम स्मारक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय शंकर तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा खन्दवां के महात्मा गांधी इण्टर कालेज में आवंटित खेल के मैदान की जमीन पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड के अन्तर्गत ग्रामसभा मालीपुर छितौना में स्थित सिंचाई विभाग के पुराने डाक बंगले के जीर्णोद्धार हेतु धन आवंटित कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित याचिका †

श्रीमती गरिमा सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से अमेठी के अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग पर ग्रामसभा-थौरा से गड़ेरीयन का पुरवा तक पक्की सड़क दूरी 2 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित उपस्थित करती हूं।

---

† छापी नहीं गई।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन हस्ताक्षरित याचिकाएं†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(1) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्रामसभा-सेखवानिया (टोला छोटी लंगड़ी), तहसील-कसया, ब्लाक-पडरौना में विवाह भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री प्रियरंजन मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ग्रामसभा-नरकटिया बाजार, तहसील-कसया में विवाह भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सपहा-होरलापुर सम्पर्क मार्ग मा0 गा0 इण्टर कालेज सखवनिया के उत्तर से सोंदिया होते हुए बसडीला सम्पर्क मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार हस्ताक्षरित याचिकाएं†

श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह-

(1) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम-ककराही, ग्रामसभा (चिलौला) से खजूरगांव- डलमऊ सम्पर्क मार्ग तक सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रवी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित देवपुर व जनपद उन्नाव के भगवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम बहाई से नया का पुरवा सम्पर्क मार्ग व मथना नाला पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र मौर्या प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के ग्राम खपुरा ताल डलमऊ से मिर्जा का पुरवा, रजौली सम्पर्क मार्ग व नाले पर पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामसुमेर लोधी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गया।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं †

श्री महबूब अली-

(1) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा में विकास खण्ड-जोया के ग्राम-भवालपुर माफी में तालिब हुसैन के मकान से नूर मोहम्मद के मकान तक लम्बाई 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री फिरासत हुसैन व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा में विकास खण्ड-जोया के ग्राम-भवालपुर माफी में खैराती के मकान से मुनीर के मकान तक लम्बाई 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हमीद व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

इसी मध्य 12 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

(3) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा में विकास खण्ड-जोया के ग्राम-अशरफपुर फैजगंज में भूरा के मकान से ईदगाह तक लम्बाई 200 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भूरा व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा में विकास खण्ड-जोया के ग्राम-धनौरा उर्फ मुरादनगर में मुख्तयार के मकान से उम्मेद के मकान तक लम्बाई 500 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तकाब व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अमरोहा में विकास खण्ड-जोया के ग्राम-सलारपुर खालसा में प्राथमिक विद्यालय से हाजी शब्बीर के घर तक लम्बाई 250 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तकाब व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित पांच हस्ताक्षरित याचिकाएं †

श्री राम अचल राजभर-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित शारदा सहायक नहर की दाउदपुर माइनर (हासिमपुर बरसावां) से निकली

---

† छापी नहीं गई।

लिंक माइनर की सफाई एवं मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षाराम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा-बरियावान शारदा सहायक नहर के पुलिया से भानू प्रताप मिश्रा के खेत से बाबूराम वर्मा के घर तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा-हुसेनपुर सकरवारी सुदामा निषाद के घर से बेवाना-कुर्चा मार्ग (मोमिनपुर) निषाद बस्ती तक की जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा-जगन्नाथपुर से ग्राम सभा-बरौरा होते हुए शारदा सहायक नहर के पुल तक के जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियालाल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा-बूढ़नपुर से चनखली के घर से ग्राम सभा के बीच से होते हुए ग्राम सभा-बेलहरी बेलवा के डीगुर राजभर के घर तक के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री कैलाश नाथ सोनकर नहीं हैं।

श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद वाराणसी से सम्बन्धित दो हस्ताक्षरित याचिकाएं (व्यपगत)

(1) जनपद वाराणसी के ग्राम-बीरापट्टी में रेलवे फाटक बूढ़क बाबा मन्दिर से बझियां बारी नहर तक 1.0 किमी0 लम्बे पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजतन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(2) जनपद वाराणसी के ग्राम सभा-घमहापुर में घमहापुर तिराहे से शिवनाथ एवं दिनेश भारद्वाज की दुकान से होते हुए अहमदपुर सम्पर्क मार्ग तक 1.0 किमी0 लम्बे पिच रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवनाथ व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22 इसमें कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2019 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-आज दिनांक 18 फरवरी, 2019 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ले ली जायं।

2-आज दिनांक 18 फरवरी, 2019 को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के समस्त अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

3-आज दिनांक 18 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

विपक्ष द्वारा कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णयानुसार सदन का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित तिथि तक चलाये जाने की मांग

(श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री लाल जी वर्मा के सदन में एक साथ खड़े होने पर)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी इतना जल्दी में क्यों हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने प्रस्ताव रख दिया है उसके बाद नेता विरोधी दल आप बोल लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह तो परम्परा है कि कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णयों का विरोध नहीं होता है। लेकिन कार्य-मंत्रणा की समिति में ही हम लोगों ने विरोध किया था कि आपने शुरू में जो शिड्यूल दिया था बिना कार्य-मंत्रणा के उसमें हम नहीं थे। आदरणीय वर्मा जी होंगे तो होंगे और अजय कुमार लल्लू जी होंगे तो होंगे उसमें 22 तारीख में जो तय किया गया था उस समय संयोग से हम नहीं थे। अगर मीटिंग हो गयी होगी तब। अगर मीटिंग में तय नहीं हो गया होता तो 22 तारीख तक विधान सभा सत्र का शेड्यूल था। हम लोगों का यह था कि 22 से भी कुछ बढ़ेगा। तो हम लोग विधान सभा को चलाने के पक्ष में हैं। 22 से भी आगे चले। जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी तर्क दिये कि विपक्ष ने इतने दिन बाधित किया। हम

बाधित नहीं किये। विपक्ष लोकतांत्रिक पद्धति से इस जनतांत्रिक प्रणाली में हमको जनता ने चुनकर भेजा है कि यहां हम अपनी बात कहें। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सदन बाधित नहीं होना चाहिए। वहां भी मैंने आपसे आग्रह किया। अब भी मैं कर रहा हूं कि राजनीति में काम करने वाला आदमी जो यहां बैठा है और जो लोक सभा में बैठा है। एक तो हमारे माता-पिता ने हमको जन्म दिया है और विधान सभा में और लोक सभा में बैठने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको टिकट देकर बैठने के लिए अधिकृत क्या है तो अगर बाप का ही अपमान हो तो क्या बेटा देखता रह जायेगा। किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर अपमान हो तो हम तो नियमानुकूल थे लेकिन नियमानुकूल न भी होने पर वह अपनी बात को रखेगा। वह भी केवल दो दिन हुआ। दो दिन हम लोग बहिष्कार किये। सदन नहीं बाधित हुआ। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि विपक्ष के कारण सदन नहीं चल रहा है। पूरा विपक्ष आपसे आग्रह करता है कि 22 तारीख तक नहीं बल्कि एक महीना चलाइये। विपक्ष सदन चलाने में आपका पूरा सहयोग करेगा।

*** श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, नियमों में है जो अभी आप नया एजेण्डा ले रहे हैं नियमों में है कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान के लिये 24 दिनों से अनधिक के दिन नियत करेंगे। मान्यवर, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान के लिए 24 दिन होना चाहिए। नियम-188 के उप नियम-2 में है कि उप नियम-1 के अधीन रहते हुए अनुदान की मांग ऐसे क्रम में उपस्थित की जायेगी जैसा कि सदन नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करें, तो मान्यवर, एक तो 24 दिन का जो बार इसमें है वह खत्म किया जा रहा है। दूसरे नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श करके अनुदान का सिलसिलेवार किस क्रम में रखा जायेगा यह निर्धारण होना चाहिए। नियमों के अनुसार। वह भी नहीं किया गया तो आज तक उसका भी परिपालन नहीं किया जा रहा है तो मान्यवर, मैं इसलिए चाहूंगा कि आपने जो सदन में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश रखी है उसको वापस ले लीजिए और हम लोग पूरी तरह से सदन चलाना चाहते हैं इसलिए उसको चलने का अवसर दे दें।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि हमने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में भी अपना विरोध दर्ज कराया है और हम चाहते हैं चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी निरन्तर चर्चा करते रहे हैं और सदन मे भी उन्होंने बोला है कि 90 दिन सदन चलाने का हमारा विचार है और पिछली बार 90 दिन के बजाय मात्र 24 दिन ही सदन चल पाया था और इस बार भी यह आरोप लगाकर कि विपक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता। हम पूरी तरह से यह चाहते हैं कि सदन चले, चर्चा हो लोकहित के मुद्दों पर चर्चा हो। अभी तो मात्र 3-4 दिन ही बहस हो पायी है। उसमें भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत सारे विषय बेरोजगारी का सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है इन तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। तमाम घटनायें हुई हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। आने वाली बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। क्या सरकार की तैयारी है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बजट के सत्र में सारे बजट पेश होने चाहिए। उस पर बिन्दुवार चर्चा होनी चाहिए। इतना ही नहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के सुझाव आने चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए मेरी आपसे विनती है, आग्रह है कि इस सदन को 22 तारीख तक सरकार ने रखा है कम से कम इसे एक महीना और बढ़ाकर अगले 22 तारीख तक रखा जाये।

*** संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह किताब उसी वक्त काम आती है जब उधर पहुंच जाते हैं और जब इधर बैठते हैं तब पता नहीं यह किताब कहां चली जाती है। अभी मा0 वर्मा जी बोल रहे थे। यहां पर बैठकर उन्होंने वर्ष 2009 में मात्र 13 दिन सदन चलाया था। उस वक्त पता नहीं यह किताब कहां चली गयी थी, पता नहीं कहां खो गयी थी या फिर अम्बेडकरनगर चली गयी थी। अब इन्हें 188 दिन याद आ रहा है। वर्ष 2009 में अपने पूरे कार्यकाल में, पूरे 5 साल में इनको किताब नहीं दिखी, पूरे 5 साल में सिर्फ 100 दिन सदन चलाया था। हमने वादा किया था और आज भी वादा किया है। हम चाहते हैं कि सदन चले और आप पिछले रिकार्ड देख लीजिए कि पिछले सोमवार को क्या हुआ। मान्यवर, 11 तारीख को विपक्ष के सभी लोग वेल में आ गये। हमने फिर अकेले सदन चलाया और अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो उसी दिन हम सदन समाप्त कर देते। उस दिन मा0 मुख्य मंत्री जी का भाषण था और पूरे विपक्ष ने सदन से बहिष्कार कर दिया। उसके बाद 12 तारीख को क्या हुआ। पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दे दी गयी थी कि आपको जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की दृष्टि से एवं कानून-व्यवस्था को मेनटेन रखने के लिए उनको अनुमति नहीं दी गयी। 12 तारीख को कोई ऐसा कारण नहीं था, एकदम से उठे और चल दिये। पहले से सूचना दी गयी कि आपको वहां पर नहीं जाना है और उसका सदन से कोई भी मतलब नहीं था। वह विषय 12 तारीख को उठाया गया, 13 तारीख को भी वही विषय उठाया गया और फिर 14 तारीख को मा0 नेता विरोधी दल आ गये, उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रह जायें। यह वफादारी को शो करने वाली जगह नहीं है, यह सदन है। आप अपनी वफादारी वहां शो कीजिए जहां वफादारी शो करने की जरूरत है। उसकी वजह से 11, 12 एवं 13 तारीख का सदन बाधित हुआ। सवाल यह है कि आखिरकार एक विषय के लिए सदन कितने दिन बाधित रहा।

मान्यवर, मैंने आपसे उस दिन भी अनुरोध किया था कि यह लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं। उसके बाद 14 तारीख को मा0 नेता कांग्रेस से कृपापूर्वक यह कहा जाता रहा कि आप लोग सदन से बहिर्गमन कर गये हैं तो आप लोग चर्चा शुरू कर दीजिए और आज भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम दावे के साथ कहते हैं एवं मुखबिर ने सूचना दी है कि आज भी यह लोग मुकदमें वापस करने के लिए कहेंगे। जब सुबह मुखबिर की सूचना आयी कि सदन बाधित होने जा रहा है और यह लोग कहेंगे कि हमारे मुकदमे वापस हों। जबकि हम उस दिन जवाब दे चुके हैं कि हम किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहते हैं। यह सरकार किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहती है, न किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहती है। लेकिन जो लोग दोषी होंगे, बैनर फाड़ेंगे, गमले फेंकेंगे एवं जो लोग केले-संतरे लूटेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ही होगी, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होगी। सवाल यह है कि जब उधर से सदन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर आज कार्य-मंत्रणा में यह प्रस्ताव नहीं आता तो सबेरे 11 बजे यह लोग वेल में होते। इसलिए यह इस तरीके की बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मुखबिर की सूचना क्या है ? (सदन में हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभूत पर चलने वाले लोग यह अन्तर्यामी हैं इसलिए सब कुछ पहले से ही जान लेते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से सदन चलाना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्मा जी आप जो कुछ वहां पर कहकर आते हो वह आप करते नहीं हो। जो वहां कहकर आते हो, याद करो। हम कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां की बात कोट नहीं की जाती। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा कि वहां पर जो कुछ भी कहा जाता है और मुझे दुख है इस बात को कहने पर यह कभी बदला नहीं जाता है कि जो कुछ वहां पर कहा जाता है यहां पर वह नहीं किया जाना है। वैसा आचरण होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तक की यही परम्परा रही है। इसलिए यह लोग सदन चलाने के प्रति गम्भीर नहीं हैं। यदि आज कार्य-मंत्रणा समिति में यह प्रस्ताव नहीं आता तो आज यह सब लोग वेल में होते और कहते कि मुकदमे वापस करो।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

ये अन्तर्यामी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम अन्तर्यामी नहीं हैं, हमें बाकायदा विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

ये सूत्र कौन हैं ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

आप सूत्र नहीं हैं, आप बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इनको सुन लीजिए, आप कार्यवाही देख लीजिए। सन् 85 से लेकर 90 तक की कार्यवाही देख लीजिए। 11 और 12, मार्च 1990 एक ही दिन में सबसे पहले इन्होंने ही इतिहास बनाया। यहां जब बैठे रहते हैं तब इस किताब की चाबी पता नहीं कहां चली जाती है, पता नहीं औरैया में रहती है कि जसवंत नगर में रहती है, पता नहीं कहां रहती है और अब एक ही दिन में सारी किताबें याद आ गयीं क्योंकि हमने यह प्रस्ताव रख दिया। हम समझ रहे थे कि उधर से यही बातें कही जायेंगी। मान्यवर, आज हमारी निश्चित जानकारी है कि अगर यह नहीं होता ये वेल में होते कि हमारे मुकदमे वापस ले लो। इस तरह से सदन चलाने का कोई मतलब नहीं है। इनका जनता से कोई वास्ता नहीं है, किसी भी प्रकार के जन-कल्याण से इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका वास्ता तो हल्ला मचाने और दुंद मचाने से हैं और अपनी बात पूरी कराने से है।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अपनी बात से हट गये और गलत बयान दे दिये। हम लोग उस बात पर जाना नहीं चाहते। आपसे भी बात हो गयी थी कि अब ये पुराना मामला उठेगा नहीं। लेकिन वह मामला क्या था जिसकी बात को लेकर दलील दे रहे हैं। दलील ये दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने लिख कर दिया था कि आपका आना ठीक नहीं होगा लेकिन अखाड़ा परिषद् के लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था कि आप यहां आइये, आपका हम लोग अभिनन्दन करेंगे और आप हम लोगों का अभिनन्दन करियेगा। वे तो उसके लिए जा रहे थे। वे विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे थे, वे तो अखाड़ा परिषद् में जा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

अब उस विषय पर तो कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, गलत बयानी इन्होंने कर दी इसलिए हमें स्पष्ट कारण देना पड़ा और आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दम हो (हंसी) तो विधान सभा चलाकर देखिये, हम लोगों के एक-एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जब उत्तर न दे पाइए तो हम लोगों से सीखिए, चलाइए सदन, हम लोग आपको बाधित नहीं करेंगे। चलाइए तो, और उतना

तो लाजिमी है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में यह रिकार्ड है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सदनों को बाधित किया है अन्य किसी पार्टी ने उतना बाधित नहीं किया है। केन्द्र में दो सत्र, तीन सत्र, चार सत्र, एक भी सत्र भारतीय जनता पार्टी ने चलने नहीं दिया है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, क्या इससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने कृपापूर्वक प्रस्ताव रख दिया, लेकिन ये सारी गलत परम्पराएं समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के जमाने में पड़ीं। हम ये साबित कर सकते हैं, हम ये इसी हाउस में साबित कर देंगे और जहां तक सदन चलाने की बात है, अपने सारे सदस्यों को भेज दीजिएगा, हम सारे सदस्यों को पढ़ा देंगे।

[01:18] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आपकी पहली कार्य-स्थगन की सूचना है।

*** श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का जो रिजर्वेशन है, उसमें सरकार इस तरह की प्रक्रिया अपनाने का काम कर रही है जिससे वह पूरी तरह से बाधित हो रहा है। मान्यवर, अभी केन्द्र में यू0जी0सी0 के द्वारा एक सर्कुलर हुआ, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लोक सभा में कहा कि हम कोई नियुक्ति नहीं होने देंगे, जब तक वह सर्कुलर जीवित रहेगा। उन्होंने उसको स्थगित करने का काम किया। हम उम्मीद करते थे कि यहां पर भी उसी तरह की प्रक्रिया अपनाने का काम किया जायेगा। लेकिन मान्यवर, अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के पांच नए मेडिकल कालेजों में विभिन्न पदों का एडवर्टीजमेण्ट किया गया। उन पदों का एडवर्टीजमेण्ट किया गया, जिनका उल्लेख हमने किया था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, उसमें रिजर्वेशन जीरो रखा गया, जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें जीरो रखा गया। जब हम लोगों ने यह मामला उठाया, यू0जी0सी0 का मामला नेता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधी दल ने उठाया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका वक्तव्य बताया कि उन्होंने रोक लगा दिया है और नई नियुक्ति नहीं होने पायेगी, जब तक कि उसको एक विभागवार माना जायेगा। मान्यवर, विभागवार न माना जाए बल्कि यूनिवर्सिटी या पूरे कालेज वाइज माना जाए, इस पर केन्द्र सरकार ने पुनर्याचिका दाखिल किया है और तब तक के लिए नियुक्तियां रोकने का काम किया है, एक तरफ तो मान्यवर यह है। मान्यवर, हमारे राजकीय मेडिकल कालेज जो हैं, उन सभी मेडिकल कालेज को एक श्रेणी में माना जाता है और लोक सेवा आयोग द्वारा उसकी नियुक्तियां की जाती हैं। सभी पदों को एक साथ संकलित करके उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन मान्यवर, वह न लागू हो, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को रिजर्वेशन न मिलने पाये, इसलिए मान्यवर, 2000 में इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि 'विश्वविद्यालय को यूनिट न मानकर विभाग को यूनिट माना जाए', 14 फरवरी, 2000 को जब इनकी केन्द्र में भी सरकार थी और प्रदेश में भी सरकार थी, तब ये शासनादेश जारी किया। उसके बाद मान्यवर, 01 नवम्बर, 2001 को, उस समय मा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हर मेडिकल कालेज को सोसाइटी के अन्तर्गत अलग-अलग बनाकर, सोसाइटी में लाकर उसको अलग-अलग करने का काम किया, जिससे वह एक साथ न संकलित हों।

मान्यवर, जब हमारी 2002 में सरकार बनी, साझे की सरकार थी, हमने उस सोसाइटी की व्यवस्था को इसी विधान सभा में समाप्त करके फिर से उसको राजकीय मेडिकल कालेज का दर्जा दिया, जिससे कि वह नियमावली उस पर लागू न होने पाये। मान्यवर, सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल की अलग स्थिति होती है। डा0 राम मनोहर लोहिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट बना, वह सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल था, उसमें केवल डी0एम0 और एम0सी0एच0 के कोर्स चलने थे, वह सोसाइटी के तहत् स्थापित हुआ था लेकिन कोई राजकीय मेडिकल कालेज, सोसाइटी के तहत गठित नहीं हुआ। पहली बार 05 मेडिकल कालेजों को सोसाइटी के तहत लिया गया। अब हमारे अनुसार तो 360 पद है, लेकिन माननीय मंत्री जी की भी बात मान ली जाए तो 235 पद हैं और इस 235 में 05 मेडिकल कालेज पहले हो रहे हैं, 08 फिर बाद में होने हैं तो यह कुल 13 हो रहे हैं और इन सबको सोसाइटी से चलायेंगे ? प्रदेश सरकार सारा पैसा देगी और चलायेगी सोसाइटी और सिर्फ इसलिए सोसाइटी चलायेगी, जिससे रिजर्वेशन लागू न होने पाए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को कहेंगे कि विभागवार मानने का आपने सर्कुलर जारी किया था। मान्यवर, हमारे समय में जो सर्कुलर जारी हुआ था, वह पुराने सर्कुलर के आधार पर फिर से जारी किया गया था, वह भी एस0जी0पी0जी0आई0 और के0जी0एम0यू0 में जारी हुआ था, किसी राजकीय मेडिकल कालेज के लिए कोई सर्कुलर नहीं जारी हुआ था कि विभाग को यूनिट माना जायेगा। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 235 में जो अभी इन्होंने नया सर्कुलर जारी किया है, उसके अनुसार केवल 30 पद, जिसमें 10 अनुसूचित जाति के, हर मेडिकल

कालेज में 2-2 पद अनुसूचित जाति के अर्थात् 10 पद और 4-4 पद पिछड़ी जाति के हैं। मान्यवर, तमाम पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं। हमें 13 से ज्यादा रिजर्वेशन 123 रिजर्वेशन चाहिए था, लेकिन केवल 235 में तीस रिजर्व हो रहा है। दस अनुसूचित जाति का और बीस पिछड़ी जाति का। इतना ज्यादा इन जातियों के साथ ज्यादती करने का काम यह सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और पूरे प्रदेश के 85 फीसदी लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 85 फीसदी से ज्यादा है। उन जातियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 30 फीसदी भी नहीं 10 फीसदी दिया जा रहा है। अगर इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि केवल दस फीसदी ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसलिए मान्यवर मैं चाहूंगा कि इस पर तात्कालिक है, अविलम्बनीय है नियुक्तियां होने जा रही है। इसलिए इसको मान्यवर, सोसाइटी को खत्म करके राजकीय मेडिकल कालेज बनाया जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसको मान्यवर उस तरह से टालने का काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको ग्राह्य करके और इस पर निश्चित रूप से चर्चा करावें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 वर्मा जी ने इस बात को उठाया है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं बनती जब तक बहुमत में पिछड़ों ने इनको वोट नहीं दिया होता। बहुमत में दिया सरकार को और सरकार बनने के बाद पिछड़ों को ही नेस्तानाबूत करने का ही धीरे-धीरे प्रयास हो रहा है। दलित आरक्षण की कार्य-मंत्रणा में भी अनौपचारिक रूप से आपके सामने बात आई थी जिसको मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कह दिए थे हम लोग मांग करते रह गए जिन विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां हो गई हैं उनको निरस्त कर दीजिए और आरक्षण के हिसाब से कुल नियुक्तियां हो, तो निरस्त तो कोई नियुक्ति हुई नहीं। इन्होंने कहा कि हम आरक्षण के पक्षधर हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आप क्या कहेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस पर मेरा कहना यही है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई प्रश्न आज के दिन के लिए नहीं है। बड़े-बड़े महारथी जब द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पितामह और सारे पाण्डव आदि बैठे हुए थे वैसे ही पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के बड़े-बड़े योद्धा केशव मौर्या जी और शिक्षा मंत्री जी सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और आरक्षण का नेवाला पिछड़ों और दलितों से छीना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी अभी खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह तात्कालिक है, आवश्यक है। पिछड़ों में इस बात में रोष है और दलितों में रोष है इसलिए इसको कार्य-स्थगन के रूप में ले लिया जाय।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं इनका समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, दो बातें हम तकनीकी की बात करेंगे। नम्बर एक नियम-56 के बाद से 57 और 58 आप यह किताब बहुत पढ़ते हो और बहुत विद्वान हो आप।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जब पिछड़ों और दलितों को देना है तब इनको किताब दिखाई पड़ रही है।

*** श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, ऐसा है वह प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है मान्यवर हम आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहते हैं कि ग्राह्यता पर इनको दो बार सुन चुके हैं और नियम-51 में इसके ऊपर वक्तव्य भी आ चुका है नम्बर एक मान्यवर। नम्बर दो जहां तक पिछड़ों की बात आपने कही कि हम पिछड़ों का विरोध करना चाहते हैं। मान्यवर, हम पिछड़ों और दलितों का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया इन्होंने दिखावा करके उनको कैश कराया।

मान्यवर, चाहे किसी की सरकार रही हो, सभी को मौका मिला। इनके समर्थन से सरकार चली लेकिन पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा पहली बार हमने ही दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया। हमने दर्जा दिया है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी **सबका साथ सबका विकास** के नारे पर चल रही थी, चल रही है और आगे भी चलेगी। आरक्षण नियमानुसार दिया था और आगे भी देंगे। मान्यवर, इसका जवाब हमारे मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी देंगे।

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

मान्यवर, एक बार यह विषय नियम-311 में मा0 लाल जी वर्मा जी ने उठाया था। सारा विषय उस वक्त आ गया था, सारे जवाब आ गए थे। फिर नियम-51 में लिखित वक्तव्य भी आ गया। आज पुनः इन्होंने यह बात उठाई है। मैं पुनः उसका जवाब दे रहा हूं। एक तो आपकी आपत्ति है कि सोसाइटी क्यों बनाई ? मान्यवर, ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये केन्द्र सरकार की योजना के तहत बन रहे हैं और देश भर में सम्भवतः 88 मेडिकल कॉलेज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी देर पहले मा0 स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि अब तक 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज बने हैं और इस योजना के तहत 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज अब बन रहे हैं जिसमें 5 ये हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा है और हमारा प्रयास है कि आगामी सत्र से वहां शिक्षण कार्य शुरू हो जाए। लेकिन अगर इनको इस सत्र से शुरू करना है तो हमें फैकल्टी का सेलेक्शन जल्दी करना होगा। जब यह कम्बाइण्ड कैडर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजता है तो डेढ़-दो साल लगते हैं और वहां से तब भी पूर्ति नहीं होती। संविदा पर रखना उसका कोई हल नहीं है और संविदा पर भी उचित नहीं मिलते हैं। अब इस योजना के तहत जो अन्य प्रदेशों में बन रहे हैं, वहां भी सोसाइटी के तहत बन रहे हैं और वे सोसाइटी सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को अक्षरशः लागू कर रही है, लागू करेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।

*** श्री लाल जी वर्मा-**

इस 235 में कितना रिजर्व है ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, यह जो सोसाइटी बनी है, इनके बाईलॉज में यह है कि जो प्रदेश सरकार के शासनादेश हैं, उनके आधार पर ये चलेंगी और वे शासनादेश जब आपकी सरकार थी, तब जारी हुए थे। मैं अभी आपको वह बताता हूं। मान्यवर, वर्ष 2010 में किसकी सरकार थी, यह शासनादेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक संस्थान के लिए जारी हुआ था। यह शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2010 को जारी हुआ था। इसमें लिखा है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय के जिन विभागों में एक से तीन तक पद सृजित हैं, वहां प्रतिशत आधार पर आरक्षण की अनुमन्यता होगी। अतः उक्त पद आरक्षित श्रेणी के नहीं होंगे। दूसरा शासनादेश आपका दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को जारी हुआ था। इसमें लिखा है कि संस्थान के प्रत्येक विभाग में सृजित विभिन्न पदों को अलग-अलग यूनिट मानकर प्रत्येक पद पर आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। संस्थान में संकाय सदस्यों की भर्ती हेतु आरक्षण का निर्धारण प्रतिशत के आधार पर किया जाए। नम्बर तीन, संस्थान में जिन पदों की संख्या दो अथवा तीन है उनमें कोई पद आरक्षित नहीं होगा तथा चार पदों में एक पद ओ0बी0सी0 श्रेणी के लिए एवं सृजित पांच पदों में एक पद ओ0बी0सी0 व एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा। यह शासनादेश 10 दिसम्बर, 2010 का है। और इसके बाद मान्यवर, आपकी सरकार थी यह 28 अगस्त 2015 को जो शासनादेश जारी हुआ है इसमें स्पष्ट लिखा है कि रिक्त पद आरक्षित की जायेगी इसी प्रकार आरक्षित रिक्तियों की संख्या यदि 1.99 आगणित होने पर भी आरक्षित पद रिक्त एक ही होगा अर्थात् प्रोफेन्स को नजरअन्दाज किया जायेगा। श्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के हस्ताक्षर से यह शासनादेश 28 अगस्त, 2015 को जारी हुआ है। इसके बाद प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए 15 जनवरी, 2016 को एक शासनादेश जारी हुआ है और इसमें भी लिखा है कि पृथक-पृथक इकाई के अन्तर्गत ट्रेडवार पदों की संख्या को देखते हुए आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अनुमन्य होगा। अब सोसायटी की आप बात कर रहे हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग में इंजीनियरिंग कॉलेजेज की सोसायटी आपने बनायी। बिजनौर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर में 12 जून 2009 को सोसायटी आपने बनायी। वहां भी उसी आधार पर आरक्षण हो रहा है और आज तक हो रहा है। सोनभद्र, मैनपुरी, कन्नौज में 4 मार्च, 2015 को आपने सोसायटी बनायी। मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि वह पुस्तक जब इधर होते हैं तो काम नहीं आती है तो मैं भी यही आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी बहुत अनुभवी, बहुत योग्य, बहुत कर्मठ विधायक हैं और मंत्री रहे हैं तो जब इधर बैठते हैं तो जो वह करते हैं उसे पूरा नियम-कानून देखकर बहुत कायदे से करते हैं। हमने तो इनका अनुसरण किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। जिस शासनादेश का इन्होंने जिक्र किया, भारत सरकार में लोक सभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यू0जी0सी0 का जो विभागवार मानने का शासनादेश है उसको हम स्थगित करते हैं और पुनर्याचिका में फिर से विचार करने के लिए सुप्रीमकोर्ट गये और तब तक की नियुक्तियां रोकने की बात की है। एक तरफ तो यह कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभी इन्होंने जितने प्रकरणों का जिक्र किया उसमें किसी राजकीय मेडिकल कालेज के लिए कभी भी इस तरह का कोई शासनादेश नहीं हुआ। हमारे समय में जो शासनादेश था वह सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल के लिए था। सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की अलग स्थिति है और राजकीय मेडिकल कालेज की अलग स्थिति है। मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूं कि 235 का जो पद निकाला गया है उसमें माननीय मंत्री जी बता दें कि कितना रिजर्व है ? एस0सी0 का कितना रिजर्व है और पिछड़ी जातियों का कितना रिजर्व है। किस रेशियो में कितना प्रतिशत हुआ ? मान्यवर, अगर 235 में केवल 10 अनुसूचित जाति का और 20 ओ0बी0सी0 का रिजर्व आपने किया जो एस0सी0 और ओ0बी0सी0 की कास्ट पर आप मेडिकल कालेज चलाना चाहते हैं ? हमें यह स्वीकार नहीं है। अगर आप एस0सी0 और ओ0बी0सी0 के बिहाफ पर, उनको किनारे करके आप मेडिकल कालेज चलाना चाहते हैं तो ऐसा मेडिकल कालेज हमें स्वीकार नहीं है। आप उनको हिस्सेदारी देकर चलाने का काम करिए उसमें हम आपके साथ हैं और हर तरफ से खड़ा हूं। जहां तक मान्यता का सवाल है, एम0सी0आई0 का सवाल है, आप उसके तहत भी जाकर, उसके लिए आपने संविदा का इसी सदन ने एक प्रस्ताव करके संविदा पर शिक्षक रखने का जिसको एम0सी0आई0 पूरी तरह से मानने का काम करती है, संविदा शिक्षकों को भी उसके तहत आप करिए। उनका वेतन बढ़ा दीजिए आप उन्हें तब तक संविदा पर कर लीजिए जब

तक की आयोग से नहीं आता लेकिन केवल हमारे रिजर्वेशन खत्म हो जायें इसके आधार पर आप सोसायटी बना रहे हैं तो यह कदापि हमें स्वीकार नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर विस्तृत चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

अब विषय हो गया, आप लोगों को बजट पर बोलना भी है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मुझे इसका जवाब दिला देते।

श्री अध्यक्ष-

उनका उत्तर पूरा आ गया।

(श्री लाल जी वर्मा तथा श्री अजय कुमार 'लल्लू' के अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की घोर विरोधी है और उनके हिस्से को हड़पने का काम कर रही है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, सरकार की इस नीतियों के खिलाफ हम सदन का दो मिनट के लिए बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

*** श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालय की भर्ती में भी इस तरह का काम किया गया। चिकित्सा शिक्षा में भी सरकार इस तरह का काम कर रही है इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस व्यवस्था के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

मान्यवर, मैंने तो इनको आईना दिखा दिया हे, दो शासनादेश इनके कार्यकाल के और दो शासनदेश इनके कार्यकाल के हैं। मान्यवर, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नरेन्द्र वर्मा जी का नियम-56 में नोटिस है, बहुत संक्षेप में कह लें। नरेन्द्र वर्मा जी अब लौट आइये, हो गया। कौन बोलेगा ? उज्जवल रमण सिंह बोलेंगे। बहुत संक्षेप में बोलिये, क्योकि अभी सभी नेतओं को भी बोलना है, बहुत जल्दी-जल्दी।

*** श्री उज्जवल रमण सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई आज के दिन है तो वह बेरोजगारी की समस्या है। मैं पूरे सदन का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज प्रदेश की जो स्थिति है। प्रदेश में जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, चाहे लाखों रुपये खर्च करके बी0ए0 हो, बी0टेक0 हो, एम0टेक0 हो, एम0बी0ए0 हो, पी0एच0डी0 करने के बाद सड़कों पर बरोजगार घूम रहा है। कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले लागों की स्थिति यह है कि आज वो कर्ज अदा तक नहीं कर पा रहे हैं। बैंकों का एन0पी0ए0 लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रदेश की 21 करोड़ की आबादी है, जिसमें 05 करोड़ से ज्यादा युवा आज ठोकरें खा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। प्रदेश में 05 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। मा0 अध्यक्ष जी, अभी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एन0एस0एफ0ओ0 की रिपोर्ट आयी है कि बेरोजगारी के आंकड़े में 11वें पायेदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। मैं तो जब भी अपने क्षेत्र में जाता हूं सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। ये विकराल रूप ले चुकी है, लोग रोजगार मांगने आते हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा, एक हजार व्यक्ति पर 39 व्यक्ति बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि हम 90 दिनों में लाखों लोगों को रोजगार देंगे। आज लगभग 600 से ऊपर दिन हो गये। हम जानना चाहते हैं कि कितने पदों को आपने भरने का काम किया है ?

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप कर दीजिये।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

पूर्ववर्ती सरकार ने एक पुलिस उप निरिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया निकाली थी, जो 3 वर्षों से लम्बित है, सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी, लेकिन आज तक उसका अन्तिम परिणाम घोषित नहीं किया गया है। यह बेरोजगारी कैसे दूर होगी हम तो यह जानना चाहते हैं ? अगर आप परीक्षाफल निकाल दिये होते तो साढ़े 6 हजार युवा बेरोजगार लोगों को एस0आई0 के पदों पर भर्ती मिल जाती। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपना निर्णय दे दिया लेकिन आज तक युवाओं को नियुक्ति-पत्र नहीं दिया गया। श्रम मंत्री जी ने ही जवाब दिया है कि 21,39,811 बेरोजगारों का पंजीकरण कराया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब संक्षेप कर दीजिये, अभी सबको बजट पर भी बोलना है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मैं स्थिति आपको बयां कर दूं कि जो 66 जिले में रोजगार मेले लगाये गये थे उसमें 55,000 से अधिक युवा बेरोजगार आये लेकिन नौकरी मिली कितनी, 100 लोगों को। मात्र 100 लोगों को नौकरी दी गयी, ये है प्रदेश की सरकार का हाल। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लगभग हर विभाग में 20 प्रतिशत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और अधीनस्थ सेवा आयोग का मैं हाल बतला दूं कि समाज कल्याण विभाग में 1953 पदों की भर्तियां निकाली थीं और लोग कितने एप्लाई करते हैं, 14.33 लाख। 14.33 लाख लोग मात्र 1953 पदों के लिए। ये है प्रदेश की व्यवस्था, ये है प्रदेश का हाल।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त। ये बड़ा विषय है। बेरोजगारी फैला हुआ विषय है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

रेडियों पुलिस मुख्यालय में संदेश वाहक की जो भर्ती होती है, उसमें 62 पदों का विज्ञापन निकाला जाता है। 93 हजार से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त होते हैं और शैक्षिक योग्यता क्या थी, संदेश वाहक की ? मात्र कक्षा-5 पास और 90 प्रतिशत आवेदन किसके हैं ? ग्रेजुयेट, बी0टेक0 और एम0टेक0 के। मैं तो कहना चाहता हूं कि इससे बड़ी समस्या और कोई हो नहीं सकती। आज जो लूट-खसोट की घटनायें बढ़ रही हैं, जो डकैती और चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं, धरना-प्रदर्शन बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण युवा बेरोजगार है। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहूँगा कि यह विषय अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है, तात्कालिक है। इसको सब कार्य रोककर यदि आप चर्चा करा देंगे तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ सरकार न्याय करेगी।

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री उज्जवल रमण जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना प्रस्तुत की गयी है इसके विषय में हम केवल इतना ही अवगत कराना चाहते हैं कि आपको पीड़ा है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन शायद वह दिन भूल गये जब बेरोजगारी भत्ता के नाम पर बेरोजगारों की फौज बढ़ा रहे थे। अगर बेरोजगारों को रोजगार दिये होते तो शायद आज वहां बैठकर इनको यह चिन्ता करने की जरूरत न होती। मान्यवर, जिस बेरोजगार नौजावान को रोजगार दिया जाना चाहिये था उसको भत्ता का लालीपाप दिखाया जा रहा था और वह बेरोजगारी भत्ता भी 2015 से बन्द कर दिया गया। इस तरीके से बेरोजगारों के साथ ठगी करने वाले लोग आज बेरोजगारों के नाम पर

घड़ियाली ऑसू बहा रहे हैं। मान्यवर, जहां तक रही बात आपका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है। अभी नवम्बर का आकंड़ा बाद में दूंगा। आपका कहना है कि सरकार को बेरोजगारों की चिन्ता ही नहीं है। आपने 2015-2016 में सेवायोजन विभाग के द्वारा कुल कितनी भर्तियां की थीं उतना हमने केवल 2018-2019 में नौकरियाँ दी हैं। आपने टोटल दो साल में 98 हजार सेवायोजन विभाग के माध्यम से भर्ती की थी, हमने मात्र एक साल में 97,898 नौकरियां दी और मान्यवर, जबसे मैं विभाग का मंत्री बना, इन दो सालों में पिछड़े वर्ग से 63,162 इस वर्ष 97,229। 1,60,381 सेवायोजन विभाग से और कौशल विकास से 2,72,768 यानि कुल मिलाकर सेवायोजन और कौशल विकास से 4,33,159 नौकरियां निजी क्षेत्रों में दी गयी हैं। साथ ही साथ मान्यवर, आपने जिस नवम्बर महीने का खाका दिया है कि एक भी भर्ती नहीं हुयी। यह नवम्बर महीने में पूरे प्रदेश का मेरे पास आकंड़ा है। कुल 16,218 यह नवम्बर महीने की बात बता रहे हैं कि 37,921 अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे और 16,594 बेरोजगार नौजवानो को हमने रोजगार दिया था। यह आकंड़ा झूठा पेश करके सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और रही बात 2018-2019 की तो अभी कोई भी आंकड़ा तय ही नहीं हुआ है कि हम बेरोजगारी के किस पायदान पर खड़े हैं। जो आकंड़ा है 2015-2016 का वह मिनिस्ट्री आफ लेबर एन्ड इम्प्लायमेन्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का है और इसमें 2015-2016 में उत्तर प्रदेश इक्कीसवें पायदान पर था। आज अगर 11वें पायदान पर है तो 10 पायदान हमने 03 साल के अन्दर घटा कर दिया है और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह समाजवादी पार्टी के मा0 नेतागण, सदन को इतना गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह बात कर रहे हैं 800, 1000, 2000 जगह निकली, भर्ती नहीं हुई, यद्यपि यह सभी जानते हैं कि 41,556 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, ज्वाइन भी कर लिये हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस में भी 1 लाख 23 हजार 619 भर्तियां होनी हैं, जिसमें 27 हजार का परीक्षण पूरा हो चुका है, 42,000 की परीक्षा पूर्ण करा दी गई है और 50,000 की परीक्षा प्रचलित है। इसी के साथ-साथ अग्निशमन में 2,065 की भर्तियाँ प्रचलित हैं, चल रही हैं, कारागार में 3638 की भर्ती का आवेदन कर लिया गया है, भर्ती प्रचलित है, चल रही है और यही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से अन्य विभिन्न विभागों में जो हमारे अभ्यावेदन जाते हैं, विभिन्न आयोगों को, विभिन्न बोर्डों को जो निमित्त के लिए गठित किये गये हैं कि इन सरकारी पदों की भर्ती समय-समय पर पूरी करें। लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, यह तमाम आयोग हैं। आयोगों के माध्यम से अलग भर्तियाँ हो रही हैं और साथ ही साथ मान्यवर, आपके माध्यम से हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप कर दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह आउटसोर्सिंग, पहले सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी सरकारी विभागों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की सारी भर्तियाँ होती थीं। आउटसोर्सिंग सिस्टम समाजवादी पार्टी में लागू हुआ, हम तो आपका पाप धो रहे हैं और उस पाप को धोने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) हमने तो माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर लिया है कि आउटसोर्सिंग भर्तियाँ बेरोजगार नौजवानों के शोषण का माध्यम है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस पर सहमति दी है कि हम इस पर जल्दी ही कोई बैठक करके बेरोजगार नौजवानों के साथ जो धोखा हो रहा है, उसको सुधारेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, समाप्त करिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

लेकिन आप तो गठबन्धन में हैं। गठबन्धन करने के पहले उस बात को पूछना चाहिए था कि आपने बेरोजगार नौजवानों को क्यों धोखा दिया। मान्यवर, आउटसोर्सिंग पैदा किया आपने, बेरोजगारों की फौज तैयार की समाजवादी पार्टी ने और साथ ही साथ आज जब बेरोजगार नौजवानों को हम निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियाँ दे रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

कहाँ दे दिया आपने ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उसका आँकड़ा अभी थोड़ा प्रस्तुत किया, अभी तो हमने शुरूआत किया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप शुरूआत के बाद, समाप्त भी कर दीजिए। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यह तो अपने को ही बेरोजगार बना लिये, तभी तो गठबन्धन करके फिर से रोजगार के चक्कर में आ गये। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यह दोनों बेरोजगार मिल करके अपने रोजगार का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। इनको अपनी चिन्ता है, हमको प्रदेश के नौजनवानों की चिन्ता है, रोजगार दे रहे हैं, आगे भी रोजगार देते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बड़े पैमाने पर हम नौजवानों को रोजगार दे करके हम उनको सम्मान, स्वाभिमान के साथ खड़ा करेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता काँग्रेस क्या आप बोलेंगे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा नाम लिया है मा0 मंत्री जी ने जबकि हम तो इसमें थे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम तो रोज लेते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने संकल्प पत्र में भी वायदा किया था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो 90 दिन के अन्दर जितने विभागों में रिक्तियाँ हैं उनको हम भर देंगे, तो किस विभाग में कितना वान्ट निकाले हैं यह बता दें, इसके स्थान पर मा0 मंत्री जी कौशल विकास बता रहे हैं जिसमें बढ़ई, नाई, लोहार को ट्रेनिंग दिये हैं यदि नहीं भी ट्रेनिंग देते तो भी आदिकाल से वह वही काम कर रहे हैं। मान्यवर, ये गरीबों को, पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं ये तो चाहते हैं कि जो पुश्तैनी लोग हैं वह वही करें, कलेक्टर न बनें, एस0पी0 मत बनें, केवल हंसुआ बनाओ पीढ़ा बनाओ, लोटा बनाओ यह तो आप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह आई0ए0एस0 हों, आई0पी0एस0 हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मास्टर हों, प्रोफेसर हों। आपने कौशल विकास में उन्हें ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग तो दिया आपने, उसमें ट्रेनिंग में कितने लोगों को नौकरी मिली। ट्रेनिंग देना नौकरी नहीं है ना, 26 लाख ट्रक खरीदे गये देशा में, वह नौकरी नहीं हुई, तब तो ट्रासपोर्टर ने कह दिया कि साहब जो पुराने हमारे ड्राइवर थे उन्हीं को रखा है, कोई नोकरी नहीं दी है। एक बात को सौ बार दोहराना सही हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेतागण ! अब झूठ चलेगा नहीं, अब सही चलेगा। हम कोई आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आप भी जब यहाँ थे तो जितना वहाँ से चिल्लाये उससे और ज्यादा जोर से बोलते थे। मा0 संसदीय कार्य मन्त्री जी भी बोलते थे, उद्योग मन्त्री जी भी बोलते थे, सभी बोलते थे क्योंकि यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है। विपक्ष में रहेंगे तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार में रहेंगे तो विपक्ष के खिलाफ बोलेंगे लेकिन हमारा काम है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना। एक भी वान्ट नहीं निकाला और जो वान्ट पिछली सरकार के थे उसी में पीठ में थप्पा मारे हैं, उसको भी पूरा नहीं किया आपने आज तक। मा0 अध्यक्ष जी, यह महत्वपूर्ण मामला है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि नौजवानों

का यह देश है, नौजवान बेरोजगार है, भूखे मर रहा है, नौजवान जब बेरोजगार रहेगा, खाली रहेगा तो समाज में अव्यवस्था रहेगी इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस पर आप चर्चा करा दें और एक व्यवस्था करा दें कि नौजवानों को तुरन्त रोजगार उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे हम अग्राह्य करते हैं।

(नेता कांग्रेस श्री अजय कुमार 'लल्लू' का नाम पुकारे जाने एवं मा0 सदस्य नितिन अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें, मैंने मा0 अजय जी को बुला लिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है उससे ये सरासर नौजवानों की आंखो में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार तो उनके लिए काम कर रही है और मैं इस बात पर कायम हूँ कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। एक चीज मैं यह भी कहना चाहता हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, कृपया सदन को व्यवस्थित करायें, आपने मुझे बुला लिया है फिर भी मा0 मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूचना लगाने वाले लोगों की सूचनाएं देखकर यह मालूम होता है कि बेरोगार नौजवानों के प्रति ये कितने सजग और सावधान हैं, ये उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में कुल 8584 मदरसा हैं और उसमें लगभग 60 से 70 हजार मदरसा शिक्षक हैं। ये ऐसे शिक्षक हैं जिसमें विज्ञान गणित और अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं केवल उर्दू मात्र नहीं पढ़ाया जाता है। वर्ष 1993 से संचालित।

(सत्तापक्ष की ओर से कुछ बोलने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। वह नहीं कहेंगे आप कृपया अपनी बात कहें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

उसमें हिन्दू भाई हैं और मुस्लिम भाई भी हैं, मदरसा शिक्षक में विज्ञान, गणित आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, 1993 से ये मदरसा संचालित हैं, उसमें जो स्नातक शिक्षक हैं उसमें राज्य सरकार से 2 हजार और केन्द्र सरकार से 6 हजार यानि कि 8000 रुपया उनको मिलता है। स्नातकोत्तर के जो शिक्षक हैं उन लोगों को राज्य सरकार से 3 हजार और केन्द्र सरकार से 12 हजार यानि कि 15000 रुपए का वेतन मिलता है। मा0 अध्यक्ष जी, विगत तीन वर्षों से यानि कि 36 महीने से उनको एक पैसे का भुगतान नहीं मिला है, मान्यवर, उसमें एक जाति के नहीं बल्कि सर्वजाति के लोग मदरसा शिक्षक के रूप में विद्यमान हैं। उसमें गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी, उर्दू सारे विषय पढ़ाये जाते हैं।

श्री नितिन अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जाएं। श्री अजय कुमा 'लल्लू' जी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में....।

(इसी बीच श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी खड़े हो गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने जो कहा है उस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं इस बात का कायल हूँ कि सरकार रोजगार के प्रति गम्भीर है। लोगों को रोजगार मुहैया करा रही है। समय-समय पर रोजगार मेले का आयोजन करा रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए कहा है। कृपया सदन को व्यवस्थित कराएं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आप बैठ जायं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में कुल 8485 मदरसा विद्यालय हैं और उसमें लगभग 60-70 हजार मदरसा शिक्षक हैं। इन शिक्षकों द्वारा विज्ञान, गणित और अन्य विषय भी पढ़ाये जाते है, केवल उर्दू मात्र ही नहीं पढ़ाये जाते हैं।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के टीका-टिप्पणी करने पर)

मा0 अध्यक्ष जी, ये लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनों हैं। मदरसा शिक्षकों के लिए ये लोग गलत परिभाषा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग गलत परिभाषा नहीं करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 1993 से मदरसा विद्यालय संचालित हैं। इसमें जो स्नातक पढ़े हुए शिक्षक हैं उनकों राज्य सरकार रु0 2000/- और केन्द्र सरकार रु0 6000/- यानि कुल रु0 8000/- उनको वेतन मिलता है और स्नातकोत्तर पढ़े हुए शिक्षक राज्य सरकार रु0 3000/- और केन्द्र सरकार रु0 12000/- यानि कुल रु0 15000/- उनको वेतन मिलता है। विगत तीन वर्षों से, यानि 36 महीनों से उनको एक भी पैसे का भुगतान नहीं मिला है। मा0 अध्यक्ष जी, उसमें गणित, विज्ञान, संस्कृत, हिन्दी और उर्दू, यानि सारे विषय पढ़ाये जाते हैं। 36 महीनों से जिन शिक्षकों का वेतन नहीं मिला होगा, उनके परिजनों/परिवार की क्या स्थिति होगी, उनकी स्वयं क्या स्थिति होगी, आप सोच सकते हैं ? मदरसा शिक्षकों के लिए कोई नियमावली नहीं है, महँगाई-भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षों से लगातार नियमितीकरण की भी माँग कर रहे हैं और आज भी उनका आन्दोलन लखनऊ के ईको गार्डेन में पिछले चार महीनों से लगातार वेतनमान के लिए चल रहा है। 36 महीनों से वेतन न मिल पाने के कारण वह लोग भुखमरी के कगार पर हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लगभग 60 से 70 हजार मदरसा शिक्षकों के लिए माँग करूँगा कि इनको वेतन दिलवाया जाये, साथ ही सेवा नियमावली बनवायी जाये, जिससे कम से कम नियम और शर्तें एवं व्यवस्थाएं बन सकें, जिसके अन्तर्गत वह शिक्षक व्यवस्थित हो सकें और सरकार उनको नियमितीकरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

***दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक प्राविधानिक योजना है। जैसा अभी मा0 सदस्य ने कहा था केन्द्र ही मानदेय देता है, इसमें राज्य सरकार के द्वारा अनट्रेन्ड ग्रेजुएट को रु0 2000/- और रु0 3000/- जो ग्रेजुएट ट्रेंड हैं या जो पी0जी0 हैं उनको दिया जाता है। निश्चित रूप से पिछले दो वर्ष से उन्हें केन्द्र का कोई अंशदान नहीं मिला है। पिछले बजट में हमने उत्तर प्रदेश में रु0 5768.88 लाख हमारे बजट में था। पूरी की पूरी धनराशि हम उनको निर्गत कर चुके हैं और वह धनराशि उन्हें प्राप्त भी हो चुकी है। हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि इनका जो भी मानदेय बाकी है, वह भेजा जाए। राज्य सरकार का एक रुपया भी बाकी नहीं है। यह योजना तो पूरे प्रदेश में लागू है, अकेले केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू नहीं है। हमारे यहाँ 21100 कुछ अध्यापक हैं और जो आधुनिकीकरण के हमारे मदरसे/विद्यालय हैं इनमें तीन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

शिक्षको की तैनाती होती है। 11 जनवरी, 2019 को केन्द्र का एक जी0ओ0 हमारे पास आया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अब आगे 40 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का होगा और 60 फीसदी शेयर केन्द्र सरकार का होगा। आगे आने वाले बजट में, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे, उसमें हम इसका पूरी तरह से पालन करेंगे। राज्य सरकार का एक-एक रुपया इनको दिया जा चुका है और केन्द्र के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से मा0 मंत्री जी से बात किया है और दो-तीन बार हम पत्र भी लिख चुके हैं और प्रमुख सचिव को भी इस सम्बन्ध में वार्ता के लिए भेज चुका हूँ। इसमें जितनी भी शीघ्रता होगी, हम निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या सेवा नियमावली बनाने पर मा0 मंत्री जी विचार करेंगे और दूसरा जो 36 महीने से इनका वेतन बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री लल्लू जी, मा0 मंत्री जी का बहुत स्पष्ट उत्तर आ चुका है, अब आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, केन्द्र एवं राज्य में इनकी सरकार है। यह कह देना कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष-

अब सभी दलों के नेताओं को बजट पर बोलना है, आप बैठ जाएं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपके माध्यम से इस पर चर्चा करा लिया जाये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे प्रकरण पर कार्रवाई करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

कार्रवाई के निर्देश दे दिये गये हैं।

*** श्री सुखदेव राजभर-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आप 02 मिनट सुन लें हमारे क्षेत्र आजमगढ़ में थाना-वर्धा का एक लड़का, जिसका नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शशिकांत यादव था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी0ए0 प्रथम वर्ष का छात्र था। लड़का बहुत गरीब परिवार का था, उसका एक भाई मिलिट्री में है और एक भाई बेरोजगार है। उसको मकान मालिक प्रताड़ित करता था। उसको के0पी0यू0सी0 हॉस्टल में एक कमरा एलॉट हुआ था। इधर मकान मालिक दबाव डालता था कि मकान जल्दी खाली करो। वह बहुत मेधावी छात्र था, जब वह हॉस्टल वार्डेन के पास जाता था तो वह उसको डांटकर भगा देते थे। कोई यूनिवर्सिटी का जबरदस्त लड़का था उसने उस कमरे पर कब्जा कर लिया था जो इसको एलॉट था। वह वार्डेन के पास गया कि साहब मकान मालिक ने हमको निकाल दिया है और यहाँ जो मुझे कमरा एलॉट है उस पर हमको कब्जा नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे जिन्दा रहूँगा ? मैं तो मर जाऊँगा। उन्होंने कहा कि जा करके मर जाओ। 29 जनवरी, 2019 को उसने आत्महत्या कर लिया। उसका एक भाई सेना में है। उसने जब आत्महत्या कर लिया तो उसने एक सुसाइड नोट लिखा, अखिलेश यादव जी, स0पा0 के अध्यक्ष जी के लिए और अपने दोस्तों के लिए कि भाइयों अब तो मैं इस धरती से जा रहा हूँ लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये। आये दिन वार्डेन सीधे-साधे बच्चों को प्रताड़ित करता है, सताता है। आप सब इस लड़ाई को आगे जारी रखिये। उसको केवल एक कष्ट था कि एक तरफ मकान मालिक प्रताड़ित कर रहा है, दूसरी तरफ वार्डेन उसको प्रताड़ित कर रहा है तो मान्यवर, एक बी0ए0 प्रथम वर्ष का मेधावी छात्र जिस कारण से आत्महत्या किया है आज उसकी आत्मा की शांति के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, 29 तारीख को एफ0आई0आर0 हो गयी और उसमें सी0आर0पी0सी0 की धारा-504 व 306 की धारायें लगी हैं लेकिन पुलिस के कान पर जूँ नहीं रेंगी है। एक 18 साल का नौजवान, जिसका भाई भारत माता की सेवा के लिए सेना में है, उसका भाई विश्वविद्यालय में वार्डेन के द्वारा प्रताड़ित होता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि भविष्य में हमारे अन्य छात्रों के साथ इस तरह से न हो।

श्री अध्यक्ष-

राजभर जी, पूरा विषय आ गया।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जिसने आत्महत्या किया है तो इतना न्याय तो कर दें कि तत्काल उन दोषियों की गिरफ्तारी करायें जिसके खिलाफ एफ0आई0आर0 है। संसदीय कार्य मंत्री जी आश्वस्त करें। उसका भाई सेना में है। उसके घर मैं गया हूँ, उसका खपरैल का मकान है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूँगा कि उस बच्चे के परिवार की कुछ मदद भी करवा दें। जो उसने सुसाइड नोट लिखा है तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ा हृदय विदारक है। तो मानवीय आधार पर, बहुत लीपापोती नहीं, उसके सन्दर्भ में आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दें। जो वहाँ पर वार्डेन है वह बहुत ही प्रभावशाली है। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस पर प्रभावी कार्रवाई करायें।

श्री अध्यक्ष-

सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

इसी तरह से श्री उमाशंकर सिंह जी की व श्री मनोज पाण्डेय जी की सूचना है, इसको अग्राह्य करता हूँ और शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री नफीस अहमद जो हमारे विधायक हैं उनको एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

अभी मा0 नेताओं को बोलना है, वह रह जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप हमारे पास नोटिस है ? आपके सब्जेक्ट क्या हैं ?

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपापूर्वक सुन लें, बहुत गम्भीर मसला है। आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है कि अभी नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता ब0स0पा0, मा0 नेता काँग्रेस को बोलना है, फिर माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना है।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, के वल एक मिनट का समय लूँगा। मा0 अध्यक्ष जी, 12 तारीख को एक घटना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैम्पस में होती है और उस घटना के बाद वहाँ पर 14 छात्रों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया गया और अध्यक्ष जी, ...

(सत्तापक्ष के कई सदस्य अपने आसन पर खड़े हो गये और बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री नफीस अहमद-

मा0 अध्यक्ष जी, (समाचार-पत्र की फोटो स्टेट कापी दिखाते हुये) जिला अध्यक्ष व युवा मोर्चा, अलीगढ़ असलहे लहराकर कैम्पस में फायरिंग करते हैं।

(इसी बीच श्री दलवीर सिंह जी खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष-

आपका कोई नोटिस नहीं है। आप बैठिये आपने कोई सूचना नहीं दी। इस पर सरकार तैयार कैसे होगी। यह कोई तरीका है। आप यह कागज गलत लहरा रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दलवीर सिंह-

यह ऐसे लोगों की बात कर रहे है जो राष्ट्र द्रोही है, समाज द्रोही हैं, समाज द्रोही हैं। गुन्डे थे, अपराधी हैं आतंकियों से उनके सम्बन्ध हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूँ कि आप बैठिये। आप गलत कर रहे हैं आपका कोई नोटिस नहीं है। आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप बैठिये। आप बैठिये तो। इस मामले में आपका यहाँ कोई नोटिस नहीं था। मैंने सदासयतापूर्ण माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने से आपको अनुमति दे दी। आप जब कोई गम्भीर विषय उठाना चाहते हैं तो पहले से नोटिस आती है। प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, आप लोग तमाम मंत्री रहे हैं। नोटिस आती है, सरकार उसकी तैयारी करती है। आपका कोई नोटिस नहीं, कोई तैयारी नहीं। आप अचानक बीच में खड़े हो गये यह तरीका ठीक नहीं है। अब हम नेता प्रतिपक्ष से कहेंगे।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। आप नहीं चाहते हैं आज की कार्यवाही चलाना।

श्री लालजी वर्मा-

यह तो स्पष्ट है कि कौन नहीं चलाना चाहता। यह सत्ता पक्ष के हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई हो। आप बैठिये मैं कह रहा हूं। आपका लिखा नहीं जा रहा है जो आप बोल रहे हैं। आप बैठिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना आज का बजट भाषण शुरू करें।

(मेजों की थपथपाहट)

[02:12] वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा नेता विरोधी दल द्वारा आरम्भ करके अपने स्थान पर श्री संजय गर्ग को अधिकृत किया जाना

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019-2020 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। यह बजट चू-चू का मुरब्बा है मान्यवर।

*** संसदीय कार्य, नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख कर बोलियेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैंने माननीय अध्यक्ष जी को भी कह दिया है कि मैं अपना भाषण शुरू करूंगा और उसके बाद मेरे बदले आगे संजय गर्ग बोलेंगे। यह मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं और अध्यक्ष जी से भी कह चुका हूं। मैं अपना पूरा भाषण नहीं दूंगा मैं थोड़ा सा भाषण दूंगा उसके बाद संजय गर्ग बोलेंगे मेरे बदले। मान्यवर, यह बजट किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, छात्र विरोधी है। किसी के हित में यह बजट नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के अपने हित में यह बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी जो योग्य पुरुष हैं, पर हर बजट सत्र में शेर ओ शायरी से दहला देते हैं। हवा का रुख बदल देने का हौसला भी है, ताकत भी है। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया हमने सफर अपना किसी तूफां के डर से नहीं बदलते वायदा कर लिया जो हमने। वायदा किया है। किया था वायदा इन्होंने जनता से कि हम सरकार में आयेंगे सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और अन्त में आते-आते लघु और सीमान्त पर आ गये सम्पूर्ण खत्म हो गये। हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज तक वान्ट्स नहीं निकली। जो कुछ इन्होंने कहा अपने संकल्प-पत्र में आज तक कुछ नहीं किया। मैं शार्ट में बता रहा हूं। फिर मैं आपसे कहता हूं वित्त मंत्री जी, ''फिर बैठे-बैठे वादा-ए-वस्ल उसने कर लिया। फिर उठ खड़ा हुआ वही रोग इन्तिजार का (मेजें थपथपाई गईं) भारतीय जनता पार्टी केन्द्र से लेकर प्रदेश तक कह रही है कि हम 2022 तक पूरा करेंगे तो देश की जनता प्रदेश की जनता इन्तजार कर रही है। मान्यवर, 2018-19 के बजट में 11.4% की वृद्धि हुई थी। 2019-20 में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और महंगाई या मुद्रस्फीति जोड़ ली जाए तो फिर कोई बढ़ोत्तरी है ही नहीं। 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख का बजट पेश किया गया है। जो महंगाई और मुद्रास्फीति को जोड़ लिया जाए, तो कोई बढ़ोत्तरी नहीं है। सरकार ने जो विगत वर्ष में बजट एलाट किया था उसमें भी कुछ विभागों में कम कर दिया है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं ऊर्जा में पिछले बजट से 18 प्रतिशत कम बजट खर्चा किया जा रहा है। कृषि और उससे सम्बद्ध गतिविधियों में 19 प्रतिशत बजट कम खर्चा किया जा रहा है। पूरा बजट का 2.8% है। ग्रामीण विकास पर पिछला बजट में 8.4% और इस बजट में 6.9 प्रतिशत खर्च कर रहे है। सड़क और पुलों पर 2018-2019 में 6 प्रतिशत खर्च किया था इस बजट में 5.7 प्रतिशत खर्च करना चाहते हैं। 6 प्रतिशत पिछली बार था और यह कह रहे हैं कि बजट बढ़ा है और बजट महत्वपूर्ण विभागों में कम दिये हैं। मान्यवर, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, जो गरीबों के भाग्य से इसमें लिख गया था 71 लाख हम लोग देहात में कहते है कि-'बिलारी के भाग्य से छींका टूट गया' उसको भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बदलवा दिया 11.71 लाख कर दिया और कहा कि 31 मार्च, 2019 तक 11.71 लाख आवास बना देंगे। आखिर कब तक बना देंगे अब तो चुनाव आ रहा है। दो हफ्ते के बाद आचार संहिता लागू हो जायेगी। इस तरह से जनता को असत्य वायदा करना यह लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत है। मैं दो बातें और कह देना चाहता हूं। पहली बार बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुम्भ की चर्चा की। कुम्भ का विधेयक जब आया था तो मैंने उस समय पूरा विस्तार से कहा था कि सनातन धर्म की परम्परा को बिगाड़िये मत, हिन्दू धर्म की परम्पना को बिगाड़िये मत, आदिकाल से जो पुराणों में, वेदों में, अग्नि पुराण, पृथु पुराण, सबमें जो व्यवस्थायें हैं उसका गला मरोड़िये मत, पुराणों में यह व्यवस्था है कि नक्षत्रों के हिसाब से कुम्भ और महाकुम्भ लगते हैं और अर्द्धकुम्भ लगते हैं, आपने पहले ही लिखा है असत्य लिखने का कोई मतलब नहीं है।

मेष राशिं गते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ।
अमावस्यां तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थ नायके।।

यह तो हम भी कह रहे हैं, जो हम कहते हैं वही आप भी कह रहे हैं। लेकिन वह है नहीं, पिछली बार भी आपने बजट में गलत किया था, यहां सुधारा गया, इस बार भी आपने गलत किया या आपसे गलत करवाया गया, यहां सुधारा गया। फिर आपने बजट में लिखा, लिखा सही है लेकिन ठीक इसके उल्टा किया है कुम्भ पर जो आपने श्लोक दिया है इसमें गुरू मेष राशि पर होना चाहिये, परन्तु इस वर्ष गुरू वृश्चिक राशि पर था। गुरू बारह वर्ष बाद पुनः मेष राशि पर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार अभी छः वर्ष हुये है अतः यह कुम्भ नहीं हो सकता है, यह अर्द्धकुम्भ है। सही को कोई टाल नहीं सकता है, इसलिये मा0 मुख्य मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना कर रहे थे कि आप सन्त है, पीठाधीश्वर हैं, आप सनातन धर्म को मत झुठलाइये। हमारे वेद को, हमारे पुराण को मत झुठलाइये, वह नहीं माने और उनकी मौजूदगी में मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्नान करने के बाद इलाहाबाद की मीटिंग में अर्द्धकुम्भ, अर्द्धकुम्भ, अर्द्धकुम्भ, अर्द्धकुम्भ दर्जनों बार कहा। कुम्भ के अन्दर मा0 विद्वानों के जो लेख हैं, उस कालम में विद्वानों ने जो लेख लिखा है, उन सबने अर्द्धकुम्भ लिखा है। जो अखाड़ा परिषद् के लोग आये हैं, उनमें बहुतों ने अपने बोर्ड पर भी अर्द्धकुम्भ लिखा है। इसके लिये अर्द्धकुम्भ कुम्भ हो गया है और कुम्भ महाकुम्भ हो गया है। छः वर्ष पर अर्द्धकुम्भ होता है, बारह वर्ष पर कुम्भ होता है और बारह कुम्भ के बार हर 144 वर्ष के बाद महाकुम्भ होता है। यह हमारी सनातन धर्म में परम्परा हे, हिन्दू धर्म में परम्परा है। हमारे देवताओं, ऋषियों, मनीषियों ने बहुत सोच-समझकर ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर त्योहारों का निर्धारण किया है। हमने भी कहा था सूर्य जब मेष राशि में आये और गुरू कुम्भ राशि पर हो तब हरिद्वार में कुम्भ का पर्व होता है। हर जगह में अलग-अलग नक्षत्र स्थिति बनायी गयी है कि हरिद्वार में कब होगा, इलाहाबाद में कब होगा, उज्जैन में कब होगा सबके ग्रह नक्षत्र बनाये गये हैं। क्या आप उसकी चाल टाल देंगे ?

बजट में जो आपने लिख दिया है। अभी आप फिर हम लोगों को भ्रमित करेंगे, लेकिन जो कुम्भ का ग्रह नक्षत्र होना चाहिये, वह नहीं है, इसलिये चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कम बोलने के लिये कहा है और मुझे भी डॉक्टर ने कम बोलने तथा धीमा बोलने के लिये कहा है। बाकी का भाषण मा0 सदस्य श्री संजय गर्ग जी का सुन लें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2019-2020 पर अपने अनुमानित बजट पर जो बात मा0 नेता विरोधी दल ने रखी है, उस पर बल देने के लिये, उसको आगे बढ़ाने का आपने मुझे जो अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

तीनों दलीय नेता 15-15 मिनट में बोल दें।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में बजट सरकार की नीतियों का आइना होता है और आर्थिक व्यूह रचना में यह बजट निराशा प्रदर्शित करने वाला है। सरकार का यह बजट हर दृष्टिकोण से निराशा प्रदर्शित कर रहा है, चूंकि एक ही दिन में सारे विभागों के भी बजट पास होने हैं, इसलिये आपके आशीर्वाद से केवल उन बिन्दुओं की तरफ निशानदेही करके सरकार का ध्यान आकर्षित कराना हमारा फर्ज है। मैं केवल आलोचना मात्र आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। हम उस भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं, जिसमें कबीरदास जी ने भी कहा-''निन्दक नियारे राखिये, आंगन कुटी छवाये। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय''। यानी निन्दक को अपने पास निन्दा करने वाले को रखना चाहिये। उसे अपने अधिकाधिक पास रखना चाहिये, वह तो बिना साबुन और पानी के आपकी कमियां बताने का काम कर रहा है, परन्तु आप लोकतंत्र की उन तमाम परम्पराओं को और संसद की गरिमा को घटाकर इस संसद के एक छोटे से हिस्से में बैठे विपक्ष के लोगों के साथ भी अगर पक्षपात करते हुये उन्हें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये के विकास के कार्यों में भी विपक्ष के विधायकों को भी हिस्सेदारी देने का काम न करते हुये दूर रखने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपकी नियत को प्रदर्शित करता है। मेरा आशय यहां तमाम बिन्दुओं की तरफ उठाते हुये इस बात के साथ है कि बजट रखते हुये मा0 वित्त मंत्री जी की जो खामियां रही हैं, हम जो सुझाव उन्हें देंगे, उन्हें वह संज्ञान में लेने का काम करेंगे।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को शुरू करते हुये, पृष्ठ नम्बर-2 का पूरा पृष्ठ प्रदेश सरकार के बजट अनुमानों के अलावा मात्र केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के बखान करने में लगा दिया। मैं जब क्षेत्र में गया तो मेरे भी साथी लोग बजट को पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का भी उल्लेख कर देते कि मोदी सरकार की पांच साल की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कोई थी तो वह कामयाबी नोटबन्दी को

लागू करने की वजह से थी। जिस नोटबन्दी ने न तो आतंकवाद को खत्म किया, जिस नोटबन्दी ने न फेक करेंसी को खत्म किया, जिस नोटबन्दी ने न कालेधन को खत्म किया और जिस नोटबन्दी की वजह से हजारों लोग बेरोगजार हो गये और नोटबन्दी की वजह से आर0बी0आई0 का गवर्नर रघुराम राजन को इस्तीफा देने के लिये मजबूर किया गया। जिस नोटबन्दी के कारण केन्द्र सरकार ने एन0एस0एस0ओ0 के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ों को देने में भी हिचकिचाहट प्रदर्शित करते हुये रोक लगा दी और उसके बाद बिजनेस स्टैण्डर्ड यह लिखने के लिये मजबूर हो गया कि 45 वर्षों में बेरोजगारी सूचकांक इस समय इस राष्ट्र में सर्वोच्च श्रेणी पर खड़ा है। इस समय हिन्दुस्तान के लोगों को बेरोजगारी सबसे ज्यादा सता रही है। अध्यक्ष जी मैं केवल बजटीय भाषण की एक ग्रैमेटिकल मिस्टेक की ओर जिसकी तरफ ध्यान माननीय नेता विरोधी दल जी ने दिलाया था कि जो प्रधानमंत्री आवास अगले वर्ष के थे संशोधन करने के बावजूद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने लिखवा दिया कि 71 लाख की जगह 11.71 लाख करा दिया परन्तु क्या वह 31 मार्च, 2019 तक पूरे होंगे या 31 मार्च, 2020 तक पूरे होंगे और इस सबके अलावा पृष्ठ संख्या 35 पर राजकोषीय घाटा के पैरा में 2019 और 2020 लिखने के बजाय 2019-20 लिख दिया गया तो यह इनकी गम्भीरता को दिखाता है कि सदन में बजट भाषण रखने के पहले भी इस तरह की गम्भीर बातों का संज्ञान नहीं लिया गया और इस तरह से हल्के में लेकर इस बजट को यहां पर प्रस्तुत कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी हमेशा पुनरीक्षित बजट के आधार पर अनुमानित बजट बनाया जाता है। अभी जो 12 प्रतिशत बजट बढ़ा देने की बात कहकर अपनी पीठ थपथपाने की बात वित्त मंत्री जी ने की है मैं केवल इस सत्यता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 18-19 में अनुमानित बजट 4 लाख 28 हजार 385 करोड़ रुपये था जिसमें दो अनुपूरक मांगे लाई गईं पहले 34 हजार 833 करोड़ रुपये और फिर आठ हजार 55 करोड़ रुपया यानि कल 4 लाख 71 हजार 273 करोड़ रुपये का बजट उस अनुपूरक के बाद था। परन्तु इस सबके बावजूद भी पुनरीक्षित बजट 4 लाख 49 हजार 573 करोड़ रुपये जो अनुमानित बजट से 105 प्रतिशत अधिक था। यानि जो बजट अनुमान लगाया है वह पुनरीक्षित बजट के आधार पर लगाया जाना चाहिए अगर पुनरीक्षित बजट के आधार पर अनुमानित बजट करते हैं तो 12 प्रतिशत नहीं मात्र 6.7 प्रतिशत अधिक है जिसमें मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत है यानी पिछले वित्तीय वर्ष से केवल मात्र 2.7 प्रतिशत बजट आपने बढ़ाकर यहां उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये रखने की बात करते हुये यह वायदा किया है कि हम सभी वायदे पूरे करने का काम करेंगे। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि वह लोग जिनके कभी वायदे सच नहीं निकले वह आज वायदे निभाने की बात करते हैं। धंसे थे कल जहां दल-दल में हैं वहीं अब तक और आसमान पर जाने की बात करते हैं।

अध्यक्ष जी, इस बजट के कुछ संवदेनशील पहलू हैं और उनकी तरफ अगर मैं दृष्टि न डालने का काम करूं तो निश्चित रूप से वह उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान होगा। इसलिये

आपके माध्यम से उन संवदेनशील पहलुओं पर जो राजस्व बचत का कम होना राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे के बढ़ने की तरफ इंगित करने का काम करता है जिससे हम यह आंकलन कर सकते हैं कि इस प्रदेश में आने वाले दिनों में कितना विकास होगा, विकास होगा कि नहीं होगा। इसकी तरफ ध्यान दिलाते हुये अपनी बात कहना चाहता हूं। राजस्व बचत लगातार कम हो रही है 2018-19 में 47 हजार 247 करोड़ 66 लाख की राजस्व बचत व पुनरीक्षित अनुमान रहा जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत है और 2019-20 में 27 हजार 777 करोड़ 36 लाख यानि मात्र 1.76 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राजस्व बचत इस बात को दर्शाता है कि सरकार के पास राजस्व व्यय पूरा करने के लिये पर्याप्त धन है। उसके बाद जो राजस्व बचत में जो बचता है उससे जो ऋण है उस ऋण के मूल को देने का काम करेंगे और उससे पूंजीगत कार्यों में जो इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेन्ट अवस्थापना विकास है उसमें लगाने का काम करेंगे। परन्तु राजस्व बचत ही जब बहुत कम होगी तो निश्चित रूप से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी आने वाले वर्षों में पूंजीगत कार्यों पर निश्चित रूप से सरकार बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पायेगी। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राजकोषीय घाटा 27809 करोड़ 56 लाख रुपये था जो दो प्रतिशत था, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में यह बढ़कर 43839 करोड़ 75 लाख रुपये हो गया है और अब वर्ष 2019-2020 में यह बढ़कर 46910 करोड़ 62 लाख रुपये होने का अनुमान है। यह 2.97 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 से 19101 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा बढ़ा है जिसके कारण आपको एक प्रतिशत ज्यादा उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो ऐसी परिस्थिति में पूंजीगत परिव्यय में अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुमानित बजट की तुलना में पुनरीक्षित बजट में पूंजीगत व्यय 19.2 प्रतिशत ज्यादा था जबकि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुमानित बजट में यह घटकर माइनस 12.3 प्रतिशत रह गया है। इसका अभिप्राय आने वाले वर्ष में अवस्थापना विकास में होने वाला व्यय अत्यन्त कम होगा और जो देनदारियां, उधारियां और ऋण ग्रस्तता इस प्रदेश की है उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा शोचनीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वर्ष 2017-2018 में ऋण ग्रस्तता 29.6 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इसके 29.8 प्रतिशत बढ़ने का जो अनुमान था वह बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में भी आपने इसका आंकलन 30 प्रतिशत किया है कि जो निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ना तय है। फिसकल रिस्पान्सिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेन्ट रिव्यू कमेटी के चेयरमैन श्री एन0के0 सिंह जी ने ऋण ग्रस्तता की सीमा 20 प्रतिशत राज्यों के लिये तय कर रखी है। इसका राष्ट्रीय औसत 24.4 प्रतिशत है लेकिन हम 30 प्रतिशत को क्रास करने जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले हर बच्चे पर कितना खर्च का बोझ होगा। जब मैं इसका आंकलन करता हूं तो वर्ष 2017-2018 में यह आंकलन 17859 रुपये था और 2019-2020

में हर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर लगभग 22568 रुपये कर्ज का बोझ होगा। इतने कर्ज के बोझ के साथ अपने प्रदेश में अब बच्चा पैदा होगा। वह बच्चा उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर किस तरह से लेकर जा पायेगा, फिर भी उसके बावजूद आप आसमान पर जाने की बात करते हैं तो मैं उसके जवाब में केवल इतना कहना चाहता हूं कि ''आसमान इतनी बुलन्दी पर जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है।''

माननीय अध्यक्ष जी, बजट साहित्य को पढ़ते हुये मेरे संज्ञान में दो ऐसी बातें आई हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया हूं। पुस्तक खण्ड-2 भाग-2 पृष्ठ-1, मद संख्या-3 जो महंगाई भत्ते की तरफ इंगित करने का काम करती है। सरकारी कर्मचारियों को जनवरी और जुलाई माह में महंगाई भत्ता महंगाई दर के अनुपात में दिया जाता है। सामान्यतः यह दो प्रतिशत से छह प्रतिशत या सात प्रतिशत तक ही रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस राशि को बढ़ाकर 63.72 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि दो प्रतिशत, चार प्रतिशत या छह प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के लिये आपने पिछली बार की तुलना में 63.72 प्रतिशत बजट बढ़ाने का आंकलन क्यों किया है। क्या हम यह समझें कि आप आने वाले वित्तीय वर्ष में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाले हैं और क्या इतनी बढ़ी हुई महंगाई का सामना पूरे उत्तर प्रदेश को करना पड़ेगा। मद संख्या-15 में आपने गाड़ियों के अनुरक्षण के मद में 32.87 प्रतिशत की वृद्धि की है कि जबकि पूंजी के लिये 95.45 प्रतिशत वृद्धि की है, जबकि नई गाड़ियों के क्रय की मद संख्या-14 अलग है, तो आपने वृद्धि का यह आंकलन किस आधार पर करने का काम किया है। माननीय मंत्री जी, प्रदेश के लोगों को एक बात और बताने की कृपा करें कि गुप्त सेवा व्यय के मद में सरकार ने 133.78 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह कहीं बजट को साइफन आउट करने की कोशिश तो नहीं है, नहीं तो कौन सी गुप्त सेवा के अन्दर 133.78 प्रतिशत की वृद्धि करके खुफिया जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह खुफिया जानकारी कहीं विपक्ष को तबाह करने की कोशिश तो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट इस प्रदेश के सदन ने पास किया है और इसी सदन ने आपकी मांग पर दो अनुपूरक बजट स्वीकृत किये, परन्तु आपने कितना वित्तीय अनुशासन रखा ? आज केवल डेढ़ महीने से भी कम दिन बचे हैं और अभी जनवरी से आखिर तक विभागों का 60 फीसदी हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाये हैं। इस बजट को पास करके जिम्मेदारी देने के बाद किस वित्तीय अनुशासन के आधार पर कितना विकास करने की हम उम्मीद कर सकते हैं ? यह बहुत बड़ा सवालिया निशान निश्चित रूप से हम सबके सामने है। आवास विभाग के द्वारा 31 जनवरी तक 36.16 प्रतिशत खर्च किया गया। उद्योग विभाग लघु निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा मात्र 28.79 प्रतिशत खर्च किया गया और उद्योग विभाग हथकरघा के द्वारा मात्र 51.77 प्रतिशत खर्च किया गया तथा इसी रूप में कृषि के सम्बन्ध में कृषि अन्य संवाद में मात्र 28.8 प्रतिशत और कृषि ग्राम्य विकास में मात्र 39.24 प्रतिशत और कृषि के मद संख्या-17 में मत्स्य विभाग

में मात्र 50.35 प्रतिशत धन आपने खर्च किया। सदन ने आपको ताकत दी और आपने बजट पास कर दिया उसके बावजूद भी आपकी क्षमता यह है कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी आप मात्र इतना ही धन विभागों में खर्च कर पाये हैं तो यह निश्चित रूप से न ही आपकी गम्भीरता को दिखाता है बल्कि इस बात की तरफ भी इंगित करता है कि आप किसानों के प्रति और गरीबों को आवास देने के प्रति कितना गम्भीर हैं ? पर्यटन विभाग के द्वारा मात्र 41.94 प्रतिशत और पर्यावरण विभाग जो सबसे ज्यादा गम्भीर समस्या हमारे प्रदेश के लिये है उसमें आपने मात्र 39.93 प्रतिशत धन अभी तक व्यय हुआ है। मुस्लिम वक्फ विभाग के द्वारा 31.76 और महिला तथा बाल कल्याण विभाग के द्वारा मात्र 45.70 तथा दैवीय विपत्ति राजस्व विभाग के द्वारा मात्र 25.57 व्यय किया है। मैं इन तमाम विभागों का केवल दो मिनट में पूर्ण कर दूंगा। उसके बाद विभाग वाइज आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। लोक निर्माण विभाग अधिष्ठान के द्वारा मात्र 38.49 और लोक निर्माण विभाग भवन के द्वारा मात्र 31.65 और लोक निर्माण विभाग संचार साधन-सड़कों के माध्यम से मात्र 45.61 प्रतिशत धन अभी तक खर्च हुआ है और उसी के रूप में यहां शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा के द्वारा 48.43 प्रतिशत और शिक्षा राज्य शैक्षिक अनुसंधान के मद में मात्र 43.92 प्रतिशत और कुल मिलाकर संस्कृति विभाग के द्वारा 26.85 प्रतिशत कुल बजट का मात्र 57.18 प्रतिशत धन पिछले वित्तीय वर्ष का अभी तक खर्च कर पाये हैं और अब नये अनुदान ले रहे हैं तो एक महीने के अन्दर किस तरह उस खर्चे को हम पूरा करने का काम कर पायेंगे ? कितनी योजनाओं को जमीन तक पहुंचा पायेंगे या नहीं पहुंचा पायेंगे ? यह तमाम चीजें निश्चित रूप से इस बात की गम्भीरता पर सवाल उठाने का काम करती हैं कि इस बजट में हम किस तरह से उस बजट की अनुमति दें जो पिछले बजट में अनुमति देने का काम किया था, उसमें कितना आपने वायदे के अनुरूप खर्च किया और कितना नहीं किया ? मान्यवर, जब आप इतनी बात कहते हैं और उसके बाद अपनी पीठ भी थपथपाते हैं तो मैं मा0 वित्त मंत्री जी को केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि-

''खुद को झूठी तसल्ली मत दे,
यूं हकीकत छिपा नहीं करती।
जिनकी नीयत में खोट होता है,
उन्हें मंजिल मिला नहीं करती है।''

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कृषि विभाग की तरफ केवल चन्द पहलुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्ष 2017-18 में कुल बजट का 9.4 प्रतिशत हिस्सा आपने कृषि विभाग में लिया था। 2018-19 में घटाकर वह 3.6 प्रतिशत कर दिया क्योंकि आपने 36 हजार करोड़ रुपये किसानों को ऋण माफ करने के लिये लिया था। जो अभी तक आप नहीं दे पाये हैं और इन सबके अलावा 2019-20 में उसे घटाकर 2.8 प्रतिशत कर दिया तो यह दिखाता है

कि आप किसानों के प्रति कितने गम्भीर हैं ? लगातार किसानों को सुविधायें उपलब्ध करने के लिये आपको जो बजट की व्यवस्था करनी चाहिये थी उसमें कितनी हिस्सेदारी आप किसानों को देने का काम कर रहे हैं ? मात्र 2.8 प्रतिशत व्यवस्था आपने किसानों के लिये रखने के लिये इस बजट में किया है। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान इस रूप में आकर्षित करता हूं कि 15-16 में मा0 अखिलेश जी की सरकार में 626.64 लाख मीट्रिक टन हमने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा था और उसी के सापेक्ष 13.03 प्रतिशत लाख मीट्रिक टन तिलहन पैदा हुआ था। 2016-17 में 660 लाख मीट्रिक टन बनाने का लक्ष्य रखा गया और उसी का नतीजा निकला कि 14 लाख मीट्रिक टन तिलहन पैदा हुआ। परन्तु 2018-19 में मात्र 581.60 लाख मी0 टन का लक्ष्य रखा गया और उसी का नतीजा हुआ कि तिलहन की फसल और कम हो गयी और 11 लाख 28 हजार मी0 टन तिलहन का उत्पादन हुआ। 2019-20 में बताया ही नहीं गया कि इस बजट में आपने खाद बनाने का क्या लक्ष्य रखा है। आपने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि प्रदेश के हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिये 20 हजार करोड़ रुपये के कोष के साथ मुख्य मंत्री कृषि सिंचाई फण्ड की घोषणा करने का काम करेंगे। तीसरा बजट आप रखने जा रहे हैं परन्तु फण्ड की कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। जिस बात के आधार पर आपने किसानों को बहकाने की कोशिश की थी। बीज वितरण में अभी पिछले दिनों प्रश्नकाल के दौरान बात सामने आयी की किस तरह से बीज वितरण के अन्दर भ्रष्टाचार चरम सीमा में था। मा0 कृषि मंत्री जी ने खुद इस बात को मानने की बात की। 2015-16 में सपा सरकार में 63.10 लाख कु0 का लक्ष्य हम लोगों ने बीज वितरण का रखा था। 2018-19 में भाजपा की सरकार ने 63.10 को घटाकर 58.72 कु0 बीज का लक्ष्य रखा है। उसमें भी जो घोटाले सामने आ रहे हैं वह निश्चित रूप से चिन्ता की बात है। 2019-20 में 60.51 कु0 का लक्ष्य रखा। 2015-16 में 63.10 पिछली सरकार ने रखा और 2019-20 में मात्र 60.51 रखा। अभी तक भी आप उस सीमा को टच नहीं कर पाये हैं। बिजली के लिये रोज प्रश्नकाल में सवाल उठते हैं कि किस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहा है और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि मीटर लगने के बाद किस प्रकार से बिजली का बिल बढ़ा है। बिल बनाने को संस्थायें किसानों का शोषण करने में लगी हुयी हैं। 100 रुपये प्रति हार्स पावर से ट्यूबवेल के बिल को बढ़ाकर 150 रुपये प्रति हार्स पावर करने की बात की गयी है। 2017 में एक लाख टन आलू खरीदने का लक्ष्य रखा गया और खरीदा गया 13 हजार टन। 2018 में फिर एक लाख टन आलू खरीदने का लक्ष्य रखा गया और खरीदा गया 8 हजार टन और 2017 के बजट में 86 लाख किसानों का जो 36 हजार करोड़ के कर्ज की माफी का वायदा किया गया था अभी तक मात्र 44 लाख किसानों के 24 हजार 663 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। अभी भी पूरे किसानों का कर्ज आप माफ नहीं कर पाये हैं, जिसकी अनुमति आपने 2017-18 के बजट में ली थी।

मा0 अध्यक्ष जी, भूमि सुधार निगम का कोई प्रोजेक्ट इसमें नहीं दिखायी दिया। गन्ना का जो बकाया आपने किसानों को दिया उसका बखान आपने किया। पर आपने तो वायदा किया था

कि 14 दिन के अन्दर गन्ना किसानों का भुगतान करा दिया जायेगा और अभी तक 01 फरवरी तक जो रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर 2832.23 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। इसमें पिछले पेराई वर्ष 2018-19 का 48.62 प्रतिशत का भुगतान हुआ है और 6621.42 करोड़ बकाया है और 14 दिन का जो आपका वायदा था वह निश्चित रूप से जुमला रह गया। गन्ना किसान बकाये के लिये जाता है तो जगह-जगह उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है। इससे ज्यादा दुर्दशा की स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। मा0 अध्यक्ष जी, किसानों को समय से खाद न मिले। खाद के दाम जितने कम किये गये उससे ज्यादा उसका वजन कम कर दिया गया। 50 किलो का कट्टा का वजन 45 किलो करके अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे है कि हमने खाद के दाम कम कर दिये। नकली खाद खुले आम बिक रहे हैं और किसान उसे मजबूरी में खरीदने के लिये मजबूर हो रहा है। सॉयल (Soil) हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षण कार्ड के जांचने के लिये जिन कम्पनियों को ठेका दिया गया वह ज्वैलरी बनाने वाली कम्पनियां थीं और उसकी जांच केवल 2018-19 में की गयी। 2017-18 की भी जांच उसके अन्तर्गत करनी चाहिये। जिस कृषि निदेशक के संरक्षण में वह पाप पल रहा था निश्चित रूप से उसे बचाने की बात सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिये। मान्यवर, जो छुट्टा जानवर है उन्होंने किस तरह से किसानों को परेशान कर रखा है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ और छुट्टा जानवरों को खदेड़कर अपने ही गांव के प्राइमरी पाठशाला में बन्द करके उससे निजात पाने की कोशिश की हो। उनकी कितनी फसल का नुकसान हुआ है इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इससे ज्यादा गम्भीर बात नहीं हो सकती। अभी 11 फरवरी, 2019 को हमीरपुर के जटिया थाना क्षेत्र के खेड़ा शिलाजीत गांव का निवासी बैंक और साहूकारी से परेशान होकर किसान भान सिंह आत्महत्या कर लेता है तो आज आजादी के 70 साल बाद भी अगर किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो जाये तो हम महसूस कर सकते हैं कि किसानों की हालत कैसी है। मान्यवर, चिकित्सा के बजट में आपने पूरे बजट का 3.7 प्रतिशत आवंटित किया जबकि राष्ट्रीय औसत 4.4 प्रतिशत है। चिकित्सा की हालत क्या है यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। परन्तु इन सबके बावजूद कुछ प्वाइंट पर कहना चाहूंगा कि लखनऊ में कैंसर संस्थान का शिलान्यास हो गया था, 100 एकड़ भूमि भी पिछली सरकार ने आवंटित कर दी थी और 111 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान किया गया था। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कैंसर संस्थान के शिलान्यास की व्यवस्था की जायेगी लेकिन इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। उसी के साथ-साथ अस्पतालों की जो हालत है वह प्रश्नकाल में स्पष्ट रूप से सामने आई है कि किस तरह से डॉक्टरों की कमी है और सहारनपुर मेडिकल कालेज की हालत बहुत गम्भीर है। इसी वजह से पिछले दिनों जहरीली शराब से पीड़ित एवं बीमार लोगों को मेरठ रेफर किया गया और प्रदेश की जनता में वह भ्रम पैदा हो गया कि जो लोग मेरठ मेडिकल कालेज में मरे हैं वह कहीं मेरठ के ही तो नहीं हैं। जबकि सहारनपुर की घटना से उन सबका ताल्लुक था। यह तमाम चीजें इस बात को

प्रदर्शित करती है कि किस तरह से यह सरकार चिकित्सा के प्रति कितनी गम्भीर है या नहीं है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि किसी समाज के विकास के लिये शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। जब तक हम आम आदमी को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वह अपने भले-बुरे के बारे में सही निर्णय लेने की क्षमता रख पायेगा या नहीं रख पायेगा। संविधान निर्माताओं में भी 10 साल के अन्दर फ्री और कम्पल्सरी शिक्षा का प्राविधान किया था। परन्तु बदकिस्मती से हर 10 साल बाद हम उस बात का संशोधन लाते रहे कि अगले 10 साल में कर देंगे। आजादी के बाद आजाद होने वाले छोटे-छोटे मुल्क 100 प्रतिशत लिटरेट हो गये। जैसे-श्रीलंका, इण्डोनेशिया एवं मलेशिया। परन्तु हिन्दुस्तान अभी भी और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, हिन्दुस्तान का दिल और आज उसकी हालत ऐसी हो कि हम शिक्षा के बजट में कन्जूसी करने का काम करें। मैं इसलिये आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि शिक्षा के बजट को कम किया गया है जिसको मात्र 14.3 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में जब मा0 अखिलेश जी की सरकार थी तब 16.07 प्रतिशत था, वर्ष 2016-17 में 17.07 प्रतिशत था आपने इसको घटाकर 14.03 प्रतिशत कर दिया है जबकि राष्ट्रीय औसत 15.09 प्रतिशत है यानि हम 15.09 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंचे। मैं नगर क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं। हालांकि जो प्राइमरी शिक्षा की हालत है। आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें से आधे से ज्यादा विद्यालयों को मकान मालिकों ने किराये से खाली करा लिया है। एक ही स्कूल में कई-कई विद्यालय चल रहे हैं उन सबकी स्थिति ऐसी है कि वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि बिजली के कनेक्शन का प्राविधान कम से कम नगरीय स्कूलों में और तमाम स्कूलों में आज की स्थिति में भयंकर गर्मी के रहते हुये बिना पंखे के अध्यापक कैसे पढ़ा पायेगा और क्या शिक्षक एवं छात्रों का रेसियो है। मैं इस तरफ आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित नहीं करना चाहता हूं। परन्तु कम से कम यह व्यवस्था जो आपने प्राइमरी शिक्षा में बजट को बढ़ाया है उसमें नगरीय शिक्षा में शिक्षकों की तैनाती भी नहीं हो रही है। हमने इंग्लिश स्कीम को लागू करने का काम किया उसमें भी हर जनपद में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को लिया गया है और नगरीय स्कूलों को नहीं लेने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ-साथ आपने लोक-संकल्प पत्र में वायदा किया था कि कक्षा-12 में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी और ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी, सबको मुफ्त लैपटॉप देंगे, प्रतिमाह 1 जीबी इण्टरनेट दिया जायेगा। क्या वह तमाम चीजें झूठी थीं या उन तमाम चीजों पर आप लोग गम्भीर हैं। यहां बहुत बड़ा सवालिया निशान है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त कीजिये, काफी समय हो गया है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों की हालत क्या है, डेढ़ लाख शिक्षामित्र आन्दोलित हों, महिलायें, किसी भी रूप में केश दान करने का काम कर रही हों, पुरुष मुण्डन कराने का काम कर रहे हों। तब भी आप गम्भीर न हो पायें कि शिक्षक और छात्र के अनुपात को पूरा नहीं कर सकते और वहां शिक्षामित्र सेवा प्रदान करने की बात कर रहा है तो कम से कम उसके मानदेय को बढ़ाकर आप अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करने की बात करते। इस तरह की संवदेनशीलता निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। इसी रूप में उच्च शिक्षा के बजट को घटाने का काम किया है जो पिछले वर्ष 3758.70 करोड़ था उसे घटा करके 2896.68 करोड़ रुपये कर दिया है। आपने सहारनपुर में एक राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा की उसके लिये हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश से एक आई0आई0टी0 छिन जाये और आई0आई0टी0 छीन कर एक विश्वविद्यालय दिया जाये तो निश्चित रूप से आई0आई0टी0 के बदलें में हम उस राजकीय विश्वविद्यालय को लेना पसन्द नहीं करेंगे।

मात्र दस करोड़ की लागत से कोई विश्वविद्यालय नहीं बन सकता है। सहारनपुर में इण्डियन पेपर टेक्नोलॉजी आई0पी0टी0 का सेन्टर एशिया में सबसे बड़े सेन्टर के रूप में स्थापित है। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल, आई0पी0टी0 और सी0पी0पी0आर0आई0 इन तीनों को क्लब करके पेपर अनुसंधान होता था। हिन्दुस्तान की कोई पेपर मिल ऐसी नहीं है जहां आई0पी0टी0 से पढ़ा हुआ टेक्नोक्रेट न हो। उसके बाद उसे आई0आई0टी0 रूड़की में शामिल कर दिया गया। वह आई0आई0टी0 रूड़की का सेकेण्ड कैम्पस बन गया। आई0आई0टी0 रूड़की के सेकेण्ड कैम्पस बनने की वजह से आई0आई0टी0 इन्ट्रेन्स के जरिए उसका एग्जाम होने लगा। आई0आई0टी0 इन्ट्रेन्स में पेपर टेक्नोलॉजी को लोग लॉस्ट कैटेगरी में लेने लगे और उसमें कैम्पस में रहने वाले शिक्षकों का मोह चूंकि रूड़की विश्वविद्यालय के साथ था इसलिये शनैः-शनैः उसके महत्व को कम करने का काम किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे प्रदेशों को एक पूरा आई0आई0टी0 मिला है, उत्तर प्रदेश के पास केवल कानपुर आई0आई0टी0 है, ये मौका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक आई0आई0टी0 देने का। सी0पी0पी0आर0ओ0 में उनकी क्षमता के अनुरूप काम नहीं होता है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अण्डर में है और आई0आई0टी0 रूड़की जो एच0आर0डी0 मंत्रालय के अन्तर्गत है, इन दोनों कैम्पस को अगर आप ऐमलगेमेट (समायोजित) करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग आई0आई0टी0 दे दें और राजकीय विश्वविद्यालय को अलग से स्थापित करने का काम करते तो निश्चित ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण काम आगे आने वाले दिनों में होगा। आपने चार हजार आई0टी0 सीटें बढ़ाने की बात कही है, एक पॉलीटेक्निक आप खोल नहीं सके।

बेरोजगारी के मुद्दे को मा0 उज्जवल रमण सिंह ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के दौरान आप सबके सामने रखा उसका उल्लेख दोबारा से करना नहीं चाहता। केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि आपने लोक संकल्प-पत्र में 90 दिनों के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरने की बात कही थी लेकिन आज छः सौ से ज्यादा दिन हो गये हैं अभी भी पांच लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं और कौशल विकास के अन्दर रोजगार देने की बात कहकर पीठ थपथपाने की बात हमारे मा0 श्रम मंत्री जी कर रहे हैं, आपकी क्या मिनिमम वेजेज हैं और कौशल विकास में आपने जिन लोगों के संयोजन का आंकड़ा पेश किया उन्हें पांच हजार, छः हजार, सात हजार रुपये देकर अठारह हजार के मिनिमम वेजेज का माखौल उड़ाने का काम न करो। वो बेरोजगार जो बेरोजगारी के कोढ़ से ग्रसित होकर इस समाज में उपेक्षित महसूस कर रहा है, कम से कम इतनी कोशिश मत करो कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। कौशल विकास के अन्तर्गत जो जवाब आपने दिया है उसी में केवल पांच हजार, छः हजार, सात हजार महीने की तनख्वाह, बी0टेक0 करने वाले, पालीटेक्निक करने वाले छात्र को अगर रोजगार के नाम पर देकर अपनी दुहाई और जिम्मेदारी पूरी करने की नियत यदि ये सरकार रखती है तो निश्चित रूप से उस पर बहुत बड़ा प्रश्न-चिन्ह है।

चार हजार उर्दू शिक्षकों के पद आपने निरस्त कर दिये और उर्दू शिक्षकों के पद निरस्त करते समय आपने यह बात महसूस नहीं की कि इसका मैसेज क्या जायेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी भावनायें व्यक्त करने की बात की तो प्रोफेसर वसीम ''बरेलवी'' जी के शेर से की यानि आपकी भावनाओं को भी व्यक्त उर्दू ने किया।

श्री अध्यक्ष-

बस उसी शेर के साथ आप समाप्त कर दीजिये।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि वसीम ''बरेलवी'' साहब ने उर्दू के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करने के लिये कहा है, इसलिये मैं आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उर्दू क्या है,

''स्वभाव, फूल जैसा हौसला गुलदान जैसा है,
ये उर्दू है जिसका दिल भी हिन्दोस्तान जैसा है।''

अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिये भी आपको उर्दू की जरूरत पड़ी और वसीम ''बरेलवी'' साहब को आपको कोट करना पड़ा और उसके बाद आपने न जाने कितने शेर आपने रखे। तो कम से कम उर्दू शिक्षकों के जो चार हजार पद, जिन्हें मा0 अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत करने का काम किया था, उन्हें निरस्त करने की बात नहीं की जानी चाहिये थी। मैं केवल आपके माध्यम से इतनी बात बताना चाहता हूं कि प्रथम चरण में मा0 अखिलेश यादव जी ने चार हजार दो सौ अस्सी और दूसरे चरण में तीन हजार पांच सौ पदों को स्वीकृत करने

का काम किया। मा0 मुलायम सिंह जी ने उर्दू अनुवादकों को रखने की बात की। बेसिक और जूनियर के नौ हजार पदों को रखा तो आप उर्दू अध्यापकों के प्रति इतना सौतेला व्यवहार दिखाकर क्या बात प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान सारे लोगों के सामने है और अगर ध्रुवीकरण की इस मानसिकता के साथ इस बजट को रखने का काम किया है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चिन्ता का प्रश्न है।

बड़े अनमोल हैं खून के रिश्ते,
इनको तू बेकार न कर,
देश के इस गुलदस्ते बीच,
नफरत की दीवार न कर।।

माननीय अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, मैं इन तमाम चीजों की ओर नहीं जाना चाहता हूं। साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और सुबह हमारे माननीय विधायक श्री कल्याण सिंह पासवान और इरफान सोलंकी जी बता रहे थे, अगर विधायकों की ही एफ0आई0आर0 नहीं होगी तो हाण्डी के चावल को देख कर आप महसूस कर सकते है कि आम आदमी की हालत क्या होगी।

मैं तमाम उन आंकड़ों को पेश नहीं करना चाहता। मेरे पास वह तमाम आंकड़े हैं कि महिलाओं के ऊपर होने वाले बलात्कार और अत्याचार और ज्यादा बढ़े हैं। मैं उन तमाम चीजों की तरफ आपका ध्यान केवल इस बात के साथ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो बात अभी हमारे साथी उठाने की बात कर रहे थे, उनका मकसद केवल इस बात का था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने न जाने कितने डाक्टर दिए हैं, ...

श्री अध्यक्ष-

वह बिना अनुमति बोल रहे थे।

श्री संजय गर्ग-

न जाने कितने इंजीनियर्स दिए हैं, वह केवल एक समुदाय से नहीं हैं, न जाने कितने आई0ए0एस0 दिए हैं, न जाने कितने पी0सी0एस0 दिए हैं और ऐसे गरिमापूर्ण उस विश्वविद्यालय के साथ यह कह करके कि आतंकवादियों का सेण्टर है, निश्चित रूप से हम लोग इसकी निन्दा करते हैं। राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति तक को उसके द्वारा देने का काम किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए, बड़ी देर से मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने वर्मा जी को बुला लिया है।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर केवल एकतरफा मुकदमा करने का काम किया गया है और दूसरे छात्र जो घायल हैं, कोमा की स्थिति में हैं, उनकी तरफ से एफ0आई0आर0 लिखने का काम नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो-तीन बातें और हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पर्यावरण के प्रति यह सरकार बहुत गम्भीर है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी बहुत गम्भीर हैं और उन्होंने 40 माइक्रोन तक की प्लास्टिक और पॉलीथिन पर बैन लगा दिया। वह बात अलग है कि जब बैन लगने का आदेश होता है, कुछ दिन बहुत गरमा-गरमी होती है, पर आज सारे के सारे खेत रंगीन, काले, नीले, पीले रंग की थैलियों के साथ जो मुंह दिखा-दिखाकर हम सबको चिढ़ा रहे हैं कि वह किस प्रकार ग्रीन हाउस गैसेज को पैदा कर इस पूरे के पूरे पर्यावरण को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डी0पी0 सिंह ने इस बात को कहने की बात की कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण निदेशालय की मिली-भगत से हो रहा है। काली और हिंडन नदी की जो स्थितियां रही हैं, गंगा में जो विषाक्त भारी धातुओं और कीटनाशकों की मौजूदगी पायी गयी है और वायु गुणवत्ता में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया के 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों को शामिल करने का काम किया है, वह इस बात को महसूस कराता है कि पर्यावरण के प्रति जो चिंता होनी चाहिए, वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपा करके बैठिए।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मॉनीटरिंग कमेटी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिना पर्यावरण निदेशालय की मंजूरी के उद्योगों को भी पकड़ा है, वह लोग भी पर्यावरण को चुनौती देने का काम कर रहे हैं।

अधिवक्ताओं के कल्याण की किसी योजना को घोषित करने का इसमें काम नहीं किया गया है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ घटनाओं का केवल उल्लेख करना चाहता हूं घोटालों के मामले को अगर हम इतना बड़ा बजट दे दें और हम इस बात का हिसाब भी न ले पायें कि यह घोटाले किस तरह से हुए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का घोटाला, बीज खरीद का घोटाला, पी0डी0एस0 के 3 करोड़ गरीबों के अनाज का घोटाला, इन्वेस्टर्स मीट में 80 लाख का घोटाला। एक टी0वी0 चैनल के स्टिंग आपरेशन के द्वारा पूरी सरकार की पोल जिस तरह से खोल कर रख दी, इसी विधान सभा के परिसर में तीन मंत्रियों के सचिव की, यह निश्चित रूप से चिंता को प्रकट करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में पैसे देकर लोगों का मर्डर हो रहा है और वसूली करने के मामले सामने आ रहे हों तो निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है। माननीय

अध्यक्ष जी, ऊर्जा का बजट घटा दिया गया। 01 मेगावॉट भी बिजली पैदा करने का कारखाना आपने नहीं लगाया। माननीय अखिलेश जी की सरकार में 12-13 में 18.3 प्रतिशत, 13-14 में 16.8 प्रतिशत, 14-15 में 15.8 प्रतिशत, 15-16 में 16.67 प्रतिशत, 16-17 में 17.7 प्रतिशत, परन्तु आपने मात्र 14.3 प्रतिशत ऊर्जा विभाग को दिया है जो इस बात को महसूस कराता है कि आगे भी आपकी कोई योजना 01 मेगावॉट भी बिजली के उत्पादन की नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आखिर आप कितना समय लेंगे ? अब आप बैठिये।

श्री संजय गर्ग-

अवस्थापना, सुविधाओं में आप ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आपको राजस्व बचत इतनी नहीं हुई है, आपका घाटा बढ़ रहा है, इसीलिए आपने गंगा एक्सप्रेस-वे की घोषणा तो कर दी, लेकिन एक पैसे की व्यवस्था नहीं की। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे में अभी तक 660 करोड़ रुपये और 01 हजार करोड़ रुपये दिये हैं जबकि 14 हजार करोड़ रुपये का उसका बजट है। बलिया समाजवादी एक्सप्रेस, जिसका नाम आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस रख दिया, उसमें मात्र 1294 करोड़ की व्यवस्था की है। ...

श्री अध्यक्ष-

अब आप कृपा करके बैठिये, 50 मिनट से ज्यादा हो गया है। माननीय लालजी वर्मा को बोलना है।

श्री संजय गर्ग-

अध्यक्ष जी, इसी तरह डिफेंस कॉरीडोर जिसका बजट 20 हजार करोड़ है, उसमें मात्र 01 हजार करोड़ आवंटित करने का काम किया है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदिवासी लोग हैं, वनाधिकार कानून 2006 में बना, उसमें सामुदायिक अधिकारों को लेने का उनका हक है और कानून में उनको जो अधिकार दिया गया है, परन्तु मांगने पर आप आदिवासियों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम कर रहे हो। 89 टांगिया और वन गांवों में मात्र 36 गांवों को आपने राजस्व गांवों का दर्जा दिया, हम उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। परन्तु 53 गांव अभी भी शेष रह गये हैं और जिन गांवों को आपने राजस्व गांव का दर्जा दिया है, उसमें कोई अस्पताल की, सड़क की, सामुदायिक केन्द्र की, बिजली की, टेलीफोन की किसी सुविधा की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, मुझे बार-बार टोकते हुए खराब लग रहा है।

श्री संजय गर्ग-

अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से जो दुधवा के थारू हैं, गौड़, खरवार, खगरिया और बुन्देलखण्ड के कौल और ललितपुर के सहेरिया आदिवासी हैं, वह आपकी तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें न्याय देने का काम किया जा सके। मा0 अध्यक्ष जी, पर्यटन विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 41.94 प्रतिशत ही खर्च हो पाया। मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि आपने बजट में केवल व्यवस्था कर दी कि बनारस से लहरतारा तालाब, कबीर स्थल का विकास प्रस्तावित है, प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज स्थल का विकास प्रस्तावित है, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास प्रस्तावित है, बौद्ध परिपथ सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर का विकास प्रस्तावित है, शाकुम्बरी देवी, शुक्रताल का विकास प्रस्तावित है परन्तु उनके लिए बजट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

यह उचित नहीं है, मैं मना कर रहा हूं फिर भी आप नहीं बैठ रहे हैं। अब तो आप कृपा करिये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, निश्चित रूप से यह बात आपके नियत पर सवालिया निशान पैदा करती है। मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। यह पूरा सदन चाहता है, आज मा0 नेता सदन भी मौजूद हैं और इस पूरे सदन ने हस्ताक्षर करके इस बात की याचना की है। वैसे तो लोकतंत्र में आपका विश्वास कितना है, कितना नहीं पिछले तमाम प्रकरणों में यह बात सामने आई है। लेकिन मैं इस बात के साथ कि 100 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प हैं, उन्हें निश्चित रूप से बढ़ाकर 250 किया जाना चाहिए। यह पूरे सदन की भावना है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और उसी के साथ नगरीय क्षेत्र के विधायकों के लिए आपने यह बात कही थी कि दो इण्डिया मार्क-2 के बजाय एक समरसिबल देने का काम हम करेंगे लेकिन उसका शासनादेश अभी तक नहीं पहुंचा है। अगर आप उस शासनादेश को पहुंचा देंगे तो उन प्राइमरी स्कूलों में जहां पेयजल एवं शौचालय नहीं है तो वहां विधायक समरसिबल लगाकर इस बात की सहूलियत देने का काम कर सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, केवल एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप बात खत्म नहीं करेंगे, इससे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, आज समाज में जब 90 प्रतिशत लोग अध्यात्म और विज्ञान के द्वन्द में हैं, परमार्थ और स्वार्थ के द्वन्द में हैं, त्याग और ग्रहण के द्वन्द में हैं परन्तु अगर मुखिया द्वन्द में

फंसने लगे राज सत्ता के सुख और पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में तो निश्चित रूप से इस द्वन्द्व में वह कुछ इस तरह के फैसले लेने की बात करता है और कुछ इस तरह के लक्षण दिखाने लगते हैं कि जब वे भगवान हनुमान को भी दलित बता देने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस बात का बजट से क्या सम्बन्ध है ? इन बातों का बजट से क्या मतलब है ? अब आप बैठिये, अपनी बात समाप्त करिये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, ये तमाम चीजें रोकते हुए कि ये तमाम चीजें न हों हमारा सपा, बसपा का गठबन्धन हुआ यह एक राजनैतिक फैसला है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। परन्तु मैं केवल इन दो लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि -

तू अपने पिण्डार की खबर ले कि रुख हवा का बदल रहा है।
तेरी नजर से बहकने वाला फरेब खाकर संभल रहा है।।
लिखनी पड़ेगी फिर से इस प्रदेश की तारीख।
हालात ने तो प्रदेश का हाल बेहाल लिखा है।।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2019-20 के बजट की सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बजट निराशाजनक है, दिशाविहीन है और मैं कहूं कि जुमला एवं बाजीगरी का इससे अच्छा नमूना कोई और प्रस्तुत नहीं हो सकता। इस बजट में कुछ है ही नहीं। अगर इसका अध्ययन करें तो बजाय इस प्रदेश को आगे ले जाने एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के यह बजट और पीछे ले जायेगा। प्रदेश की जनता ने वर्ष 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर अत्यधिक विश्वास किया था परन्तु इस सरकार ने जनता को, किसानों को, बेरोजगार युवकों को, अनुसूचित जातियों को, जन-जातियों को, अन्य पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ विश्वासघात करने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2017 के चुनाव में अपने संकल्प-पत्र के माध्यम से आम जनता से वादा किया था। मान्यवर, इन्होंने वादा किया था कि हम सभी लघु एवं सीमान्त कृषकों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देंगे लेकिन इस बजट में यह कहीं परिलक्षित नहीं होता। इन्होंने कहा था कि 14 दिनों में गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा लेकिन आज भी 7000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीददारी का जिक्र किया था लेकिन आज जो चर्चा है और जो दिक्कत देखने में आई है कि किस तरह से किसान आज भी 1200-1300 रुपये पर धान बेचने के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए मजबूर है, उसे बेचना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था कि नीलगायों एवं आवारा पशुओं से फसल की क्षति को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाएंगे लेकिन आज किसान बेहाल हैं, इन आवारा पशुओं से वह अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहा है और उसके बाद भी सरकार यह कह रही है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि 70 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे यानि जब हर वर्ष 14 लाख लोगों को रोजगार मिलता वह 70 लाख होता। इसलिए इसमें भी जनता को धोखा दिया गया है। 90 दिनों में समस्त सरकारी रिक्त पदों को भरा जाना यह घोषणा थी परन्तु वह पूरी नहीं हुई। सभी युवाओं को कालेजों में दाखिला लेने पर मुफ्त लैपटाप दिया जायेगा आज भी इस बजट में कहीं इस बात की चर्चा मात्र भी नहीं की गयी। दो साल में तीसरा बजट यह प्रस्तुत किया गया है और तीसरे बजट में भी मुफ्त लैपटाप की कोई बात नहीं रखी गयी। सभी छात्राओं को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, यह भी उसी तरह मुंगेरी का सपना दिखायी पड़ रहा है। सभी छात्रों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा तथा कक्षा 12 में 50 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति, 10 नये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय, सभी जिलों में एक इंजीनियरिंग अथवा एक पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना, सभी कालेजों में मुफ्त वाई0फाई0, प्रदेश के प्रत्येक घर में 24 घण्टे बिजली, सभी गरीब घरों को सौ यूनिट तीन रुपये में बिजली दी जाएगी, पाइप कनेक्शन के माध्यम से सभी घरों को स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, प्रदेश के सभी गांव को मिनी बस के द्वारा शहर से जोड़ा जाएगा, प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर रुपये 50 हजार का विकास बॉण्ड दिया जायेगा। मान्यवर, यह कहा गया था लेकिन तीसरा बजट प्रस्तुत हो गया परन्तु कहीं इसका उल्लेख नहीं है।

आशा बहू का मानदेय बढ़ाने का, आंगनबाड़ी का मानदेय दोगुना करने का, प्रत्येक गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस व उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना परन्तु कहीं यह परिलक्षित नहीं हो रहा है। जो पी0एच0सी0 हैं वह भी भगवान भरोसे चल रहे हैं। प्रत्येक के 6 क्षेत्रों में एम्स स्तर का संस्थान, 25 नये मेडिकल कालेज, संकल्प-पत्र में यह मुख्य-मुख्य बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कही थी। प्रदेश की जनता ने विश्वास किया कि शायद इस दिशा में बढ़ने का काम किया जायेगा लेकिन आज भी व उसी तरह से आस लगाये देख रही है और यह सरकार जरा सा भी उस दिशा में काम करने का काम नहीं कर रही है। मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने पहला जब अपना बजट भाषण वर्ष 2017-18 का विधान सभा में 3 लाख 84 हजार 6 सौ 59 दशमलव 71 करोड़ का प्रस्तुत किया था और यह कहा था कि यह अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया था परन्तु मान्यवर, बजट का जो वास्तविक आंकड़ा आया उस तस्वीर को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2017-18 में जहां इन्होंने 3 लाख 77 हजार 190 दशमलव 88 करोड़ की प्राप्तियों का जिक्र किया था कि हमें प्राप्त होगा उसके सापेक्ष 3 लाख 26 हजार 4 सौ

27 करोड़ की प्राप्तियां हुईं यानि जो पूरा अनुमानित था उससे 50 हजार 7 सौ 63 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। इन्होंने जो बजट रखा था उसमें राजस्व व्यय 3 लाख 7 हजार 118 दशमलव 63 करोड़ और पूंजीगत 77 हजार 5 सौ 41 करोड़ का किया था लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा आया उसमें जो राजस्व व्यय है वह 2 लाख 66 हजार 2 सौ 23 करोड़ और जो पूंजीगत व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन होता है वह मात्र 55 हजार 5 सौ 99 करोड़ वास्तविक दिखायी पड़ा। इसी तरह से जो पूरा बजट प्रस्तुत किया था वह 3 लाख 84 हजार 6 सौ 59 करोड़, उसके सापेक्ष 3 लाख 21 हजार 8 सौ 22 करोड़ टोटल व्यय हुआ यानि पूरा जो अनुमानित था उससे 62 हजार 8 सौ 36 दशमलव 83 करोड़ की कमी दिखायी पड़ी यानि जो वर्ष 2016-17 का बजट था उससे भी कम और जो वर्ष 2017-18 का वास्तविक बजट है उससे भी कम दिखायी पड़ा। उसके बाद भी कहते हैं कि हमने विकास का काम बड़े पैमाने पर किया है। मान्यवर, वास्तविक स्थिति यह है कि इस तरह से जो वर्ष 2017-18 का वास्तविक व्यय है वह 2016-17 के वास्तविक व्यय से 3 लाख 33 हजार 4 सौ 25 दशमलव 1, चार करोड़ से भी कम है।

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी कल विधान सभा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की तो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। मान्यवर, जब बजट ही 2016-17 से कम हुआ तो क्या भभूत से उपलब्धियां प्राप्त हो गयीं ? ये इस सरकार का आपके सामने दिखायी पड़ रहा है। यानि ये चर्चा ज्यादा करते हैं और उसके बाद चर्चा करके वाह-वाही लूटने का प्रयास करते हैं और वास्तविकता में आम जनता के सामने यह दिखायी पड़ रहा है, 17-18 का बजट इस बात का गवाह है। मान्यवर, इसी तरह से 2018-19 का बजट मा0 वित्त मंत्री जी ने रु0 4,28,384.52 करोड़ का प्रस्तुत किया था जो कि अनुपूरकों के माध्यम से बढ़कर रु0 4,71,272.25 करोड़ हो गया। अब इस वित्तीय वर्ष को बीतने में एक माह शेष है। दिनांक 12 फरवरी, 2018 का मैं मान्यवर फीगर रखना चाहता हूं कि 2018 तक जो बजट का खर्च है मान्यवर। आवास विभाग में 36.17 प्रतिशत, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन उद्योग में 29.1 प्रतिशत, खान और खनिज में 65.28 प्रतिशत, खादी एवं ग्रामोद्योग में 51.78 प्रतिशत, हथकरघा उद्योग में 75 प्रतिशत, भारी एवं मध्यम उद्योग में 52.78 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग में 67.32 प्रतिशत, कृषि तथा अन्य में 54.89 प्रतिशत, कृषि या अन्य सम्बद्ध विभाग में 63.89 प्रतिशत, भूमि विकास एवं जल संसाधन में 28.24 प्रतिशत, कृषि विभाग तथा अन्य सम्बद्ध विभाग में 39.28 प्रतिशत, पंचायती राज में 76.76 प्रतिशत, पशुधन में 58.38 प्रतिशत, दुग्धशाला विकास में 57.47 प्रतिशत, मत्स्य विभाग में 50.62 प्रतिशत, सहकारिता में 65.26 प्रतिशत, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय में 47.89 प्रतिशत, कार्मिक लोक सेवा में 49.36 प्रतिशत, खेल विभाग में 61.07 प्रतिशत, गन्ना विकास में 56.63 प्रतिशत, चीनी उद्योग में 70.06 प्रतिशत, कारागार विभाग में 64.81 प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण में 64.52 प्रतिशत, एलोपैथी चिकित्सा में

55.80 प्रतिशत, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा में 55.28 प्रतिशत, सार्वजनिक स्वास्थ्य में 54.67 प्रतिशत, नगर विकास में 54.01 प्रतिशत, पर्यटन विभाग में 41.95 प्रतिशत, परिवहन विभाग में 55.44 प्रतिशत, प्राविधिक शिक्षा विभाग में 59.90 प्रतिशत, मुस्लिम वक्फ विभाग में 31.91 प्रतिशत, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में 45.71 प्रतिशत, दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में 25.63 प्रतिशत, राष्ट्रीय एकीकरण में 13.97 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग में 38.49 प्रतिशत, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में 31.75 प्रतिशत, संचार साधन हेतु 65.15 प्रतिशत, संचार साधनों में 45.60 प्रतिशत, राज्य सम्पत्ति में 55.97 प्रतिशत। मान्यवर, इस तरह से जो विभिन्न विभागों का औसत है उसमें कहीं-कहीं 11 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो पाया। किसी-किसी विभाग में 60 प्रतिशत भी नहीं हो पाया। किसी-किसी विभाग में 44 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो पाया। मान्यवर, केवल 1 महीना 28 दिन शेष हैं और अब तक जो कुल व्यय हुआ है वह लगभग 2,83,382.18 करोड़।

मान्यवर, इस तरह से 2018-19 का बजट है। यानि अभी तक रु0 4,71,272.25 करोड़ के सापेक्ष रु0 2,83,382.18 करोड़ रुपये मात्र खर्च हुआ है। इस तरह से निश्चित रूप से यह सरकार दिखावा तो कुछ ज्यादा करती है लेकिन काम वास्तविकता में उसके विपरीत करती है और इसी तरह से मान्यवर, जो इनकी प्राप्तियां हैं। मेरे पास अब तक का तो आंकड़ा नहीं है लेकिन 31 दिसम्बर, 2018 तक की जो प्राप्तियां हैं वह रु0 1,32,827 करोड़। यानी कुल अनुमान का 48.5 प्रतिशत, इन्होंने प्राप्तियां करने का काम किया है। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि अगर इस तरह से जो बजट अनुमान है जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 16-17 की अपेक्षा 17-18 में कम खर्च हुआ। उसी तरह से मेरा मानना है कि 18-19 का जब वास्तविक आंकड़ा अगले साल प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से कोई इजाफा दिखायी नहीं पड़ेगा और इस बजट के अनुमान के अनुसार 2019-2020 का जो बजट है, उसमें मात्र दो दशमलव कुछ प्रतिशत का इजाफा किया गया है। मान्यवर, जहां दुनिया विज्ञान की तरफ बढ़ रही है वहीं यह सरकार अन्धविश्वास की तरफ बढ़ाने का काम कर रही है।

मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब संविधान को प्रस्तुत करने का काम किया था, जब उस समय उसकी तमाम चर्चा अन्दर व बाहर भी होने लगी तो 1948 में उन्होंने संविधान सभा में एक विस्तृत भाषण देने का काम किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था मैं उसका कुछ अंश कोड कर रहा हूं ''कि इस देश में जितनी भक्ति, जितनी वीर पूजा और जितना अन्धविश्वास है, उतना किसी अन्य देश में नहीं है। धर्म में भक्ति तथा वीर पूजा मुक्ति का साधन भले ही हो सकता हो परन्तु राजनीति में भक्ति तथा वीर पूजा अधोगति में ले जाने वाला अधिनायकवाद हो जाता है। स्वतंत्रता, समता और बन्धुभाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। स्वतंत्रता तो हमें मिली परन्तु भारत में समता का अभाव है यहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला है इस विषमता को हमें शीघ्र ही मिटा देना होगा अन्यथा बड़े परिश्रम से निर्मित यह लोकतंत्र

का मंदिर मिट्टी में मिल जायेगा''। इस बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1948 में कहा था। लेकिन आज जब पूरा बजट हम देखने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को पाते हैं कि यह सरकार लोगों को विज्ञान की तरफ न ले जाकर अन्धविश्वास के मकड़जाल में जकड़ना चाहती है जिसके आधार पर लोगों को कन्फ्यूज करके चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। इसीलिए कभी अर्द्धकुम्भ को कुम्भ बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, यह मेरा विषय नहीं है, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहूंगा, यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का विषय है। लेकिन इस तरह से करने का काम सरकार कर रही है। मान्यवर, इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटने का काम किया कि हमने किसान की आमदनी बढ़ाने का काम किया लेकिन आपको मैं थोड़ा सा दृष्टान्त करना चाहूंगा कि जहां इन्होंने कहा कि पिछले अनुमान के अनुसार हमने बजट में 3.12 प्रतिशत की वृद्धि की है। वहीं मान्यवर, कृषि में 26.53 प्रतिशत की कमी की है। जहां पिछले वर्ष कृषि का बजट 8054 करोड़ रुपये का था, इस वर्ष 5917 करोड़ का है। इसी तरह से खेल विभाग के बजट में मात्र 4.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गन्ना विभाग के बजट में केवल 3.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक निर्माण सड़कें और संचार में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्राथमिक शिक्षा में केवल 6.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च शिक्षा विभाग में केवल 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग की जहां पुनरीक्षित बजट था 1597 करोड़ रुपये, वहीं पिछड़े वर्गों के साथ, जो इस प्रदेश की आधी आबादी से भी ज्यादा है उनके बजट में छात्रवृत्ति में कम कर दिया गया और 1518 करोड़ रुपये करने का काम किया गया। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए काम करता है उसमें केवल 5.82 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। समाज कल्याण का जो विशेष घटक है जिसमें सभी विभागों में उसकी संख्या के अनुपात में काम लिये जाते हैं, उसमें भी केवल 6.41 प्रतिशत की वृद्धि करने का काम किया गया।

मान्यवर, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह सरकार पूर्वांचल की बात करती है, बुन्देलखण्ड की बात करती है। 2011-12 का 291 करोड़ का बजट पूर्वांचल विकास निधि का था उसी तरह से मान्यवर, उसी समय 200 करोड़ बुन्देलखण्ड का था। आज 2011 से आठ वर्ष अधिक हो गया और पूर्वांचल विकास निधि 300 करोड़ रुपये की जैसे गांठ पड़ गयी है, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसमें एक पैसे की वृद्धि करने का काम नहीं किया। इसी तरह से बुन्देलखण्ड विकास निधि में भी एक पैसे की वृद्धि करने का काम नहीं किया गया। मान्यवर, प्रदेश में जो बजट है जैसे शिक्षा में जहां दूसरे प्रदेशों में दिल्ली में 24.9 प्रतिशत कुल बजट का शिक्षा का बजट है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 14.4 प्रतिशत, 2017-18 का बजट है। मान्यवर, इसी तरह से स्वास्थ्य में दिल्ली में कुल बजट का 12.5 प्रतिशत है, हम 3.4 प्रतिशत देने का काम किये हैं। मान्यवर, सिंचाई में तेलंगाना में 17.6 प्रतिशत है, हमने केवल 3.3 प्रतिशत देने का काम किया है। ग्रामीण विकास में बिहार में 13.5 प्रतिशत है, हमने केवल 5.7 प्रतिशत देने का काम किया

है। सड़क और पुल में छत्तीसगढ़ में 9.8 प्रतिशत है, हमने केवल 5.2 प्रतिशत देने का काम किया है। ऊर्जा का राजस्थान में 15.9 प्रतिशत है, हम उसके मुकाबले में नहीं हैं, हमने केवल 4 प्रतिशत देने का काम किया है। पुलिस का बजट पंजाब में कुल बजट का 6.4 प्रतिशत है, हमने केवल 4.3 प्रतिशत देने का काम किया। एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 जो इस देश की आबादी का तीन-चौथाई है। मान्यवर, तेलंगाना में 9.7 प्रतिशत इनका बजट है। बड़ी वाह-वाही करते हैं और दिया है, केवल 1.4 प्रतिशत।

मान्यवर, इसी तरह से मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बड़ी शेरो-शायरी से, मैं तो शेरो-शायरी जानता ही नहीं और न ही बोल पाता हूं और न कह पाता हूं। मान्यवर, मैं सीधा किसान आदमी हूं और किसान इन सब चीजों से बहुत दूर रहता है। मान्यवर, इन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मैं रोज देखता हूं। जहां-जहां जाते हैं, प्रदेश में बिल्कुल विकास-विकास, जैसे विकास की झड़ी लगाने का काम किया हो। मान्यवर, तमाम बातें हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन जितनी बात बोलते हैं, मान्यवर, पिछले वर्ष जो पूंजीगत परिव्यय है, हमने 39 हजार 87 करोड़ कुल खर्च किया है, 2017-18 का जो वास्तविक आंकड़ा आया है, जिसको आपने 55 हजार करोड़ रुपया दिखाया है। वास्तविक जो सम्पत्तियों का सृजन होता है, वह पूंजीगत परिव्यय से होता है और वह पूंजीगत परिव्यय में केवल-केवल 39 हजार 87 करोड़ रुपया 2017-18 का जब वास्तविक आंकड़ा आया तो खर्च हुआ। मान्यवर, 2018-19 में जो पुनरीक्षित अनुमान है, वह 88 हजार 5 सौ 28 करोड़ का, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन होगा, चाहे वह सड़क बने, चाहे अस्पताल बने, चाहे मेडिकल कॉलेज बने, जो भी बनता है, वह उसी पूंजीगत परिव्यय की श्रेणी में आता है और इस वर्ष आप 77 हजार 641 करोड़ रुपया दे रहे हैं। मान्यवर, यह कहते हैं कि हमने वित्तीय अनुशासन को बनाने का काम किया है, तो यह तो बहुत ही अच्छा वित्तीय अनुशासन का तरीका है कि आप बजट तो खूब ज्यादा रख दीजिए और जब खर्च करने की बारी आये तो 62 हजार करोड़ रुपया कम कर दीजिए तो जब 62 हजार करोड़ रुपया कम कर देंगे तो वित्तीय अनुशासन हो ही जायेगी। यानि कोई काम ही नहीं करिये, तो वित्तीय अनुशासन तो रहेगा ही तो इस तरह से काम माननीय वित्त मंत्री जी ने करने का काम किया है। मान्यवर, निश्चित रूप से मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा, जिस बात का जिक्र माननीय संजय गर्ग जी ने किया है, किसानों के बारे में बड़ी बात की जाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल के लिए तो असीमित समय है, लेकिन माननीय नेताओं का समय तो निश्चित है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आधे घण्टे तक रहता है।

श्री अध्यक्ष-

हमने निश्चित कर दिया था, 15 मिनट पहले ही कहा था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पांच मिनट में कह लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, असल में माननीय नेता सदन को एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था, तीन बजे।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, संक्षेप कर दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं संक्षेप कर रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, नेता सदन आये भी बाद में और जायेंगे भी पहले, इसीलिए आज सबेरे से जो पूरा क्रम चला है, हाउस स्थगित करने का। वह मुख्य मंत्री जी की व्यस्तता के कारण से ही है। तो आयेंगे भी बाद में, जायेंगे भी पहले तो और लोग क्या करेंगे ? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ? आप बताइये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आधा घण्टा सभी नेताओं का रहता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल के भाषण के वक्त मुख्य मंत्री का रहना जरूरी होता है, लेकिन नहीं थे मुख्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी रोज इन्तजार करते रहे कि आप बोलेंगे-आप बोलेंगे। तीन दिन मुख्य मंत्री जी इन्तजार करते रहे कि अब नेता विरोधी दल बोलेंगे, अब बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मेरे विचार से वर्मा जी जल्दी पूरा कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, बाकी नेताओं का समय निर्धारित होता है और आपने कृपापूर्वक निर्धारित भी किया।

श्री लाल जी वर्मा-

ऐज ए नेता जितना आपने बोला था, आपने जितना समय लिया था उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कौन सी विधान सभा की बात कर रहे हैं ? अरे ! उस समय कोई सरकार ही नहीं थी, आप उसकी बात कर रहे हैं, उस समय कौन सी सरकार थी उस समय तो जंगलराज था।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बोलने दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज तो सरकार नाम की चीज ही नहीं है। किसानों की बड़ी चर्चा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं कुछ आंकड़े आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, इन्होंने बाहर जाकर बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हमने 36 हजार करोड़ रुपये से 88 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया, मान्यवर, आज की तारीख तक जो कुल कर्जा माफ हुआ है वह 21 हजार 133 करोड़ रुपये का है और केवल 44 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मान्यवर, दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने किसानों के बड़े हितैषी होने की बात की, इन्होंने कहा केन्द्र सरकार की एक योजना का, मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम 6 हजार लघु और सीमान्त किसानों को देने का काम करेंगे, ठीक है देने का काम करेंगे, चुनाव नजदीक है तो देने का काम जरूर करेंगे। लेकिन मान्यवर, एक किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है 6 हजार से ज्यादा रुपया एक एकड़ में हो गया, जो किसान का घाटा हो रहा है वह किसान को वास्तविक दाम न मिलने के कारण हो रहा है। दूसरा आपने डी0ए0पी0 खाद का दाम बढ़ा दिया, पहले 50 किलो की बोरी 1050 रुपये में थी अब 45 किलो की बोरी 1450 रुपये में हो गयी तो यह किसान का फायदा हुआ क्या। इसी तरह से एन0पी0के0 का दाम पहले मान्यवर, 700 रुपये के लगभग था अब बढ़ा करके 45 किलो की बोरी का दाम 1150 रुपये कर दिया।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही) (बैठे हुए)-

यूरिया का घटा है उसे नहीं बतायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

यूरिया का घटा नहीं है लगभग बराबर है, अगर आप 50 किलो पर जोड़ेंगे तो लगभग बराबर है, मैंने उसको जोड़ा है 298 रुपया आ रहा है पहले 300 रुपये था, दो रुपया घटा है।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय वर्मा जी कृपया समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विद्युत कनेक्शन, इसी तरह से जो निजी नलकूप वाले हैं पहले 300 मीटर तक का किसान निजी नलकूप लगाता था तो उसको फ्री का कनेक्शन देने का काम किया जाता था। आज उसे खत्म कर दिया है अब उसका लगभग सवा लाख से ज्यादा का इस्टीमेट बनता है उसके बाद भी उसको नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से बिजली का दाम लगभग दोगुना कर दिया गया है प्रति हार्सपावर मोटर का दाम।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा) (बैठे हुए)-

इस साल कहां बढ़ाया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

इस साल नहीं जब से सरकार आयी है। इसी तरह से गन्ना किसानों के बारे में, सुबह जब हमने टी0वी0 ऑन किया तो बड़े पैमाने पर गन्ना किसानों का विज्ञापन उसमें दिखाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का कि हमने 52 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जब हमने इतनी नई मिलें लगा दीं, पिछले वर्ष जब हमारे साथी श्री रितेश पाण्डेय ने सवाल किया था और उस सवाल में इन्होंने पूछा था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ना की पेराई कितनी हुई तो मा0 मंत्री श्री सुरेश राणा जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष 28 जनवरी तक में 394.71 लाख क्विंटल गन्ना कम खरीदा गया आप बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन कम खरीदा गया और जब कम खरीदा गया तो भुगतान ज्यादा कैसे हो जायेगा, 7 हजार 700 करोड़ रुपया कम भुगतान हुआ। इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात आती है, कानून-व्यवस्था की बात आती है, मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि मान्यवर, अपराध बढ़े हैं। भ्रष्टाचार की बात आती है तो मान्यवर, भ्रष्टाचार तो हर जगह बढ़ा है, हर स्तर पर बढ़ा है लेकिन मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 मंत्री जी लोगों को पक्ष का कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखायी देता, चाहे वह कितना भी बड़ा स्कैम हो, मान्यवर, कितनी भी घटनाएं पकड़ी जाएं, आज टी0वी0 के सामने लोगों को लेते हुए पकड़ा गया, उसका जिक्र नहीं किया। इनको विपक्ष के लोग तो चोर ही नजर आते हैं, मेरा यह मानना है कि चोर को सब चोर ही दिखाई पड़ते हैं। मान्यवर, इसी तरह से गंगा एक्सप्रेस-वे की बड़ी चर्चा की, बड़ी घोषणा की कि हम 36 हजार करोड़ रुपये का एक्सप्रेस-वे बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बस दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहे हैं। मान्यवर, गंगा एक्सप्रेस-वे की बहुत ज्यादा घोषणा की गयी, 36 हजार करोड़ रुपये की बात की गयी। अपने बजट भाषण में भी

मा0 मंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस-वे की चर्चा करने का काम किया लेकिन कहीं भी एक रुपया टोकन मनी भी ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' के लिए रखने का काम नहीं किया है। मान्यवर, इस सरकार की दोहरी नीति है। जब हम लोग बलिया से लेकर दिल्ली तक ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' योजना लेकर आये थे, तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मा0 खन्ना जी और मा0 हुकुम सिंह जी जो यहां बैठे हैं, कहते थे कि अगर ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' बनेगा तो सारा पर्यावरण चौपट हो जायेगा। उस समय यह चर्चा करके रोने का काम कर रहे थे पूरे प्रदेश में हम लोगों को पर्यावरण विरोधी करार करने का काम कर रहे थे और इसलिए जो एन0ओ0सी0 मिलना था, वह प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया। मान्यवर, आज उसी ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' को लेकर आये हैं, किस तरह से लाये हैं मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। मान्यवर, इसी तरह से इन्होंने ''कन्या सुमंगला योजना'' की चर्चा की। अभी हमारे मा0 मंत्री जी ने भी कहा कि रु0 12 सौ करोड़ रखने का काम किया गया है, लेकिन उसमें क्या किया जायेगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया ? मान्यवर, इसी तरह ''पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' के बारे में बताना चाहता हूं। मैं एक दिन शाम में अपने गांव गया तो देखा वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। मैंने जब अपनी गाड़ी रोक कर बोर्ड पढ़ा तो देखा उसमें ''पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' लिखा था। मैंने जब गांव के लोगों से पूछा कि हमारे गांव में क्या काम हुआ है, तब मालूम पड़ा कि कोई काम नहीं हुआ है ? वर्ष 1986 से हमारे गांव में लगभग सभी घरों में बिजली है, लेकिन यह सरकार उसका फर्जी वाह-वाही लूटने का काम ''पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना'' के नाम पर कर रही है। इसी तरह से मा0 मंत्री जी ने कहा कि किसानों को दिन में बिजली देंगे। मैं अपने घर पर गया था तो देखा कि 08:00 बजे बिजली चली गयी और दोपहर 02:00 बजे बिजली आयी, तो फिर कहां से आपने दिन में बिजली देने का काम किया ?

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, अब हो गया, आप अपनी बात खत्म करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक रिपोर्ट है, आप उसको दिखवा दें। रिपोर्ट इस बात की है कि लाल जी वर्मा की घड़ी खो गयी है। दो-तीन मिनट, पांच मिनट बराबर कह कर बोल रहे हैं। अगर रिपोर्ट लिखवा दें तो कम से कम इनकी घड़ी तो मिल जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी, यह जितनी बात कह रहे हैं, वह सब बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। हमने कभी ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' का विरोध नहीं किया। हमने यह कहा कि ''गंगा एक्सप्रेस-वे'' बने, लेकिन नदियों को नाला न बना दिया जाय। आप चाहें तो कार्यवाही निकलवाकर दिखवा लीजिए। हमने कोई विरोध नहीं किया। मिथ्या वचन सदन में इतने वरिष्ठ राजनेता को नहीं बोलना चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, यह सरकार विकास की बात किस तरह से करती है। प्रभारी मंत्रीगण विभिन्न जिलों में जिला योजना की बैठक करते हैं। मान्यवर, आपके जिले में भी बैठक होती है, हमारे जिले में भी बैठक होती है और हर जिले का परिव्यय सरकार निर्धारित करती है कि इतने सौ करोड़ रुपये का जिला योजना का बजट होगा। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग से हमने सवाल किया कि जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में कितना धन अवमुक्त किया गया। एक साल में रु0 31 करोड़ और एक साल में रु0 30 करोड़। पूरे प्रदेश का रु0 30 करोड़ और रु0 31 करोड़ जिला योजना का पैसा मुक्त किया गया, तो गांव-गांव में सड़क कैसे बन गयी। भभूत के आधार पर आप कोई काम कर रहे हैं क्या ? इसी तरह से मान्यवर निश्चित रूप से।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, वह कागज आपका नहीं है, समाजवादी पार्टी का है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं उनका कागज नहीं ले रहा हूं। इसी तरह से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति का भी है। आज ही मैंने जिक्र किया कि लोगों की यह भावना है कि उनका रिजर्वेशन यह सरकार बिगाड़ रही है। रिजर्वेशन उन वर्गों के हिस्सेदारी में प्रतिनिहित है। जिस तरह से एक परिवार में 4 बेटे अगर एक बाप के हैं, तो उसमें अगर एक अंधा भी हो, तो उसको भी पैतृक सम्पत्ति में बराबर का एक हिस्सा मिलता है, उसी तरह से इस देश की परिसम्पत्तियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भी हिस्सेदारी है। उस हिस्सेदारी को खत्म करने का यह सरकार धीरे-धीरे प्रयास करने का काम कर रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अब मा0 नेता सदन बोलेंगे, उनको 4:00 बजे जाना है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यहां सभी ने कविता पढ़ी है तो मैं भी एक कविता कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। इस बजट के बाद लोगों को यह विश्वास हो गया है-

जनता को भी समझ है कि चुनावी साल है,
कुछ करना है नहीं, बजट में ही सब कुछ डालकर भर देना है,
वादों-वादों का खेला है, न शांति है, न रोजगार है,
बस चारों तरफ अत्याचार है, यह अत्याचारियों की सरकार है।।

यह अत्याचारियों की सरकार है और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है।

(श्री अजय कुमार लल्लू के खड़े होने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले मा0 मुख्यमंत्री जी का भाषण हो जाये। जवाब मा0 वित्त मंत्री जी देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अजय कुमार लल्लू जी को बोल लेने दीजिए, विपक्ष की पूरी बात सुन लेंगे तभी तो नेता सदन अपनी बात रखेंगे ? संसदीय कार्यमंत्री जी हर बार मनमानी थोड़े ही होगी। जब तय तय हुआ था कि सब नेतागण बोल लेंगे उसके बाद मा0 नेता सदन बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर वित्त मंत्री जी देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अजय कुमार लल्लू जी को बोल लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अजय कुमार जी, माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे, मुख्य मंत्री जी को जाना है, पहले मुख्य मंत्री जी बोल लें उसके बाद फिर आप बोलियेगा।

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

एक पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी का दर्द नहीं सुनेगा तो कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अच्छा आप पड़ोसी ही हैं तो पहले आप इनका दर्द सुन लीजिए।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नेता सदन का नाम पुकारे जाने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वर्ष 2019-2020 के इस सामान्य बजट पर मुझे बीच में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया है। प्रदेश के अन्दर एक कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने, प्रदेश के अन्दर व्यापक रोजगार और औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को विकसित करने, समाज के विभिन्न तबकों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से तथा प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर, प्रदेश का सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने सहयोगी वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार की, देश के सबसे बड़े प्रदेश की इस बजट की पूरे देश के अन्दर भी और समाज के विभिन्न तबकों ने बजट की सराहना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की है और मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी को खासतौर पर अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रदेश के औद्योगिक और बुनियादी ढांचागत विकास को ध्यान में रखकर और अपने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखकर एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूं। सरकार ने बजट की सीमा को बढ़ाया। विगत वर्ष 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था और इस वर्ष हमारी सरकार ने 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ रुपये का यह बजट इस सदन में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक रुप से एफ0आर0बी0एम0 की जो सीमा होना चाहिए उस वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया है। इससे पहले प्रदेश के अन्दर क्या होता था यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अन्दर विकास का क्या बन्दर बांट होता था यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति किस कदर चरमरा चुकी थी यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। व्यापक अराजकता का जो एक लम्बा दौर चला है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। चारवाक् के सिद्धान्त को ध्यान में रख करके पिछले 15 वर्षों तक प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार की अराजकतापूर्ण सरकारें चलीं। **यावत् जीवेत सुखम् जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत् भस्मिभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः** के इस भाव को ध्यान में रख करके इन लोगों ने जिस तरीके से प्रदेश को लूटा। भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि संस्थाओं को इंडीविजुएल्स के लिये इन्टीट्यूशन्स को जिस प्रकार से नष्ट किया उसकी कीमत इस प्रदेश ने चुकाई है और जो आप चाहते थे कि लूट लो दोबारा तो आना नहीं, जनता ने उसका जवाब भी दिया है (मेजों की थपथपाहट) और चिन्ता मत करिये फिर देने जा रही है, फिर देगी अभी और इसीलिये भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा चुनाव के पहले अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया था। वर्मा जी लोक कल्याण संकल्प-पत्र आप बाहर चले गये। हो सकता है कहीं और टी0वी0 देख रहे होंगे, मोबाइल फोन पर सुन रहे होंगे क्योंकि कभी-कभी बहुत सारे लोगों को यह भी भय होता है कि हमारे भाषण को यहां पर सुनेंगे तो सार्वजनिक रूप से तो कहीं ऐसा न हो कि उनके नेता देख लें। इसलिये बाथरूम में जा करके मोबाइल फोन से देख रहे होंगे। लेकिन सुन लीजिये कोई बात नहीं भाषण आपके कान तक पहुंचना चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसी डर से माननीय नेता सदन आये नहीं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुझे भय इस बात का नहीं था। मुझे भय यह था कि कहीं भाषण बोलते हुए कहीं फिर से बेहोशी का दौरा न पड़ जाये और फिर से किसी हास्पिटल जाना पड़े और उसके दोषी फिर से हम न बन जायं इसलिये मैंने परहेज किया था।

श्री अध्यक्ष-

मेरा ख्याल है बैठे-बैठे यह टिप्पणी ठीक नहीं है। बैठे-बैठे टिप्पणी के लिये आप भी मना करते रहे हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपको धैर्य से सुनना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए इस उम्र में।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मुख्य मंत्री के मुंह में हमेशा लूट डकैती यह कोई शब्द है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपको बीच में कमेन्टरी नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठे-बैठे टिप्पणी को आप हमेशा अनुचित बताते रहे हैं तो आप कैसे करेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपको स्वयं धैर्य का परिचय देना चाहिए। धैर्य से सुनने की आदत भी डालनी चाहिए। अगर बोल रहे हैं तो सुनने की आदत भी डालें।

श्री अध्यक्ष-

अब बैठे बैठे बोलेगें तो इधर वाले भी बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हमें सारी चीजें याद हैं। हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी याददाश्त ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी है। लेकिन बहुत सारे लोगों की याद्दाश्त सरकार के कार्यों से लुप्त होती जा रही है, और चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी है तो चिकित्सकों की सलाह उनको माननी चाहिए। मैं बहुत आश्चर्य के साथ सुन रहा था, देख रहा था। जब इनके पास, सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होता है तो हर असंसदीय कार्य को करने या यहां पर बोलने के लिए उतावले दिखाई देते हैं। संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन करना, मैं देख भी रहा था, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, एक माननीय सदस्य गिरकर गम्भीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन उद्दण्डता कम नहीं हुई। संसदीय मर्यादाओं को कैसे तार-तार किया जाता है, उसका उदाहरण भी यह सदन बना है। जो लोग आज यहां पर बोल रहे थे, हमारे एक माननीय मंत्री जी, ठीक बोल रहे थे, जब स0पा0 के बोल चुके तो ब0स0पा0 को बोलने की आवश्यकता क्या है ? जब गले मिलकर चलना है तो एक ने बोल दिया बहुत हो गया, एक दूसरे का समर्थन करना ही है उनको, चाहे सच बोलें चाहे झूठ बोलें, तो सच झूठ में सब एक साथ भागीदार हैं, लेकिन संसदीय परम्पराओं का पालन होना चाहिए। महोदय इस भाव

को ले करके सरकार ने विगत 22 महीनों के दौरान प्रदेश के अन्दर कार्य भी किया है, विगत 15 वर्षों के अन्दर, एक कुप्रथा चली आई थी कि पैसा समय पर खर्च नहीं करना और पी0एल0ए0 में डाल देना। उसके बाद अपने अनुसार उसका बन्दरबांट करना, उस प्रवृत्ति को हमने बन्द किया है। पी0एल0ए0 में 31 मार्च के बाद कोई पैसा नहीं जाएगा। पैसा बजट का जिस कार्य के लिए है उसी पर खर्चा होगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके लिए हिम्मत चाहिए थी और वह हिम्मत हमारी सरकार ने दिखाई है और उस कार्य को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। विकास की स्थिति प्रदेश के अन्दर कैसी होनी चाहिए उसको करने का प्रयास किया गया। पटरी से उतरी व्यवस्था को फिर से पटरी पर ला करके दौड़ाने का प्रयास किया और आज उत्तर प्रदेश जो देश के अन्दर विगत 15 वर्षों में सबसे निचले पायदान की ओर जा रहा था आज देश के अन्दर हर प्रतिस्पर्धा में नम्बर एक और नम्बर दो की उस लड़ाई में फिर से स्थापित हो रहा है जिसका वह हकदार था। (मेजें थपथपाई गईं) जिस प्रदेश में 15 वर्षों के भ्रष्ट और अकर्मण्य राजनीतिज्ञ नेतृत्व में प्रदेश के पूरे परसेप्शन को खराब किया था और उस परसेप्शन को फिर से हमारी सरकार ने पुर्नस्थापित किया है, उसको लाने का प्रयास किया है और उसको ला करके हम लोगों ने प्रदेश के सम्मान को, प्रदेश के 23 करोड़ जनता के सम्मान को, देश के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत किया। एक समय ऐसा भी आया था 2017 के पहले, जब उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पहचान को बताने से कतराता था उसे संकोच होता था। बहुत जगह ऐसी स्थिति आती थी कि उत्तर प्रदेश का जवान कहीं जाता था तो होटल में कमरे उसे नहीं मिलते थे। कौन इस प्रकार की स्थिति पैदा किया था ? कौन वह लोग थे ? यह अराजकता की स्थिति पैदा करने वाला कौन था ? उसको किसी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी नहीं मिलती थी। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा देश और दुनिया के अन्दर बड़े सम्मान के साथ उसको ऑफर मिलता है, अच्छे-अच्छे आफर मिल रहे हैं। हम प्रदेश के अन्दर नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और विभिन्न संस्थानों में उनके सम्मानजनक प्लेसमेंट की व्यवस्था हमारी सरकार ने विगत 22 महीनों के अन्दर करने का प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है एक विश्वास जगा है उस विश्वास को एक नई गति देने के लिए ही यह बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है और इस बजट को प्रस्तुत करते समय बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है हमारे वित्त मंत्री उसकी चर्चा भी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश के उन सभी शहीदों के प्रति नमन करता हूं, जो पुलवामा में आतंकी घटना में शहीद हुए। आतंकी घटना के बाद पूरे देश के अन्दर आतंकवाद के खिलाफ अपने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के प्रति जिस प्रकार का आक्रोश देखने को मिला है। यह एक बार पुनः इस देश के अन्दर हर चुने गये जनप्रतिनिधि की आंखों को खोलने

वाला है। अपने स्वार्थों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति पर चलकर आतंकवाद किसी भी प्रकार के उग्रवाद और अराजकता को बढ़ावा देंगे तो यह आक्रोश उन्हें ले डूबेगा। तुष्टीकरण के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ यह आक्रोश आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हम उन सभी अपने शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रदेश के 12 जवान पुलवामा में आतंकी घटना के शिकार हुए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो वहां पर मुहिम चली, उस एनकाउण्टर में पुनः हमारे प्रदेश का आर्मी का एक जवान शहीद हुआ है। हम उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि यह बलिदान देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सम्प्रभुता के लिए है, इस देश की अखण्डता के लिए है और इसलिए प्रत्येक परिवार को सम्बन्धित संस्था, चाहे वह पैरामिलिट्री हो, मिलिट्री हो या फिर केन्द्रीय पुलिस बल हो, यह संस्थायें अपनी ओर से जो अनुमन्य सहयोग होगा, वह तो देंगी ही, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से हमने प्रत्येक शहीद परिवार के सदस्यों को रु0 25 लाख की अनुग्रह धनराशि, परिवार के एक सदस्य को प्रदेश सरकार में सम्मानजनक नौकरी और जो जवान शहीद हुआ है, उनके गांव का पहुंच मार्ग उनके नाम पर करने और उसके निर्माण की कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है। हमने पहले भी इसकी घोषणा की थी। साथ ही साथ आज मैं अपने सभी मा0 सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार सभी सदस्यों को इसका चयन करने की प्राथमिकता देगी कि वह अपनी-अपनी विधान सभा से एक गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित करें और उस गांव को प्राथमिकता दें, जिस गांव से जवान शहीद हुआ है। उस गांव को अगर प्राथमिकता देंगे, उसे आदर्श गांव के रूप में विकसित कर लें, उस गांव की सड़कों को, उस गांव की जल निकासी को, उस गांव की पेयजल की व्यवस्था को, उस गांव की स्ट्रीट लाइट को, उस गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को, उस गांव में कॉमन सर्विस सेण्टर को या उस गांव में जो भी अन्य सुविधायें हो सकती हैं, इस दृष्टि से विकसित करेंगे तो राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। अच्छा होगा कि एक साथ प्रदेश के अन्दर 403 गांव इस रूप में विकसित करके हम आगे बढ़ा सकेंगे तो वह आदर्श गांव के रूप में विकसित होकर के अन्यों के सामने मॉडल बन सकता है। आज गांवों में विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। पर्याप्त धनराशि भारत सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी गांवों को सीधे जा रही है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करेगी और अगर इसका हम सही ढंग से उपयोग कर लें तो हर गांव को एक आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा सकता है, अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। हम चाहेंगे कि इस बारे में जरूर कार्य किया जाना चाहिए। वर्मा जी को कुम्भ से आपत्ति है और आश्चर्य है, आप सबको तो आपत्ति होनी ही है, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, भारत का सम्मान बढ़े, भारत के नागरिकों का सिर गर्व के साथ जिससे खड़ा होता हो, उस सबसे अगर आपको अपमान महसूस होता है तो यह आपका दुर्भाग्य है, इस देश का नहीं। इस देश का हर नागरिक अपनी उन परम्पराओं पर गौरव की अनुभूति करता है और इसीलिए भारत की परम्परा इस बात को कहती है।

धन्यम् हि भारतम्वर्षम् धन्यः भारतसंस्कृति। भारतीय जनः धन्यः-धन्यः अस्माकम् परम्पराः। हमारी परम्पराएं भारत की संस्कृति इन सब पर गौरव की अनुभूति करने का प्रयास अगर किया होता तो सम्भवतः कांग्रेस को अपने न्यूनतम स्तर पर केन्द्र में भी नहीं आना पड़ता और प्रदेश के अन्दर अर्थी लगाने की स्थिति नहीं आती। यह भी स्थिति नहीं आती अगर यह स्थिति आई है तो इसलिए आई है क्योंकि इस देश की परम्परा और संस्कृति का अपमान करने से यह आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। यानि जब आवश्यकता पड़ती है वोट लेना होता है तो जनेऊ दिखाते हैं एक्सीडेंटल हिन्दू से लेकर जनेऊधारी हिन्दू बनने में तब अपने को कहते हैं कि हम जनेऊधारी हिन्दू हैं गोत्र भी बताने लग गए हैं। वर्मा जी जाति ही नहीं गोत्र भी लोग अब बताने लग गए हैं। सही है या गलत है यह तो ऊपर वाला जानता होगा लेकिन ऐसे लोगों को कुम्भ की परम्परा पर गौरव की अनुभूति नहीं हो रही है। 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुजन कुम्भ की परम्परा में स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर स्नान कर चुके हैं। जिस कुम्भ की परम्परा पर कह रहे थे कि पर्यटन विभाग ने पैसा नहीं दिया। वर्मा जी बिना पैसे के भी कार्य हो सकता है बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। संजय जी बिना पैसे के भी बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं। यह कार्य कोई कर सकता है तो हमारी सरकार कर सकती है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

(अपने आसन पर बैठे-बैठे)

मोहसिन भाई को भी कुम्भ स्नान करवा दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह कार्य हो सकते हैं और हमने किया है। सत्रह नम्बर पर उत्तर प्रदेश को पर्यटन के स्तर पर ले गए थे यह लोग सपा, बसपा सत्रहवें नम्बर पर आज उत्तर प्रदेश कुम्भ के बाद नम्बर एक पर पूरे देश में आने वाला है। 21 करोड़ श्रद्धालु अकेले कुम्भ में। कल फिर स्नान है माघी पूर्णिमा को, संत रविदास जी की जयन्ती भी है और माघी पूर्णिमा के लिए अभी से आप प्रयागराज में देखिए वर्तमान में डेढ़ करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में हैं। सारे आंकड़े टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे शांतिपूर्ण ढंग से जनता की एक-एक पाई को किस तरीके से सदुपयोग करके भव्य और दिव्य कुम्भ का आयोजन किया जा सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आस्था का सम्मान करते हुए किया है। आप भी जाइए वहां पर सारी व्यवस्थाएं होंगी वहां पर गए होंगे चोरी छिपे गए होंगे कोई दो राय नहीं यह बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं कोई कारण नहीं यह गए होंगे या नहीं गए होंगे इनके परिवार के लोग गए होंगे लेकिन गए होंगे जाना भी चाहिए वह किसी व्यक्ति का नहीं है किसी पार्टी का भी नहीं है सबका है। हमारा तो सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आपका तो सबका साथ सबका विनाश का है। हर जाति, हर मजहब, हर सम्प्रदाय सबका है। लेकिन यहां सबका हो गया सपा, बसपा और कांग्रेस। यानि हमारे सबमें सबके विकास की बात है लेकिन इन सबके में विनास का बीज छिपा हुआ है यही अन्तर है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इनको अर्थी पर तो हम ही ले जाएंगे तीन राज्य में तो हम लाए ही हुए हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

काहे गलतफहमी पाले हुए हैं गलतफहमी मत पालना चाहिए भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंची है और दुनियां के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ है।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

गलतफहमी बन्द कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी आएगी आपका कोई भविष्य नहीं है। सपा ने भी आपको इस लायक नहीं समझा कि आपके साथ समझौता कर सकें गठबन्धन कर सकें। इस लायक नहीं समझा जैसे कोई गन्दगी से परहेज करता है वैसे ही सपा ने भी कर दिया है। देश की जनता क्या कर रही है उसके बारे में सोचिए। महोदय, प्रदेश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित किये गये हैं। पयर्टन के साथ ही हम लोगों ने अन्य अनेक क्षेत्रों में भी कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में उत्तर प्रदेश ने देश के अन्दर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी गरीब, किसी किसान, किसी दलित, किसी वंचित, किसी अति पिछड़ा और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े किसी व्यक्ति को ही मिला है। बीस लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी में आच्छादित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। हमने बहुत बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जून, 2015 में चली है और जून, 2015 से लेकर मार्च, 2017 तक प्रदेश के अन्दर केवल 20000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुये थे, इसके बाद हम लोगों की सरकार आई और पौने दो वर्ष की इस कालावधि में हमारी सरकार ने आठ लाख छियासठ हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराये हैं, क्या यह कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब ग्रामीण क्षेत्र में 2014 में प्रारम्भ हुई थी तो मार्च, 2017 तक केवल 63000 परिवारों को यह लाभ मिला था। हमारी सरकार आई तो आज साढ़े ग्यारह लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने आवास उपलब्ध कराये हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत हर गरीब और हर नारी की गरिमा तथा सम्मान को बनाये रखने का कार्य किया गया है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसे आन्दोलन बनाया, अब यह एक जन आन्दोलन बन चुका है।

उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन में अब तक दो करोड़ साठ लाख से अधिक एक-एक शौचालय प्रत्येक गरीब को उपलब्ध कराये गये हैं। यह किसी गरीब को, किसी किसान

को, किसी मजदूर को, किसी दलित को, किसी वंचित को, किसी अति पिछड़े को ही मिले होंगे। अब मैं विद्युत कनेक्शन पर आता हूं। मैं सोचता था कि वर्मा जी अपने जनपद के विधान सभा क्षेत्र के दौरे पर जाते होंगे, लेकिन आज मैं उनके भाषण को देखकर जान चुका हूं कि उनमें वास्तविक धरातल की जानकारी का अभाव है। उनको इसके बारे में सीखना चाहिये, देखना चाहिये और क्षेत्र में जाने की आदत डालनी चाहिये। वैसे इन लोगों की विकास में बहुत रुचि नहीं है और विकास के बारे में इनकी कोई सोच भी नहीं है, यह लोग विकास करना भी नहीं चाहते हैं। अब तक डेढ़ लाख से अधिक मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। एक करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया है और कैम्प लगाये गये हैं। हम लोगों ने कहा था कि माननीय विधायकगण भी जाकर कैम्प में भागीदार बनें। हमने उनको पार्टी के अन्दर नहीं बांटा था। हम कहते हैं कि योजनाओं में सभी लोग जायें क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि होता है। चूंकि आपकी विकास कार्यों में रुचि नहीं है इसलिये आप लोग नहीं जाते हैं, लेकिन इधर के सभी माननीय विधायकगण जाते हैं, कैम्पों में भाग लेते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गये थे, तो जो लोग गये अच्छी बात है लेकिन कहां से आपमें विकास की रुचि है। आपकी इस मामले में कोई रुचि नहीं है।

मान्यवर, 1 करोड़ परिवारों को आखिर बिजली क्यों नहीं मिल पाई थी ? यह लोग 2003 से लेकर 2017 तक क्या कर रहे थे ? डेढ़ लाख मजरों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। श्रीमान् जी यह लोग क्या कर रहे थे ? 20 लाख परिवारों को आवास नहीं मिल पाया था। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों के टॉयलेट नहीं बन पाये थे। यह लोग क्या कर रहे थे ? अगर किसानों की बात करेंगे तो किसानों की स्थिति इन्होंने कहां तक पहुंचा दी थी ? मैं जिस दिन इस सदन में आया था उसके बाद से मैंने वर्मा जी का पहली बार जो भाषण सुना था उसके बाद आज भी किसानों के बारे में वही भाषण है। यानि जो मार्च, 2017 में था वही 2018 में भी था और दुर्भाग्य से मैं 2019 में भी उनका वही भाषण सुन रहा था कि किसानों का धान नहीं खरीदा गया है, किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है, किसानों का गन्ना नहीं खरीदा गया है। मुझे आश्चर्य होता है इसीलिए मैं कह रहा था कि यह बहुत गम्भीर है, सीनियर हैं और उनको जमीनी धरातल की जानकारी होगी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि यह जमीनी धरातल से उखड़े हुए लोग हैं और जमीन से उजड़े हुए लोग हैं इसलिए किसी को बसाने की बात नहीं कर सकते हैं। अकेले इस वर्ष धान विगत वर्ष की तुलना में लगभग 4 लाख मीट्रिक टन सरकार ज्यादा खरीद चुकी है। 46 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय इस बार हुआ है और मिनिमम समर्थन मूल्य एम0एस0पी0 से अधिक दाम उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक किसान को दिया है। लागत का डेढ़ गुना दाम इस देश के अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए पहली बार देश के अन्दर किया गया है।

मान्यवर, यह सभी लोग केन्द्र में थे। यानि कांग्रेस की सरकार 2004 से ले करके 2014 तक चली थी। सपा और बसपा दोनों अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अघोषित रुप से और घोषित रूप से उस सरकार का समर्थन कर रहे थे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी और रोज एक न एक नया भ्रष्टाचार निकलता था, लेकिन फिर भी उसमें फैवीकॉल की तरह चिपके हुए थे। कभी उससे बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे और उस दौरान कभी भी किसी ने यह बात नहीं कही कि इन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामी नाथन कमेटी के अनुसार लागू होना चाहिए और उसके अनुसार किसानों को उसकी उपज का दाम मिलना चाहिए और हम सब आदरणीय मोदी जी के आभारी हैं कि जिन्होंने लागत का डेढ़ गुना दाम किसानों को दिया है। प्रदेश सरकार ने इसी साल 1750 और 1770 रुपये धान की कीमत एम0एस0पी0 के रूप में तय की थी। हमने 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त दिया। प्रक्योरमेंट की 2017 के पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। मा0 राजनाथ सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो वह प्रक्योरमेंट की एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसको उन्होंने लागू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद यहां पर नहीं हो पाया था और मुझे इस बात पर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार आने के बाद विगत वर्ष गेहूं हम लोगों ने 37 लाख मीट्रिक टन खरीदा था और इस वर्ष गेहूं 53 लाख मीट्रिक टन खरीदा। विगत वर्ष हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्दर गेहूं का क्रय किया और किसानों से 42 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया था तथा इस वर्ष कल तक 46 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुका है। आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पैसा किसानों के खाते में भी आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आढ़तियों के माध्यम से। आढ़ती की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। हमने किसान के एकाउन्ट में पैसा सीधे भेजा है। यह भी इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। दलहन और तिलहन का समर्थन मूल्य पहली बार दिया गया है। आलू के लिए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों को जो राहत देनी थी वह हमारी सरकार के आने के बाद दी गई है। गन्ना किसानों को मार्च 2017 से लेकर के अब तक 53 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खाते में सीधे-सीधे देने का कार्य हुआ है। इतनी बड़ी धनराशि देने का कार्य कभी नहीं हुआ है। हम लोग इसको लेकर प्रतिबद्ध है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम कम हैं। बहुत कम है। एक्सपोर्ट होने की स्थिति नहीं है। फिर भी प्रदेश ने और केन्द्र सरकार ने भी एक्सपोर्ट सब्सिडी भी मिलों को दी। जिससे यहां की चीनी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जा सके। लेकिन इस सबके बावजूद हमारी सरकार ने सॉफ्टलोन की व्यवस्था पिछली सप्लीमेंट्री में हम लोगों ने की थी।

किसानों को राहत देने के लिए चीनी मिल गन्ना किसानों का समय से भुगतान कर सकें इस विषयक प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन किसानों के गन्ने का दायरा भी बढ़ा है। पिछले साल 120 लाख मी0 टन अकेले प्रदेश के अन्दर चीनी का उत्पादन होता है और इस बार यह संख्या बढ़ने की संभावना है। लेकिन प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है किसानों के

हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जहां हमने यह कार्य किया वहीं हमने चीनी मिलों के पुनरोद्धार की कार्रवाई भी की है। यह चीनी मिल बेचते थे। 21 चीनी मिलों को यह लोग बेच चुके थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एक दूसरे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में सब लिप्त थे। वर्मा जी बोल रहे थे। कभी-कभी मुंह से निकल जाता है। चोर-चोर मौसेरे भाई। ठीक बोल रहे थे और मुझे लगता है कि प्रदेश के किसानों का कितना बड़ा अहित किया। औने-पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच देना। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइये या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइये। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर कमिश्नरी में कभी 42 चीनी मिलें थीं और आज मात्र 09 चीनी मिलें वहां कार्य कर रही हैं। चालू स्थिति में हैं। इन लोगों ने एक-एक करके बेचा। एक-एक चीनी मिल एक-एक कस्बे का आधार थी। कल मैंने बस्ती के मुण्डेरवा और गोरखपुर के पिपराइच की जो चीनी मिलें हैं इनका दौरा किया था। मैं वहां पर किसानों के साथ बैठा था और मैं बातचीत कर रहा था कि एक चीनी मिल पर कितना नौकरी, कितना रोजगार, कितने किसान उससे जुड़े हुये हैं। अकेले मुण्डेरवा में जो चीनी मिल हम लोग लगा रहे हैं। 50 हजार कुन्तल गन्ने की पेराई करेगी और अगले महीने से हम उसको चालू करने जा रहे हैं। नई चीनी मिल हम लोगों ने वहां पर लगायी है। यह लोग बेच रहे थे हम नई चीनी मिल लगा रहे हैं। 500 कर्मचारी रखे जायेंगे। 5000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पायेंगे और 35 से 40 हजार किसान जिनके जीवन में खुशहाली आयेगी एक चीनी मिल के आधार पर, एक-एक चीनी मिल व्यापक रुप से लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकती है। 50 हजार परिवार सीधे-सीधे एक चीनी मिल पर आधारित था। यह लोग बेचते गये अलग-अलग रुप से बेचते गये। बेचते नहीं तो शराब लॉबी के सामने यह लोग नाक क्यों रगड़ते। नाक रगड़ने की स्थिति थी। आप प्रदेश के अन्दर राजस्व की बात कर रहे थे। आपकी सरकार भी और इनकी सरकार भी दोनों जो आप सब बने हुये हो न यह दोनों की स्थिति वही थी। प्रदेश के अन्दर कुल 14 हजार करोड़ रुपये इनके इक्साइज से आते थे और हमारी सरकार उससे 29 हजार करोड़ पिछले साल लेकर आयी है और हम 33 हजार करोड़ तक इसको पहुंचाने जा रहे हैं। आप राजस्व की बात कर रहे हैं। आप राजस्व के बारे में हमें सिखायेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

अगर आप सुनना चाहें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं। आप बोल चुके हैं। आप जितना बोलना था बोल चुके हैं। जब आपका नम्बर आयेगा तब बोलियेगा। सुनने की आदत भी डालिये। जब हम भाषण करते हैं तो बाथरूम जाने से थोड़ा परहेज करिये। अपने को इतना दृढ़ रखिये कि जब बोल रहे हैं तो सुनने की आदत भी होनी चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह व्यक्तिगत आक्षेप है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

व्यक्तिगत नहीं है। जब आपने व्यक्तिगत कहा है तो हम उसी रूप में उसका जवाब भी दे रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

हम सुबह 11 बजे से बैठे हैं। आप अभी आये और मान्यवर, इस तरह का आरोप लगा देना यह संसदीय मर्यादा के बिलकुल विपरीत है। मान्यवर, यह बात अच्छी नहीं है। माननीय नेता सदन इस स्तर पर उतर आयेंगे तो यह संसदीय परम्परा का मजाक है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया। शोर-शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। पूरा करने दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

बोल रहे हैं तो सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी या तो स्वयं संसदीय आचरण करिये। अगर असंसदीय आचरण करेंगे व्यक्तिगत आरोप लगायेंगे तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी जब मैं बोल रहा हूं तो सुनना चाहिए आप स्वयं संसदीय आचरण कीजिए और यदि आप असंसदीय आचरण करेंगे, व्यक्तिगत आरोप लगायेंगे तो आपको सुनने की आदत डालनी होगी।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप आरोप लगा रहे हैं आपको बोलने का सहूर नहीं है, कैसे बोला जाता है आपको संसदीय परम्परा का ढंग ही नहीं मालूम है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, मैं पूरा जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप कृपया बैठ जायें। मा0 नेता सदन को अपनी पूरी बात कहने दें। आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नेता बसपा ने इस सदन में चोर तक कहा है। आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिए। हमारे लोग चुपचाप सुनते रहे और जब जवाब की बात आई तब इस तरीके की बात करने लगे। यह परम्परा है कि जब तक नेता सदन खड़े हैं तब तक आप बैठकर सुनेंगे और यदि नेता सदन आपकी बात सुनना चाहेंगे तो वह बैठ जायेंगे। इस तरह से आप कभी बोलते नहीं हैं। जिस तरह से आज आपने बोला है। आपने इसी सदन में कहा था कि चोर को सभी चोर ही नजर आते हैं और हम सुनते रहे हमने किसी भी तरह का व्यवधान नहीं किया। मान्यवर, यह परम्परा है कि जब तक नेता सदन बोलते हैं उन्हें सब सुनते हैं। उनके बोलते समय यदि कोई बोलता है और वह उनको सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो वह सुनते हैं। यही परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप व्यवधान कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम साढ़े 10 बजे से यहां पर हैं और 11 बजे से लगातार हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको हम सुन ही रहे हैं। मान्यवर, किसी व्यक्तिगत कारण से हम थोड़ी देर के लिए यहां से उठकर चले गये तो आप कमेण्ट कर रहे हैं। मा0 नेता विरोधी दल अस्वस्थ है उन पर आप कमेण्ट कर रहे हैं। मान्यवर, इस तरह से तो नेता सदन हम सबका मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यही परम्परा है कि जब नेता सदन बोल रहे हैं तो आपको उन्हें सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठिए। मा0 नेता सदन आप कृपया अपना भाषण जारी रखिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब यह संसदीय परम्पराओं की बात कर रहे हैं और मैं आपसे ही विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप इस सदन के लिए संसदीय परम्परा का एक मानक तय करवा दें। आप व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप किसी पर भी लगा सकते हैं

लेकिन क्या दूसरा उसका जवाब नहीं देगा ? यानि आप सत्तापक्ष के हमारे किसी भी मंत्री या सदस्य को कुछ भी बोल देंगे। यह चीजें नहीं हो सकती हैं। आप लोग मानक तय करें, यह सदन मानक तय करे। हम तो बोल रहे हैं कि एक मानक सदन को तय करना चाहिए। इसी आचरण के कारण प्रतिनिधि कठघरे में खड़ा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, चोर-डकैत और बेईमान कौन बोल रहा है यह कौन सी संसदीय भाषा है ? इधर से कभी भी कोई नहीं बोला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसमें खड़े होने की क्या बात है, यह तो सामान्य बात है। यह तो एक सामान्य बात है, एक आदर्श की बात है कि यह सदन मर्यादित है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष आप अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, हमें आपके स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है आपके द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया है मुझे लगता है कि वह स्वयं भी शोभा नहीं देती है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस सदन में आने वाला हर सदस्य समान है और प्रत्येक को संसदीय मर्यादाओं का संसदीय आचरण का पाठ स्वयं सीखना चाहिए और उस प्रकार का आचरण स्वयं को उतारना भी चाहिए। इसीलिए भाषा का प्रयोग कैसे होना चाहिए आप लोग स्वयं भी आचरण करें और अपने सदस्यों को भी सिखायें। सत्तापक्ष उसका अनुसरण स्वयं कर लेगा। यहां का हर सदस्य अनुशासित है।

श्री अध्यक्ष-

बीच में टोका-टाकी ठीक नहीं है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 अध्यक्ष जी, दूसरों को मत सिखायें। हम लोग बार-बार इस बारे में कह रहे हैं। क्यों जनप्रतिनिधि कठघरे में खड़ा है ? क्या आज हर जन-प्रतिनिधि को लोग सन्देह की निगाहों से देख रहे हैं ? क्यों बार-बार न्यायिक टिप्पणियां हो रही हैं, क्यों न्यायालय बार-बार इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है कि विधायक-सांसद कुछ करते नहीं उन्हें वेतन-पेंशन क्यों दिया जा रहा है, यही आचरण है कोई और नहीं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि अगर व्यक्तिगत आक्षेप करेंगे, टिप्पणी करेंगे तो फिर जैसे को तैसे का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। (सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयीं) अगर हमें लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए तो हमें खुद व्यक्तिगत टिप्पणी करना बन्द करना चाहिए और अगर हमें लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं तो फिर हमें भी इस

बात को लेकर खड़े हो जाना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग परहेज करते हैं और करते रहे हैं। लेकिन हम फिर इस बात को कहेंगे कि आप लोग तय कर लें और जैसा चाहेंगे उस प्रकार से आपको जवाब भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन ये चीजें नहीं चल सकती कि जो कुछ भी आपके मुंह में आएगा वो बोल लेंगे, यदि सत्तापक्ष की तरफ से कोई बोलने के लिए खड़ा होगा तो आप लोग अपने अनुसार बीच में डिस्टर्ब करेंगे। संसदीय मर्यादाओं का पालन हमें स्वयं करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत सदन की कार्यवाही जब पहले दिन शुरू होती है श्री राज्यपाल के अभिभाषण से, उस दिन के बारे में अपने सदस्यों को पहले सिखाइए कि किस प्रकार का आचरण श्री राज्यपाल के प्रति होनी चाहिए। (सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) हम अच्छी चीजों को अंगीकार करें, बुरी चीजों को छोड़ें।

हमारा अन्नदाता किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। हमारी सरकार ने किसानों का कर्जमाफ भी किया, हर जिले में आप जाइए एवरेज साठ हजार रुपए किसान का प्रदेश के अन्दर माफ हुआ है। यही नहीं, देश के अन्दर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू होने जा रही है, हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) लघु और सीमान्त किसानों के लिए एक क्राइटेरिया तय किया गया है। छः हजार रुपए प्रत्येक किसान के खाते में भारत सरकार स्वयं पैसा देगी और हर वर्ष देगी। एक मार्च से यह योजना लागू होने जा रही है और इस योजना को लागू करने की दिशा में बहुत शीघ्र ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और हमारा प्रयास है कि इसकी पहली किस्त फरवरी माह में ही प्रत्येक किसान के खाते में चला जाए। (सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) किसान का इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है कि उसका हक उसे दे देना, एम0एस0पी0 से अधिक उसको दाम देना, उसके लिए अधिक से अधिक हर क्षेत्र में व्यवस्था करना। हम लोगों ने 35 लाख किसानों को अब तक 53 हजार करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। ये हमारी सरकार ने किया है और ये गन्ना मूल्य का भुगतान 2011-12 से लम्बित पड़ा हुआ था और हमारी सरकार जब विगत वर्ष आई थी तब गन्ना मूल्य का विगत वर्ष का भुगतान कराया है और विगत वर्ष से लेकर अब तक का चल रहा है और चालू सीजन के गन्ना मूल्य का भुगतान युद्धस्तर पर चल रहा है। महोदय, गेहूं खरीद में 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का रिकार्ड खरीद किया गया है। 72 घंटे के अन्दर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खाते में भुगतान भी किया गया है। 11 लाख से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। धान की खरीद अब तक 46 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जिसमें पांच लाख छियासी हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। मक्का खरीद की शुरुआत पहली बार प्रदेश में हुई है। हमने मण्डी का जो शुल्क होता था उसे एक लाख से घटाकर उसे दस हजार रुपए किया है। जिससे पूरे देश की मण्डी उत्तर प्रदेश बन सके। यूनिफाइड लाइसेंस की एक फीस हम लोगों ने यहां

पर लागू की है तो किसानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का आयोजन भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है और यही नहीं, प्रदेश के दो किसानों को इस बार पद्म पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में कुछ विशिष्टि योगदान दिया है। जागरुकता पैदा की है, ऐसे किसानों को और उसमें बाराबंकी के एक किसान हैं और बुलन्दशहर के दूसरे किसान हैं। हम अभिनन्दन करेंगे, इन सब किसानों का जिन्होंने अपनी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों में भी खेती-किसानी को आजीविका का माध्यम बना करके लाखों लोगों के सामने एक नयी रोशनी देने का कार्य किया और यह नई रोशनी एक नए भविष्य की ओर हमें लेकर चलती है और अन्नदाता किसान का इससे बड़ा सम्मान, ई-नैम पोर्टल 100 मण्डियों को इससे लिंक करने की व्यवस्था हो, चाहे वह कृषि निवेश पर डीवीटी के माध्यम से 32 लाख 47 हजार कृषि अनुदान के 657 करोड़ 19 लाख का सीधे भुगतान की कार्यवाही का मामला हो और यह सरकार के आने के बाद हुई और निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए भी आओ और पाओ योजना लागू करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया।

महोदय, कितना अन्याय होता था, प्रदेश के किसानों के हित की यह लोग बात कर रहे हैं, 1994 में 200 से अधिक विकास खण्ड डार्क जोन घोषित कर दिए गए थे। उनमें नलकूप के कनेक्शन नहीं मिलते थे, किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। वह जबरदस्ती अपने इंजन लगा करके, पम्पिंग सेट से अपने खेतों में डीजल से पानी ले जाने के लिए मजबूर होते थे। लेकिन हमारी सरकार आयी, हम लोगों ने डार्क जोन की व्यवस्था को समाप्त किया। वहां पर उन्हें कनेक्शन देना प्रारम्भ किया। किसानों को बिजली देनी प्रारम्भ की। उत्तर प्रदेश के किसानों को 18-18 घण्टे बिजली मिल रही है, यह सरकार के आने के बाद हुआ है और किसानों को ही नहीं, पांच जिलों में बिजली मिले और बाकी 70 जिले अंधेरे में रहें, उस व्यवस्था को भी हमारी सरकार ने समाप्त किया और बाबा साहेब अम्बेडकर जयन्ती के दिन से किया। 14 अप्रैल, 2017 को हमारी सरकार ने व्यवस्था की, हर जनपद मुख्यालय को 24 घण्टे, हर तहसील मुख्यालय को 20 घण्टे और हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सरकार कर रही है और हमने यह भी घोषणा की है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस 10 प्रतिशत से कम आयेगा, हम 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति वहां करेंगे। इससे स्पष्ट घोषणा और कुछ नहीं हो सकती और मुझे लगता है, यह कार्य प्रदेश के अन्दर युद्ध स्तर पर करने का कार्य किया गया है। महोदय, बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुईं है और बहुत सारे कार्य हुए हैं। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस देश के श्रमिकों के लिए, प्रदेश के श्रमिकों के लिए। श्रमिक आज इस कस्बे में है, कल दूसरे कस्बे में कार्य करने के लिए जाता है, अपनी आजीविका के लिए भटकता है, जगह-जगह उसके लिए कोई कार्य नहीं होता। लेकिन श्रमिकों के प्रति हमारे विपक्ष के मित्रों के पास थोड़ी भी संवेदना होती तो इन्हें इस योजना का स्वागत करना चाहिए था। यह जो आवासीय विद्यालय होंगे, 18 कमिश्नरी स्तर पर, ये श्रमिकों के बच्चों के लिए होंगे। जितने भी रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके

बच्चों को हम आवासीय व्यवस्था के तहत विद्यालय उनके लिए बनायेंगे, उनको लायेंगे, उनके पढ़ाने की सारी व्यवस्था सरकार उठायेगी और उन 18 कमिश्नरी में जो हमारे 18 विद्यालय स्थापित होने जा रहे हैं, इन अटल आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था भी इस बजट में की गई है। युवाओं के लिये दो योजनाएं हम लोग चलाने जा रहे हैं, एक युवक मंगल दल की, विगत वर्ष भी हम लोगों ने पैसे दिये थे और इस वर्ष फिर पैसे की व्यवस्था की है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल का गठन हो। युवक मंगल दल का गठन, उसको स्पोर्ट्स के किट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रत्येक ग्राम पंचायत में हो, और इसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। ग्रामीण क्षेत्र में मिनी स्टेडियम भी स्थापित हों, इसके लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गयी है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत, गांव का बढ़ई है, गांव का लोहार है, गांव का दर्जी है, गांव का टोकरी बुनकर है, गांव का सोनार है, लोहार है, कुम्हार है, हलवाई है, नाई है, मोची है, राजमिस्त्री है, इस प्रकार के जिस भी कार्य से लोग जुड़े हैं, इन सबके स्वावलम्बन के लिए भी विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हमारी सरकार ने लागू की है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत इन लोगों की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें निश्चित मानदेय और मानदेय के साथ ही फिर उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्य मंत्री स्वरोजार योजना या फिर अन्य किसी योजना के साथ जोड़ करके उनके स्वावलम्बन के लिए कार्य करना। यह कार्य जहां हम लोग इसके माध्यम से करने जा रहे हैं, वहीं हमारे पास एक लाख 58 हजार प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रदेश के अन्दर कार्यरत हैं जिसमें एक करोड़ 77 लाख बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। कायाकल्प योजना के अन्दर मैं वही देख रहा था, मा0 सदस्य अभी बोल रहे थे कि विद्यालयों में अलग-अलग टॉयलेट होना चाहिए तो कायाकल्प योजना में हम 91 हजार विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। हमारे मा0 जनप्रतिनिधियों ने भी गोद लिया था, प्रशासनिक अधिकारियों ने, समाज के अन्य गणमान्यों ने भी उन विद्यालयों को गोद लिया है। गोद ले करके उनका कायाकल्प करने का काम किया गया है, उनकी फ्लोरिंग बनाना, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट बनाना, पेयजल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास वहां बने, लाइब्रेरी बने ये सारी प्रक्रिया वहां पर की गई है। उसका परिणाम है कि संख्या बढ़ी है। प्राथमिक में और अपर प्राथमिक विद्यालयों में पूरे प्रदेश के अन्दर एक करोड़ 77 लाख बच्चों को वर्तमान में दो यूनीफार्म, बैग, बुक्स, शूज-सॉक्स, स्वेटर ये सारी चीजें उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य सरकार के द्वारा प्रारम्भ हुआ है। साथ ही साथ युद्ध स्तर पर प्रदेश के अन्दर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्यवाही भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए हुई है। पहले प्रदेश के अन्दर वर्ष 2016-17 की ही अनुसूचित जाति-जनजाति की स्कालॅरशिप नहीं दी गई थी क्योंकि उस समय की सरकार को यह लगता था कि एस0सी0-एस0टी0 उनका वोट नहीं है तो उन छात्रों को स्कॉलरशिप ही नहीं दी गई। वर्ष 2016-17 की स्कॉलरशिप भी हमारी सरकार ने वर्ष 2017-18 में एक साथ दी। 21 लाख छात्रों को उस समय उनकी स्कॉलरशिप

दी और शुल्क प्रतिपूर्ति भी की। वर्ष 2017-18 में 23 लाख छात्रों को दी गई। इस वर्ष 25 लाख छात्रों को यह सुविधा हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोगों ने इसमें आय की सीमा को भी ठीक किया है। पहले यह सुविधा मिलती थी कि 2 लाख रुपये तक की आय जिनकी होगी उनको यह सुविधा देंगे लेकिन हमने यह सीमा बढ़ाई कि 2.50 लाख रुपये तक हम इसको करेंगे। आज प्रदेश के अन्दर अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी छात्र-छात्राओं को यह सुविधा जहां इस आय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराई जा रही है, साथ-साथ समय-सीमा भी हम लोगों ने तय की है। समय-सीमा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी है। पहले पहली किस्त का पैसा दिसम्बर तक जाता था, दूसरी किस्त का पैसा जून-जुलाई तक जाता था। बहुत बार नहीं भी जाता था, लैप्स हो जाता था। तमाम प्रकार से छात्रों को परेशान होना पड़ता था। इस बार से यह व्यवस्था कर दी गई कि पहली किस्त का पैसा 2 अक्टूबर, 2018 को जा चुका है, दूसरी किस्त का पैसा भी 26 जनवरी, 2019 को उनके खाते में उपलब्ध करा दिया गया है। युद्ध स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य जहां हुआ है, वहीं ओ0बी0सी0, सामान्य और अन्य अल्पसंख्यक जाति से जुड़े हुए जो हमारे छात्र-छात्राएं हैं उनकी छात्रवृत्ति की राशि को भी बढ़ा करके उनके लिए भी इस कार्य को पूरा करने का कार्य किया गया है। यानि युद्ध स्तर पर किसी भी कार्य को करने में इस कार्य को प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने किया है। साथ-साथ प्रदेश के अन्दर तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

महोदय खासतौर से प्रदेश के अन्दर अब तक बहुत दिनों से मांग होती थी कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय नहीं है। हम लोगों ने बजट में सहारनपुर में विश्वविद्यालय की व्यवस्था की। सहारनपुर के साथ ही हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक राज्य विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है कि आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार अपना बनाएगी। श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर प्रदेश के अन्दर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनेगा। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस होंगे, इन सबको हम उस मेडिकल कॉलेज से ही सम्बद्ध करेंगे। लेकिन साथ ही साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली कर्म भूमि जनपद बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 का एक सैटेलाइट सेण्टर स्थापित करने एवं आगे उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने का निर्णय भी इस सरकार ने किया है और बजट में उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। इसके अलावा प्रदेश के अन्दर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए हमने लखनऊ में उसकी स्थापना के लिए भी व्यवस्था की है। आयुष विश्वविद्यालय की प्रदेश के अन्दर स्थापना होगी। हमारे जितने भी आयुर्वेद हैं, होम्योपैथ हैं, यूनानी हैं, योग एण्ड नैचुरोपैथी है इन सबको मिलाकर एक आयुष विश्वविद्यालय बनाना है। आयुष विश्वविद्यालय के लिए भी हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है। प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये। शिक्षा की स्थिति प्रदेश के अन्दर क्या हो चुकी थी ? नकल माफिया हावी हो चुके

थे इतनी सख्ती के बाद भी आज भी किस कदर बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग दुस्साहसिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदेश के नौजवानों के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में हो। प्रदेश के अन्दर इसको युद्ध स्तर पर जहां लागू करने का कार्य किया जा रहा है वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अन्दर कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की थी प्रदेश के अन्दर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिये, बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के लिये, उनके स्वावलम्बन के लिये और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें इस दृष्टि से हम लोगों ने इस बजट में इसकी व्यवस्था की है। लगभग 12 सौ करोड़ रुपये की एक योजना हम लोगों ने दी है जो कन्या के पैदा होने पर, कन्या जब विद्यालय में जायेगी तो सभी प्रकार के टीके उसको लगे हों, पैदा होने पर एक निश्चित राशि उसके खाते में जमा होगी। पहली क्लास में जायेगी एक निश्चित राशि उसके खाते में जमा होगी, छठी क्लास में जायेगी तो एक निश्चित राशि उसके खाते में जमा होगी और स्नातक में जायेगी तो एक निश्चित राशि उसके खाते में जमा होगी। जब वह बालिका बालिग होगी तो परिवार के सामने शादी-ब्याह का या उस बालिका का स्वावलम्बन के लिये एक अच्छी राशि उस बालिका को प्राप्त हो सके इसके लिये हम लोगों ने 12 सौ करोड़ रुपये की राशि कन्याओं के स्वावलम्बन के लिये, उनके सम्मान के लिये इस बजट में इसकी व्यवस्था इसके साथ ही की है। साथ ही साथ महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य और उनके रक्षण और सम्वर्धन के लिये भी पुष्टाहार कार्यक्रम में 4,004 करोड़ की व्यवस्था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हेतु 335 करोड़ रुपये की व्यवस्था, शबरी संकल्प अभियान हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था और किशोरी बालिका योजना के अन्तर्गत 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। यही नहीं पेंशन की जो विभिन्न प्रकार की स्कीम है जैसे दिव्यांग पेंशन की राशि 300 से 500 हमने विगत वर्ष की थी। वृद्धावस्था पेंशन की राशि को भी बढ़ाने का काम हुआ है। पहले 37 लाख वृद्धजन प्रदेश के अन्दर इस योजना से लाभान्वित होते थे और आज के दिन पर यह संख्या लगभग 46 लाख पहुंच रही है जितने वृद्धजन बचे हुए थे उन सबको इस राशि को भी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। निराश्रित महिलाओं के लिये भी एक व्यवस्था दी गई है कि उनके लिये पहले एक आयु सीमा थी हम लोगों ने इस सीमा को समाप्त किया है और इस सीमा को समाप्त करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक निराश्रित महिला निराश्रित है। उसको पेंशन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिये और यह सुविधा उनको उलपब्ध करा दी गई है। यह व्यवस्था जहां लागू की गई है वहीं हम आयुष्मान भारत में प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को आच्छादित करने लिये प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। यानि यह संख्या 6 करोड़ से अधिक पहुंचती है। 6 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त करेंगे और स्वास्थ्य बीमा का यह कवर जहां भारत सरकार आयुष्मान भारत में कर रही है इसमें भारत सरकार

और प्रदेश सरकार मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है लेकिन जो अन्य लोग बचे हुए थे, लगभग 56 लाख लोग प्रदेश के अन्दर ऐसे बचे हुए थे जो इस आयुष्मान भारत में ए0सी0सी0 के जो पिछले डाटा थे, उसमें उनका नाम नहीं था, उन 56 लाख लोगों को भी हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत कवर किया है। यानि 56 लाख लोग भी 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्राप्त करेंगे। यह सुविधा भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया है।

महोदय, शहरी क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी। शहरी क्षेत्र में देश के अन्दर 100 स्मार्ट सिटी की योजना वर्तमान में चल रही है जिसमें 10 उत्तर प्रदेश के अन्दर है। इन 10 स्मार्ट सिटी के विकास के लिये भारत सरकार पैसा दे रही है, प्रदेश सरकार भी उसमें अपना योगदान दे रही है, स्थानीय नगर निकाय भी उसमें योगदान दे रही है। लेकिन एक जोरदार प्रतिस्पर्धा हो, हमारे 7 नगर निगम जो अवशेष थे, इन 7 नगर निगमों को भी हम प्रदेश सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी की योजना के साथ जोड़ना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी की योजना के साथ ये भी जुड़े। एक प्रतिस्पर्धा हो, राज्य सरकार भी पैसा दे, कुछ नगर निकाय भी योगदान दे, वहां पर अच्छी सड़कें बनें, वहां पर मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था हो, वहां पर इन्ट्रीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था वहां पर लागू हो। वहां पर वाटर लागिंग न हो, अच्छे ड्रेनेज की सीवरों के सिस्टम की वहां पर व्यवस्था हो सके। लोगों को शुद्ध पेयजल एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें। ये जो मूलभूत बुनियादी सुविधायें नगरीय क्षेत्रों में प्राप्त होनी चाहिये। इस दृष्टि से हम लोगों के जो 7 अन्य महानगर बचे थे। इन महानगरों को भी हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत, प्रदेश सरकार की व्यवस्था के अन्तर्गत इसे लेना चाहते हैं। यहां पर अभी बात हुई कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे या पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे या गंगा एक्सप्रेस-वे, इन सब चीजों के बारे में। कैसे आखिर वही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे है जो पहले भी 340 किलोमीटर का था और 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तब खर्च हो रहा था 15,200 करोड़ रुपया। आज उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे उससे अच्छा बनने पर 11,800 करोड़ रुपये मात्र में वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हमारी सरकार बनाने जा रही है। उसके साथ बलिया को जोड़ने के लिये भी हमने सर्वे प्रारम्भ किया है और साथ ही साथ बुन्देलखण्ड को भी एक एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ने की कार्यवाही भी हम करने जा रहे हैं। पिछले इन्वेस्टर्स समिट में 21-22 फरवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर्स समिट यहां पर आयोजित किया था और हमारी सरकार ने आने के बाद अपना जो पहला इन्सेस्टर्स समिट किया था, प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यापक रोजगार और प्रदेश के विकास की दृष्टि से डिफेन्स मैन्युफेक्चरिंग कॉरीडोर की घोषणा की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिफेन्स मैन्युफेक्चरिंग कोरीडोर

का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी झांसी में 15 फरवरी को किया है। व्यापक पैमाने पर रोजगार के साथ-साथ विकास का एक नया आयाम उत्तर प्रदेश के अन्दर स्थापित करने की दिशा में यह एक बड़ा कार्य है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड का लाइफ लाइन बनेगा। बुन्देलखण्ड का व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण, उसके माध्यम से रोजगार सृजन की व्यवस्था और उसके बाद उन रोजगार सृजन के माध्यम से वहां के पलायन को रोकना, एक वृहद् कार्यक्रम वहां के लिये जो बनाये जा रहे हैं, उसके लिये भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है और उसके बाद इस कार्य को भी समयबद्ध ढंग से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को भी करेंगे और मुझे आश्चर्य होता है कि इतने पुराने-पुराने सदस्य हैं। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

(श्री मोहम्मद असलम ''राईनी'' के खड़े होने पर)

इतना क्यों चिन्तित हो रहे हैं भाई। आप तो पहले ही आ चुके थे। आपको तो हमने पहले ही कह दिया था कि आपका प्रस्ताव मिल गया है। अपने नेता से तो आपने कभी पूंछा नहीं होगा। महोदय, गंगा एक्सप्रेस-वे को हमारी सरकार ने दिल्ली को मेरठ से 12 लेन के एक्सप्रेस-वे के साथ जोड़ा है और जहां पर मेरठ में यह मिलेगा वहां से लेकर पैरलर गंगा जी के इको सिस्टम को बनाये रखते हुए, उसको बचाये रखते हुए गंगा मैय्या का पूरी तरह संरक्षण करते हुए हम लोग 600 किमी0 के एक्सप्रेस-वे के सर्वे की कार्यवाही को यूपीडा को दे चुके हैं, यूपीडा एक विभाग है, यूपीडा के पास पैसे की कमी नहीं है। यूपीडा अपने खर्चे से सर्वे का कार्य प्रारम्भ कर चुका है। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में इसका उल्लेख है इसके लिये धनराशि की अलग से व्यवस्था नहीं, वह यूपीडा अपने स्वयं के खर्चे से इसके सर्वे का कार्य को बढ़ावा दे रहा है। सर्वे और डीपीआर होने के साथ ही सप्लीमेंटरी से हम इसकी व्यवस्था भी देंगे और फिर जब हमें बनाना होगा 36 हजार करोड़ नहीं, 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये भी लगेंगे तो भी सरकार उसकी व्यवस्था कर लेगी, उसकी कमी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रयागराज के साथ जोड़ने .....

(विपक्ष द्वारा बीच में टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

कल्पना नहीं, यह स्वाभाविक सपने आप देखते हैं लेकिन हम लोग इस कल्पना को साकार करते हैं। अरे अब तो हम नेता प्रतिपक्ष को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे दे चुके हैं।

जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

इनके मंत्री गाजीपुर तक नहीं ले जा पाये, आपके आशीर्वाद से यह बलिया तक जुड़ गया, इसके लिये इनको ताली बजाना चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम पहले ही बजाये थे।

श्री योगी आदित्य नाथ-

यदि विकास में इन लोगों की रुचि होती तो करते न। महोदय, गंगा एक्सप्रेस-वे सचमुच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और प्रयागराज से इसको जोड़ने का कार्य होगा, व्यापक रूप से इन सभी क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह एक बड़ा कार्य होगा और प्रदेश के लिये एक उपलब्धि होगी। यह ठीक बात है कि हमारी सरकार को यह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह सौभाग्य प्राप्त हुआ लेकिन यह इस प्रदेश की 23 करोड़ जनता की उपलब्धि होगी और प्रदेश देश के अन्दर सबसे अच्छे एक्सप्रेस-वे देने वाला राज्य भी बनेगा, अच्छी कनेक्टिविटी वाला राज्य भी बनेगा और इस दृष्टि से हम लोग यह कार्य भी करने जा रहे हैं। महोदय, बुन्देलखण्ड के लिये पाइप पेयजल योजना हम लोग देने जा रहे हैं, बजट में इसकी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला भी रख दी है। बुन्देलखण्ड में 4500 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 1800 में यह सुविधा है। 200 में सुविधायें वर्तमान में चालू स्थिति में हैं जो विगत वर्षों में हम लोगों ने प्रारम्भ की थी, जो कार्य चल भी रहा है। 2500 ग्राम पंचायतें अभी बुन्देलखण्ड की ऐसी थीं जहां पर पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, टैंकर लगाने पड़ते हैं। हम लोगों ने एक समग्र योजना बुन्देलखण्ड के लिये पाइप पेयजल की बनाई है और एक पेयजल की योजना हर ग्राम पंचायत तक विशुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने को लेकर है और उसके लिये हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है, तो साथ-साथ हम विन्ध्य क्षेत्र को भी इसके बाद लेंगे, हम लोग आर्सेनिक, फ्लोराइड और इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित गांवों और उन बस्तियों को भी इसमें लेंगे, चरणबद्ध तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेंगे लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिये भी हम लोगों ने 2954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में की है।

महोदय, वन्य अधिनियम की बात हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे, जो बाहर जा चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने वनटांगिया गांवों के लिये आजादी के बाद से यह बदहाल स्थिति में थे, राजस्व गांवों के रूप में मान्यता उन्हें हम लोगों ने दी है और राजस्व गांव के रूप में मान्यता देते हुए उन गांवों के कल्याण के लिये, उन गांवों के विकास के लिये, उन गांवों के आवास के लिये, उन गांवों के विद्युतीकरण के लिये, उन गांवों में राशनकार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन या अन्य जितनी भी सुविधायें हो सकती हैं, स्कूलों की व्यवस्था के लिये ही 5 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। यह व्यवस्था वनटांगिया गांवों में प्राथमिक और उच्च विद्यालयों की स्थापना के लिये जहां की जा रही है वहीं हम लोगों ने यह भी तय किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बस्तियां आच्छादित नहीं हैं मुसहर जाति है, थारू जनजाति है, कोल जाति से जुड़े हुए लोग हैं और फिर ट्राइब्स हैं। वनटांगिया गांव से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहले उन्हें किसी भी जनगणना में उनको कहीं आधार नहीं बनाया गया था। इन सबको मुख्य मंत्री आवास योजना में हम इन्हें आच्छादित कर रहे हैं और साथ ही साथ 3,700 से अधिक कुष्ठ रोगियों को भी मुख्य मंत्री आवास योजना में एक-एक आवास उपलब्ध

कराने की कार्यवाही हमारी सरकार ने की है (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) और उसके लिये हम लोगों ने इस बजट में भी व्यवस्था की है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, अभी 9 फरवरी को 10 हजार से अधिक कन्याओं की शादी, 10 हजार के आंकड़े थे, और 15 हजार की संख्या पड़ी और गरीब कन्याओं की शादी, बहुत पूण्य का कार्य है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने इसकी अनुदान की राशि को 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार भी किया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गईं)। जब पिछले वर्ष हम लोगों ने यह योजना लागू की थी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर आपत्ति की थी। गरीबों की इनको चिन्ता नहीं थी। उन्होंने उस समय विरोध किया था कि अपमान है, यह 15,000 कन्यायें एक साथ विवाहित कार्यक्रम से जुड़े रही हैं, मांगलिक कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। मैं अभिनन्दन करूंगा अपने समाज कल्याण मंत्री जी का, जिनकी टीम ने एक दिन में, उनके प्रमुख सचिव और उनकी पूरी टीम ने एक दिन में 15,000 कन्याओं का, महोदय, कितनी गरीबी है, गरीबी केवल नारेबाजी से दूर नहीं होगी, यह गरीबी केवल बोलने से, भाषण से दूर नहीं होने वाली है। उन कन्याओं की स्थिति तो देखिये, मैं गया था, स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने श्रमिक कन्याओं की शादी का कार्यक्रम अपनी योजना के माध्यम से किया था, मैं उनके कार्यक्रम में मिर्जापुर में गया था और मैं देख रहा था, पता नहीं नेता प्रतिपक्ष अपनी शादी-विवाह के दिन कैसे कपड़े पहने थे। लेकिन उस दिन मैं देख रहा था, बहुत सारे ऐसे दुल्हे आये थे जो बेचारे उस दिन भी पुराने कपड़े पहने हुए थे ? यानि गरीबी की स्थिति क्या है। अगर गरीबी को समझने का वास्तव में प्रयास किया होता तो नेता प्रतिपक्ष, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि सचमुच गरीबों के कल्याण के बारे में आपके मन में थोड़ी भी भावना होती तो आज के दिन पर आप सही मायने में समाजवादी पार्टी में तो नहीं होते, आप शिवपाल जी के साथ होते हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)। अरे, लोहिया जी के मार्गों का अनुसरण तो वही व्यक्ति कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, मन की सही बात निकल ही जाती है, कभी न कभी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं यही कह रहा हूं, लोहिया जी ने जिस समाजवाद की बात की थी, उस समाजवाद के दर्शन कहीं नहीं आपकी पार्टी में होते हैं। वास्तव में लोहिया जी का नाम कभी-कभी लेते हैं तो इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री शिवपाल जी जरूर ले लेते हैं। (सदन में हंसी) लोहिया जी का नाम ले लेते हैं, लेकिन आप लोग कभी लेते नहीं हैं। आप लोगों ने तो सारे महापुरुष अब भुला दिये, तो महोदय, यह स्थिति आज इनके साथ यहां पर इस रूप में हम लोगों को देखने को मिल रही है। हम लोगों ने पर्यटन विकास की दृष्टि से भी बहुत सारे स्थानों को लिया है और विकास के लिये पैसे की कमी नहीं है। हम लोगों ने प्रयागराज में कुम्भ का आयोजन किया

है। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का आश्रम और पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य और उनकी दिव्य प्रतिमा की स्थापना प्रयागराज में हो चुकी है और मैं चाहूंगा कि एक बार प्रयागराज हो करके आइये, कुम्भ में डुबकी लगाकर आइये। नेता प्रतिपक्ष को भी जाना चाहिये, अच्छा मौका है। सरयू जी में तो स्नान करते होंगे और सरयू जी के किनारे उनका गांव पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

आप अजय कुमार 'लल्लू' को नहीं भेज रहे हैं कि चले जायें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष जायेंगे तो उनके साथ पूरा सदन भी चला जायेगा और उनका स्नान करना बहुत आवश्यक है। प्रयागराज में बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देखिये महर्षि भारद्वाज के आश्रम को, वहां की भव्यता को, कितनी भव्य प्रतिमा लगी है। प्रयागराज का पूरा कायाकल्प हो गया है। प्रयागराज के हमारे जो सदस्य होंगे वह तो जानते होंगे, उज्ज्वल रमण जी आपको तो जानकारी होगी, आपने वहां नजदीक से देखा भी होगा कि प्रयागराज में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, सही मायने में स्वीकार करो। महोदय, डेढ़ वर्ष से कम समय में हमारी इस टीम ने इसी प्रशासन ने 9 फ्लाईओवर, 6 अण्डरपास, 264 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण सिंगल लेन से डबल लेन, डबल लेन से फोरलेन, ये सारा कार्य वहां किया गया। इको-फ्रेंडली टॉयलेट कैसे बनते हैं और कुम्भ का इतना बड़ा आयोजन कैसे शान्तिपूर्ण तरीके से हो सकता है, मौनी अमावस्या के दिन साढ़े पांच करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया था। कैसे पीसफुली तरीके से सारा कार्यक्रम हो सकता है, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शान्तिपूर्ण तरीके से निकाल सकते हैं तो कुम्भ का आयोजन भी शान्तिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कांवड़ यात्रा में तो हो सकता है कि न जायें क्योंकि आपको कपड़े बदलने पड़ेंगे लेकिन कुम्भ में तो स्नान करने के लिये सब लोग आ सकते हैं। देखिये परसेप्शन कैसे बदलता है, 2013 में भी मॉरीशस के प्रधानमंत्री जी आये थे, प्रयागराज गये थे, बहुत श्रद्धाभाव के साथ आये थे, वहां गन्दगी देखी, अव्यवस्था देखी, बदबू देखी, मक्खी-मच्छर देखे, दूर से ही हाथ जोड़ करके चले गये। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा में आप नहीं जा सकते लेकिन इस बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री जी आये थे 400 लोगों का डेलीगेशन प्रवासी भारतीय दिवस में उनके साथ आया था, स्नान का कार्यक्रम नहीं था, कुम्भ में उन्होंने बड़े सम्मान के साथ स्नान किया, पूरे डेलीगेशन ने सम्मान दिया, प्रदेश के अन्दर कैसे व्यापक परिवर्तन हुआ है, कुम्भ ने उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

यह है परसेप्शन, उस समय लोग क्या सोचते थे, आज क्या सोच रहे हैं। 21 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और यही नहीं साढ़े चार सौ वर्षों से किले में कैद अक्षयवट के दर्शन की भी सुविधा हम लोगों ने खोल दी है। आस्था का सम्मान हम लोग ही करायेंगे, चिन्ता मत कीजिये बहुत सारी जगह करने जा रहे हैं। हर जगह करने जा रहे हैं, प्रयागराज में

भी करेंगे, अयोध्या में भी करेंगे, विन्ध्यवासिनी में भी करने जा रहे हैं, सन्त रविदास जी के जन्मभूमि के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी हमारी सरकार ने लिया है, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि आपकी सरकार ने विरोध किया था। महर्षि बाल्मीकि के आश्रम का सौन्दर्यीकरण का कार्य, उसे भव्य स्वरूप देने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। निषादराज के श्रृंगवेरपुर के सौन्दर्यीकरण का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। महत्वपूर्ण पैसा नहीं होता है बल्कि इच्छाशक्ति होनी चाहिये, 34 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं खर्च हो रहा है, कार्य चल रहा है युद्ध स्तर पर। नैमिषारण्य में कार्य चल रहा है, शुक्रताल और जितने भी ऐसे स्थल होंगे, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने की कार्यवाही हमारी सरकार करने जा रही है। लखनऊ के बिजली पासी किला और उसके आसपास के क्षेत्र के विकास का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। यह सारे कार्य प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करने जा रही है। महोदय, विकास के इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिये हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था भी की है, व्यवस्था करने भी जा रहे हैं। पर्यटन का हो या किसी भी क्षेत्र के विकास का हो, कहीं उसमें पैसे की कमी आड़े नहीं आ पायेगी।

महोदय, इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और भी की है, पिछले दिनों यहां पर सदन बाधित किया गया था और हमारे विपक्ष के मित्रों ने कुछ बातें यहां पर कही थीं। ''न्यू पेंशन स्कीम'' प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के समय से लागू नहीं हुआ था, उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2005 में लागू हुई थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

पेंशन केन्द्र का विषय है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मेरी एक बार बात सुन लें, प्रदेश सरकारें अपनी स्कीम लागू करती हैं अपना शेयर देती हैं। वर्ष 2005 में किसकी सरकार थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

उस समय केन्द्र में किसकी सरकार थी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

तब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

उस समय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार थी।

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों के एक साथ शोरगुल करने पर)

श्री योगी आदित्यनाथ-

केन्द्र में वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। प्रदेश के अन्दर वर्ष 2005 से समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई। वर्ष 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई और इस कालखण्ड के दौरान किसी भी कर्मचारी का खाता भी नहीं खोला गया। ''न्यू पेंशन स्कीम'' के अन्तर्गत राज्य सरकार का जो 10 प्रतिशत शेयर जमा होना चाहिये था वह भी जमा नहीं हुआ था। आपने पैसा भी उनका नहीं दिया, खाते भी नहीं खुलवाये, तो फिर कहां से आप कर्मचारियों के हितैषी हुए ? कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए लोग हमारे पास आये थे। हमने अपने अधिकारियों को उनके साथ भारत सरकार से बात-चीत करने के लिये भेजा। भारत सरकार ने प्रदेश की समस्या को सुनकर सभी कर्मचारियों के लिये, चाहे वह केन्द्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो। केन्द्र के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार देगी और राज्य के कर्मचारियों को राज्य सरकार देगी। प्रदेश सरकार की पहल पर आज प्रदेश के अन्दर हमने कर्मचारियों के खाते युद्ध स्तर पर खुलवाने प्रारम्भ किये हैं। प्रत्येक कर्मचारी का खाता हमारी सरकार खुलवा रही है। पिछले 10 प्रतिशत शेयर को ब्याज सहित देने जा रही है, यही नहीं, शेयर की राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत हमारी सरकार ने किया है। जिन लोगों ने कर्मचारियों का शोषण किया है, वह लोग आज बोलते हैं कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। जिन लोगों ने कर्मचारियों के पैसे को ही हजम कर लिया, वे लोग आज हमें यह दिखाने का काम कर रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। कर्मचारियों को उनका हक मिले, हमारी सरकार ने कर्मचारियों को हक देने का काम किया, क्योंकि वह उसके हकदार थे और सरकार ने सम्मानजनक हक उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह कार्य हमारी सरकार कर रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं महोदय, कि लोग किस-किस प्रकार की बातें करते हैं, उस पर भी हम आ रहे हैं। आपके सरकार में शिक्षा मित्रों को रु0 3500/- मिलता था, हमारी सरकार ने उस मानदेय को बढ़ाकर रु0 10000/- कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रु0 4000/- मिलता था, भारत सरकार ने परफारमेंस बेस्ड करते हुए रु0 2000/- और बढ़ा दिया। रु0 1500/- मानदेय बढ़ाया और रु0 500/- परफारमेंस बेस्ड करते हुए रु0 2000/- की राशि बढ़ाई। इसी प्रकार अन्य सहायकों की राशि बढ़ाने पर भी कार्रवाई हुई। यह अभी हाल ही में हुआ है। इन सबके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं का मानदेय भारत सरकार ने ही बढ़ाया है। राज्य सरकार का उसमें भी शेयर है। राज्य सरकार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आशा बहुओं के मानदेय को बढ़ाने जा रही है। ग्राम प्रहरियों के मानदेय को भी बढ़ाने जा रही है। प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) के जवानों का भी मानदेय बढ़ाने जा रही है और ''मीड डे मिल'' में जो रसोइयां हैं, उनके मानदेय को भी हमारी सरकार बढ़ाने जा रही है।

(इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

आपने कर्मचारियों का ही पैसा खा लिया और (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हम कर्मचारियों का पैसा भी ब्याज सहित देने जा रहे हैं और साथ ही साथ सभी प्रकार के कर्मचारियों के हितों को संरक्षित करने के साथ ही, विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले जो विभिन्न समूह हैं उनके मानदेय को भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारी सरकार करने जा रही है और बहुत अच्छे ढंग से इसको करने जा रही है। महोदय, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से जहां हमने आगे बढ़ाया है वहीं प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं में किसानों की बात हो रही थी। (नेता प्रतिपक्ष द्वारा बैठे-बैठे टोकाटाकी करने पर) सिंचाई पर तो सुन लीजिये। महोदय, बाण सागर परियोजना यह 1978 में लागू हुई थी। (नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह तो आप बोल चुके हैं।) थोड़ा धैर्य रखिये। आप धैर्य से बैठे रहे तो आप स्वस्थ लग रहे हैं लेकिन जब आप चिढ़ते हैं तो अस्वस्थ होने लगते हैं। अस्वस्थ न हों, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा हम लोगों की बात भी सुन लीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपकी बात सुनेंगे, आप चिन्ता मत करिये।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी आ गये थे जब आपका भाषण हो रहा था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, उस समय नेता सदन नहीं थे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जब संजय जी बोल रहे थे तब मा0 नेता सदन आये थे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

बाण सागर परियोजना 1978 से प्रारम्भ हुई थी और 1978 से कितने वर्ष लग गये ? 1978 से ले करके 2017-2018 में सरकार में आने के बाद हम लोगों ने एकमुश्त पैसा दिया जब यह योजना पूरी हो पाई। आप जो बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, तो प्रयागराज में भी दो हजार हेक्टेयर लैण्ड में बाण सागर परियोजना का शुद्ध जल पहुंच रहा है, किसानों को मिल रहा है, बाकी जो बचा है उसके लिये भी इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वल रमण सिंह जी इसके लिये पैसे की व्यवस्था की गई है, थोड़ा क्षेत्र में भ्रमण किया करें ? अब पिताजी को थोड़ा आराम दीजिये, अब आपको थोड़ा सक्रिय होना चाहिये। सम्माननीय रेवती रमण सिंह जी बहुत भ्रमण किया करते थे तो कम से कम पुत्र को उनका

अनुसरण करना चाहिये, क्षेत्र में जाना चाहिये कि कहां-कहां क्या हो रहा है ? क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो अच्छा रहेगा इसलिये मैंने उनको कहा। चूंकि उनका प्रश्न था मुझे याद था कि आपका प्रश्न था इसलिये मैंने आपका उल्लेख किया है कि 2000 हेक्टेयर में प्रयागराज में भी जल दे रहे हैं। कुल 01 लाख 50 हजार हेक्टेयर लैण्ड उससे सिंचित हो रही है और 01 लाख 70 हजार किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। सरयू नहर परियोजना के लिये, मध्य गंगा नहर परियोजना के लिये, अर्जुन सहायक के लिये, कनहर सिंचाई परियोजना के लिये और बाण सागर का जो शेष है, उसके लिये भी 122 करोड़ रुपया दिया है। इन सभी कार्यों के लिये भी एकमुश्त राशि की व्यवस्था हमने की है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि दिसम्बर, 2019 में हम प्रदेश के अन्दर 30 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि लैण्ड के सिंचन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश के अन्दर करवायेंगे।

प्रदेश के अन्दर अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस के लिये क्या स्थिति बना दी थी प्रदेश के अन्दर ? अपराध का कॉरीडोर बना दिया था। कोई आतंकवादियों के मुकदमें वापस ले रहा है, यही अन्तर होता है सरकारें बदलने पर। स0पा0 की सरकार आई तो सबसे पहला कदम श्री रामजन्म भूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लेने का कार्य किया था। हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहला कदम जो उठाया किसानों की फसल ऋण माफी का था और फिर हमने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती के साथ रोक लगाने का कार्य किया। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) यही अन्तर होता है। सरकारें तो वही हैं, आदमी बदले हैं, पार्टियां बदली हैं, एजेण्डा बदल जाता है और उस कार्य को हम लोगों ने यहां पर लागू किया है तो पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पुलिस बल का मनोबल बना रहे उनके हितों को संरक्षित करने के लिये हम लोगों ने उनकी अवस्थापना निधि की धनराशि को भी बढ़ाया है। भरपूर पैसा उसके लिये उपलब्ध कराया है। हम लोगों का प्रयास है हर पुलिस लाइन में। 6 तो ऐसे जिले थे जिसमें पुलिस लाइन ही नहीं थी। घोषणायें कर दी गईं लेकिन पुलिस लाइन का पैसा, कलेक्ट्रेट का पैसा, तहसील का पैसा अपने व्यक्तिगत एजेण्डे में खर्च कर दिया गया। ऐसे ही होगा जब 157 करोड़ रुपये की कोई परियोजना में 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, तो जनता का पैसा तो ऐसे ही लूटा गया और पता नहीं स्मारक वाले मामले को ले करके अखिलेश जी उस पैसे में सहयोगी बनेंगे कि नहीं बनेंगे जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा कि मूर्ति का पैसा जमा कराओ तो पता नहीं उस समय गठबंधन की क्या स्थिति होती है। मुझे तो उस समय के लिये चिन्ता हो रही है कि वह पैसा कहां से आयेगा। इन्हें थोड़ी चिन्ता करनी चाहिये कि कैसे होगा। लेकिन हम लोगों ने पर्याप्त पैसा इसके लिये उपलब्ध कराया है। हर पुलिस लाइन में उन 6 के 6 जिलों के पुलिस लाइन के लिये हम पैसा देने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आप मनोज जी को क्यों डांट रहे हैं इतने सीनियर सदस्य हैं। देखिये अगर आप ऐसे डांटेंगे तो यह छोड़कर दूसरी तरफ चले जायेंगे (हंसी) ऐसा मत करिये। चारा नहीं फेंक रहा हूं। आपको सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं बोलना चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

केन्द्र के चुनाव के बाद जो 250 उधर गये हैं वह इधर आ जायेंगे और आप उधर चले जायेंगे।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप चिन्ता मत करिये मुझे तो लगता है कि लोक सभा चुनाव के बाद आपका स्वयं का अस्तित्व सपा में बचता है कि नहीं बचता है इसके बारे में सोचियेगा।

श्री इकबाल महमूद-

वह तो दो महीने के बाद सामने आ जायेगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

वह तो सबके सामने आ रहा है और तस्वीर सबके सामने आने जा रही है। यह सबके सामने आयेगी और इसलिये जहां हम लोगों ने 6 पुलिस लाइन के लिये धनराशि की भी व्यवस्था की है। हम लोगों ने 6 पुलिस लाइनों के लिये धनराशि की व्यवस्था भी की है। हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पहले कैराना से पलायन होता था, कान्धला से भी। आज पलायन नहीं हो रहा है। अपराधी आज पलायन कर रहे हैं। आज वहां का व्यापारी और वहां के नागरिक नहीं पलायन कर रहा है। आज वहां का माफिया और अपराधी पलायन कर रहा है। (मेजों की थपथपाहट) और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि कैराना और कान्धला के बीच में कहीं पर पी0ए0सी0 का हमारा एक सेन्टर स्थापित होगा। पी0ए0सी0 की एक वाहिनी वहां पर स्थापित होगी। यह एक बड़ा कार्य हम लोग वहां के लिये करने जा रहे हैं। प्रदेश के अन्दर जो पेशेवर अपराधी, गुण्डे और माफिया हैं उनकी नकेल कसने के लिये तीन महिला पी0ए0सी0 की वाहिनी भी हम गठित करने जा रहे हैं। इसमें तीन अलग-अलग स्थानों पर हमने इसके लिये धनराशि की भी व्यवस्था की है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उनकी आवश्यक जो सुविधायें हैं हर पुलिस लाइन में 200 पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधा की व्यवस्था। बैरेक बनाना, उनके लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना। हर थाना, हर चौकी में हर जगह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है और अन्य जिलों में भी की है। यह पूरे प्रदेश के अन्दर जहां यह कार्य हमने यहां पर किया है वहीं पर पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ ही इस कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में जैसी चीजें चल रही हैं। आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस की आवश्यकता पड़ेगी या इन्टीग्रेटेड कमान्ड सेन्टर की स्थापना के लिये हम लोगों ने इस कार्य को लागू किया है कुम्भ में। कुम्भ के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी जब आये थे तो प्रदेश सरकार के द्वारा जो इन्टीग्रेटेड कमान्ड सेन्टर स्थापित किया गया। एक जगह से बैठ करके पूरे कुम्भ का अवलोकन कर सकते हैं। एक-एक गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है और यह आज की आवश्यकता बन गई है। हमें समय के साथ अपने पुलिस बल का आधुनिकीकरण भी करना पड़ेगा। आधुनिक साजो

सामान में उसे सुसज्जित करना पड़ेगा और हर प्रकार की सम विषम परिस्थिति में अपने पुलिस बल को तैयार करना पड़ेगा और उस दृष्टि से सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था की है चाहे वह ए0टी0एस0 के स्ट्रैन्थेन का हो, एस0टी0एफ0 का हो, एस0डी0आर0एफ0 का हो। एस0डी0आर0एफ0 का हो, तीन वाहिनियां हम लोग पहले ही गठित कर चुके हैं। इस वर्ष बाढ़ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एन0डी0आर0एफ0 के साथ एस0डी0आर0एफ0 ने भी प्रदेश के अन्दर कार्य किया था और पहले इतने बड़े प्रदेश में एस0डी0आर0एफ0 था ही नहीं, पी0ए0सी0 की फ्लड यूनिट केवल कार्य कर पाती थी। हमने अलग से गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की, आज ए0टी0एस0 के हमारे कमाण्डो हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं। हर प्रकार की गतिविधियों का मुकाबला करने को तैयार हैं, और हर विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश की 23 करोड़ की जनता को सुरक्षा की गारण्टी देने को हमारा पुलिस बल तैयार है और इस उद्देश्य से हमने बजट में भी इसकी व्यवस्था की है।

मान्यवर, अलग-अलग कार्यों के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था यहां पर, प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने की है। हम लोगों का प्रयास है मेट्रो के लिये अभी 25 जनवरी को नोएडा को ग्रेटर नोएडा के साथ जोड़ने के लिये, ग्रेटर नोएडा तक लगभग 30 किलोमीटर का मेट्रो का उद्घाटन का कार्य हम लोगों ने वहां पर सम्पन्न किया है। लखनऊ मेट्रो का फेस-2 का कार्य पूरा हो चुका है उसके लोकार्पण की बहुत शीघ्र हम तैयारी करने जा रहे हैं। कानपुर और आगरा में नई मेट्रो के प्रस्ताव अन्तिम चरण में है और उसके लिये धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने अपने बजट में की है। साथ ही साथ वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में भी मेट्रो के लिये, उसके डी0पी0आर0 आदि की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिये भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। रेपिड रेल 32 हजार करोड़ रुपये की यह परियोजना है दिल्ली को मेरठ के साथ जोड़ने के लिये इसमें प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है, उसमें भी हमने अपनी धनराशि की इस बजट में व्यवस्था की है। एयर कनेक्टिविटी जब हम लोग आये थे, तो दो एयरपोर्ट फंग्शन में थे आज 6 एयरपोर्ट फंग्शन में हैं। नौ एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। कुशीनगर के एयरपोर्ट को इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की कार्यवाही हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। दिल्ली के पास जेवर में भी हम लोगों ने एक इण्टरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की है और उसके लिये हमने इस बजट में व्यवस्था की है। अयोध्या में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। अलग-अलग क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर कार्य प्रदेश के अन्दर हुआ है। बन्द चीनी मिलों के पुनरुद्धार की कार्यवाही, विगत वर्ष हम लोगों ने रमाला चीनी मिल, चौधरी चरण सिंह जी की वह जन्मभूमि है, उस चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिये हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की थी। इस वर्ष भी हम लोगों ने कुछ चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यवस्था की है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में होने के नाते कुछ चीनी मिलों को हम उसमें ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम मानते हैं नेशनल मार्केट

में चीनी का दाम काफी कम है। केवल चीनी बनाने को ले करके चीनी मिल नहीं चल सकती है। हम उसको एथनॉल के साथ जोड़ सकते हैं और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि शुगर केन से सीधे एथनॉल बनाने की व्यवस्था हो सके और इसकी धनराशि भी उन्होंने बढ़ाकर 59 रुपये की है। जबकि पहले यह केवल 46 रुपये थी। सामान्य मुलासिस से जब हम लोग एथनॉल बनाते थे। केवल 46 रुपये उसके मिलते थे इसमें 59 रुपये प्रति लीटर प्राप्त होगा तो आसानी से जितनी चीनी की आवश्यकता है उतनी चीनी बनायेंगे शेष को एथनॉल में बदलकर हम लोग बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं देश के अन्दर जो अब तक पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाती है उस राशि को बचाने का कार्य एक बड़ी भूमिका का कार्य इसके माध्यम से होगा। हम तमाम अन्य चीनी मिलों को जो बन्द चीनी मिले हैं, उन्हें कुछ को हम लोग, प्रदेश सरकार शुगर कारपोरेशन या फेडरेशन के माध्यम से चलवायेंगे। कुछ को पी0पी0पी0 मोड में ले करके उन चीनी मिलों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसके लिये भी धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। अन्य तमाम कार्यों के लिये भी जो मैने पहले भी बताया है हर तबके का हित संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, बजट में हर एक तबके का हित संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के 5 लाख रु0 की बीमा राशि को बढ़ा करके 10 लाख रु0 करने का कार्य किया है। संजय जी आपने इसको कभी बोला नहीं है। कम से कम नेता प्रतिपक्ष की तरह से इस पर आपको भी ताली बजा देनी चाहिये थी। इसका मतलब है कि व्यापारियों के हित आपकी चिन्ता के विषय नहीं हैं। होगा भी कैसे क्योंकि जो व्यापारियों को परेशान करने वाले लोग थे, उनके साथ बैठेंगे तो कैसे हो पायेगा ? इसके साथ ही पूर्वांचल विकास बोर्ड और बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन और इसके माध्यम से इन क्षेत्रों का समग्र विकास हो। थारू संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिये, विकास की समग्र सोच को आगे बढ़ाने के लिये इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। यद्यपि हर जिले की अपनी एक पहचान है, अपनी एक विशेषता है ''वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट'' की अपनी अभिनव योजना के साथ हमने इसे जोड़ने का प्रयास किया था। इसके साथ तो हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन जो थारू जनजाति का बाहुल्य जनपद है, वह जनपद बलरामपुर और श्रावस्ती है, इसमें व्यापक रूप से थारू जनजाति की आबादी है। वहां पर इम्लिया पोडर में थारू जनजाति की संस्कृति को संरक्षित करने के लिये उनका एक म्यूजियम बनाने के लिये हम लोगों ने बजट में इसके लिये प्राविधान भी किया है। एक व्यापक कार्य योजना हम लोगों ने बजट में प्रदेश के अन्दर की है। आजादी के बाद से ले करके जिन लोगों ने देश के अन्दर शासन किया है, प्रदेश के अन्दर शासन किया है, उनसे पूछा जाना चाहिये कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ करने के लिये उनके क्या प्रयास थे ? आजादी के बाद से ले करके 2016 तक प्रदेश के अन्दर केवल 13 राजकीय मेडिकल कालेज बने थे और 2016 से लेकर 2019 तक हम लोग इस समय

13 नये राजकीय मेडिकल कालेजेज पर काम कर रहे हैं, 02 जगह एम्स के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रायबरेली एम्स की ओ0पी0डी0 प्रारम्भ हो चुकी है। गोरखपुर एम्स की ओ0पी0डी0 प्रारम्भ होने जा रही है। बी0एच0यू0 में इण्टरनेशनल कैंसर का जो एक इंस्टीट्यूट बन रहा है कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। 1 हजार करोड़ रु0 की लागत से वह कैंसर इंस्टीट्यूट वहां पर टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बनकर तैयार हो चुका है। पूर्वांचल के साथ-साथ प्रदेशवासियों को जिन्हें इस बीमारी के उपचार के लिये दिल्ली या मुम्बई जाना पड़ता था, आज वाराणसी में बिहार के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, एक बड़ी आबादी को यह सुविधा प्राप्त होने जा रही है। साथ-साथ अन्य बहुत सी चीजें हैं, जिनको हम लोगों ने बजट में प्राथमिकता के आधार पर लेने का प्रयास किया है। मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि यह बजट प्रदेश के अन्दर एक समग्रता वाला बजट है। सर्वजन हितों को संरक्षित करने वाला बजट है। विकास को एक नई गति देने वाला बजट है। प्रदेश के अन्दर प्रत्येक चेहरे पर एक खुशहाली लाने वाला बजट है। खुशहाली लाने वाले इस बजट को हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का कार्य किया है और मैं इस कार्य के लिये प्रदेश के अपने मा0 वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने समाज के प्रत्येक तबके के हित को संरक्षित करते हुए इस बजट को बनाया और इस बजट को बनाने के साथ उन्होंने प्रदेश के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य पूरी तत्परता के साथ किया है। मैं चाहूंगा कि जिस रचनात्मकता के साथ बजट सदन में प्रस्तुत हुआ, वही रचनात्मक सहयोग हमारे विपक्ष के मित्रगण भी इस बजट के प्रति देते तो मुझे लगता है कि एक अच्छी दिशा में संसदीय परम्परायें आगे बढ़ेंगी और उन संसदीय परम्पराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक नजीर बन सके। जहां यह कार्य हम लोग इसके माध्यम से करेंगे, वहीं विगत वर्षों की बजट की परम्परा रही है। चूंकि बजट के अन्त में यह घोषणा होती है, लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं कि बजट के साथ मैं इस बात को भी कहूं। यहां पर जो कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं जिनके द्वारा यहां पर यह कार्य पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ यहां पर किया जाता है उन सबको यहां पर जो पुरस्कार की राशि उपलब्ध कराई जाती है मुझे लगता है कि .....

श्री मोहम्मद असलम राइनी-

विधायकों को छोड़ दीजियेगा।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष तैयार नहीं हैं। महोदय जिस प्रकार से विगत वर्ष इस कार्यक्रम के लिये यहां पर पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई थी उसमें एक हजार रुपये और अतिरिक्त बढ़ाकर वह पुरस्कार की राशि भी इसके साथ बढ़ाने की कृपा की जाये। इसके साथ ही आपने मुझे अवसर दिया है आपका, पूरे सदन का खासतौर पर अपने विपक्ष के मित्रों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित

करता हूं कि वह यहां पर बैठे रहे, मैं पूरे सदन के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष-

अजय जी खड़े हो गये हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, क्रम तो आपने ही तोड़ा है। तय यह हुआ था कि संसदीय कार्य मंत्री तय यह किये थे कि नेता विरोधी दल बोलेंगे, नेता बसपा बोलेंगे। नेता कांग्रेस बोलेंगे तब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे बाद में वित्त मंत्री जी सबका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह बात सही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

लेकिन बीच में हमारे कांग्रेस के नेता बोल ही नहीं पाये तब तक माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हो गया। इनको फिर जाना भी है आये भी लेट में और जाना भी है, तो कुछ बातें जो इन्होंने कही है उस पर सुनने का भी आदी होना चाहिये। मैं केवल दो तीन बातें कहना चाहता हूं जिसका मुझे अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आपको पूरा अधिकार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मुख्य मंत्री जी ही वित्त मंत्री भी हो गये हैं मैं दो बार से कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी का जो भाषण होना चाहिये हर साल मुख्य मंत्री जी कह देते हैं तो जवाब यही सुनेंगे। माननीय मुख्य मंत्री का इतना लम्बा उबाऊ सत्य से परे डपोरशंखी प्रवचन हम लोगों ने पूरा सुना।

श्री अध्यक्ष-

आप तो पहले बोल चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी तो हमें मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण लेना है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले 10 मिनट बोले हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मुख्य मंत्री को तो आपने टोका नहीं।

श्री अध्यक्ष-

हम कहां टोक रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम सब लोग चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। पूरे सदन की यह कामना है कि आप डाक्टर की सलाह मानें। आप समय-समय पर डाक्टरों की सलाह मानते नहीं हैं। एक्सपर्ट ओपीनियन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

जब अध्यक्ष जी की सलाह न मिले तो माननीय खन्ना जी की सलाह ले लेना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी नेता कांग्रेस का भी भाषण रह गया है तो मेरा अनुरोध है कि इनको बोलने का मौका दिया जाए। जवाब तो माननीय वित्त मंत्री जी देंगे ही। जितनी जिज्ञासाएं हैं उनका जवाब माननीय वित्त मंत्री जी देंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम तो अनुमति दे ही रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी जो बजट इस सदन में आया है वह लोक लुभावन की एक फेहरिस्त है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान बजट विफलता का प्रतिविम्ब है। लोक हित में नहीं है। अध्यक्ष जी यह बजट जो सदन में प्रस्तुत हुआ है इस बजट में अगर देखा जाये तो जो इसका प्रदेश का विकास दर है पिछले की अनुपात में सात प्रतिशत पर आकर अटक गया है। कितना ग्रोथ कर रहा है यह प्रदेश में बेरोजगारी की हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5.8 प्रतिशत और शहर में 6.5 प्रतिशत चूंकि मुख्य मंत्री जी को दूसरे की सुनने की आदत है नहीं अपने बोलने की आदत है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह लोकतंत्र की कौन सी परम्परा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

एक नये लोकतंत्र की परम्परा माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आये जब मन किया चले गये। प्रत्येक नागरिक पैदा होने से पहले 22 हजार का कर्जदार है। यह मुख्य मंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश को दिया है। इतना ही नहीं अगर इस वित्तीय वर्ष में देखें तो 46910.62 लाख रुपये का घाटा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी स्थिति बहुत खराब है। यह किसानों के कल्याण की बात करते हैं लेकिन आज इनकी सरकार में किसानों की हालत यह है कि -

''इतना सूद चुकाया उसने की अपनी सुध को भूल गया,
सावन के मौसम में झूला लगाकर फांसी झूल गया।
जमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की,
टूटी माला ऐसी बिखरी आज किस्मत किसान की।''

माननीय अध्यक्ष जी, अब तक 38 किसानों ने आत्महत्या की है। कोई फांसी लगाकर मर गया, कोई कनपटी पर गोली मारकर मर गया और कोई सल्फास खाकर मर गया। 38 आलू उत्पादक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह सरकार अभी उनके कल्याण की दुहाई दे रही थी। एक लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का इनका लक्ष्य था और इन्होंने मात्र 14000 मीट्रिक टन आलू खरीदने का काम किया है। केन्द्र सरकार की सारी योजनाओं की पूरी अवधारणा उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में छाप दी गई है। अगर वाकई में उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी अधिक उपलब्धियां की थी तो उसे अपने बजट में केन्द्र सरकार की वाहवाही नहीं लेनी चाहिये थी। इन लोगों ने किसानों से वायदा किया था कि स्वमीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और किसानों को डेढ़ गुना लाभ देंगे, तो हालात यह है कि आलू उत्पादक किसान मात्र तीन रुपये और चार रुपये में अपना आलू सड़कों पर बेंच रहा है और छोटे-बड़े लोग उसे खरीदने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि पिछले तीस सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों ने गन्ने का समर्थन मूल्य एक रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया है। इनके राज में बीज का घोटाला होता है, यूरिया और डाई का बहुत बुरा हाल है। यूरिया और डाई की कीमत आसमान को छू रही है और यह सरकार उसकी बोरी के वजन को कम करके दाम कम करने का दिखावा करने का प्रयास कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बार-बार यह जिक्र किया है कि हमने 53000 करोड़ रुपये गन्ना किसानों को दिया है, पिछली बार भी यही घोषणा की गई थी और इस बार भी यही घोषणा की गई है, लेकिन अब तक जो गन्ना किसानों को 7000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है उसके बारे में इस सरकार ने कोई चिन्ता-फिक्र नहीं की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार अगर किसानों को डेढ़ गुना लाभ देने की बात कर रही है तो यह मैं मानता हूं कि जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी ने तीन राज्यों के चुनाव से पहले यह घोषणा की थी कि

यदि हमारी सरकार बनेगी तो तीनों राज्यों में किसानों का कर्जा माफ करेंगे और अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल कर देंगे। इतिहास गवाह है कि हमने सरकार बनने के मात्र दो दिन के अन्दर तीनों राज्यों में किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया है और छत्तीसगढ़ राज्य जिसे धान का कटोरा कहा जाता है वहां पर धान का समर्थन मूल्य पच्चीस सौ रुपये देने का काम किया है। अगर आपकी सरकार में हिम्मत थी तो आलू उत्पादक किसानों को 1800 रुपये प्रति क्विंटल और गन्ना का समर्थन मूल्य 450 प्रति क्विंटल कर देते। तब यह माना जाता कि आप किसानों के हितैषी हैं। उत्तर प्रदेश में जो किसानों की कर्जमाफी हुई है उसकी खामियों की हालत यह है कि मात्र तीन रुपये, एक रुपये, पचास पैसे, चार आने किसानों का कर्जा माफ किया गया है और हम लोगों के क्षेत्र में जिन लोगों को कागज मिला है उनका कर्जा आज तक माफ करने का काम नहीं हुआ है। आप लोग बन्द चीनी मिलों को चलाने की बात करते हैं। जब वर्ष 1989 के बाद कांग्रेस की सरकार गई थी तो जिस समय गोरखपुर मण्डल में 42 चीनी मिलों की अवधारणा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी दे रहे थे।

(इस समय 05 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही पीठासीन हुए।)

अधिष्ठाता महोदय, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 1992 में आई तो किसानों पर गोली चलाने का काम किया तथा सारे चीनी मिलों को बन्द कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अधिष्ठाता महोदय, जब इनवेस्टर समिट हुआ तो उसमें काशी परियोजनाओं का शिलान्यास मा0 प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री कानपुर से आते हैं और कानपुर का आलम यह है कि वहां का चमड़ा उद्योग है कानपुर और उन्नाव का उसमें 8 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है जिससे सारे चमड़ा उद्योग बन्द होते चले जा रहे हैं। सारे चमड़ा उद्योगों की हालत यह है कि जितना भी चमड़ा यह लोग खरीद कर ले आते थे उनकी गौकशी के नाम पर पीट-पीट कर हत्या कर दी जा रही है जिस कारण वह इतने डरे हुए हैं कि वह उत्तर प्रदेश से भागकर पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और इस सरकार को उनको संरक्षण देना चाहिये तथा उनके उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिये, लेकिन इस सरकार ने उस पर अब तक कोई ठोस निर्णय लेने का काम नहीं किया है। अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार बात कर रही है। शिक्षा का आलम यह है कि इन लोगों ने मात्र 26 करोड़ रुपया राजकीय इण्टर कालेज को दिया है और 26 करोड़ रुपये में जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं उसमें कितनी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होगी और कितनी पढ़ाई की व्यवस्था होगी यह सरकार ही बता सकती है ? 140 करोड़ रुपया उच्च शिक्षा में और इतना ही नहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में मात्र 2 करोड़ रुपया देने काम इस सरकार ने किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है उसके लिये 2 करोड़ रुपये में कितना उत्थान होगा ? अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने सारे जगहों को लिया अगर यह महावीर की धरती फाजिल नगर को विकसित

करने की बात करते तो मैं सोचता क्योंकि वहां भी जैन धर्म के अनुयायी आते हैं। इन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने भ्रष्टाचार की बात की और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भ्रष्टाचार के आकंठ में यह सरकार डूबी है। बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग साढ़े पांच सौ रुपये का घोटाला इस सरकार की मिली-भगत से हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, रिलायंस कम्पनी के माध्यम से इन लोगों ने अडानी, अम्बानी को बुलाने का काम किया। अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी ने अभी कुम्भ मेले की बात की। अर्द्धकुम्भ को कुम्भ कहना यह कितनी बड़ी व्यथा की बात है ? अधिष्ठाता महोदय, जहां एक तरफ अर्द्धकुम्भ की इतनी बड़ाई करने का काम कर रहे हैं वहीं अर्द्धकुम्भ में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर व्यौरा प्रस्तुत कर देंगे तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इन लोगों ने पेपर बनाने वाली कम्पनी को वहां का ठेका दे दिया। वहां के तमाम अधिकारी अपने बी0डी0ओ0 के नाम पर रजिस्टर्ड कम्पनियों पर तमाम सामानों को खरीदकर और बिना किसी टेण्डर के उस पैसे का कहीं न कहीं गबन करने का काम किया है। निश्चित रूप से कुम्भ में भ्रष्टाचार हुआ है। हम आपके माध्यम से हाईकोर्ट के वर्तमान जज की देखरेख में सी0बी0आई0 जांच की मांग करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों ने लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां हुई थीं उस पर सी0बी0आई0 जांच की बात कही थी और आज तक सी0बी0आई0 जांच एक तरफ भी नहीं बढ़ पायी है। भर्तियों की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। अधिष्ठाता महोदय, इन लोगों ने भर्तियों के सन्दर्भ में अभी यह कहा कि कुल 1 लाख 34 हजार पद शिक्षकों के खाली हैं और शून्य भर्ती तीन जनपद में 16 हजार 448 शिक्षकों की भर्ती हुई। अधिष्ठाता महोदय, जहां एक तरफ यह लोग भर्ती को पारदर्शी बनाने की बात करते हैं तो वहीं सारे मामले इनके कोर्ट में लम्बित हो जाते हैं और हालात यह होते हैं कि 16448 की भर्तियों में यह कंडीशन बनी कि जो भर्तियां हो रही हैं अगर कोर्ट का आदेश होगा यदि कोई जांच चल रही होगी तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हालात यह है कि 12 हजार 4 सौ 60 शिक्षक में 69 सौ 48 लोगों की नियुक्तियां इन लोगों ने कीं और बाकी जो शून्य जनपद थे। पिछली सरकार में चूंकि उनका चयन हुआ था। शून्य जनपद के एक भी लोगों का इन लोगों ने चयन नहीं किया। अगर सरकार पारदर्शी रहती तो जिस तरह 16 हजार 48 शिक्षकों को कंडीशन आफ कोर्ट के अन्तर्गत दिया था। उसी तरह कंडीशन आफ कोर्ट के अन्तर्गत इन 12460 शिक्षकों को ले लेते। इन लोगों ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। उसकी स्थिति यह है कि यह कहे थे कि 15 फरवरी तक यह सारी भर्ती पूरी कर लेंगे लेकिन उस 69 हजार का अब तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और हालात यह है कि उस पर जांच सेटअप हो गयी। स्थिति यह है कि जो आंसर शीट थी वह तीन घण्टे पहले आउट हो गयी तो लोगों ने मांग किया, लाठी खायी, सी0बी0आई0 जांच की मांग की। फर्स्ट कोर्ट से जब हाईकोर्ट आदेश करता है सी0बी0आई0

जांच के लिए तो यह पूरी ताकत लगाकर दूसरी बेंच से खारिज करा सकते हैं लेकिन उन लोगों के बारे में कहीं से विचार नहीं करते।

मान्यवर, 1100 से अधिक शिक्षामित्र अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और उनके बारे में इस सरकार ने अब तक कोई विचार नहीं किया। एक लाख 37 हजार जो शिक्षक थे एन0सी0टी0 ने मानक रखा कि 55-60 को भी पास करेंगे उनको नियुक्त किया जायेगा। जब उनके भर्ती की प्रक्रिया आयी और उन लोगों ने 70-75 अंक प्राप्त किये तो इन लोगों ने उसे 85-90 कर दिया। हालत यह है कि शिक्षामित्र आज भी दर-दर की ठोकर खा रहा है। मान्यवर, इन्होंने आंगनबाड़ी, आशाकर्मी, रसोइया, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड सभी लोगों को सपने दिखाये। अधिष्ठाता महोदय, इस पूरे पन्ने में यह लिखा गया है कि इनके बारे में विचार किया जायेगा। यह चुनावी एजेण्डा है। बजटीय भाषण में केवल इसका उल्लेख आंगनबाड़ी, आशाकर्मी, रसोइया, प्रांतीय रक्षक दल का किया गया है। इस सरकार की अगर चिंता होती तो शायद उनके लिए भी कोई न कोई बजट का प्राविधान करती। लेकिन एक पैसे के बजट का प्राविधान इस सरकार ने करने का काम नहीं किया। अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का आलम धीरे-धीरे तेजी के साथ बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 6.5 प्रतिशत है। यह नैतिकता की बात करते हैं। अगर नैतिक साहस होता तो दिल्ली में और प्रदेश के सभी मुख्यालय और जनपद के सभी मुख्यालयों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बने हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

काहे नहीं आपने मुख्य मंत्री जी को बन्द करा दिया। आप मुख्य मंत्री जी को बन्द करा देते। तीन घण्टा प्रवचन दिये हैं। हमें 20 मिनट भी नहीं सुनेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, इनका दिल्ली का कार्यालय 1500 करोड़ रुपये का बना है। हर जिला का कार्यालय बना है। यह धान, गेहूं बेचकर लाये हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के आकण्ठ में डूबकर कहीं न कहीं जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। इसलिए यह सारे जगहों पर कार्यालय बनवाने की बात करते हैं और इस समय बन रहा है। यह नैतिकता की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, एक तरफ देखा जाये तो पुरानी पेंशन बहाली की बात है। 2004 में अटल जी की सरकार थी। और अटल जी की सरकार में यह पुरानी पेंशन बन्द हुई थी और आज भी लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन की बात करता है। रोज प्रदर्शन कर रहा है। धरना दे रहा है। लेकिन

सरकार उसे नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उसे जाल में फंसाकर उसे दूसरी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। कल के पेपर में हमने देखा। इन्होंने अनुदेशकों को पुनः विज्ञापन दे दिया कि हम 17 हजार रुपया कर दिये और जब मैंने यहां सवाल पूछा तो 8970 रुपये की बात आयी। 8970 रुपये की बात यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं और यह लोग इस तरह फर्जीपना करने की स्थिति लाते हैं कि इनका विज्ञापन 17000 रुपये में होता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार पिछले समय से प्रस्ताव किये हुए है लेकिन इस सरकार ने उस पर विचार करने का काम नहीं किया है। आज तमाम उन बिन्दुओं पर विचार करने की जरूरत है। इन लोगों ने अभी बाढ़ की परियोजना स्वीकृत की। स्थायी संचालन समिति में लगभग 5500 करोड़ रुपये परियोजना गयी है और मात्र 500 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की है। यह जानते हैं जो स्थायी संचालन समिति है वह कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में बूढ़ी गण्डक नदी है वह पिछले साल 400 से 500 परिवारों को अपने आगोश में निगल गयी और हालात यह हुए कि इन अदूरदर्शिता के नाते वहां पर कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं किये तो अहरौलीदान, नुनियापट्टी और बागफास के पास पूरा का पूरा गांव नदी में विलीन हो गया। इस साल भी वहां इतनी तबाही के बाद भी इन लोगों ने एक भी परियोजना लेने का काम नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, जिसके कारण आने वाले दिनों में पुनः संकट की स्थिति पैदा हो सकती है और इस पर आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार उन परियोजनाओं पर ध्यान देने का काम करे। कानून-व्यवस्था का आलम क्या है ? मा0 मुख्य मंत्री जी गोरखपुर रोज जाते हैं, हर तीसरे दिन हत्या होती है, रोज लूट होती है, रोज डकैती होती है और परसेप्शन दूसरे का बदलने की बात करते हैं और कहीं न कहीं आज अपराध खुले तौर पर गुजर रहा है।

(इसी समय 05 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी लल्लू भाई आप बैठ जाइये आपका पूरा हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित्त मंत्री जी आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, अब सब लोग उठ गये हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सदन में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अजय जी आप हमारी बात सुनिये। एक लाइन की बात है। मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 मुख्य मंत्री जी यह दोनों महानुभाव जब बोलते हैं तो बोलते हैं। उनके समय पर हमारी प्रक्रिया है तो उसमें टोका नहीं जाता है। अजय जी, आपका कोई भाग रह गया है, क्या ? आप तो बड़ी देर से बोल रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, एक पन्ना बचा है बस एक कविता पढ़ दूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

कविता पढ़नी है, सुना दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

''सत्ता मद में पाप किये जो उनके बोझ उठाने होंगे।
उन्नीस के इस महाकुम्भ में तुमको गोते खाने होंगे।।
लोग कह रहे हैं मंत्री जी, कुम्भ नहा कर आए हैं।
शायद तन धोया है अपना, हृदय नहीं धो पाए हैं।।
भ्रमित कर रहे हैं जनता को या खुद में भरमाए हैं।
फिर से भाषण, फिर आश्वासन, फिर जुमले भर लाए हैं।।
समझ गयी है तुमको जनता, अबकी होश ठिकाने होंगे।
उन्नीस के इस महाकुम्भ में तुमको गोते खाने होंगे।।
संविधान में समाजवादी प्रस्तावना कराह रही है।
और पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना कराह रही है।।
अनुच्छेद चौदह का जी भर न्यूनीकरण किया है तुमने,
फिर भी यह सरकार अनैतिक बल से बजट से बजट सराह रही है।
संविधान से खेल खेलने के अब सबक सिखाने होंगे।
उन्नीस के इस महाकुम्भ में तुमको गोते खाने होंगे।।
सत्ता सुख पाकर, दिन पर दिन, निखर रहे हो मंत्री जी।
अहंकार में डूबे या बेखबर रहे हो मंत्री जी।।
पूछ रही हैं युवा शक्ति, मेरे सपनों का क्या होगा ?
रोजगार वाले वादे से मुकर रहे हो मंत्री जी।।
इस बेकारी की पीड़ा के निश्चित मूल्य चुकाने होंगे।
उन्नीस के इस महाकुम्भ में तुमको गोते खाने होंगे।।''

***डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी भी पार्टी है, हमें भी मौका मिलना चाहिए। हम समर्थन में बोलेंगे, विरोध में नहीं बोलेंगे। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

अब वित्त मंत्री जी खड़े हो गये हैं, आप बैठ जाइये।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मा0 अध्यक्ष, मुझे पांच मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय वित्त मंत्री जी का नाम पहले ले लिया गया है, उन्हें बोलने दीजिए।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

मान्यवर, केवल पांच मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना कागज हमें दे दीजिएगा, हम इसे कार्यवाही का भाग बनवा देंगे।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुप्रिया जी के आशीर्वाद से प्रयागराज से विधायक हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हूं। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मैं बजट के समर्थन में आपके आशीर्वाद एवं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं। वर्ष 2019-20 की बजट चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

लल्लू जी, आप अपनी कविता हमें दे दीजिएगा।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

प्रस्तुत बजट का आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये है, जो वर्ष 2018-19 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है। बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित करके सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तर प्रदेश के अन्दर पासी समाज की बहुत बड़ी संख्या है लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक पासी समाज को सम्मान देने का काम नहीं किया है। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव पासी, राजभर एवं महाराजा बिजली पासी के किले का

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकल्प लेकर सम्पूर्ण पासी समाज को सम्मानित करने का काम किया है। उसके लिए पूरे समाज की ओर से योगी सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। (सत्ता पक्ष के कई मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं) माननीय अध्यक्ष जी, सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा-बहुओं, ग्राम प्रहरियों, प्रांतीय रक्षकों और मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत रसोइयों का मानदेय पुनरीक्षित करने पर विचार करने की बात बजट में शामिल करके गरीब महिलाओं के साथ न्याय करने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी सहित पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल चार हजार चार सौ तैंतीस करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जिसमें केवल अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु दो हजार सैंतीस करोड़ रुपये का प्राविधान करके सरकार ने दलितों के उत्थान में गम्भीरता दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों का निर्माण, सौभाग्य एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के विद्युतीकरण का काम किया गया है। आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। कन्या सुमंगला योजना, पुष्टाहार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि तमाम जन-कल्याणकारी कार्यों के लिए बजट में व्यवस्था करके सरकार ने इतिहास रचने का काम किया है।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

अब आपके पांच मिनट हो गये, कृपया समाप्त करिए।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए माननीय योगी जी की सरकार सदैव गम्भीर रही है। इसके लिए 01 लाख 23 हजार 619 आरक्षियों एवं समकक्ष पदों हेतु भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, 42 हजार कर्मियों की भर्ती के लिए परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है तथा शेष 50 हजार कर्मियों के लिए शीघ्र परीक्षा आयोजित करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल दो मिनट में हम अपनी बात पूरी कर लेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार का ध्यान 2015 पुलिस मेरिट भर्ती की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। 2015 पुलिस मेरिट भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 01 अप्रैल, 2015 से 17 फरवरी, 2016 के बीच का जाति प्रमाण-पत्र मांगा गया था। जिन

अभ्यर्थियों ने इस समय अवधि के बीच का प्रमाण-पत्र नहीं दिया, उनको सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया और वह भर्ती से वंचित हो गए और आज वह दर-दर भटक रहे हैं। अध्यक्ष जी, आत्महत्या करने पर वह मजबूर है। 2013 पुलिस मेरिट भर्ती में ऐसी ही व्यवस्था हुई थी, उस समय तत्कालीन सरकार ने एक नया आदेश जारी करके जो बच्चे क्रीमीलेयर से बाहर थे, जिनकी आमदनी 8 लाख से कम थी, ऐसे बच्चों को दोबारा से जाति प्रमाण-पत्र आमंत्रित करके उनको नौकरी दी गयी थी। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस मेरिट भर्ती के बच्चों के लिए ऐसी ही व्यवस्था करके उनको नौकरी देने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

अध्यक्ष जी, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में मेरी विधान सभा को भी कुछ दे दिया जाए। मेरी विधान सभा क्षेत्र को एक बालिका इण्टर कालेज, एक राजकीय पॉलीटेक्निक, एक खेल स्टेडियम, एक बीज गोदाम, एक अग्निशमन केन्द्र और 100 बेड का एक हास्पिटल तथा 01 राजकीय महाविद्यालय की नितान्त आवश्यकता है। अतः बजट में इन सबके लिए धन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द-जय भारत।

श्री रोशल लाल वर्मा-

अध्यक्ष जी, हम लोगों की अपने क्षेत्र से सम्बन्धित जो समस्याएं हैं, जिन्हें हम लोग लिखकर लाये हैं, उन्हें कार्यवाही में शामिल करा दिया जाए क्योंकि हम बजट पर बोल भी नहीं पाए हैं। मेरी यह विनती है कि जो हम लोग लिख कर लाये हैं, उसे आप कार्यवाही में शामिल करा दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, इसको ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और उस पर जो हमारा विरोध भाषण हुआ, उसमें माननीय सदस्य तो भाग लिए ही नहीं, केवल एक माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाग लिया और माननीय मुख्य मंत्री जी बिल्कुल अहम में डूब करके, अहंकार में भाषण दे रहे थे, डपोर-शंखी, जो सत्य पर आधारित ही नहीं था। आपने भी बाहर सुना होगा और सदन में भी वह कह गए कि इस कुम्भ को हमने इतनी भव्यता से किया कि प्रधानमंत्री ने उसका यूनेस्को में नाम लिखवा दिया। हे प्रभो, अब लग रहा है मेला।

श्री अध्यक्ष-

आपको वह बुला भी तो गए हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अरे, एक साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को में उसको लिखवा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 में जो कुम्भ लगा, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी और उसका नतीजा यह हुआ कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने नगर विकास मंत्री और तत्कालीन मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी को बुलाकर सम्मानित किया कि आखिर आप लोगों ने इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था किस तरह से की ? मैं एक चीज कि आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने धार्मिक आयोजनों के विपरीत उसको भव्यता दिया। कुम्भ भव्यता का नहीं, आस्था का है। माननीय अध्यक्ष जी, यह पहली दफा हुआ है, आदिकाल से कुम्भ लग रहा है, वहां दो तरह के लोग आते हैं, एक नागरिक कल्पवासी हो करके आते हैं और एक साधु-सन्त कल्पवासी बन कर आते हैं। आदिकाल से उनके स्थान सुरक्षित हैं कि कल्पवासी लोग कहां रहेंगे। इस बार भव्यता दिखलाने के लिए उनको उजाड़ करके दूसरे किनारे पर भेज दिया गया और वहां फाइव स्टार होटल की तरह से टेण्ट लगा दिए गए, जिनका किराया 12 हजार, 13 हजार रुपया एक दिन का था। वह 35000 रुपये तक रहा। कुम्भ जहां हम मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं वहां भव्यता करा रहे हैं। धूनि रमा करके, जाड़े में ठिठुर करके, गंगा में डुबकी लगा करके हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मोक्ष मिले और समाज का कल्याण हो। मैं बता ही रहा था और वे भाग गये। वे सत्य सुनने के आदी नहीं हैं, सुनाने के आदी इसलिए नहीं हैं क्योंकि जानते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी कि अगर ये लोग सही बात कहेंगे तो उनको बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। अर्द्धकुम्भ को कुम्भ बना दिया गया, जब आप धर्म से खिलवाड़ करेंगे तो अशुभ होगा। मा0 अध्यक्ष जी, कुम्भ के इतिहास में जब से कुम्भ लग रहा है, कभी भी टेण्ट में आग नहीं लगी लेकिन इन्होंने कुम्भ का सत्यानाश किया इसलिए इस बार पांच-पांच, छः-छः बार आग लगी। यही नहीं मा0 मुख्य मंत्री का जो स्वयं का टेण्ट था, इनके जाने से पहले ही जलकर राख हो गया। हम लोगों के एक वरिष्ठतम् साथी, प्रदेश के वरिष्ठतम नेता, इस समय बिहार के गवर्नर जब वे गंगा स्नान करने आये तो उनको ईश्वर ने ही बचा लिया और उनका भी टेण्ट जलकर राख हो गया। ये सब अशुभ के लक्षण हैं, हिन्दू धर्म में आग लगना चाहे झोपड़ी मे आग लगे, चाहे घर में आग लगे, हिन्दू धर्म में उसको अशुभ माना जाता है। इस अशुभ की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गयी। दूसरी एक बात आई लोकतांत्रिक शब्द और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूं, सभी लोग बैठे हैं कि इन्होंने 44-45 पार्टियों का गठबन्धन लोक सभा के चुनाव में केन्द्र सरकार के लिए किया और वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में लगभग चार पार्टियों का गठबन्धन भारतीय जनता पार्टी ने किया। उदाहरण कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पाटी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी

पार्टी हो, क्या इनके गठबन्धन के खिलाफ कोई बात की गयी। पार्टियों में हम समय के अनुसार गठबन्धन बनाते हैं, गठबन्धन तोड़ते भी हैं। गठबन्धन करने और सरकार चलाने की प्रक्रिया अगर किसी ने की तो मा0 अटल बिहारी बाजपेयी ने की। एक बार डा0 लोहिया के कहने से सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के लिए गठबन्धन हुआ था। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबन्धन हुआ है तो इन लोगों ने क्या-क्या नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष-

आपका हो गया न।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं हुआ नहीं, अभी सुनिए। आज अन्तिम दिन है, हमारी बात भी सुनिए। आपने मुख्य मंत्री जी को कभी नहीं टोका। हमारे मन का दुःख है तो हम कहेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग यहां गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमने यह कहा कि क्या गठबन्धन हो गया ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके सामने गाली दी जा रही थी कि आप लुटेरे हो, आपने लूट लिया। क्या यही भाषण है मुख्य मंत्री का। मैं कहना चाहता हूं, कहा गया कि यह भ्रष्टाचारियों का गठबन्धन है, डकैतों का गठबन्धन है, चोरों का गठबन्धन है। यह सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया। अब तनि सुना भइया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के शब्द आये। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने किसी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया। बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जिसको करना है वह करे। प्रियंका गांधी जी आईं, उनके विषय में कौन-कौन सी टिप्पणी हुई ? मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को धर्म का लम्बरदार बनाना चाहती है लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ करती है। अर्द्ध कुम्भ को कुम्भ कहा तो वहां आग लग गयी, टेण्ट राख हो गये। राम को सड़क पर ला दिया तो दिमाग राम जी ने उल्टा कर दिया, राम जी ने उल्टा दिमाग कर दिया। जो पार्टी पूरे देश में आचार-व्यवहार में सबसे बढ़िया मानी जाती थी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी सुविचारित पार्टी, सुसंस्कृत पार्टी, हर बात में जी, फलाना जी, फलाना जी, फलाना जी ये शब्द होते थे जिस भारतीय जनता पार्टी के, उसके शब्द इतने बिगड़ गये, क्यों बिगड़ गये, राम जी और मां सरस्वती ने बिगाड़ा, बिगाड़ा सब मिलकर और हम लोग उम्मीद भी नहीं करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे शब्द निकलेंगे। इसलिए जो हमारा गठबंधन है उसमें अभी एक दिन मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया कि बहुत बढ़िया हुआ कि गठबंधन हो गया इनसे निपटने में अब हमको कोई कठिनाई नहीं होगी। अध्यक्ष जी, इसमें

निपटना शब्द क्या है समाप्त करना, क्या इनकाउन्टर कराएंगे ? सांप-नेवला, सांप-छछूंदर और लोकतंत्र की भाषा वह हम लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप आप लोग करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह देश की सबसे बड़ी विधान सभा है इसलिए विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करता है परन्तु सत्ता पक्ष नहीं करता है। अपनी वाणी पर लगाम नहीं लगाता है और तो और मुख्य मंत्री की वाणी पर तो कोई लगाम ही नहीं है चाहे बाहर बोलें वही बात भीतर भी बोलते हैं। जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें मैंने शुरू में भी कहा था कि वह चू-चू का मुरब्बा है, जनता के हितों की उपेक्षा करने वाला है, किसाना विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, छात्र विरोधी है इस बजट से किसी का हित होने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे, मुख्य मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधान सभा हम लोगों की चलती है तो हमारे विधान सभा के जो कर्मचारी हैं वह सुबह 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक आ जाते हैं और रात को काफी देर तक रहते हैं तो उनको जो भी आज तक मानदेय में बढ़ोत्तरी हुई है उसकी दोगुना-तिगुना बढ़ोत्तरी करा दीजिएगा क्योंकि उन्हीं के माध्यम से यह सदन चलता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो भी लिख कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यहां सब एक परिवार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी मान्यवर, यहां सब एक हैं तो उनका मानदेय एक्स्ट्रा कुछ हो जिससे उनको लगे कि हमारी मेहनत का हमको फल मिल गया, वह दे दीजिए।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बैठो, यह कहने के लिए माननीय अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं। नेता विरोधी दल को बोल रहे हैं कि बैठो, तो हमने तो कह ही दिया है कि भगवान ने माथे को उल्टा कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह कलियुग आ गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह राम को सड़क पर लाए हैं, राम ने माथा उल्टा कर दिया है। मैं खुद कहता हूं, शुरू के दिनों में विद्यार्थी जीवन में मैं इस दल में रहा हूं। मीटिंगों में गया हूं और इमरजेन्सी में छः महीने तक आर0एस0एस0 के साथ काम भी किया है आन्दोलन करके, ऐसा मत कहिए। पुराने लोग जानते भी हैं, भइया गोपाल जी शायद नाम था जो सबसे बड़े संचालक थे बीच वाले, उनकी इमरजेन्सी में चार-चार मीटिंग कर आया हूं। इमरजेन्सी के जमाने में जब

सब लोग डर रहे थे। ऐसा नहीं है, मैं आपकी नीतियों को जानता हूं इसीलिए हमको दुख है कि आपकी नीतियां इस समय क्या हो गयी हैं ? आपका दिमाग क्या हो गया है ? उसके दो ही कारण हैं कि धर्म के साथ खिलवाड़ करना और राम जी को मंदिर से लाकर सड़क पर पटक देना, राम जी ने भी इनका माथा उल्टा कर दिया, मां गंगा भी और कुम्भ ने भी इनके दिमाग को उल्टा कर दिया इसलिए हमेशा अपशब्द बोलते हैं। हमारा जो गठबंधन है वह पवित्र गठबंधन है। इस तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, हर मोर्चे पर विफल सरकार को हटाने के लिए यह हमारा पवित्र गठबंधन हुआ है जिससे किसानों को सुरक्षा मिल सके, नौजवानों को सुरक्षा मिल सके, विद्यार्थियों को सुरक्षा मिल सके, लोकतंत्र की रक्षा हो सके, संविधान की रक्षा हो सके, जनतंत्र प्रणाली कायम रहे इसलिए हमारा गठबंधन हुआ है। कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि अर्थी देने वाला कोई नहीं है। वह भी दिन था कि भारतीय जनता पार्टी के दो एम0पी0 आए थे, वह तो लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ चला लिए, उन्माद फैल गया तब से इनको लग गया हिन्दू-मुस्लिम, हिन्दू-मुस्लिम। करने दो ....। ये नीतियों पर वोट नहीं मांगते। इस समय फिर वही कहानी शुरू हो रही है, हिन्दू-मुस्लिम करने की, एक हमारे मा0 विधायक जी ने उठाया इस बात को। ये जो सी0आर0पी0एफ0 काण्ड हुआ है इसके पहले की घटना है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कि वहां भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता व नेता वहां झगड़ा पैदा कर दिये। फोटो में है, पिस्टल लेकर लहरा रहे हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं और पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ है।

मा0 अध्यक्ष जी सुन लीजिए। इस देश में सबका साथ, सबका विकास। इस देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं वोट मिले न मिले, राम गोविन्द चौधरी को चिन्ता नहीं है लेकिन इस देश को आजाद कराने में हिन्दू और मुसलमानों का बराबर का हक रहा है और आज मुसलमान को आप देशद्रोही कह रहे हैं। यही आपका सबका साथ, सबका विकास है। उस वचन में भी आपने कमी कर दिया। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है और जो है, तो आपको याद होगा कि एक आतंकवादी लड़का गोलीबारी से मारा गया था, मुसलमान लड़का था, उसके बाप ने लाश लेने से इन्कार कर दिया कि हमारा लड़का अगर इस तरह से है तो हम उसकी लाश भी नहीं ले सकते। कितने मुसलमान फांसी पर चढ़ गये, जेल में सड़ गये, आजाद कराने के लिए हिन्दुस्तान को। आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने जिस कारण से देश को आजाद कराया उसी देश में हमको देशद्रोही कहा जा रहा है, एक-दो लोगों के गड़बड़ी कर देने से। अन्यथा मत लीजिएगा, दुख में कोई भी बात निकल सकती है। अध्यक्ष जी, ये जो काण्ड हुआ सी0आर0पी0एफ0 के साथ पूरा देश एक साथ गम मना रहा था। आपने विधान सभा स्थगित कर दी। पूरी विपक्षी पार्टियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिये। प्रियंका ने अपना प्रेस कान्फ्रेंस स्थगित कर दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सब कार्यक्रम चलाती रही। दुख है, जिस दिन गोली चली सी0आर0पी0एफ0 के हमारे भाइयों पर उस दिन मुख्य मंत्री जी का केरल में भाषण हो रहा था, उसी दिन मा0 प्रधानमंत्री

जी का उत्तराखण्ड में कार्यक्रम हो रहा था। दूसरे दिन मा0 प्रधानमंत्री जी का झांसी में शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद महाराष्ट्र में कार्यक्रम हो रहा था। ये क्या है ? हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। ऐसा कैसे चलेगा ? हम देशभक्त हैं। बड़ा हमको दुख है और दुख में हम शामिल नहीं हो रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक और प्रस्ताव है कि शहीद हुए सैनिकों के परिवार की मदद के लिए पूरे विधान सभा के सदस्य मिल करके अपने एक माह का वेतन उनको देने की हम व्यवस्था करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जरूर आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर सदन में अच्छा वातावरण बना करके चलना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। ये जो सदन बाधित का मामला है ये तो हर पार्टी दो-चार-पांच दिन करती है, इसमें किसी को दोष ठहराना सही नहीं है, क्योंकि विपक्ष में हमारा तो वही काम है। ये विपक्ष में थे तो ये भी वही करते थे, थोड़ा कम करे तो कभी भारी करे। बसपा विपक्ष में थी, तो भी करती थी। ये तो लोकतंत्र का एक अंग है, एक प्रक्रिया है, इस पर कमेण्ट करना बहुत ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित्त मंत्री जी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

एक महीने के वेतन का मा0 नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, हम सब लोग सहमत हैं और देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष-

उस पर कोई वोट करना है, क्या ? उस पर कोई वोट नहीं करा रहे हैं।

श्री राजेश अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, वित्तीय अनुशासन और उसको मेनटेन करना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच का ही प्रतिविम्ब है। हमने बजट रखा और यह बजट पूर्ण वित्तीय अनुशासन में रहा। मैं बहुत संक्षेप में अगर कुछ बातें कहूं जो माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य लोगों ने कही हैं तो ऊर्जा विभाग में पिछले बजट से मेरा यह बजट 20 प्रतिशत अधिक है अर्थात् इस बार जो बजट है वह 35922.38 करोड़ रुपये का है प्राविधान और इस बार 6039.33 करोड़ रुपये अधिक का है। बात लोक निर्माण की भी आई थी इसमें भी इस वर्ष 19841.33 करोड़ रुपये बजट है और इस बार बजट का प्रावधान 2226.04 करोड़ यानि 12.6 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, सिंचाई विभाग में किसान जो मूल है, जब तक उसकी खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा और मैं बहुत विस्तार से नहीं कहता कि चाहे मध्य गंगा नहर हो, चाहे सरयू नहर हो, चाहे अर्जुन सागर नगर हो, यह सारी नहर की योजनाएं कितनी पुरानी थीं, यह आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री जी बता चुके हैं। लेकिन सिंचाई विभाग में इस वर्ष बजट 12208.70 करोड़ रुपया दिया गया है और इस वर्ष 1270.51 अर्थात् 11.62 प्रतिशत

करोड़ रुपया अधिक है। नगर विकास के अन्दर भी इस बार 17664.74 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इस बार 3010.52 करोड़ रुपये का अर्थात् 20.5 प्रतिशत अधिक का प्राविधान किया गया है।

पुलिस विभाग के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है उसके सम्बन्ध में सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इसमें 24374.86 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इस बार 7238.91 करोड़ रुपये का प्राविधान करते हुए हमने 42 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी पुलिस के बजट में की है। मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य की भी बात आई थी। इस मद में इस बार 16467.36 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इस बार 19043.38 करोड़ रुपये का प्राविधान अर्थात् 13 प्रतिशत बजट पिछली बार से ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा में इस बार 6146.50 करोड़ रुपये का प्राविधान था और इस बार 1003.81 करोड़ रुपये का अधिक प्राविधान करते हुए 19.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। कृषि उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता के विभाग में 7438.77 करोड़ के सापेक्ष 14 प्रतिशत अधिक का इस बार प्राविधान किया गया है। पशुधन दुग्धशाला के अन्दर भी 21.6 प्रतिशत का अधिक प्राविधान है। पंचायती राज विभाग में भी इस वर्ष 22108.18 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इस बार के बजट में यह 4888.73 करोड़ का प्राविधान अर्थात् 28 प्रतिशत अधिक का प्राविधान इसके अन्दर किया गया है। औद्योगिक विकास में भी इस वर्ष 5665.32 करोड़ रुपये का प्राविधान है, इस बार के बजट में लगभग 19 प्रतिशत अधिक का प्राविधान इसमें किया गया है। यहां गंगा एक्सप्रेस-वे की बात आई थी, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है लेकिन डीपीआर बनने के बाद उसके अन्दर निश्चित रूप से सरकार का समर्थन होगा। गन्ना और चीनी मिल में इस वर्ष 2015 करोड़ रुपये का प्राविधान है और इस बार इसमें 58.94 प्रतिशत का प्राविधान अधिक है। महिला और बाल कल्याण के अन्दर भी 23.23 प्रतिशत का अधिक प्राविधान किया गया है जिसके अन्दर पुष्टाहार योजनायें, बच्चों के लिए कैसे अच्छे से अच्छा पदार्थ दिया जा सकता है, इसकी चिन्ता की गयी है। शिक्षा विभाग जिसके अन्दर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा के अन्दर भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 8 प्रतिशत अधिक पैसा दिया गया है इसमें जहां एक ओर संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान है वहां इस प्रकार की योजनओं को भी पैसा दिया गया है। मान्यवर, कुछ बातें जो बजट में आई थीं, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष जी ने और अपने माध्यम से संजय जी ने कहा था। मैं उसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि 2019-20 में राजस्व बचत 27,777.36 करोड़ रुपये की अनुमानित है, जबकि 2018-19 के मूल बजट में 27,099.10 करोड़ रुपये की अनुमानित है। अतः वर्ष 2019-20 में अधिक राजस्व के बचत का अनुमान पूरी तरह किया गया है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 46,910.62 करोड़ रुपये का अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018-19 के मूल बजट में 44,053.32 करोड़ का जी0एस0डी0 जिसका प्रतिशत 2.96 था,

वह अनुमानित था। मूल बजट में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि होने के फलस्वरूप राजकोषीय घाटा अधिक है तथापि जी0एस0डी0पी0 का 2.97 प्रतिशत है, जो एफ0आर0बी0 एवं अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप है। महंगाई भत्ते में भी 2019-20 में 15 प्रतिशत का अनुमान लिया गया, जबकि वर्ष 2018-19 में 9 प्रतिशत का अनुमान था। इस प्रकार इस मद में 63.72 प्रतिशत की वृद्धि बजट में परिलक्षित हो रही है। जिस मानक की बात, मानक-23 पर जिसकी विशेष रूप से संजय जी ने चर्चा किया था कि गुप्त सेवा, तो विभिन्न आयोगों में बहुत सारे खर्चे होते हैं और अब हम ज्यादा से ज्यादा जो हैं, ऐसे युवाओं के लिए रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी देने की बात भी कर रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न आयोगों द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के अन्दर तो व्यय होगा वह इस प्रकार के इस हेड के अन्दर हम लोगों ने डाला है।

मान्यवर, 2018-19 के माह जनवरी, 2019 में 3,06,111.15 करोड़ रुपये व्यय हुआ है जो गत वर्ष 2017-18 में इसी माह में 2 लाख 44 हजार एक सौ 29 करोड़ रुपये अर्थात 61,982.15 करोड़ रुपये अधिक है। माननीय लाल जी वर्मा से भी जो बिन्दु मेरे समक्ष आये थे। मैं उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि माह जनवरी, 2019 तक कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल व्यय 3,06,111.15 करोड़ रुपये हुआ है, जो मूल आय-व्ययक के अनुमान 4,28,384.52 करोड़ रुपये का 71 प्रतिशत है। माह जनवरी, 2019 तक कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल प्राप्तियां 2,84,862 करोड़ रुपये हुई है, जो मूल्य आय बजट के अनुमान में 4,20,899.46 करोड़ रुपये का 68 प्रतिशत है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्रस्तावित बजट का आकार 4 करोड़ 79 लाख 701.10 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के मूल बजट के अनुमान 4 करोड़ 28 लाख 384.52 करोड़ रुपये से लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। जहां तक आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में कृषि विभाग के लिए कमी की बात की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों के फसली ऋण माफी योजना पूर्णता की ओर है और इस योजना में प्राविधान में कमी होने के कारण कृषि विभाग का बजट कम परिलक्षित हो रहा है। कन्या सुमंगला योजना, जो प्रदेश की एक अनोखी योजना है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं कि इसका विस्तृत विवरण जो है, वह बन रहा है और मात्र बजट का प्राविधान का उल्लेख करना बाकी रह गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बजट सर्वजन हिताय है और पूरी तरह से विकास की दिशा देने वाला है। नेता प्रतिपक्ष जी नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि इस बजट को पास किया जाये, धन्यवाद। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपायी गयीं।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 (क)।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ एक करोड़ अड़तालीस लाख तिरान्नबे हजार (4,15,701,48,93,000) से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाये। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2589278000 रुपये (दो सौ अट्ठावन करोड़ बानवे लाख अठहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग

अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16338838000 रुपये (एक हजार छः सौ तैंतीस करोड़ अट्ठासी लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6180450000 रुपये (छः सौ अट्ठारह करोड़ चार लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 487712000 रुपये (अड़तालीस करोड़ सतहत्तर लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1224481000 रुपये (एक सौ बाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्यासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2491349000 रुपये (दो सौ उनचास करोड़ तेरह लाख उन्चास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59156977000 रुपये (पांच हजार नौ सौ पन्द्रह करोड़ उनहत्तर लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2052463000 रुपये (दो सौ पांच करोड़ चौबीस लाख तिरसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 254814050000 रुपये (पच्चीस हजार चार सौ इक्यासी करोड़ चालीस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6986860000 रुपये (छः सौ अट्ठानवे करोड़ अड़सठ लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 59174225000 रुपये (पांच हजार नौ सौ सत्रह करोड़ बयालीस लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8024786000 रुपये (आठ सौ दो करोड़ सैंतालीस लाख छियासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 202048044000 रुपये (बीस हजार दो सौ चार करोड़ अस्सी लाख चौवालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 189447700000 रुपये (अट्ठारह हजार नौ सौ चौवालीस करोड़ सतहत्तर लाख रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18788368000 रुपये (एक हजार आठ सौ अठहत्तर करोड़ तिरासी लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3480485000 रुपये (तीन सौ अड़तालीस करोड़ चार लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1784498000 रुपये (एक सौ अठहत्तर करोड़ चौवालीस लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7268752000 रुपये (सात सौ छब्बीस करोड़ सत्तासी लाख बावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 109028000 रुपये (दस करोड़ नब्बे लाख अट्ठाइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1162435000 रुपये (एक सौ सोलह करोड़ चौबीस लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 144414058000 रुपये (चौदह हजार चार सौ इकतालीस करोड़ चालीस लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2058100000 रुपये (दो सौ पांच करोड़ इक्यासी लाख रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2938408000 रुपये (दो सौ तिरानवे करोड़ चौरासी लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16858059000 रुपये (एक हजार छः सौ पचासी करोड़ अस्सी लाख उनसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11151358000 रुपये (एक हजार एक सौ पन्द्रह करोड़ तेरह लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 243741098000 रुपये (चौबीस हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़ दस लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 205909000 रुपये (बीस करोड़ उनसठ लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3518339000 रुपये (तीन सौ इक्यावन करोड़ तिरासी लाख उन्तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 65323000 रुपये (छः करोड़ तिरपन लाख तेइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 56998135000 रुपये (पांच हजार छः सौ निन्यानवे करोड़ इक्यासी लाख पैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 85551597000 रुपये (आठ हजार पांच सौ पचपन करोड़ पन्द्रह लाख सन्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11724236000 रुपये (एक हजार एक सौ बहत्तर करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5035011000 रुपये (पांच सौ तीन करोड़ पचास लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 61077154000 रुपये (छः हजार एक सौ सात करोड़ इकहत्तर लाख चौवन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8276893000 रुपये (आठ सौ सत्ताइस करोड़ अड़सठ लाख तिरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए 158529693000 रुपये (पन्द्रह हजार आठ सौ बावन करोड़ छियानवे लाख तिरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 22039606000 रुपये (दो हजार दो सौ तीन करोड़ छियानवे लाख छः हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 483585000 रुपये (अड़तालीस करोड़ पैंतीस लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 20535108000 रुपये (दो हजार तिरपन करोड़ इक्यावन लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6217369000 रुपये (छः सौ इक्कीस करोड़ तिहत्तर लाख उनहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 44934794000 रुपये (चार हजार चार सौ तिरानवे करोड़ सैंतालीस लाख चौरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4287862000 रुपये (चार सौ अट्ठाईस करोड़ अठहत्तर लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8596205000 रुपये (आठ सौ उनसठ करोड़ बासठ लाख पांच हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 143824000 रुपये (चौदह करोड़ अड़तीस लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 214094000 रुपये (इक्कीस करोड़ चालीस लाख चौरानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6489871000 रुपये (छः सौ अड़तालीस करोड़ अट्ठानवे लाख इकहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 30470337000 रुपये (तीन हजार सैंतालीस करोड़ तीन लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 96181473000 रुपये (नौ हजार छः सौ अट्ठारह करोड़ चौदह लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 13517762000 रुपये (एक हजार तीन सौ इक्यावन करोड़ सतहत्तर लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18676030000 रुपये (एक हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ साठ लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48101659000 रुपये (चार हजार आठ सौ दस करोड़ सोलह लाख उनसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 16840000 रुपये (एक करोड़ अड़सठ लाख चालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 26957036000 रुपये (दो हजार छः सौ पंचानवे करोड़ सत्तर लाख छत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन)

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1793503000 रुपये (एक सौ उन्यासी करोड़ पैंतीस लाख तीन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3400000000 रुपये (तीन सौ चालीस करोड़ रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 18545600000 रुपये (एक हजार आठ सौ चौवन करोड़ छप्पन लाख रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 189852350000 रुपये (अट्ठारह हजार नौ सौ पचासी करोड़ तेइस लाख पचास हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3564646000 रुपये (तीन सौ छप्पन करोड़ छियालीस लाख छियालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14168798000 रुपये (एक हजार चार सौ सोलह करोड़ सत्तासी लाख अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 153546185000 रुपये (पन्द्रह हजार तीन सौ चौवन करोड़ इकसठ लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 499288889000 रुपये (उनचास हजार नौ सौ अट्ठाईस करोड़ अट्ठासी लाख नवासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3111838000 रुपये (तीन सौ ग्यारह करोड़ अट्ठारह लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3275368000 रुपये (तीन सौ सत्ताइस करोड़ तिरपन लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 188516000 रुपये (अट्ठारह करोड़ पचासी लाख सोलह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 734407000 रुपये (तिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख सात हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2042030000 रुपये (दो सौ चार करोड़ बीस लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8956504000 रुपये (आठ सौ पंचानवे करोड़ पैंसठ लाख चार हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4302572000 रुपये (चार सौ तीस करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 539901044000 रुपये (तिरपन हजार नौ सौ नब्बे करोड़ दस लाख चौवालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 115346577000 रुपये (ग्यारह हजार पांच सौ चौंतीस करोड़ पैंसठ लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28966784000 रुपये (दो हजार आठ सौ छियानवे करोड़ सड़सठ लाख चौरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10910098000 रुपये (एक हजार इक्यानवे करोड़ अट्ठानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1986002000 रुपये (एक सौ अट्ठानवे करोड़ साठ लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4231361000 रुपये (चार सौ तेईस करोड़ तेरह लाख इकसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1158309000 रुपये (एक सौ पन्द्रह करोड़ तिरासी लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10769156000 रुपये (एक हजार छिहत्तर करोड़ इक्यानवे लाख छप्पन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 28641532000 रुपये (दो हजार आठ सौ चौंसठ करोड़ पन्द्रह लाख बत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 48111454000 रुपये (चार हजार आठ सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख चौवन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10018707000 रुपये (एक हजार एक करोड़ सत्तासी लाख सात हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 749496000 रुपये (चौहत्तर करोड़ चौरानवे लाख छियानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 260583242000 रुपये (छब्बीस हजार अट्ठावन करोड़ बत्तीस लाख बयालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2454585000 रुपये (दो सौ पैंतालीस करोड़ पैंतालीस लाख पचासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 66211000 रुपये (छः करोड़ बासठ लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5026926000 रुपये (पांच सौ दो करोड़ उनहत्तर लाख छब्बीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 741904000 रुपये (चौहत्तर करोड़ उन्नीस लाख चार हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 140197000 रुपये (चौदह करोड़ एक लाख सन्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10719844000 रुपये (एक हजार इकहत्तर करोड़ अट्ठानवे लाख चौवालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3635741000 रुपये (तीन सौ तिरसठ करोड़ सत्तावन लाख इकतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1577211000 रुपये (एक सौ सत्तावन करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 111773027000 रुपये (ग्यारह हजार एक सौ सतहत्तर करोड़ तीस लाख सत्ताइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 49116674000 रुपये (चार हजार नौ सौ ग्यारह करोड़ छियासठ लाख चौहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर समेकित कटौती का प्रस्ताव

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, एक साथ ही कटौती भी रख दें।

श्री अध्यक्ष-

रख दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है सारे अनुदान की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। ऐसा करने का तात्पर्य यह है कि जिससे उस पर समालोचित बहस हो सके और अनुदान पर अपना विचार रखा जा सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह इस सरकार का तीसरा बजट है, हमारे जो नये सदस्य जीत कर आये हैं, यह सरकार जो लोकतंत्र की हितैषी बनती है और यह कहती है कि हम सदन को 90 दिन चलाना चाहते हैं लेकिन पहली बार ऐसी सरकार है कि लगातार तीन वर्षों तक अलग-अलग अनुदान न प्रस्तुत करके लगायत वाला अनुदान प्रस्तुत करने का काम किया गया है। यानि कि हम कटौती के प्रस्ताव द्वारा विभागवार जो हम चर्चा करते हैं जो विभिन्न योजनाओं की आलोचना कर सकते थे, जो सुझाव दे सकते थे, उन सुझावों से मा0 सदस्यों को वंचित करने का काम किया गया। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हम लोकतांत्रिक मर्यादाओं का संरक्षण करने वाले हैं। मान्यवर, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, मा0 सदस्य की व्यक्तिगत बीमारी के ऊपर जो आक्षेप लगाने का काम किया जाता है, मा0 नेता प्रतिपक्ष अगर बीमार हैं तो उस पर तो सबकी सहानुभूति होनी चाहिये, उस पर भी कटाक्ष किया जाता है। मान्यवर, यह निश्चित रूप से संसदीय मर्यादाओं का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। उसी तरह से इस बजट के माध्यम से बड़ा रोने, गाने का काम किया गया, भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ कहा गया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत ढिंढोरा पीटती है यह सरकार, गन्ना किसानों पर मैंने चर्चा की मैं उसे फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन मान्यवर, इसी तरह से ढिंढोरा भ्रष्टाचार के बारे में करते हैं, आज किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार में एक पैसे की कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ोत्तरी हुई है और पुलिस विभाग में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा ये लोग अपने को हरिश्चन्द्र का वंशज कहने का प्रयास करते हैं, मान्यवर, 70 वर्षों की आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब केन्द्र में सरकार बनी उसके पहले तक लगभग उत्तर प्रदेश के पचहत्तरों जिलों में कहीं इनका शायद ही कार्यालय रहा हो, केन्द्र में इनका निजी कार्यालय नहीं था लेकिन आज 15 सौ करोड़ रुपये का केन्द्र में कार्यालय बन जाता है, हर जिले की सबसे मंहगी जगह पर इनका आलीशान कार्यालय बन रहा है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा अपने आसन पर एक साथ बैठे-बैठे बोलने से व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

यह पैसा जिससे कार्यालय बन रहा है, सत्ता में आने के पहले आपको क्यों नहीं मिला, पहले क्यों नहीं बन रहा था। सत्ता में आने के बाद एक साथ इतनी बड़ी क्रान्ति आ जाती है, एक साथ इतना बड़ा अवसर मिल जाता है कि हर जिले के मुख्य जगह पर कार्यालय बन जाते हैं और अपने को बहुत ईमानदार कहलाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, यह बजट का अंग नहीं है। मा0 वर्मा जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया बजट पर बात करें, यह कार्यालय कहां से आ गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, इसका बजट से क्या सम्बन्ध है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बजट पर ही है, बजट का अंग है, अगर एक-एक विभाग का बजट आया होता।

*** संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, पार्टी कार्यालय का जो बजट है, उसका एक-एक पाई का हिसाब है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पहले नहीं मिल रहा था अचानक मिल गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उस पर मैं कहूंगा कि जो कार्यालय बने हैं एक रुपये से लेकर अधिकतम जितना भी रुपया जिसने भी दिया है, उसका एक-एक रुपये का हिसाब है।

श्री लाल जी वर्मा-

अभी मैं बैठा नहीं हूं, मैंने कटौती रखी है, पहले मैं बैठ जाऊं, उसके बाद आप कहें।

श्री अध्यक्ष-

आप कार्यालय के बारे में क्यों बोल रहे हैं, आप बजट पर बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक रुपये से लेकर अधिकतम जितना भी रुपया जिसने दिया है, उसका एक-एक रुपये का हिसाब है। इस तरह के लोग, घटिया मानसिकता के लोग घटिया ही आरोप लगाते हैं।

मान्यवर, हमारी पार्टी कार्यालय के एकाउण्ट का आडिट होता है।

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर हमारी आवाज दबाई जायेगी, तो हम यहां पर बैठकर इनका प्रवचन सुनेंगे। इनका प्रवचन सुनने के लिये यहां पर नहीं बैठे हैं।

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बात कटौती पर हो रही है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम कटौती पर ही बोल रहे हैं। पहले संसदीय कार्य मंत्री जी बैठें।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनको बजट के अनुदान मांगों पर बोलना चाहिये, ये विषय-विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विषय-विषयान्तर ये कर रहे हैं, हम विषय-विषयान्तर नहीं कर रहे हैं। ये चाहे जो बोलते रहें मान्यवर, हम इनका प्रवचन सुनते रहें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, हमारे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिये। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट से क्या सम्बन्ध है ?

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय लेना चाहता हूं। एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

पहले हमारा ज्ञानवर्धन वर्मा जी करायेंगे। आप बैठें, इस तरह से बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह कोई तरीका नहीं है कि उधर से 10 विधायक खड़े हों, इधर से 4 विधायक खड़े हों।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। पहले वर्मा जी हमारा मार्गदर्शन करें। आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन में झापड़ दिखाया जायेगा, यह तरीका है। हम लोग चुप-चाप बैठे हैं और वह जो मा0 सदस्य दाढ़ी वाले हैं, वह झापड़ दिखा रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

जो झापड़ दिखा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

हमारा विपक्ष की तरफ से यह ज्ञानवर्धन किया जाये। आप बैठिये, आप बैठिये। वर्मा जी बोल रहे थे, आप कैसे बोलने लगे ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन में बैठकर झापड़ दिखा रहे हैं। सदन के बाहर चलकर झापड़ दिखा दें, तब पता चलेगा कि झापड़ दिखाने का क्या नतीजा होता है ?

श्री अध्यक्ष-

राकेश जी, आप बैठ जाइये। वर्मा जी मैं प्रश्न को दोहरा दूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैंने आपकी बात सुन लिया है। इसका तात्पर्य इस तरह से है, जिस तरह से मैं पानी पीने गया और मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, पानी पीकर वापस आया। मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में 02:00 बजे आये थे। मैं सदन में 11:00 बजे से बैठा हूं। आपको भी इतनी देर बैठने पर पानी पीने की इच्छा होगी। मान्यवर, हम सुबह खाना खाकर नहीं आते हैं। दोपहर 02:00 बजे खाना खाने का भी समय आता है, लेकिन उसके बाद भी मैं मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी को सुनता रहा। जितनी बातें मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया है, चाहे वह भ्रष्टाचार पर, या ''चोर-चोर मौसेरे भाई'' से लेकर, इस तरह की जो तमाम बातें की, क्या उन बातों का सामान्य बजट की चर्चा से कोई वास्ता था, नहीं था ? मान्यवर, मैं जो बोल रहा हूं, उसका बजट से वास्ता है।

श्री अध्यक्ष-

बजट से क्या वास्ता है बता दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बजट से सम्बन्ध इसलिये है कि हमने 4 लाख 15 हजार 7 सौ 1 करोड़ 48 लाख 93 हजार रुपये का अनुदान मांग प्रस्तुत किया है। इस अनुदान मांग का हमने कटौती रखा। इसकी आवश्यकता इसलिये है मान्यवर, कि यह पैसा प्रदेश के विकास पर खर्च होना चाहिये। प्रदेश के विकास में जब खर्च होगा।

श्री अध्यक्ष-

और बजट भाषण में।

श्री लाल जी वर्मा-

जी हां मान्यवर, जब बजट पर खर्च होगा, तभी इससे प्रदेश के लोगों का हित होगा। दूसरा मान्यवर, जो इस समय याद नहीं आ रहा है, 74 हजार करोड़ रुपये का है, उससे प्रदेश का विकास तो होना नहीं है। इसलिये आप अलग-अलग बजट रखते, एक-एक विभागवार तो उस समय विभाग में क्या गड़बड़ी है, उसमें और क्या करने की आवश्यकता है हम सुझाव दे सकते थे लेकिन बजट एक साथ रख दिया गया। जब बजट एक साथ रखा गया, तो एक साथ सारी बातें हम भी कहने का काम करेंगे, इसलिये उसकी आवश्यकता है। लेकिन मैं उसको अब यहां खत्म करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि 2017-2018 का बजट रखा गया 03 लाख 86 हजार करोड़ रुपये का और खर्च हुआ 03 लाख 24 हजार करोड़ रुपया, 62 हजार करोड़ रुपया कम खर्च हुआ पिछले बजट का। मैंने उदाहरण दिया कि अभी 02 लाख 84 हजार करोड़ रुपया 12 फरवरी तक व्यय हुआ है। मैंने भी आंकड़ा कोषागार से ही निकाल कर देने का काम किया है, मैंने कोई अपने पास से आंकड़ा नहीं दिया है, तो 02 लाख 84 करोड़ अब तक खर्च किया है, इसी तरह से 31 मार्च को अधिकतम 03 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होटल खर्च नहीं होगा और फिर कहेंगे कि हमने बड़ी मितव्ययिता कर दिया तो इस तरह से प्रदेश की जनता को चुनाव के वक्त सब्जबाग दिखाने के लिये यह बजट आया है। वास्तव में यह खर्च नहीं होना है और इसीलिये भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अनुदान मांगों को अलग-अलग प्रस्तुत करने से भागने का काम कर रही है जिससे एक-एक विषय पर व एक-एक बिन्दु पर चर्चा न हो सके। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मान्यवर, 24 दिन से कम की चर्चा नहीं होनी चाहिये। आज एक दिन में 24 दिन का काम हो रहा है, कह रहे हैं कि आपने भी किया था ? हमने किया तो हमको उसकी सजा मिल गई ? आप भी कर रहे हो, आपको एक जगह सजा नहीं मिली, फूलपुर, गोरखपुर में आपके अहंकार की सजा मिल गई, कैराना जहां आप पलायन की बात कर रहे थे कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, जनता भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पर पलायन कर दिया और इस तरह से निश्चित रूप से 2019 में, स0पा0, ब0स0पा0 इकट्ठा हो गये तो आपके सीने में दर्द होने लगा कि कैसे मुकाबला कर पायेंगे ? गठबन्धन को लेकर अनाप-शनाप बातें करने लगे। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 लगायत 28.....

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, पहले हमारे कटौती प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करवाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, यह सरकार विभागवार बजट की चर्चा नहीं कर रही है इसलिये कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

आपने पहले ही कहा है कि अनुदानवार होता तो कटौती आता। समेकित बजट में कटौती पर मतदान नहीं होता है, यह आपने स्वयं ही कहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं मान्यवर, कटौती प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिये। कटौती का प्रस्ताव मैंने आपकी अनुमति से रखा है तो उस प्रस्ताव पर सदन में ''हां'' या ''ना'' में उत्तर आना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि उस पर मतदान कराकर उसे गिरा दें या पास करा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह बजट का प्रस्ताव सरकार का है, अगर यह हार जायेगी तो आपकी जीत हो जायेगी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो मैंने प्रस्ताव रखा है उस पर पहले मतदान कराइये। आपने मुझे अनुमति दिया, मैंने एक साथ प्रस्ताव रख दिया।

श्री अध्यक्ष-

अनुमति मैंने इसलिये दिया कि कटौती का प्रस्ताव हमेशा सरकार की नीतियों की आलोचना के उद्देश्य से रखा जाता है, यही किताब में लिखा है।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, इसीलिये मैंने रखा, अब उस पर आप मतदान करायेंगे और जो हमने कटौती का प्रस्ताव रखा है पहले उसको गिराइये।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, मैंने आपको सुन लिया। अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 89, 91 लगायत 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रुपये चार लाख पन्द्रह हजार सात सौ एक करोड़ अड़तालीस लाख तिरानबे हजार (रुपये 4,15,701,48,93,000) से अनधिक धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये स्वीकृत की जाये ?**

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

इसकी प्रतियां वितरित की जायं।

[मद संख्या-26 (ग) के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर]

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप बैठ जायं एक मिनट। मान्यवर, यह विनियोग विधेयक है या तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अधिकृत किये हों। अगर अधिकृत नहीं किये हैं तो विनियोग विधेयक नियमों के अनुसार केवल वित्त मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं दूसरा मंत्री प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिये मान्यवर, नियमों के अनुसार इसको वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2020 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2019 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 509003,49,67,000 रुपये (रुपये पांच लाख नौ हजार तीन करोड़ उनचास लाख सड़सठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2019–2020 के लिए 509003,49,67,000 रुपये का निकाला जाना

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्ही सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	25742.78	...	25742.78
		पूंजी :	150.00	...	150.00

1	2		3		
02	आवास विभाग	राजस्व :	32347.38	*45.22*	32392.60
		पूंजी :	131041.00	*207.28*	131248.28
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	59706.99	*6.00*	59712.99
		पूंजी :	2097.51	...	2097.51
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	4672.12	...	4672.12
		पूंजी :	205.00	...	205.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	12244.81	...	12244.81
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	24913.48	...	24913.48
		पूंजी :	0.01	...	0.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	176635.70	...	176635.70
		पूंजी :	414934.07	...	414934.07
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	19398.85	...	19398.85
		पूंजी :	1125.78	...	1125.78
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1723374.50	421512.57	2144887.07
		पूंजी :	824766.00	315279.04	1140045.04
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	68044.01	221.03	68265.04
		पूंजी :	1824.59	12.00	1836.59
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	535202.51	20.05	535222.56
		पूंजी :	56539.74	...	56939.74
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	80247.86	...	80247.86
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	371953.30	17.50	371970.80
		पूंजी :	1648527.14	...	1648527.14
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1876938.46	...	1876938.46
		पूंजी :	17538.54	...	17538.54
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	164515.81	13.79	164529.60
		पूंजी :	23367.87	...	23367.87
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	11653.85	...	11653.85
		पूंजी :	23151.00	...	23151.00

1	2		3		
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	17736.98	9.50	17746.48
		पूंजी :	108.00	...	108.00
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	57239.48	1197.66	58437.14
		पूंजी :	15448.04	2489.77	17937.81
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1090.28	...	1090.28
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	11624.35	7243.58	18867.93
		पूंजी :	...	100.00	100.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	43452.11	350	43455.61
		पूंजी :	1400688.47	0.50	1400688.97
22	खेल विभाग	राजस्व :	12656.33	...	12656.33
		पूंजी	7924.67	...	7924.67
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	22658.08	2.00	22660.08
		पूंजी :	6726.00	...	6726.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8522.75	...	8522.75
		पूंजी :	160057.84	...	160057.84
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	77638.21	10.00	77648.21
		पूंजी :	33875.37	...	33875.37
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	2170523.85	75.00	2170598.85
		पूंजी :	266887.13	...	266887.13
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	1977.89	...	1977.89
		पूंजी :	81.20	...	81.20
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	35133.39	...	35133.39
		पूंजी :	50.00	...	50.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	2220.60	2220.60
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	653.22	...	653.22
		पूंजी	0.01	...	0.01

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	362840.28	...	362840.28
		पूंजी :	207141.07	...	207141.07
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	788906.83	20.00	788926.83
		पूंजी :	66609.14	...	66609.14
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	112943.38	...	112943.38
		पूंजी :	4298.98	...	4298.98
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	47630.00	...	47630.00
		पूंजी :	2720.11	...	2720.11
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	593440.59	26.00	593466.59
		पूंजी :	17330.95	...	17330.95
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	82176.93	2.00	82178.93
		पूंजी :	592.00	...	592.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1535479.93	...	1535479.93
		पूंजी :	49817.00	...	49817.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	20296.06	...	20296.06
		पूंजी :	200100.00	...	200100.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4835.85	...	4835.85
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	33785.33	...	33785.33
		पूंजी :	171565.75	...	171565.75
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	57618.68	...	57618.68
		पूंजी :	4555.01	...	4555.01
42	न्याय विभाग	राजस्व :	252984.92	54114.85	307099.77
		पूंजी :	196363.02	500.00	196863.02
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	31944.49	0.01	31944.50
		पूंजी :	10934.13	...	10934.13
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	12671.89	...	12671.89
		पूंजी :	73290.16	...	73290.16
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1438.24	...	1438.24
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2140.94	...	2140.94
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	45305.19	…	45305.19

1	2		3		
		पूंजी :	19593.52	...	19593.52
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	245381.30	1.80	245383.10
		पूंजी :	59322.07	...	59322.07
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	953614.73	5.00	953619.73
		पूंजी :	8200.00	...	8200.00
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	111581.25	17.00	111598.25
		पूंजी :	23596.37	...	23596.37
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	182760.30	...	182760.30
		पूंजी :	4000.00	...	4000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	471467.47	22.50	471489.97
		पूंजी :	9549.12	7.88	9557.00
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	...	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	269515.88	4.00	269519.88
		पूंजी :	54.48	...	54.48
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	10334.20	640.31	10974.51
		पूंजी :	7600.83	100.00	7700.83
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	34000.00	...	34000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	16956.00	...	16956.00
		पूंजी :	168500.00	...	168500.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	591126.50	5.00	591131.50
		पूंजी :	1307397.00	2500.00	1309897.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	29885.54	...	29885.54
		पूंजी :	5760.92	...	5760.92
60	वन विभाग	राजस्व :	87330.44	13.70	87344.14
		पूंजी :	54357.54	...	54357.54
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1503416.30	5271966.89	6775383.19
		पूंजी :	32045.55	3219463.86	3251509.41
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	4982888.89	501.32	4983390.21
		पूंजी :	10000.00	...	10000.00
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा	राजस्व :	30718.38	...	30718.38
			400.00	...	400.00

1	2		3		
	लेखा प्रशासन)	पूंजी :			
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	32729.98	...	32729.98
		पूंजी :	23.70	...	23.70
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1885.16	21517.21	23402.37
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	6024.79	98.05	23402.37
		पूंजी :	1319.28	...	1319.28
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	19963.98	143.20	20107.18
		पूंजी :	456.32	1.00	457.32
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	70445.04	…	70445.04
		पूंजी :	19120.00	...	19120.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	41525.72	...	41525.72
		पूंजी :	1500.00	...	1500.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	5340865.08	...	5340865.08
		पूंजी :	56145.36	...	56145.36
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1116023.98	0.50	1116024.48
		पूंजी :	37441.79	...	37441.79
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	261369.74	...	261369.74
		पूंजी :	28298.10	...	28298.10
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	108626.18	…	108626.18
		पूंजी :	474.80	...	474.80
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	18822.01	...	18822.01
		पूंजी :	1038.01	...	1038.01
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	37272.11	...	37272.11
		पूंजी :	5041.50	...	5041.50
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	11553.11	...	11553.11
		पूंजी :	29.98	...	29.98
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	107584.56	...	107584.56
		पूंजी :	107.00	...	107.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण)	राजस्व :	265256.06	...	265256.06
		पूंजी :	21159.26	...	21159.26

1	2		3		
	एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)				
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	481114.54	...	481114.54
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	85835.45	…	85835.45
		पूंजी :	14351.62	...	14351.62
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	7479.95	746.96	8226.91
		पूंजी :	15.01	0.01	15.02
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1742754.07	...	1742754.07
		पूंजी :	863078.35	...	863078.35
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2199.30	...	2199.30
		पूंजी :	22346.55	...	22346.55
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	662.11	...	662.11
86	सूचना विभाग	राजस्व :	48069.26	...	48069.26
		पूंजी :	2200.00	...	2200.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	6839.04	...	6839.04
		पूंजी :	580.00	...	580.00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	991.97	...	991.97
		पूंजी	410.00	...	410.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	102198.44	6545.02	108743.46
		पूंजी ::	5000.00	...	5000.00
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	36348.41	0.03	36348.44
		पूंजी :	9.00	...	9.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7394.28	0.05	7394.33
		पूंजी :	8377.83	...	8377.83
94	सिंचाई विभाग (निर्माण	राजस्व :	394763.42	…	394763.42

1	2		3		
	कार्य)	पूंजी :	722966.85	500.00	723466.85
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	491016.74	50.00	491066.74
		पूंजी :	150.00	...	150.00
	योग	राजस्व :	31969698.92	5789039.40	37758738.32
		पूंजी :	9600450.01	3541161.34	13141611.35
	महायोग :		**41570148.93**	**9330200.74**	**50900349.67**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय ,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बजट पर लगभग 200 शब्दों में अपने विचार लिखकर अध्यक्ष कार्यालय में देने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे एक छोटी सी सूचना देनी थी। कई माननीय सदस्यों ने अभी आग्रह किया अपनी जगह खड़े होकर भी कि उनको बजट पर अपने विचार देने का मौका नहीं आया तो जो माननीय सदस्य चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, किसी भी दल के हों बजट पर अपने विचार देना चाहते हों तो वह लगभग 200 शब्दों का हो। उससे अधिक का न हो लिख कर हमारे कार्यालय में जमा कर देंगे तो हम कार्यवाही का भाग बना लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, यह रोज-रोज की गलत परम्परा विधान सभा में न पड़े। अगर इतनी हमदर्दी थी तो सारे माननीय सदस्यों का भाषण कराना चाहिये था। आपको याद होगा, आपने कार्यवाही भी देखा होगा। 1977 में हम लोग आये थे एक दिन एक सब्जेक्ट रहता था सवेरे से उस पर पक्ष और विपक्ष की बहस होती थी और 5 बजे वोट होता था, पास होता था। बाद में होने

लगा कि कई-कई विभाग एक दिन होने लगे। अब संसदीय कार्य मंत्री जी के जमाने में एक-एक दिन में विनियोग विधेयक पास हो गया तो यह तो इतिहास कायम हो गया।

श्री अध्यक्ष-

अब वो फिर खड़े होंगे और फिर आप दोनों बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

होंगे तो होंगे उससे हम थोड़े न डरते हैं। हम तो कहेंगे ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप डरते नहीं हैं आप बहादुर हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि यह परम्परा मत डालिये। यह महसूस हो हमारे माननीय सदस्यों को कि सरकार ने चाहे पक्ष या विपक्ष के सदस्य हों, को भाषण नहीं करने दिया। प्रार्थना है कि कृपया इसकी नई परम्परा मत डालिये। फिर अगली बार भाषण करवाइये नहीं तो इस तरह गलत परम्परा हो जायेगी।

*** संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह भी कार्यवाही में आना चाहिये कि बिना वजह तीन-तीन दिन तक कोई विशेष कारण नहीं था, सदन का समय बर्बाद किया गया। मान्यवर, मैं और मेरा पूरा दल इस बात का पक्षधर है पहले भी ऐसा हुआ है यह इस सदन की परम्परा भी रही है कि उस पीठ पर जो भी माननीय अध्यक्ष बैठे अगर इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हुई या परिस्थितिवश आई तो पहले भी लिखित रूप से सभी की सरकारों में माननीय अध्यक्ष पीठ पर आप भी आसीन रह चुके हैं आदरणीय सुखदेव राजभर जी, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जब अध्यक्ष पीठ से इस बात को निर्देशित किया गया कि हम आपका भाषण इसमें शामिल कर लेंगे अगर बोल नहीं पाये। जो कुछ भी आज हो रहा है यह आज आप ही महाशय की करतूत का परिणाम है। इसलिये अपनी चीजों को छिपाने के लिये यह सब मत करिये। हमारी करतूत नहीं है जब सदन का समय, मान्यवर, अगर यह आज नहीं होता तो उधर से यह लोग फिर वेल में होते। चूंकि यह कार्यक्रम लीक हो गया, यह कार्यक्रम इसलिये कहा जायेगा क्योंकि नई परिस्थिति पैदा होती है। नई परिस्थिति पैदा हुई वरना यह लोग वेल में होते और हम लोग हो-हल्ला में बजट पास कराये होते। हमने तो एलानिया कार्य-मंत्रणा समिति में प्रस्ताव रखा आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, अभी सदन में एक विषय आया था जो हमने कहा था एफ0आई0आर0 के बारे में, हमारे जो साथी हैं हाजी इरफान सोलंकी उनकी एफ0आई0आर0 12-02-19 को दर्ज हो चुकी है। क्राइम नम्बर 121/2019 धारा-380, यह थाना गोमती नगर में मान्यवर, दर्ज हो चुकी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां कई बार कहा गया कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होती है। जब तक जानकारी न हो तब तक यह बात कहना नहीं चाहिये थी। जिम्मेदार लोगों ने कहा। दूसरी बात मैंने कहा था कि एफ0आई0आर0 आज मैं आपको दूंगा हमने कहा था कि शाम तक रिपोर्ट देंगे। मान्यवर, उन्होंने पहले एफ0आई0आर0 दी नहीं थी। 17-01-19 को रिपोर्ट दी थी, घटना 23-12-18 की है वह भी एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई और इसका हम क्राइम नम्बर भी बता देते हैं। यह क्राइम नम्बर है अपराध संख्या-43/2019 धारा-379, 504 और इसमें चूंकि एस0सी0एस0टी0 एक्ट भी लगा है इसलिये सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर, आजमगढ़ इसकी विवेचना करेंगे। क्राइम नम्बर मैंने मंगवा दिया है। मान्यवर, पूरी कोशिश रहती है कि जब कोई मामला संज्ञान में आये तो उसमें कम से कम कार्यवाही जरूर हो और यह सरकार पूरी इस बात की पक्षधर है। हम यह जरूर चाहेंगे जो भी हमारे माननीय सदस्यों ने विचार रखे या उसके समर्थन में आप लोगों ने रखे उनको न्याय जरूर मिले यह हमारी कोशिश भी होगी। अलग से इस बात के लिये सेक्शन भी ले आयेंगे कि इसमें समयबद्ध तरीके से घोषणा करके इसको आगे बढ़ाया जाये। मान्यवर, जहां तक सवाल है कि आज की कार्यवाही नहीं हो पाई इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई लेकिन चूंकि आज सदन उठ रहा है इसलिये हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं कि यह लोग कोई अपने मन में गांठ बांधकर जायें। हालांकि हमारी तरफ से कोई इस बात का प्रयास भी नहीं होता है हम कभी शुरुआत भी नहीं करते हैं लेकिन जब उधर से आता है तो जवाब हमको देना पड़ता है। हमारी कोशिश रहती है कि कोई हमारे साथ प्रयोग न करे, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे लेकिन अगर कोई ललिता पवार का रोल करने लगे तो हमारी कोई मजबूरी होती है हम क्या करें। इसलिये मान्यवर, हमको भी कभी-कभी कहना पड़ता है। मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 लेते हैं। नियम-51 की आज 60 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। निम्नलिखित सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं :-

क्रम सं0	नाम	विषय
1	श्री पारसनाथ यादव	नगर निगम लखनऊ के रतन खण्ड में अनाधिकृत रूप से जानवरों को रखे जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री उमाशंकर सिंह	जनपद बलिया में ट्रामा सेन्टर का निर्माण एवं पूर्व में निर्मित ट्रामा सेन्टर को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में लोक निर्माण विभाग की अर्धनिर्मित सड़कों को पूर्ण कराये जाने के

क्रम सं0	नाम	विषय
		सम्बन्ध में।
4	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	गेल कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर दिलाये जाने एवं पी0 एण्ड एमपी ऐक्ट, 1962 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री मनोज कुमार पारस	जनपद बिजनौर के ग्राम मुबारकपुर खोसा उर्फ खुशियाकी व ग्राम भनेडा में जूनियर हाई स्कूल का हाई स्कूल तक उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री विरेन्द्र कुमार यादव	जनपद गाजीपुर में मरहद जलालाबाद मार्ग बहलोलपुर चट्टी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री आशुतोष उपाध्याय	विधायकों की सुरक्षा हेतु गनर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री अमिताभ बाजपेई	जनपद कासगंज में बेसिक शिक्षा विभाग में लेखाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।
9	इंजी0 बृजेश कठेरिया	ग्राम पंचायत चिताइन, ब्लाक किशनी में सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्रीमती लीना तिवारी	जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं के तहसीलदार सन्तोष कुमार सोनकर द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
11	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान	जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में स्टेडियम का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्री तसलीम अहमद	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत माल गोदाम तिराहे से आदर्श नगर तक फुटओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री अजय कुमार लल्लू	जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बाढ़ पीड़ितों को घर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री अनिल कुमार मौर्य	जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला में अवैध रूप से कच्ची शराब को बेचे जाने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	नाम	विषय
15	श्री राकेश सिंह	प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री आलोक कुमार के सम्पत्ति की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री विनोद कटियार	जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के ग्राम चपरघटा में 33 के0वी0 का विद्युत गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में।
17	श्री संजय प्रताप जायसवाल	उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में।
18	डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश	विधान सभा क्षेत्र आगरा कैण्ट के लक्ष्मी पैलेस-2 में नाली एवं इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री संजय शर्मा	जनपद बुलन्दशहर में महिला चिकित्सालय जहांगीराबाद के भवन का पुनर्निर्माण कार्य कराकर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत तालड़ा रजवाहे की पटरी पर सिंचाई विभाग द्वारा नवीन सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत आजाद इण्टर कालेज की भूमियों एवं आय-व्यय की सूचनायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री सत्यवीर त्यागी	जनपद मेरठ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री सीताराम वर्मा	जनपद सुल्तानपुर के अम्बेडकरनगर जाने वाले राजमार्ग पर ढलान बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री दयाराम चौधरी	जनपद बस्ती के सदर विधान सभा क्षेत्र के गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में।
25	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा के हलवाई बगीची के पास कैलाश पुरी के मोड़ से सेन्ट्रल जेल की रोड ऊंची करके नाली सहित निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
26	श्री विकास गुप्ता	जनपद फतेहपुर के गाजीपुर के विजयीपुर तक की सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।
27	श्री सुरेश कुमार	लखनऊ नगर निगम की सीमा के अन्दर शहर की

क्रम सं0	नाम	विषय
	श्रीवास्तव	आवासीय कालोनियों के बीच में चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
28	श्री पल्टूराम	जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मिर्जापुर में मन्नीजोत नाले पर लगभग 10 वर्षों से अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	प्रिंस वीर विक्रम सिंह	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम पंचायत जौरापट्टी टाटराबाद में सौभाग्य योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से पैसे लिये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया	जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र हाटा में व्यापार विकास निधि की सड़कों का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्रीमती अनीता कमल	जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
32	श्री जन्मेजय सिंह	श्री अनुराग श्रीवास्तव, निदेशक कारखाना की नियम विरुद्ध नियुक्ति की जाचं के सम्बन्ध में।
33	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट	जनपद मथुरा के अन्तर्गत उ0प्र0 पी0सी0एल0 द्वारा बनाये गये सड़क एवं सी0सी0 लाइनिंग की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री चेतराम	जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत संचालित किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
35	प्रो0 (डॉ0) श्याम बिहारी लाल	जनपद बरेली के विकास खण्ड भुता में राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने के सम्बन्ध में।
36	श्री राजकुमार अग्रवाल	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के भरावन ब्लाक में गन्ना की पर्चियां न मिलने के सम्बन्ध में।
37	श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह	जनपद बलिया में बलिया-बेरिया मांझी एन0एच0 आई0-19 को गड्ढामुक्त करने के सम्बन्ध में।
38	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल	जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बलिया नगर में कटहल नाला पुल को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
39	डॉ0 अरुण कुमार	जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के

क्रम सं0	नाम	विषय
		अन्तर्गत परसाखेड़ा, गौटिया और गोकुलपुर गरगईया गांव में सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
40	श्री लाल जी वर्मा	जनपद अम्बेडकरनगर में अकबरपुर, इल्तिफातगंज मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्रीमती सुषमा पटेल	जनपद जौनपुर के मछलीशहर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा मुंगराडीह जोकि नगर पालिका परिषद् से सटा है, में सड़क किनारे की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
42	श्री रितेश पाण्डेय	जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर में नगर पालिका परिषद् द्वारा कूड़ा डालने एवं जलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
43	श्री आजाद अरिर्मदन	जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर में ब्लाक अकबरपुर के अन्तर्गत फैजाबाद-अम्बेडकरनगर राजमार्ग पर स्थित ग्राम सभा तिवारीपुर से ग्राम सभा मल्ही विश्वनाथपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री सुखदेव राजभर	जनपद लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विनीत खण्ड में एल 2/636 के सामने बने पार्क में फैली गन्दगी हटवाये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली विकास खण्ड मवई के अन्तर्गत आई0टी0आई0 मवई का भवन निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।
47	श्री विनय शंकर तिवारी	जनपद गोरखपुर के ब्लाक गोला के ग्राम बनवार पार में स्थित आराजी संख्या-473 व 474 को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में।
48	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुत्ते काटने की दवाई उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्रीमती जय देवी	एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद

क्रम सं0	नाम	विषय
		लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।
50	श्री बम्बा लाल दिवाकर	जनपद उन्नाव के ब्लाक सफीपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	श्री संजय गर्ग	जनपद सहारनपुर के पुराने शहर में जर्जर सीवर लाइनों एवं नाली एवं सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
52	श्री अनिल सिंह	जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
53	श्री उज्जवल रमण सिंह	स्व0 गुलाबचन्द्र, केन्द्रीय रिवर्ज पुलिस बल के परिवार को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
54	श्री राकेश प्रताप सिंह	जनपद अमेठी के तहसील गौरीगंज के तत्कालीन एस0डी0एम0 के स्टेनो व पूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
55	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
56	डा0 नीरज बोरा	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यादों से जुड़े प्राचीनतम कौण्डिल्य घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
57	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
58	श्री असलम अली	पी0डी0 का फाइनल बिल की, की गई ग्रामीण आपूर्ति के अनुसार ग्रामीण रेट से बनाये जाने के सम्बन्ध में।
59	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद की सदर तहसील में करोड़ों की बेशकीमती जमीन का नियम विरुद्ध आवंटन किये जाने, अवैध खनन एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं में अनियमितता के जिम्मेदार तहसीलदार सदर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	नाम	विषय
60	श्री मो0 फईम इरफान	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत गोमती नगर विस्तार में अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सी0आर0पी0एफ0 के शहीद जवानों के परिवारों की मदद हेतु मा0 सदस्यों द्वारा एक महीने का वेतन दिये जाने का सुझाव

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रस्ताव रखा था कि मा0 सदस्यगण अपना-अपना एक-एक महीने का पूरा वेतन शहीदों के परिवारों को दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने भी एक महीने का वेतन दिया है, लेकिन हमने अखबार में नहीं दिया। मा0 नेता विरोधी दल ने कह दिया है तो बात आ गई है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस प्रकार के मामलों में सहयोग करता है तो यह अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी मा0 सदस्यगण अपना-अपना एक-एक महीने का वेतन देंगे। इस बारे में विधान सभा के वित्त नियंत्रक को निर्देश दे दिये जायें।

श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी हमारे विपक्ष के एक मित्र का सुझाव आया और हम सबने स्वागत किया कि एक महीने का वेतन देंगे। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के शहीद परिवारों की स्थाई रूप से सहायता होती रहे। वैसे तो उनकी सेवा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई एक हेड उत्तर प्रदेश सरकार बना दे कि स्थाई रूप से हमारा कोई न कोई अंशदान उस खाते में जाता रहे ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उनको मदद दी जा सके और उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को भी इसमें शामिल किया जाये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय विवेक तिवारी की विधवा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरह की सहायता अनुमन्य की गई है, चाहे नकद, चाहे नौकरी, चाहे जिस स्तर की, उसी तरह की नकद या नौकरी इन शहीदों के परिवारों को भी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन यह शोक प्रस्ताव आया था अगर आपने सुना हो, यहां से घोषणा की गई थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसी दिन इस बात की घोषणा करवाई थी।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

एक करोड़ रुपये विवेक तिवारी की विधवा को दिया गया था, इन शहीदों की विधवाओं को भी एक करोड़ रुपये दे दिये जायें। बगल की सरकारें दे रही हैं यहां भी दे दिया जाये। एक करोड़ रुपये बोल दीजिये कौन सी बड़ी बात है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ उस दिन कहा गया था, उसका पूरी तरीके से पालन होगा। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-28 लेते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

प्रदेश में गर्वित ग्लोबल कम्पनी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच तथा जनता से वसूले पैसों को वापस दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय प्रताप जायसवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश में गर्वित ग्लोबल कम्पनी द्वारा किये जा रहे .....

श्रम सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(परिवहन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

मद संख्या-28

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या में यह सूचित किया गया है कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद के कार्यालय अभिलेखों में गर्वित ग्लोबल कम्पनी के नाम से कोई वाहन पंजीकृत नहीं है और न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है बल्कि उक्त कम्पनी के नाम से मिलते-जुलते एक अन्य फर्म मै0 गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के निदेशक श्री संजय भाटी पुत्र श्री रतन सिंह भाटी नि0 प्लाट नं0-1 चिट्टी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के नाम से विभिन्न श्रेणी के वाहन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	संख्या
1	मोटर साईकिल (परिवहन)	944
2	मोटर साईकिल (गैर परिवहन)	26
3	मोटरकार (परिवहन)	169
4	माल वाहन (परिवहन)	04
	योग :	**1143**

उक्त फर्म द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-124 के अन्तर्गत गाजियाबाद सम्भाग में परिवहन व्यवसाय करने हेतु वांछित अभिकर्ता अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है, जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या-128/ट्रेवेल्स एजेन्ट/2018 है, जो दिनांक 20-06-2018 से 19-06-2021 तक विधिमान्य है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त आख्यानुसार एक शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार मीणा द्वारा थाना-दादरी, जनपद-गौतमबुद्धनगर में श्री संजय भाटी व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-0206, दिनांक 12-02-2019 दर्ज कराई गई है जिसकी जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। वस्तुतः यह प्रकरण कम्पनी (ट्रेवेल एजेन्ट) व अनुबन्धकर्ता के मध्य धोखाधड़ी के विवाद का है, जो परिवहन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।]

जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह स्थगित रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में पेयजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा0 श्याम बिहारी लाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से .....

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अवगत कराया जाना है कि जनपद-बरेली की नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लगभग 9480 तथा वर्तमान अभिकल्पित जनसंख्या लगभग 10889 है। वर्ष 1984 में 500 कि0ली0 क्षमता के अवर जलाशय एवं 2 नलकूप तथा 7.5 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाई गई थी, वर्तमान में लगभग 3.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली हाई-वे निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई है, परन्तु नगर में उपलब्ध जल स्रोतों के अनुसार निर्धारित 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के अनुरूप जल की उपलब्धता है।

नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में पाइप पेयजल योजना का जीर्णोद्धार तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत एवं नव विकसित क्षेत्रों में पाइप लाइन विस्तार का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह स्थगित रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-कलान के ग्राम परौर में रामगंगा से आई बाढ़ से बेघर हुए व्यक्तियों का पुनर्वास कराये जाने के सम्बन्ध में प्रिन्स वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से .....

श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ जान लिये जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपर के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम परौर में रामगंगा नदी से बाढ़ के बचाव हेतु जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत रामगंगा नदी से दायें तट पर स्थित परौर, ककोरा तथा मंजा आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना तैयार की गई है, जो अभी सक्षम स्तर से अनुमोदित नहीं हुई है।

विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम पंचायत कुरगवां के ग्राम नौगवां के द्वाबा नदी से प्रत्येक वर्ष हो रहे कटान से बचाव हेतु परियोजना तैयार की जा रही है।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

वर्ष 2018-2019 के ग्राम भुण्डा हरवंशपुर नौगवां में आई बाढ़ के कारण चार व्यक्तियों श्री मदन पाल सिंह पुत्र श्री राम भरोसे, श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री राम भरोसे,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह पुत्र राम भरोसे व श्री सत्यपाल पुत्र श्री नन्हकू के मकान पूर्णरूप से कट गये थे, जिन्हें शासनादेश संख्या-226/1-10-2015-33 (16)/2015 टी0सी0-4, दिनांक 09-04-2015 के अनुसार प्रति व्यक्ति रु0 95,100.00 के हिसाब से दैवी आपदा गृह अनुदान मद से धनराशि प्राप्त कराई जा चुकी है तथा उपरोक्त चारों व्यक्ति वर्तमान समय में उसी ग्राम में निवास कर रहे है।]

जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह स्थगित रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं एवं राजस्व कर्मियों द्वारा जनता का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री संगमलाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं से सम्बन्धित .....

श्रम, सेवयोजन एवं समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ जान लिये जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्या में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, सदर, प्रतापगढ़ से प्रकरण की जांच कराई गई। उप जिलाधिकारी की जांच आख्यानुसार तुलसी सदन हादीहाल के सम्मुख स्थित आर्य समाज मन्दिर, प्रतापगढ़ का भवन गाटा संख्या-81 व 82 (आंशिक) में बना है। 1359 फ0 में गाटा संख्या-81 रकबा 00-09-04 तथा 82/2, रकबा 00-01-10, आबादी खाते में अंकित है। 1359 फ0 के खसरे में गाटा संख्या-81 के विवरण स्तम्भ में ''अन्दर म्युनिसिपैलिटी कार्य क्षेत्र'' नान जेड0ए0 की भूमि दर्ज है तथा गाटा संख्या-82

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आबादी खाते में अंकित है। दोनों गाटे 1378फ0 के नान जेड0ए0 खसरा (म्यूनिसिपैलिटी अन्दर) में आबादी (मोहाल राजा अजीत प्रताप सिंह) अंकित है। वर्तमान राजस्व अधिकारी अभिलेखों में भी प्रश्नगत भूमि नान जेड0ए0 आबादी ही दर्ज है। जेड0ए0 भूमि को नान जेड0ए0 में परिवर्तित किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध होना नहीं पाया गया। उक्त भूमि पर अवस्थित भवन में कोई विद्यालय संचालित होना नहीं पाया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि सी0आर0पी0सी0 की धारा-145 के तहत कुर्क है।]

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

आपको डरते है जो आप कहेंगे वही करेंगे।

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री मो0 असलम राइनी-

माननीय अध्यक्ष जी एक सदस्य कम हो जायेगा आने वाले दिनों में।

श्री अध्यक्ष-

कम नहीं होगा अब तो अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित कर रहे हैं। अब कोई घटना की बात नहीं।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भारत माता की जय का उद्घोष किया गया)

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-50 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट, मा0 सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 का संलग्नक।

प्रदेश के प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्डियोलाजिस्ट के कुल स्वीकृत पद-141 हैं जिसके सापेक्ष विभिन्न जनपद में कार्डियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत चिकित्सकों की संख्या निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	जिला का नाम	कार्डियोलाजिस्ट के पद के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सक	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	इलाहाबाद	3	कार्डियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत चिकित्सकों में से मात्र 16 डिप्लोमा इन कार्डियोलाजी हैं, जो एम0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। अन्य 27 चिकित्सक फिजीशियन हैं, जो कार्डियोलाजिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं।
2	फतेहपुर	1	
3	बांदा	1	
4	वाराणसी	3	
5	आजमगढ़	2	
6	लखनऊ	13	
7	रायबरेली	1	
8	उन्नाव	1	
9	सीतापुर	1	
10	हरदोई	1	
11	शाहजहांपुर	1	
12	मेरठ	1	
13	मुजफ्फरनगर	1	
14	कानपुर नगर	1	
15	अलीगढ़	1	
16	कासगंज	1	
17	फिरोजाबाद	2	
18	झांसी	1	
19	फैजाबाद	1	
20	बाराबंकी	1	
21	गोण्डा	1	
22	बहराइच	1	
23	बस्ती	1	
24	गोरखपुर	2	
	कुल योग :	**43**	

नत्थी (ख)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-53 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के 2-सोमवार के लिये निर्धारित श्री शैलेन्द्र यादव ललई, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 के उत्तर में उल्लिखित दुग्ध संग्रह केन्द्र के भवनों की सूची :-

जनपद-जौनपुर	जनपद-गाजीपुर		जनपद-वाराणसी	जनपद-आजमगढ़
1-उदयपुर बेलवा	1-नरियांव	22-उतरांव	1-नहवानीपुर	1-तमोली
2-कमालपुर	1-रेवतीपुर	23-अवथही	2-विश्वनाथपुर	
3-गजेन्द्रपुर	3-बीबीपुर	24-धनाडी	3-कोदई	
4-कटकानवाबाद	4-परसा	25-पकसड़ा		
5-चरियाही	5-धुरेहरा	26-लहना		
6-गोनौली	6-छतमा	27-गोपालपुर		
7-मुरादपुर कोटिला	7-बासूचक	28-रमवल		
8-नेवादा	8-धनईपुर	29-रनबीरराय		
9-सोनइचा	9-सरौली	30-ढढनी		
10-गांधीनगर	10-छपरा	31-मुरकी		
11-अमारी	11-सेवराई	32-शेरपुरखुर्द		
12-नुरुद्दीनपुर	12-पकडीगोपालपुर	33-तारनपुर		
13-रताली	13-बेटावरकला	34-अड़िला		
14-जनउर	14-देवरिया	35-बैरान		
15-लोहरियांव	15-अमौरा	36-पैकौली		
16-रसिकापुर	16-सुआपुर	37-सोनाड़ी		
	17-मटखन्ना	38-लीलापुर		
	18-देवचन्द्रपुर	39-पटखोलिया		
	19-गनधपा	40-नसीरपुर		
	20-पातेपुर	41-बेनीपुर		
	21-परानपुर			

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-59 पर)

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम वार धनराशि का आवंटन

राज्य स्वास्थ्य समिति

	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	आई0डी0एस0पी0	टी0बी0	एन0पी0सी0बी0	एन0एन0ई0पी0
2015-16	21,87,71,025	7,61,95,687	3,02,71,931	1,79,27,044	8,57,394	1,57,86,028	3,47,000	32,98,877
	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	आई0डी0एस0पी0	टी0बी0	एन0पी0सी0बी0	एन0एन0ई0पी0
2016-17	20,37,53,182	8,82,35,145	1,32,89,880	1,01,75,913	13,67,484	1,28,18,518	33,73,983	8,49,415
	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	आई0डी0एस0पी0	टी0बी0	एन0पी0सी0बी0	एन0एन0ई0पी0
2018-19	16733168	241544868	27420637	17019805	0	1387324	11270843	274978
	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	आयोडीन	आई0डी0एस0पी0	वेक्टर बोर्न	एन0एल0ई0पी0
2019-20	115239000	204360100	18917800	1153000	0	717000	10491000	10854000

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम वार धनराशि आवंटन का विवरण

	वेस्टर बोर्न	एन0पी0सी0डी0सी0एस0	एन0पी0पी0सी0डी0	एन0यू0एच0एम0	कुल
2015-16	93,05,428	-	-	14,20,624	37,41,82,038
	वेक्टर बोर्न	एन0पी0सी0डी0सी0एस0	एन0पी0पी0सी0डी0	एन0यू0एच0एम0	कुल
2016-17	55,72,445	33,60,056	-	31,36,783	34,59,32,804

	आर0एन0टी0सी0पी0	एन0पी0सी0बी0	एन0एम0एस0पी0	इल्डरली	एन0टी0सी0पी0	एन0पी0सी0डी0सी0एस0	एन0यू0एच0एम0	कुल
2017–18	18946949	3826084	0	0	1276020	480000	3091137	493871813

	आर0एन0टी0सी0पी0	एन0पी0सी0बी0	एन0एम0एस0पी0	इल्डरली	एन0टी0सी0पी0	एन0पी0सी0डी0सी0एस0	एन0यू0एच0एम0	कुल
2018–19	25106000	3957700	2560000	1815000	12,76,020.00	1055400	2033100	39,95,35,120

जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर द्वारा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2015-16

क्र0 सं0	सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	वेस्टर्नवार्न	एन0एल0ई0पी0	आर0एन0टी0सी0पी0	कुल
1	दुधई	97,33,974	70,15,370	15,43,900	11,83,658	1,55,750	5,424	1,97,932	1,98,36,008
2	फाजीनगर	1,29,88,364	78,29,122	17,78,050	10,24,184	81,750	19,505	825	2,37,21,800
3	हाता	77,54,977	67,03,535	16,29,975	9,24,235	60,700	12,094	1,22,678	1,72,08,194
4	कप्तानगंज	1,11,28,911	61,56,207	16,17,857	10,47,883	58,700	84,162	87,413	2,01,81,332
5	कसिया	61,79,085	50,43,034	13,33,475	8,96,290	72,700	14,495	2,12,959	1,37,52,038
6	खड्डा	1,53,83,541	69,54,966	17,49,975	11,83,105	50,463	8,419	1,77,744	2,55,08,213
7	कुबेरनाथ	1,19,29,526	77,55,841	21,56,175	14,88,584	1,16,450	8,196	3,39,405	2,38,34,177
8	मोतीचक	69,80,672	54,77,087	14,17,350	9,01,743	35,700	14,021	30	1,48,26,603
9	नीबूनौरंगिया	97,46,979	60,11,117	14,89,050	9,25,129	84,700	3,514	172	1,82,60,661
10	रामकोला	1,23,45,965	67,67,808	16,26,450	11,11,877	62,062	7,813	-	2,19,21,975
11	सुकरौली	81,96,135	63,48,894	15,55,200	10,48,969	81,527	6,890	532	1,72,38,147
12	तमकुही	81,81,690	69,16,192	17,25,400	11,23,818	80,450	11,656	1,32,914	1,81,72,120
13	तरैयासुजान	1,24,82,289	70,00,213	16,78,625	11,43,276	65,988	6,043	920	2,23,77,354
14	विशनपुरा	79,96,639	65,04,844	15,73,900	9,67,968	1,22,450	13,012	1,62,042	1,73,40,855
	योग :	**14,10,28,747**	**9,24,84,230**	**2,28,75,400**	**1,49,70,719**	**11,29,390**	**2,15,244**	**14,75,566**	**27,41,79,477**

जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर द्वारा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2016-17

क्र0 सं0	सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	वेस्टर्नवार्न	एन0एल0ई0पी0	आर0एन0टी0सी0पी0	कुल
1	दुधई	1,10,61,727	1,00,69,244	12,86,085	11,62,418	4,19,868	16,274	1,97,932	2,42,16,548
2	फाजीनगर	2,01,15,695	1,25,78,418	11,01,690	7,93,359	1,92,550	33,905	5,41,325	3,53,56,942
3	हाता	92,99,426	1,00,90,604	11,22,860	6,84,064	14,470	18,844	3,48,928	2,15,79,196
4	कप्तानगंज	1,29,20,011	99,15,908	12,22,695	7,70,274	54,350	95,262	2,44,913	2,52,23,594
5	कसिया	95,76,363	65,58,642	13,41,025	7,25,398	1,61,000	18,595	1,58,709	1,85,39,732
6	खड्डा	2,03,03,128	66,94,206	12,94,835	8,86,795	58,564	17,519	5,73,994	2,98,29,041
7	कुबेरनाथ	1,53,36,207	1,16,37,910	20,84,745	11,26,338	3,50,800	33,996	4,26,405	3,09,96,401
8	मोतीचक	76,06,121	68,29,104	11,16,330	7,23,143	53,350	22,821	2,17,530	1,65,68,399
9	नीबूनौरंगिया	1,26,16,991	58,87,345	10,75,590	7,30,846	88,080	15,014	2,18,422	2,06,32,288
10	रामकोला	1,45,10,631	98,84,095	14,79,260	10,13,002	82,312	23,313	--	3,69,92,613
11	सुकरौली	1,15,92,903	1,04,42,264	13,59,425	9,35,515	76,547	11,790	2,49,532	2,46,67,976
12	तमकुही	96,93,589	71,60,621	11,87,850	10,89,918	3,06,276	29,456	69,164	1,95,36,874
13	तरैयासुजान	1,68,34,093	63,10,758	14,50,105	8,65,026	3,23,691	20,793	920	2,58,05,386
14	विशनपुरा	1,00,92,865	56,40,505	13,49,166	7,84,143	2,79,200	20,062	2,51,542	1,84,17,483
	योग :	**18,15,59,750**	**11,96,99,624**	**1,84,74,661**	**1,22,90,239**	**24,61,058**	**3,77,644**	**34,99,316**	**33,83,62,473**

जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर द्वारा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2017-18

क्र0 सं0	सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0	आर0सी0एच0	मिशन फ्लैक्सीपूल	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	वेक्टर वार्न	एन0एल0ई0पी0	आर0एन0टी0सी0पी0	कुल
1	दुधई	1,12,71,182	1,19,15,959	21,59,738	12,72,993	6,00,270	16,274	1,97,932	2,74,34,348
2	फाजीनगर	1,43,54,105	1,08,71,600	21,17,743	10,74,459	3,71,263	5,005	8,23,325	2,96,17,500
3	हाता	76,46,103	1,00,03,498	26,30,510	10,50,603	2,60,100	17,744	6,07,678	2,20,16,236
4	कप्तानगंज	1,00,21,823	95,12,364	18,64,700	10,52,224	3,84,800	1,02,762	5,09,163	2,33,48,017
5	कसिया	64,69,208	80,52,323	20,33,200	10,31,040	3,46,379	19,595	8,20,959	1,87,72,704
6	खड्डा	1,39,36,295	92,11,533	27,78,499	12,60,845	2,30,000	7,219	7,24,494	2,81,48,885
7	कुबेरनाथ	1,20,45,280	1,41,66,381	26,37,598	12,94,601	6,87,800	33,996	4,26,405	3,12,92,061
8	मोतीचक	58,25,506	1,05,35,278	19,42,565	10,17,868	2,06,100	22,821	2,17,530	1,97,67,668
9	नीबूनौरंगिया	1,12,60,240	85,46,020	18,58,274	10,00,302	2,27,900	14,264	3,15,422	2,32,22,422
10	रामकोला	1,14,55,908	92,92,071	25,17,975	13,27,127	3,64,603	26,213	3,46,500	2,53,30,397
11	सुकरौली	75,70,810	86,08,445	22,13,570	14,03,824	2,19,100	17,990	3,46,032	2,03,79,771
12	तमकुही	89,65,765	1,16,85,688	26,56,940	12,51,089	4,03,930	29,456	7,93,164	2,57,86,032
13	तरैयासुजान	1,33,10,018	88,65,146	24,37,989	11,85,576	7,87,303	20,793	1,62,920	2,67,69,745
14	विशनपुरा	92,91,629	1,11,02,505	27,37,609	11,10,456	4,43,630	20,062	2,38,042	2,49,43,933
	योग :	**14,32,23,872**	**14,23,68,811**	**3,25,86,910**	**1,63,33,007**	**54,33,178**	**3,54,194**	**65,29,566**	**34,68,29,719**

जिला स्वास्थ्य समिति कुशीनगर द्वारा सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को आवंटित धनराशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2018-19

क्र0 सं0	सी0एच0सी0/ पी0एच0सी0	आर0सी0एच0	आर0आई0	आई0पी0पी0आई0	मिशन फ्लैक्सीपूल	वेक्टर वार्न	एन0एल0ई0पी0	आर0एन0टी0सी0 पी0	कुल
1	दुधई	65,38,020.00	1245292	233225	8096418	162450	699034	697232	1,76,71,671.00
2	फाजीनगर	93,70,371.00	1173178	198700	8397582	168950	776285	682825	2,07,67,891.00
3	हाता	39,13,326.00	1019937	181475	6472619	10400	584964	575178	1,27,60,799.00
4	कप्तानगंज	61,80,362.00	1121645	208875	7571038	31393	749112	888663	1,67,51,088.00
5	कसिया	40,38,925.00	1457222	188900	5744911	117800	553745	770459	1,28,71,962.00
6	खड्डा	88,31,250.00	1557141	235250	8589227	58645	703299	500494	2,04,75,306.00
7	कुबेरनाथ	71,16,310.00	1640810	862693	10696576	202450	1033576	536405	2,20,88,820.00
8	मोतीचक	32,26,104.00	1225758	178450	7212079	63153	764851	511030	1,31,81,425.00
9	नीबूनौरंगिया	58,32,053.00	1135258	176525	6927585	72995	637764	500172	1,52,82,352.00

10	रामकोला	65,75,338.00	1753593	366527	7662058	97884	686473	515500	1,76,57,369.00
11	सुकरौली	39,06,217.00	1471593	351602	7435286	70110	706700	503782	1,44,45,290.00
12	तमकुही	47,24,237.00	1517596	318425	8040429	113266	787856	995914	1,64,97,723.00
13	तरैयासुजान	71,14,438.00	1526024	226725	8056308	278550	707693	662920	1,85,72,658.00
14	विशनपुरा	49,91,139.00	1233001	189350	7169777	161250	697892	524792	1,48,67,201.00
	योग :	**8,32,57,990.00**	**1,90,78,048.00**	**39,19,722.00**	**10,80,71,889.00**	**16,09,296.00**	**1,00,89,244.00**	**88,65,366.00**	**23,38,91,555.00**

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-45 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-60 पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-45 के सम्बन्ध में एनएचएम योजना के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल के जनपदों में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	मद	आवंटित धनराशि (रु0 में)	प्रक्रिया टेण्डर/कोटेशन	फर्म	भुगतान (रु0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बहराइच	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच	2018-19	निर्माण	30000000	ई-टेण्डर	मे0 आर0पी0 कान्स्ट्रक्शन, बहराइच	-	सिविल
				अनुरक्षण	5745000	टेण्डर	मे0 कामर्शियल ट्रेडिंग कम्पनी, बहराइच	2980273	सिविल
2	श्रावस्ती	मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती	2017-18	निर्माण	2500000	टेण्डर	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ	2500000	सिविल
				निर्माण	6000000	टेण्डर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, श्रावस्ती	6000000	सिविल
			2018-19	निर्माण	2000000	टेण्डर	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, श्रावस्ती	1500000	सिविल
3	गोण्डा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा	2018-19	निर्माण	30300000	ई-टेण्डर	प्रक्रिया में।	-	-
4	बलरामपुर	एम0आई0के0 महिला चिकित्सालय बलरामपुर	2017-18	निर्माण	5000000	टेण्डर	मे0 लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 राम कृष्ण मिश्रा	3144597	भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2019 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-45 के सम्बन्ध में राज्य बजट के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल के जनपदों में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	मद	आवंटित धनराशि (रु0 में)	प्रक्रिया टेण्डर/कोटेशन	फर्म	भुगतान (रु0 में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बहराइच	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच	2017-18	निर्माण	3660000	टेण्डर	सीडीएस जल निगम	3660000	सिविल
				अनुरक्षण	21381846	टेण्डर	मेसर्स सिंह इलेक्ट्रिक कम्पनी, चित्रांश कान्स्ट्रक्शन एवं मेसर्स जी0एम0ई0 मेडिकल इन्कारपोरेशन	21381846	सिविल + विद्युत
			2018-19	अनुरक्षण	3175383	टेण्डर	मेसर्स चित्रांश कान्स्ट्रक्शन, कैसरगंज, बहराइच	3175383	सिविल
		जिला चिकित्सालय बहराइच	2018-19	निर्माण	970000	टेण्डर	सिडको	970000	रोगी आश्रय स्थल
				अनुरक्षण	2006615	ई-टेण्डर	आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन	2006615	सिविल
				अनुरक्षण	222165	ई-टेण्डर	मेसर्स मनशाद अहमद ठेकेदार	222165	सिविल
2	श्रावस्ती	मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रावस्ती	2017-18	अनुरक्षण	4348913	टेण्डर	मेसर्स आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन	4348913	सिविल
			2018-19	निर्माण	31113000	टेण्डर	आवास एवं विकास परिषद्	31113000	सामु0 स्वा0 केन्द्र
				निर्माण	33129000	टेण्डर	सीडीएस जल निगम	33129000	सामु0 स्वा0 केन्द्र
				अनुरक्षण	4810487	-	-	-	सिविल
		जिला चिकित्सालय श्रावस्ती	2017-18	अनुरक्षण	1456252	टेण्डर	मेसर्स आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन	1456252	सिविल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	गोण्डा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा	2017-18	निर्माण	3578000	टेण्डर	पैकफेड	3578000	सिविल
				अनुरक्षण	11475651	पुराना टेण्डर	मेसर्स आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन	9020126	सिविल
		जिला चिकित्सालय गोण्डा	2017-18	निर्माण	95983000	टेण्डर	राजकीय निर्माण निगम लि0	95983000	जिला चिकित्सालय निर्माण कार्य
					19520000	टेण्डर	सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम	19520000	जिला चिकित्सालय फायर फाइटिंग
					4309000	टेण्डर	सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम	4309000	एम0आर0आई0
				अनुरक्षण	6533518	टेण्डर	मेसर्स सानिया कान्स्ट्रक्शन, लखनऊ	6533518	सिविल
			2018-19	निर्माण	27753000	टेण्डर	सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम	27753000	मेडिकल गैस पाइप लाइन
				अनुरक्षण	7473555	टेण्डर	मेसर्स सानिया कान्स्ट्रक्शन, लखनऊ	5069467	सिविल
		महिला चिकित्सालय गोण्डा	2017-18	अनुरक्षण	300000	टेण्डर	श्री शिव बहादुर सिंह ठेकेदार, गोण्डा	292297	सिविल
			2018-19	अनुरक्षण	3030899	टेण्डर	श्री शिव बहादुर सिंह ठेकेदार, गोण्डा	2929612	सिविल
4	बलरामपुर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर	2017-18	अनुरक्षण	6737312	टेण्डर	मेसर्स शिवराम दूबे/मे0 अजमल चौधरी/मे0 साई कान्स्ट्रक्शन/आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन/मेसर्स चौरसिया कं0	6737312	सिविल
			2018-19	निर्माण	47589000	टेण्डर	सी0 एण्ड डी0 एस0 जल निगम	47589000	सामु0 स्वा0 केन्द्र
				अनुरक्षण	11533556	ई-टेण्डर	मेसर्स कृष्णा नन्द मिश्रा/मे0 अजमल चौधरी/आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन/मेसर्स दिलशाद कान्स्ट्रक्शन	5249518	सिविल
		संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर	2017-18	अनुरक्षण	7904943	टेण्डर	आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन/मेसर्स चौरसिया कं0/मे0 जय महाकाल ट्रेडर्स	7904943	सिविल + विद्युत
			2018-19	अनुरक्षण	3983286	ई-टेण्डर	आर0पी0 ग्रुप ऑफ कान्स्ट्रक्शन	3983286	सिविल

	2017-18	अनुरक्षण	280600	कोटेशन	शैलेन्द्र सिंह कान्स्ट्रक्शन, मनकापुर, गोण्डा	280600	सिविल
एम0आई0के0 महिला चिकित्सालय बलरामपुर	2018-19	अनुरक्षण	209080	कोटेशन	आर्यन कान्स्ट्रक्शन, बलरामपुर	40732	सिविल
				कोटेशन	बिलाल अहमद जनरल आर्डर सप्लायर, बलरामपुर	62107	सिविल
				कोटेशन	आर्यन कान्स्ट्रक्शन, बलरामपुर	41000	सिविल
				कोटेशन	बिलाल अहमद जनरल आर्डर सप्लायर, बलरामपुर	19900	सिविल

पी0एस0यू0पी0-एल0-124 विधान सभा (216)-23-11-2020-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।